



Drishti IAS Presents...

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

जुलाई भाग-1

2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English) : 8010440440, Inquiry (Hindi) : 8750187501

Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

अंतर्राष्ट्रीय संबंध	4	➤ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की निकासी	40
➤ भारत-ताजिकिस्तान द्विपक्षीय संबंध	4	➤ पूर्वोत्तर क्षेत्र को कृषि निर्यात हब के रूप में बढ़ावा देने की रणनीति	42
➤ मेकांग-लंकांग सहयोग	5	➤ RBI ने रुपए में व्यापार निपटान की अनुमति दी	43
➤ भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौते	7	भारतीय इतिहास	46
➤ अप्रीकी संघ की 20वीं वर्षगाँठ	8	➤ अल्लूरी सीताराम राजू	46
➤ भारत-ऑस्ट्रेलिया दुर्लभ खनिज निवेश साझेदारी	11	भारतीय राजनीति	47
➤ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर यूनेस्को का अभिसमय	12	➤ भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव	47
➤ G-20 विदेश मंत्रियों की बैठक	13	➤ ओबीसी उप-वर्गीकरण आयोग का विस्तार	47
➤ श्रीलंका संकट	16	➤ मेघालय जनजातीय परिषद का विलय के साधन (IoA) पर पुर्नविचार	48
➤ जीनोमिक्स लोकतंत्र	18	➤ चुनाव चिह्न को लेकर विवाद	50
➤ I2U2 शिखर सम्मेलन और खाद्य सुरक्षा	20	भारतीय विरासत और संस्कृति	51
आंतरिक सुरक्षा	22	➤ प्राचीन बौद्ध स्थल का संरक्षण	51
➤ चीन का नया हाई-टेक विमान-वाहक पोत फुजियान	22	भूगोल	52
➤ राष्ट्रीय जाँच एजेंसी	23	➤ अमरनाथ फ्लैश फ्लड	52
जैवविविधता और पर्यावरण	26	➤ भू-विज्ञान में नई अंतर्दृष्टि	53
➤ एशिया में जल सुरक्षा	26	➤ चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण	54
➤ संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022	27	➤ 22वाँ राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस	55
➤ भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट	28	➤ नेचुरल फार्मिंग	56
➤ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986	29	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	58
➤ प्लास्टिक अपशिष्ट न्यूनीकरण: नीति आयोग	31	➤ हैड्रॉन कोलाइडर रन 3	58
➤ जंगली प्रजातियों का सतत् उपयोग: आईपीबीईएस रिपोर्ट	32	➤ मेटावर्स स्टैंडर्ड्स फोरम	59
भारतीय अर्थव्यवस्था	35	➤ गीगामेश समाधान	61
➤ नियोबैंक	35	➤ भारत का रक्षा निर्यात	62
➤ वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो	36		
➤ विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम में संशोधन	37		
➤ उद्यम और सेवा केंद्रों का विकास विधेयक	38		
➤ ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021	39		

➤ डार्क मैटर	63	➤ लघु बचत योजनाएँ/साधन:	107
➤ इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज 2022	64	➤ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस	107
शासन व्यवस्था	68	➤ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग: बीआरएपी 2020	108
➤ वन (संरक्षण) नियम, 2022	68	➤ न्यू POEM प्लेटफॉर्म	109
➤ टेक-होम राशन	69	➤ जम्मू और कश्मीर में देखा गया ट्रीशू	110
➤ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस	70	➤ न्यू ऑटानमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर	111
➤ डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022	72	➤ काई चटनी: ओडिशा	112
➤ शिक्षा क्षेत्र में सुधार	73	➤ ऑपरेशन	113
➤ अनुचित विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिये दिशा-निर्देश	74	➤ प्रशिक्षुओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता हेतु DBT योजना की शुरुआत	113
➤ ऑनलाइन गोमिंग: परिदृश्य एवं विनियमन	76	➤ स्ववाइन INAS 324	114
➤ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए	78	➤ राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग:	114
➤ भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022	79	➤ पौधों में नाइट्रोजन अवशोषण का विनियमन	115
➤ मिशन वात्सल्य	80	➤ चैनकुरिजी	116
➤ किसान क्रेडिट कार्ड	81	➤ सिंगल-क्रिस्टेलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड	117
➤ एनएफएसए रैंकिंग 2022	83	➤ नैरोबी मक्खियाँ	117
➤ दूरस्थ मतदान सुविधा	84	➤ ऑस्ट्रेलिया द्वारा लाखों मधुमक्खियों की हत्या	118
➤ श्रम संहिताओं के लिये केंद्र का प्रयत्न	86	➤ तिहान: पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा	118
➤ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये स्वीकृत ईंधन: CAQM	88	➤ पसमांदा समुदाय	118
➤ जमानत कानून में सुधार	89	➤ मानगढ़ पहाड़ी राष्ट्रीय स्मारक घोषित	119
➤ मध्यस्थता विधेयक, 2021 पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट	91	➤ फील्ड्स मेडल 2022	120
➤ मिशन शक्ति	93	➤ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	121
➤ सेवा शुल्क	94	➤ कैसर के इलाज हेतु ऑनकोलिटिक विरोधरेपी	122
➤ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना	95	➤ ओपन एकरेज लाइसेंसिंग कार्यक्रम	123
सामाजिक न्याय	97	➤ एयरलाइन टर्बुलेंस	124
➤ स्वयं सहायता समूह	97	➤ ड्रैगन फ्रूट	126
➤ खिलाड़ियों हेतु नकद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण एवं पेंशन योजनाएँ	98	➤ स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैच्यू ऑफ पीस	126
➤ विश्व जनसंख्या संभावनाएँ 2022	100	➤ अजोरेस हाई	127
➤ यूथ इन इंडिया 2022' रिपोर्ट	101	➤ ईपीवी संक्रमण के बाद जैव-आणविक परिवर्तन	128
➤ वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, 2022	102	➤ आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय	129
प्रिलिम्स फैक्ट्स	105	➤ आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय	129
➤ आपदा रोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (CDRI)	105	➤ एचपीवी वैक्सीन	129
➤ अभ्यास: हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट	105	➤ प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म (पीओपी)	130
		➤ त्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2022	131
		रैपिड फायर	133

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-ताजिकिस्तान द्विपक्षीय संबंध

चर्चा में क्यों ?

भारत के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने ताजिकिस्तान गणराज्य के ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

- सतत विकास के लिये जल पर वैश्विक जल कार्रवाई और जलवायु प्रतिरोध का समर्थन करने हेतु जल संसाधन अनुसंधान, विशेष रूप से ग्लेशियर निगरानी, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

ताजिकिस्तान के साथ भारत के संबंध:

- सलाहकारी तंत्र:
- विदेशी कार्यालय परामर्श।
- आतंकवाद के निरोध पर संयुक्त कार्यसमूह।
- व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर संयुक्त आयोग।
- रक्षा सहयोग पर JWG।
- विकास हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग पर JWG।
- अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सहयोग:
- 2020 में ताजिकिस्तान ने 2021-22 की अवधि के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिये भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया।
- ताजिकिस्तान ने भारत के लिये शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य के दर्जे का पुरजोर समर्थन किया।
- भारत ने जल संबंधी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र में ताजिकिस्तान के प्रस्तावों का लगातार समर्थन किया है।
- भारत ने मार्च 2013 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) में ताजिकिस्तान की उम्मीदवारी एवं विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने का भी समर्थन किया।
- विकास और सहायता साझेदारी:
- विकास सहायता:
 - ◆ 0.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के साथ 2006 में एक सूचना और प्रौद्योगिकी केंद्र (बेदिल केंद्र) शुरू किया गया था।
 - ◆ यह परियोजना 6 वर्षों के पूर्ण हार्डवेयर चक्र (Full Hardware Cycle) के लिये संचालित की गई जिसके तहत ताजिकिस्तान में सरकारी क्षेत्र में पहली पीढ़ी के लगभग सभी आईटी विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया गया।

- ◆ ताजिकिस्तान में 37 स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने की एक परियोजना पूरी हुई जिसे अगस्त 2016 में शुरू किया गया था।

- मानवीय सहायता:
 - ◆ जून 2009 में ताजिकिस्तान में बाढ़ से हुए नुकसान में मदद करने के लिये भारत द्वारा 200,000 अमेरिकी डॉलर की नकद सहायता दी गई थी।
 - ◆ दक्षिण-पश्चिम ताजिकिस्तान में पोलियो के फैलने के बाद भारत ने नवंबर 2010 में यूनिसेफ के माध्यम से ओरल पोलियो वैक्सिन की 2 मिलियन खुराक प्रदान की।
- मानव क्षमता निर्माण:
 - वर्ष 1994 में दुशांबे में भारतीय दूतावास की स्थापना के बाद से ताजिकिस्तान भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (Indian Technical & Economic Cooperation Programme- ITEC) का लाभार्थी रहा है।
 - वर्ष 2019 में भारत-मध्य एशिया संवाद प्रक्रिया के तहत कुछ ताजिकिस्तानी राजनयिकों को विदेश सेवा संस्थान, दिल्ली में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।
- व्यापार और आर्थिक संबंध:
 - भारत द्वारा ताजिकिस्तान को निर्यात में शामिल मुख्य वस्तुओं में फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा सामग्री, गन्ना या चुकंदर की चीनी, चाय, हस्तशिल्प और मशीनरी शामिल हैं।
 - ◆ ताजिकिस्तान के बाजार में भारतीय फार्मास्यूटिकल् उत्पाद की लगभग 25% की हिस्सेदारी है।
- ताजिकिस्तान द्वारा विभिन्न प्रकार के अयस्क, स्लैग और राख, एल्युमीनियम, कार्बनिक रसायन, हर्बल तेल, सूखे मेवे और कपास भारत को निर्यात किये जाते हैं।
- वर्ष 2018 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा व कृषि अनुसंधान और शिक्षा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्रों में आठ समझौता ज्ञापनों पर दोनों देशों के मध्य हस्ताक्षर किये गए।
- सांस्कृतिक लगाव और लोगों के मध्य संबंध:
 - गहरे मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों ने दोनों देशों के मध्य संबंधों को नए स्तर पर विस्तारित करने में मदद की है।
 - ◆ दोनों देशों के बीच सहयोग में सैन्य और रक्षा संबंधों पर विशेष ध्यान देने के साथ मानव प्रयास के सभी पहलू शामिल हैं।

- दुशांबे में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र भारत से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा नियुक्त शिक्षकों के माध्यम से कथक और तबला पाठ्यक्रम प्रदान करता है। केंद्र संस्कृत और हिंदी भाषा की कक्षाएँ भी प्रदान करता है।
- वर्ष 2020 में 'माई लाइफ माई योगा' वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता में ताजिकिस्तान के लोगों द्वारा उत्साह के साथ योग में भागीदारी की गई।

भारत-मध्य एशिया संबंध:



- परिचय:
- तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से ही भारत का मध्य एशिया के साथ संबंध रहा है क्योंकि ये देश पौराणिक रेशम मार्ग पर स्थित थे।
- बौद्ध धर्म ने मध्य एशियाई शहरों जैसे- मर्व, खलाचायन, तिर्मिज व बोखरा आदि में स्तूपों और मठों के रूप में प्रवेश किया।
- मध्य एशिया, एशिया और यूरोप के बीच एक भू-सेतु के रूप में कार्य करता है, जो इसे भारत के लिये भू-राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।
 - ◆ यह क्षेत्र पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सुरमा, एल्युमीनियम, सोना, चाँदी, कोयला और यूरेनियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जिनका भारतीय ऊर्जा आवश्यकताओं के लिये सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है।
- मध्य एशियाई क्षेत्र तेजी से उत्पादन, कच्चे माल की आपूर्ति और सेवाओं के लिये वैश्विक बाजार से जुड़ रहे हैं।
 - ◆ वे पूर्व-पश्चिम ट्रांस-यूरोशियन ट्रांजिटआर्थिक गलियारों में भी तेजी से एकीकृत हो रहे हैं।
- भारत-मध्य एशिया संवाद:
- यह भारत और मध्य एशियाई देशों जैसे- कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज़्बेकिस्तान के बीच एक मंत्री स्तरीय संवाद है।

- शीत युद्ध के पश्चात् वर्ष 1991 में USSR के पतन के बाद सभी पाँच राष्ट्र स्वतंत्र राज्य बन गए।
- तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर वार्ता में भाग लेने वाले सभी देश शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं।
- बातचीत कई मुद्दों पर केंद्रित है जिसमें कनेक्टिविटी में सुधार और युद्ध से तबाह अफगानिस्तान में स्थिरता संबंधी उपाय शामिल हैं।
- भारत और मध्य एशिया संबंधों के बीच हाल के विकास:
- मध्य एशिया में परियोजनाओं के लिये भारत की 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट, चाबहार बंदरगाह और तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) गैस पाइपलाइन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये चाबहार बंदरगाह का उपयोग करके कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है।
- 'अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर' (INSTC), अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे (ITTC) पर अश्गाबात समझौते के संयोजन के साथ भारत व मध्य एशियाई देशों के बीच संपर्क बढ़ा रहा है।
- पाँच मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने तीसरी भारत-मध्य एशिया वार्ता में भाग लेने के लिये दिसंबर 2021 में नई दिल्ली का दौरा किया।
- कोविड-19 से निपटने के दौरान मध्य एशियाई देशों ने महामारी के अपने प्रारंभिक चरण के दौरान कोविड-19 टीकों और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति हेतु भारत द्वारा की गई सहायता की सराहना की।
- जनवरी 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने आभासी प्रारूप में पहले भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।

मेकांग-लंकांग सहयोग

चर्चा में क्यों ?


वर्ष 2021 में म्याँमार में सेना के सत्ता में आने के बाद हाल ही में वहाँ की सैन्य सरकार ने पहली उच्च स्तरीय क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की।

बैठक के बारे में:

- बैठक में चीन के विदेश मंत्री और मेकांग डेल्टा देशों के समकक्ष शामिल हुए।
- चीन के विदेश मंत्री ने मेकांग-लंकांग सहयोग समूह की बैठक में म्याँमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम के अपने समकक्षों के साथ बैठक की।
- यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल, बागान के केंद्रीय शहर में आयोजित किया गया था।
- बैठक का विषय "शांति और समृद्धि के लिये एकजुटता" था।

मेकांग-लंकांग सहयोग:

- परिचय:
- यह एक चीनी नेतृत्व वाली पहल है, इसमें मेकांग डेल्टा के देश शामिल हैं, जो जलविद्युत परियोजनाओं की बढ़ती संख्या के कारण बदलते नदी प्रवाह से क्षेत्रीय तनाव का एक संभावित स्रोत बने हुए हैं तथा पारिस्थितिक क्षति की चिंता को बढ़ा रहे हैं।
- मुद्दे:
- चीन ने मेकांग के ऊपरी हिस्से पर 10 बाँध बनाए हैं, इस हिस्से को वह लंकांग कहता है।
- मेकांग नदी पर बाँधों के लिये चीन की आलोचना की जाती है जो जल स्तर और डाउनस्ट्रीम मत्स्य पालन को प्रभावित करते हैं तथा कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिये महत्वपूर्ण हैं।




म्याँमार में सैन्य तख्तापलट:

- परिचय:
- नवंबर 2020 के संसदीय चुनाव में सू की की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) ने बहुमत हासिल किया।
- म्याँमार की संसद में सेना के पास वर्ष 2008 के सैन्य-मसौदे संविधान के अनुसार कुल सीटों का 25% हिस्सा है और कई प्रमुख मंत्री पद भी सैन्य नियुक्तियों के लिये आरक्षित हैं।
- जब म्याँमार के नवनिर्वाचित सांसदों को वर्ष 2021 में संसद का पहला सत्र आयोजित करना था, तो सेना ने संसदीय चुनावों में मतदान के दौरान भारी थोखाधड़ी का हवाला देते हुए एक वर्ष के लिये आपातकाल लागू कर दिया।

- तख्तापलट पर भारत की प्रतिक्रिया:
 - इस दौरान भारत ने म्याँमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रक्रिया का समर्थन किया है।
 - यद्यपि भारत ने म्याँमार के हालिया घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है, किंतु म्याँमार की सेना से अपने संबंध खराब करना एक व्यवहार्य विकल्प नहीं होगा, क्योंकि म्याँमार के साथ भारत के कई महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक हित जुड़े हैं।
 - म्याँमार के साथ भारत के संबंध कैसे रहे हैं?
 - भारत के लिये म्याँमार का महत्त्व:
 - भारत के लिये म्याँमार भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के भौगोलिक केंद्र में अवस्थित है।
 - म्याँमार एकमात्र दक्षिण-पूर्व एशियाई देश है जो पूर्वोत्तर भारत के साथ थल सीमा साझा करता है।
 - म्याँमार एकमात्र ऐसा देश है जो भारत की "नेबरहुड फर्स्ट नीति" और 'एक्ट ईस्ट नीति' दोनों के लिये समान रूप से महत्वपूर्ण है।
 - सागर (SAGAR) नीति के तहत भारत ने म्याँमार के रखाईन प्रांत में सित्वे बंदरगाह को विकसित किया है।
 - 'सित्वे' (Sittwe) बंदरगाह को म्याँमार में चीन समर्थित 'क्याउक्यू' (Kyaukpyu) बंदरगाह के लिये भारत की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, गौरतलब है कि क्याउक्यू बंदरगाह का उद्देश्य रखाईन प्रांत में चीन की भू-रणनीतिक पकड़ को मजबूत करना है।
 - जिन परियोजनाओं में भारत शामिल है वे हैं:
 - 160 किलोमीटर लंबी तमू-कलेवा-कालेम्यो सड़क का उन्नयन और पुनर्जीवन।
 - म्याँमार के 32 शहरों में हाई-स्पीड डेटा लिंक के लिये एक असममित डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन (ADSL) परियोजना पूरी हो गई है।
 - ONGC विदेश लिमिटेड (OVL), गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) और एस्सार म्याँमार में ऊर्जा क्षेत्र में भागीदार हैं।
 - भारत और म्याँमार इनके सदस्य हैं:
 - आसियान
 - बिम्सटेक
 - मेकांग-गंगा सहयोग
 - सार्क
- बैठक को लेकर भारत की चिंता:**
- म्याँमार में चीन की उपस्थिति और चीन एवं म्याँमार के बीच बढ़ते संबंध भारत के लिये गहरी चिंता का विषय है क्योंकि भारत, म्याँमार के साथ 1600 किमी. की सीमा साझा करता है।

- तख्तापलट के बाद से चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे के लिये महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ म्यांमार पर चीन की आर्थिक पकड़ सख्त हो गई है।
- इसके अलावा नवंबर 2021 में म्यांमार सीमा के पास असम राइफल्स के काफिले पर घातक हमला पूर्वोत्तर भारत में संकट उत्पन्न करने की चीन की बदनीयती का संकेत देती है।

- दूसरे दौर की वार्ता सितंबर 2022 में ब्रुसेल्स में आयोजित की जाएगी।



आगे बढ़ने के लिये भारत का दृष्टिकोण क्या होना चाहिये ?

- सांस्कृतिक कूटनीति:
- बौद्ध धर्म के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का लाभ म्यांमार के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिये उठाया जा सकता है।
- भारत की "बौद्ध सर्किट" पहल, जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में प्राचीन बौद्ध विरासत स्थलों को जोड़कर भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या को दोगुना करना है, बौद्ध-बहुल म्यांमार के साथ प्रतिध्वनित होनी चाहिये।
- यह म्यांमार जैसे बौद्ध-बहुल देशों के साथ भारत के सद्भावना और विश्वास के राजनयिक संबंध का निर्माण भी कर सकता है।
- रोहिंग्या मुद्दे का समाधान:
- रोहिंग्या मुद्दे को जितनी जल्दी सुलझाया जाएगा भारत के लिये म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को प्रबंधित करना उतना ही आसान होगा, इसके लिये द्विपक्षीय एवं उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा।
- अन्य उपाय:
- भारत को म्यांमार में मौजूदा सरकार के साथ संबंध जारी रखना चाहिये जो दोनों देशों के लोगों के पारस्परिक विकास की दिशा में सहायक होगा।
- इसे मौजूदा गतिरोध को हल करने में म्यांमार की सहायता करने के लिये संवैधानिकता और संघवाद का अनुभव साझा करने का समर्थन करना चाहिये।

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौते

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने नई दिल्ली में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं निवेश समझौतों के लिये पहले दौर की वार्ता की।

- वार्ता के दौरान मुक्त व्यापार समझौते की 18 नीतियों पर 52 सत्र आयोजित किये गये। निवेश सुरक्षा और अन्य विषयों पर सात सत्र आयोजित किये गये।

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौता क्या है ?

- पृष्ठभूमि:
- भारत और यूरोपीय संघ ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) करने के लिये वर्ष 2007 में बातचीत शुरू की थी, जिसे आधिकारिक तौर पर BTIA कहा जाता है।
- BTIA को वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों में व्यापार को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था।
- ◆ हालाँकि बाजार पहुँच और पेशेवरों की आवाजाही पर मतभेदों को लेकर वर्ष 2013 में बातचीत टप हो गई।
- क्षेत्र:
- यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021-22 में 116 बिलियन डॉलर से अधिक का था।
- वैश्विक व्यवधानों के बावजूद द्विपक्षीय व्यापार ने वर्ष 2021-22 में 43% से अधिक की प्रभावशाली वार्षिक वृद्धि हासिल की।
- वर्तमान में यूरोपीय संघ अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, साथ ही भारतीय निर्यात के लिये दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य है।
- भारत में विदेशी निवेश प्रवाह में यूरोपीय संघ (EU) की हिस्सेदारी पिछले दशक में 8% से बढ़कर 18% हो गई है, जिससे यूरोपीय संघ भारत में पहला विदेशी निवेशक बन गया है।
- संबंधित चुनौतियाँ:
- सबसे पसंदीदा राष्ट्र (Most-Favoured Nation):
- EU निवेश संधि अभ्यास अपनी निवेश संधियों में सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN) प्रावधान को शामिल करने की अपनी उत्सुकता को दर्शाता है।
- ◆ भारत निवेश संधियों में MFN प्रावधान को शामिल करने के खिलाफ है।

- निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार:
- यूरोपीय संघ अपनी निवेश संधियों में उचित और न्यायसंगत उपचार (FET) प्रावधान शामिल करता है।
 - ◆ FET एक महत्वपूर्ण वास्तविक सुरक्षा सुविधा है जो विदेशी निवेशकों को मनमाने व्यवहार के लिये राज्यों को जवाबदेह ठहराने में सक्षम बनाती है।
 - ◆ भारत की मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि और हाल ही में भारत द्वारा हस्ताक्षरित निवेश संधियों में FET प्रावधान अनुपस्थित है।
- बहुपक्षीय निवेश न्यायालय:
- यूरोपीय संघ मौजूदा मध्यस्थता-आधारित निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) प्रणाली में सुधार हेतु बहुपक्षीय निवेश न्यायालय (MIC) को बढ़ावा दे रहा है।
 - ◆ फिर भी MIC पर भारत की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। भारत ने MIC स्थापित करने की दिशा में चल रही बातचीत में योगदान नहीं दिया है, जो एक ऐसे देश के लिये हैरान करने वाला है जो नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करता है।
- गैर टैरिफ बाधाएँ:
- सैनिटरी और फाइटो-सेनेटरी (SPS) उपायों के रूप में भारतीय कृषि उत्पादों पर बहुत कठोर गैर-टैरिफ बाधाओं की उपस्थिति है और ये यूरोपीय संघ को कई भारतीय कृषि उत्पादों को अपने बाजारों में प्रवेश करने से रोकने में सक्षम बनाते हैं।
- यूरोपीय संघ ने फार्मास्यूटिकल्स में गैर-टैरिफ बाधाओं को विश्व व्यापार संगठन गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस प्रमाणन, आयात प्रतिबंध, एंटी-डॉपिंग उपायों और पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण की आवश्यकताओं में शामिल किया है।

यूरोपीय संघ:

- परिचय:
- यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक समूह है जो एक संसक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है।
- इसके 19 सदस्य देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर 'यूरो' का उपयोग करते हैं।
 - ◆ जबकि 8 सदस्य देश (बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया एवं स्वीडन) यूरो का उपयोग नहीं करते हैं।
- यूरोपीय देशों के मध्य सदियों से चली आ रही लड़ाई को समाप्त करने के लिये यूरोपीय संघ के रूप में एक एकल यूरोपीय राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा विकसित हुई जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के साथ समापन हुआ और इस महाद्वीप का अधिकांश भाग समाप्त हो गया।

- EU ने कानूनों की मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाजार (Internal Single Market) विकसित किया है जो सभी सदस्य राज्यों के मामलों में लागू होता है और सभी सदस्य देशों की इस पर एक राय होती है।
- भारत के लिये यूरोपीय संघ का महत्त्व:
- यूरोपीय संघ शांति को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और देश भर में सतत् विकास को बढ़ाने के लिये भारत के साथ मिलकर काम करता है।
- वर्ष 2017 में EU-भारत शिखर सम्मेलन में नेताओं ने सतत् विकास के लिये एजेंडा 2030 के क्रियान्वयन पर सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिये अपने इरादे को दोहराया और भारत-EU विकास संवाद के विस्तार हेतु सहमत हुए।

आगे की राह

- भू-आर्थिक सहयोग: भारत सुरक्षा दृष्टिकोण से नहीं तो भू-आर्थिक रूप से इंडो-पैसिफिक मामलों में यूरोपीय संघ के देशों के साथ संलग्न हो सकता है।
- यह क्षेत्रीय बुनियादी ढाँचे के सतत् विकास के लिये बड़े पैमाने पर आर्थिक संसाधन जुटा सकता है, राजनीतिक प्रभाव को नियंत्रित कर सकता है तथा इंडो-पैसिफिक संवाद को आकार देने के लिये अपने महत्वपूर्ण सॉफ्ट पावर का लाभ उठा सकता है।
- भारत-यूरोपीय संघ BTIA संधि को अंतिम रूप देना: भारत और यूरोपीय संघ एक मुक्त-व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यह 2007 से लंबित है।
- इसलिये भारत और यूरोपीय संघ के बीच घनिष्ठ अभिसरण के लिये दोनों को व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने में संलग्न होना चाहिये।
- महत्वपूर्ण अभिकर्ताओं के साथ सहयोग:
- फ्रांस के साथ भारत की साझेदारी अब इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक मजबूत क्षेत्रीय सहयोग है।
- भारत ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते के लिये भी बातचीत में लगा हुआ है।

अफ्रीकी संघ की 20वीं वर्षगाँठ

चर्चा में क्यों ?

अफ्रीकी संघ 9 जुलाई, 2022 को अपनी 20वीं वर्षगाँठ मना रहा है।

अफ्रीकी संघ:

- परिचय:
- अफ्रीकी संघ (AU) महाद्वीपीय निकाय है, इसमें 55 सदस्य देश शामिल हैं जो अफ्रीकी महाद्वीप के देशों से बना है।

- गठन:
- अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना वर्ष 1963 में अफ्रीका के स्वतंत्र राज्यों द्वारा की गई थी। संगठन का उद्देश्य अफ्रीकी राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।
- लागोस प्लान ऑफ एक्शन को अफ्रीकी एकता संगठन द्वारा वर्ष 1980 में अपनाया गया। इस योजना ने सुझाव दिया कि अफ्रीका को अंतर-अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा देकर पश्चिम पर निर्भरता को कम करना चाहिये।
- वर्ष 2002 में अफ्रीकी एकता संगठन की जगह अफ्रीकी संघ ने ले लिया, जिसका लक्ष्य "महाद्वीप के आर्थिक एकीकरण" में तेजी लाना था।

अफ्रीकी संघ की 20 वर्षों में उपलब्धियाँ:

- अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र:
- इसकी स्थापना वर्ष 2018 में अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौते (AfCFTA) द्वारा की गई थी।
 - ◆ AfCFTA व्यापारियों तथा निवेशों की मुक्त आवाजाही के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये एक एकल महाद्वीपीय बाजार बनाने का प्रयास करता है और इस प्रकार महाद्वीपीय सीमा शुल्क संघ व अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ की स्थापना में तेजी लाने का मार्ग प्रशस्त करता है।
 - ◆ AfCFTA के प्रारंभिक कार्य वृद्धिशील टैरिफ में कमी, गैर-टैरिफ बाधाओं को समाप्त करना, आपूर्ति शृंखला और विवाद निपटान आदि हैं।
- इससे वर्ष 2022 के अंत तक अंतर-अफ्रीकी व्यापार लगभग 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।
- बड़ा बाजार क्षेत्र महाद्वीपीय बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये निवेश आकर्षित करेगा।
- बढ़े हुए व्यापार से रोजगार सृजित होंगे, अफ्रीका की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि होगी, सामाजिक कल्याण में सुधार होगा और अफ्रीका का अधिक औद्योगीकरण होगा।
- राजनयिक उपलब्धि:
- AU ने अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के साथ आर्थिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिये बीजिंग, चीन में एक स्थायी मिशन की स्थापना की है।
 - ◆ यह अफ्रीका की वैश्विक प्रोफाइल और वैश्विक मामलों पर एक स्वर से बोलने की क्षमता को समेकित करता है।
- महिलाओं का आर्थिक वित्तीय समावेशन:
- AU ने फरवरी 2020 में शुरू की गई लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से 10 वर्षीय महाद्वीपीय घोषणा का समर्थन किया।
- यह घोषणा, जिसे महिलाओं के वित्तीय और आर्थिक समावेश का दशक कहा जाता है, अफ्रीकी नेताओं की राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं महाद्वीपीय स्तर पर सतत् विकास की दिशा में लैंगिक समावेशन के लिये कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता दर्शाती है।

अफ्रीकी संघ के समक्ष चुनौतियाँ:

- सत्ता पर असंवैधानिक पकड़:
- अफ्रीका सैन्य तख्तापलट का एक चिंताजनक पुनरुत्थान तथा सत्ता में बने रहने के लिये असंवैधानिक साधनों का उपयोग करने वाले नेताओं जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है।
 - ◆ वर्ष 2013 के बाद से कम-से-कम 32 तख्तापलट और तख्तापलट के प्रयास हुए हैं।
- वर्ष 2020 के बाद से तख्तापलट के सात प्रयासों में से पाँच सफल रहे।
 - ◆ पाँच देशों -बुर्किना फासो, चाड, गिनी, माली और सूडान में तख्तापलट करने वाले नेताओं ने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों को हिंसक रूप से दबा दिया।
- उदाहरण के लिये सूडान में तख्तापलट विरोधी प्रदर्शनों के दमन में मरने वालों की संख्या 100 से अधिक है। खाद्य असुरक्षा से 18 मिलियन से अधिक सूडानी खतरे में हैं।
- कानून के शासन की अवहेलना:
- लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई और वैध सरकारों की बढ़ती संख्या नागरिक समाज संगठनों पर नकेल कस रही है।
- सरकारें उन संस्थानों को दबा रही हैं जो उन्हें जवाबदेह ठहराना चाहती हैं तथा मीडिया को चुप करा रहे हैं।
- वे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करते हैं और ऐसे कानून बनाते हैं जो नागरिक समाज संगठनों एवं उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद:
- अफ्रीका को कम-से-कम दो स्थायी सीटें प्रदान करने हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है।
 - ◆ परिषद के एजेंडे का दो-तिहाई से अधिक अफ्रीका से संबंधित है, फिर भी महाद्वीप को स्थायी प्रतिनिधित्व से बाहर रखा गया है।

भारत-अफ्रीका संबंध:

- सामाजिक अवसरचना:
- भारत-अफ्रीका सामाजिक बुनियादी ढाँचा (शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल) सहयोग बहुआयामी एवं व्यापक है, इसमें अफ्रीकी संस्थागत और व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में काम करने वाले राष्ट्रीय, राज्य तथा उपराष्ट्रीय कारक शामिल हैं।

- समान भू-राजनीतिक हित:
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत और अफ्रीका के साझा हित हैं, जैसे-संयुक्त राष्ट्र सुधार, आतंकवाद का मुकाबला, शांति स्थापना, साइबर सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा आदि।
- आर्थिक सहयोग:
- अफ्रीका के साथ भारत का आर्थिक जुड़ाव मौलिक है।
- पिछले डेढ़ दशक में भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार में विविधता के साथ यह कई गुना बढ़ गया है, वर्ष 2018-19 में 63.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार ने भारत को महाद्वीप के लिये तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना दिया है।
- कोविड-19 के उपचार में सहायता:
- ई-आईटीईसी पहल के तहत भारत ने भारतीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा अफ्रीका के स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षण वेबिनार, कोविड-19 प्रबंधन रणनीतियों को साझा किया।
- ◆ भारत कई अफ्रीकी देशों में डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के अलावा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (HCQ) एवं पैरासिटामोल समेत जरूरी दवाओं की खेप भी भेज रहा है।
- हालिया विकास:
- वर्ष 2022 में भारत की पहली उच्च स्तरीय अफ्रीका यात्रा संपन्न हुई जिसके परिणाम निम्नलिखित हैं :
 - ◆ भारत ने भारतीय अनुदान सहायता से निर्मित डकार में उद्यमिता विकास और प्रौद्योगिकी केंद्र (CEDT) के दूसरे चरण के उन्नयन की घोषणा की।
 - ◆ भारत ने सेनेगल के लोक सेवकों के लिये एक विशेष आईटीईसी अंग्रेजी प्रवीणता पाठ्यक्रम की भी पेशकश की है।
 - ◆ भारत ने विदेश सेवा के सुषमा स्वराज संस्थान में 15 सेनेगल राजनयिकों के एक बैच के लिये एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की।
- इस दौरान दोनों पक्षों ने तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये:
- युवा मामलों में द्विपक्षीय सहयोग
- सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम (CEP)
- राजनयिकों/अधिकारियों के लिये वीजा मुक्त व्यवस्था
- भारत-अफ्रीका संबंधों में विद्यमान संभावित अवसर:
- खाद्य सुरक्षा: कृषि और खाद्य सुरक्षा भी संबंधों को प्रगाढ़ करने के हेतु एक आधार हो सकती है।
- अफ्रीका के पास दुनिया की कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन वैश्विक कृषि-उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी अत्यंत कम है।
- भारत कृषि क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर चुका है, जो कृषि उपज के शीर्ष उत्पादक देशों में शामिल है।
- इस प्रकार भारत और अफ्रीका दोनों एक-दूसरे के लिये खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग कर सकते हैं।
- नव-उपनिवेशवाद का मुकाबला:
- अफ्रीका में चीन सक्रिय रूप से चेकबुक एवं दान कूटनीति (Chequebook and Donation Diplomacy) का अनुसरण कर रहा है।
- ◆ हालाँकि चीनी निवेश को नव-औपनिवेशिक प्रकृति के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह धन, राजनीतिक प्रभाव, कठिन बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं और संसाधन निष्कर्षण पर केंद्रित है।
- ◆ दूसरी ओर भारत का लक्ष्य स्थानीय क्षमताओं के निर्माण और अफ्रीकियों के साथ समान भागीदारी के जरिये अफ्रीका को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है, न कि केवल अफ्रीकी अभिजात वर्ग के साथ आगे बढ़ना।
- वैश्विक प्रतिद्वंद्विता को रोकना:
- हाल के वर्षों में विश्व के कई अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं ने ऊर्जा, खनन, बुनियादी ढाँचे और कनेक्टिविटी सहित बढ़ते आर्थिक अवसरों की दृष्टि से अफ्रीकी देशों के साथ अपने संपर्क को मजबूत किया है।
- ◆ जैसे-जैसे अफ्रीका में वैश्विक हित बढ़ता है, भारत और अफ्रीका यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अफ्रीका एक बार फिर प्रतिद्वंद्वी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले क्षेत्र में न बदल जाए।

आगे की राह

- AU को उन सदस्य देशों से निर्णायक रूप से निपटना चाहिये जो अपने क्षेत्रों के भीतर कानून के शासन को कमजोर करते हैं।
- सतत् और समावेशी आर्थिक विकास, सतत् विकास, गरीबी एवं भुखमरी के उन्मूलन के लिये कानून का शासन आवश्यक है।
- कानून का शासन लोगों, व्यापार और वाणिज्य को समृद्ध बनाता है।
- अफ्रीकी नेताओं को उन समस्याओं का समाधान करना चाहिये जिनका उपयोग सैन्य नेता अफ्रीकी राज्यों में मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, कुशासन और असुरक्षा के लिये तख्तापलट के बहाने करते हैं। इन समस्याओं का समाधान सेना को नागरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से वंचित कर देगा।
- नागरिकों तथा समाज पर नकेल कसने के बजाय राज्यों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिये अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिये।
- सामूहिक आर्थिक ताकत से वैश्विक कर्ता के रूप में अफ्रीका की स्थिति में सुधार होगा।

- AU को संवैधानिक उल्लंघनों से निपटने के लिये भी दृढ़ और सुसंगत होना चाहिये।
- हाल के उदाहरणों से पता चलता है कि अपराधी संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करने के निर्देश की अवहेलना करते हैं।

भारत-ऑस्ट्रेलिया दुर्लभ खनिज निवेश साझेदारी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दुर्लभ खनिजों के लिये परियोजनाओं एवं आपूर्ति शृंखलाओं के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को मजबूत करने का निर्णय लिया।

- ऑस्ट्रेलिया ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया दुर्लभ खनिज निवेश साझेदारी के तहत तीन साल के लिये 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा।

दुर्लभ खनिज:

- परिचय:
- दुर्लभ खनिज ऐसे तत्व हैं, जो आधुनिक युग में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की बुनियाद हैं और इनकी कमी की वजह से पूरी दुनिया में आपूर्ति शृंखला पर असर पड़ा है।
- उदाहरण:
- अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और रणनीतिक विचारों के आधार पर विभिन्न देश अपनी सूची बनाते हैं।
 - ◆ हालाँकि ऐसी सूचियों में ज्यादातर ग्रेफाइट, लिथियम और कोबाल्ट शामिल हैं, जिनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी बनाने के लिये किया जाता है। ये काफी दुर्लभ खनिज होते हैं, जिनका उपयोग मैग्नेट तथा सिलिकॉन बनाने के लिये किया जाता है एवं जो कंप्यूटर चिप्स व सौर पैनल बनाने हेतु एक प्रमुख खनिज हैं।
- महत्त्व:
- इन खनिजों का उपयोग अब मोबाइल फोन और कंप्यूटर बनाने से लेकर बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) तथा हरित प्रौद्योगिकी जैसे सौर पैनल एवं पवन टरबाइन बनाने तक हर जगह किया जाता है।
- एयरोस्पेस, संचार और रक्षा उद्योग भी कई ऐसे खनिजों पर निर्भर हैं, जिनका उपयोग लड़ाकू जेट, ड्रोन, रेडियो सेट तथा अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों के निर्माण में किया जाता है।

दुर्लभ खनिज स्रोत होने का कारण:

- बढ़ी हुई निर्भरता:
- जैसे-जैसे दुनिया भर के देश स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं, ये दुर्लभ संसाधन उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिये महत्वपूर्ण हैं जो इस परिवर्तन को बढ़ावा देता है।

- ◆ इनमें से किसी की भी आपूर्ति में कमी दुर्लभ खनिजों की खरीद के लिये दुसरे देशों पर निर्भर देश की अर्थव्यवस्था और सामरिक स्वायत्तता को गंभीर रूप से संकट में डाल सकती है।

- सीमित उपलब्धता:
- सीमित उपलब्धता, बढ़ती मांग और जटिल प्रसंस्करण मूल्य शृंखला के कारण इनकी आपूर्ति का जोखिम रहता है। कई बार शत्रुतापूर्ण शासन या राजनीतिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों के कारण जटिल आपूर्ति शृंखला बाधित हो सकती है।
- बढ़ती मांग:
- अमेरिकी सरकार के अनुसार, जैसे-जैसे विश्व स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, इन दुर्लभ खनिजों की वैश्विक मांग अगले कई दशकों में तेजी से 400-600% तक बढ़ने की संभावना है, साथ ही EV बैटरी में उपयोग किये जाने वाले लिथियम और ग्रेफाइट जैसे खनिजों की मांग में 4,000% तक की वृद्धि हो सकती है।
- ◆ वे दुर्लभ हैं क्योंकि दुनिया तेजी से जीवाश्म ईंधन-गहन से खनिज-गहन ऊर्जा प्रणाली में स्थानांतरित हो रही है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्त्व:

- उत्सर्जन और आवश्यक मांग में कमी: ऑस्ट्रेलिया के पास भारत के अंतरिक्ष और रक्षा उद्योगों, सौर पैनलों, बैटरी एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में मदद करने के लिये महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने तथा भारत की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मदद के लिये संसाधन हैं।
- वैश्विक व्यापार का विस्तार: द्विपक्षीय साझेदारी के लिये भारत की रुचि और समर्थन के चलते वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाते हुए ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने का मार्ग: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हर खनिज क्षेत्र में सहयोग की बहुत अधिक गुंजाइश है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ज्ञान-साझाकरण, लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने हेतु रणनीतिक रूप से आवश्यक है।

इस मुद्दे पर दुनिया का रुख:

- मैत्रीपूर्ण संबंध: भारत और ऑस्ट्रेलिया उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों को साझा करते हैं जो हाल के वर्षों में एक सकारात्मक ट्रैक के साथ मैत्रीपूर्ण साझेदारी में विकसित परिवर्तनकारी विकास से गुजरे हैं।
- यह एक विशेष साझेदारी है जो बहुलवादी, संसदीय लोकतंत्रों, राष्ट्रमंडल परंपराओं के साझा मूल्यों, लंबे समय से चले आ रहे लोगों से लोगों के बीच आर्थिक जुड़ाव का विस्तार करने और उच्च स्तरीय बातचीत को बढ़ाने की विशेषता रखते हैं।

- भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी: इसकी शुरुआत जून 2020 में आयोजित भारत-ऑस्ट्रेलिया लीडर्स वर्चुअल समिट के दौरान हुई थी और यह भारत-ऑस्ट्रेलिया के बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला है।
- व्यवसाय सहयोगी:
- व्यापार और सेवाओं दोनों में भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021 में 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है।
- वर्ष 2019 और 2021 के बीच ऑस्ट्रेलिया में भारत के व्यापारिक निर्यात में 135% की वृद्धि हुई। भारत के निर्यात में मुख्य रूप से तैयार उत्पादों का एक व्यापक-आधार वाला बास्केट शामिल है और वर्ष 2021 में यह 6.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
- 2021 में ऑस्ट्रेलिया से भारत का वस्तु आयात 15.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसमें बड़े पैमाने पर कच्चे माल, खनिज और मध्यवर्ती वस्तुएँ शामिल थीं।
- अन्य:
- भारत और ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ त्रिपक्षीय सप्लाई चैन रेजीलिएंस इनीशिएटिव (SCRI) व्यवस्था में भागीदार हैं, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सप्लाई चैन रेजीलिएंस को बढ़ाने का प्रयास करता है।
- इसके अलावा भारत एवं ऑस्ट्रेलिया भी QUAD समूह (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान) के सदस्य हैं, जिसका उद्देश्य साझा चिंता के कई मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना और साझेदारी विकसित करना है।

चीन पर प्रभाव:

- सबसे बड़ा उत्पादक: यूएसजीएस मिनरल कमोडिटी सारांश रिपोर्ट, 2019 के अनुसार, चीन 16 क्रिटिकल मिनरल्स का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- प्रसंस्करण कार्यों में भी चीन की मजबूत उपस्थिति है। रिफाइनिंग में चीन की हिस्सेदारी निकेल के लिये लगभग 35%, लिथियम और कोबाल्ट के लिये 50-70% तथा दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिये लगभग 90% है।
- अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कोबाल्ट खानों को भी चीन ही नियंत्रित करता है, जहाँ से इस खनिज का 70% हिस्सा प्राप्त किया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की भूमिका पर एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 से कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के वैश्विक उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी क्रमशः 70% और 60% है।

इस मुद्दे पर दुनिया का रुख:

- वर्ष 2021 में अमेरिका ने अपनी महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाओं में कमजोरियों की समीक्षा करने का आदेश दिया था और रिपोर्ट में पता चला था, कि "महत्वपूर्ण खनिजों व सामग्रियों के लिये विदेशी स्रोतों एवं प्रतिकूल राष्ट्रों पर अमेरिका की अधिक निर्भरता ने राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के लिये खतरा पैदा कर दिया है"।
- आपूर्ति शृंखला मूल्यांकन के बाद अमेरिका ने घरेलू खनन, उत्पादन, प्रसंस्करण और महत्वपूर्ण खनिजों एवं सामग्रियों के पुनर्चक्रण के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया है।
- भारत ने "भारतीय घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने" के लिये, तीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त उद्यम, KABIL या खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की है।
- KABIL राष्ट्र की खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करता है तथा आयात प्रतिस्थापन के समग्र उद्देश्य को साकार करने में भी मदद करेगा।
- ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस (CMFO) और KABIL ने हाल ही में भारत को महत्वपूर्ण खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समझौता जापान पर हस्ताक्षर किये थे।
- यूनाइटेड किंगडम: ब्रिटेन ने हाल ही में खनिजों की भविष्य की मांग और आपूर्ति का अध्ययन करने के लिये अपने नए क्रिटिकल मिनरल्स इंटेल्जेंस सेंटर का अनावरण किया।
- देश की महत्वपूर्ण खनिज रणनीति का अनावरण बाद में वर्ष 2022 में किया जाएगा।
- अन्य देश: 2020 में अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने महत्वपूर्ण खनिज भंडार का एक इंटेरेक्टिव मानचित्र लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य सरकारों को उनके महत्वपूर्ण खनिज स्रोतों में विविधता लाने के विकल्पों की पहचान करने में मदद करना था।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर यूनेस्को का अभिसमय

चर्चा में क्यों ?

भारत को वर्ष 2022-2026 कि अवधि के लिये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर-सरकारी समिति के लिये चुना गया है।

- भारत ने 2006 से 2010 और 2014 से 2018 तक दो बार ICH समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है।
- इससे पहले कोलकाता में दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत:

- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वे प्रथाएँ, अभिव्यक्तियाँ, ज्ञान और कौशल हैं जिन्हें समुदाय, समूह तथा कभी-कभी व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में पहचानते हैं।
- इसे जीवित सांस्कृतिक विरासत भी कहा जाता है, इसे आमतौर पर निम्नलिखित रूपों में से एक में व्यक्त किया जाता है:
- मौखिक परंपराएँ
- कला प्रदर्शन
- सामाजिक प्रथाएँ
- अनुष्ठान और उत्सव कार्यक्रम
- प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और अभ्यास
- पारंपरिक शिल्प कौशल

अभिसमय हेतु भारत को चुने जाने का महत्त्व:

- यह भारत को सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने, अमूर्त विरासत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर अकादमिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के साथ अभिसमय के कार्य को संरक्षित करने में मदद करेगा।
- भारत के पास वर्ष 2003 के अभिसमय के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करने का अवसर होगा।
- भारत जीवित विरासत की विविधता और महत्त्व को उचित ढंग से प्रदर्शित करने के लिये अभिसमय के लिये राज्य के भीतर अंतर्राष्ट्रीय संवाद को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा।

अमूर्त विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को का अभिसमय:

- परिचय:
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के अभिसमय को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) द्वारा वर्ष 2003 में अपनाया गया था तथा यह वर्ष 2006 में लागू हुआ।
- इसमें 24 सदस्य शामिल हैं और इन्हें समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व और रोटेशन के सिद्धांतों के अनुसार अभिसमय की आम सभा में चुना जाता है।
- ◆ समिति के सदस्य चार साल की अवधि के लिये चुने जाते हैं।
- उद्देश्य:
- वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं से संकटग्रस्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अभिव्यक्तियों की रक्षा करना।
- समुदायों, समूहों और व्यक्तियों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का सम्मान सुनिश्चित करना।
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के महत्त्व के बारे में स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाना।

- प्रकाशन:
- मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची।
- तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता वाले अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची।
- अच्छी सुरक्षा प्रथाओं का रजिस्टर
ICH के रूप में मान्यता प्राप्त भारतीय विरासत:
- मानवता की ICH की प्रतिष्ठित यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में भारत के 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत शामिल हैं
- दुर्गा पूजा के अलावा भारत में यूनेस्को द्वारा ICH के रूप में मान्यता प्राप्त 13 परंपराएँ हैं।

यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें			
1.	वैदिक जप की परंपरा, 2008	8.	लद्दाख का बौद्ध जप: हिमालय के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ, 2012
2.	रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, 2008	9.	मणिपुर का संकीर्तन, अनुष्ठान, गायन, ढोलक बजाना और नृत्य करना, 2013
3.	कुटियाट्टम, संस्कृत थिएटर, 2008	10.	जडियाला गुरु, पंजाब, भारत के ठठेरों के बीच पारंपरिक तौर पर पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का शिल्प, 2014
4.	रम्माण, गढ़वाल हिमालय (भारत) के धार्मिक उत्सव और परंपरा का मंचन, 2009	11.	योग, 2016
5.	मुदियेट्ट, अनुष्ठान थियेटर और केरल का नृत्य नाटक, 2010	12.	नवरोज, 2016
6.	कालबेलिया राजस्थान का लोकगीत और नृत्य, 2010	13.	कुंभ मेला, 2017
7.	छऊ नृत्य, 2010	14.	दुर्गा पूजा, 2021

G-20 विदेश मंत्रियों की बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने G-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर इंडोनेशिया के बाली में अमेरिकी विदेश मंत्री और रूसी विदेश मंत्री तथा अन्य समकक्षों से मुलाकात की।

- बैठक का आयोजन "एक साथ अधिक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया का निर्माण" विषय के तहत किया गया था।

G-20 बैठक के बारे में:

- भारत और चीन:
- भारत के विदेश मंत्री ने चीन के स्टेट काउंसलर तथा विदेश मंत्री से मुलाकात की।
- ◆ विदेश मंत्री ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर सभी विवादित मुद्दों के शीघ्र समाधान का आह्वान किया।
- ◆ कुछ टकराव वाले क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी पर ध्यान आकर्षित करते हुए विदेश मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन और शांति बहाल करने के लिये शेष सभी क्षेत्रों से सैनिकों की तेजी से वापसी की आवश्यकता को दोहराया।

- ◆ दोनों मंत्रियों ने इस बात की पुष्टि की कि दोनों पक्षों के सैन्य और राजनयिक अधिकारियों को नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिये, साथ ही जल्द-से-जल्द वरिष्ठ कमांडरों की बैठक के अगले दौर के आयोजन को लेकर आशा व्यक्त की।
- ◆ चीन ने इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत के समर्थन की सराहना की और भारत के आगामी G-20 एवं एससीओ अध्यक्ष पद के लिये चीन के समर्थन का आश्वासन दिया।
- चर्चा के अन्य क्षेत्र:
- बैठकों ने G-20 समूह के भीतर उभरते मतभेदों का संकेत दिया क्योंकि रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर यूरोप और बाकी दुनिया को सस्ते ऊर्जा स्रोतों को छोड़ने के लिये मजबूर करने का आरोप लगाया, जबकि अमेरिका ने रूस को "वैश्विक खाद्य असुरक्षा" के लिये दोषी ठहराया।
- G-20 जिसमें दुनिया की 20 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियाँ शामिल हैं, को वैश्विक आर्थिक मामलों पर चर्चा करने के लिये एक जनादेश प्राप्त है, लेकिन बाली में विदेश मंत्रियों की बैठक में पश्चिमी सदस्यों के बीच रूस की आलोचना का बोलबाला रहा।
- यूक्रेन युद्ध और उसके आर्थिक नतीजे वैश्विक समूह के रैंकों के भीतर विभाजन की ओर इशारा करते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एक रूस विरोधी ब्लॉक बना रहे हैं, जबकि बाकी देश यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिये सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण अपना रहे हैं।

G-20 समूह:

- परिचय:
- यह 19 देशों और यूरोपीय संघ (EU) का एक अनौपचारिक समूह है, जिसकी स्थापना वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हुई थी।
- ◆ G-20 के सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- ◆ नाइजीरिया इसका 20वाँ सदस्य बनने वाला था लेकिन उस समय की राजनीतिक समस्याओं के कारण अंतिम समय में उसे इस विचार को त्यागना पड़ा।
- G-20 समूह में विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं जो दुनिया की आबादी का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है।

- G-20 की कार्यप्रणाली:
- जी-20 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है और सचिवालय प्रत्येक वर्ष समूह की मेजबानी करने वाले या अध्यक्षता करने वाले देशों के बीच रोटेट होता है।
- सदस्यों को पाँच समूहों में बाँटा गया है (रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की के साथ भारत समूह 2 में है)।
- G-20 एजेंडा जो अभी भी वित्त मंत्रियों और केंद्रीय राज्यपालों के मार्गदर्शन पर बहुत अधिक निर्भर करता है, को 'शेरपा' की निर्धारित प्रणाली द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है, जो G-20 नेताओं के विशेष दूत होते हैं।
- ◆ वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री भारत के मौजूदा "G20 शेरपा" हैं।
- G-20 की एक अन्य विशेषता 'ट्रोइका' बैठकें हैं, जिसमें पिछले वर्ष, वर्तमान वर्ष और अगले वर्ष में G-20 की अध्यक्षता करने वाले देश शामिल हैं। वर्तमान में ट्रोइका में इटली, इंडोनेशिया और भारत शामिल हैं।

G20 members



G-20 का विकास:

- वैश्विक वित्तीय संकट (2007-08) ने प्रमुख संकट प्रबंधन और समन्वय निकाय के रूप में G-20 की प्रतिष्ठा को मजबूत किया।
- अमेरिका, जिसने 2008 में G-20 की अध्यक्षता की थी, ने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक को राष्ट्राध्यक्षों तक बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप पहला G-20 शिखर सम्मेलन हुआ।
- वाशिंगटन डीसी, लंदन और पिट्सबर्ग में आयोजित शिखर सम्मेलनों ने कुछ सबसे टिकाऊ वैश्विक सुधारों हेतु परिदृश्य तैयार किया:
- इसमें कर चोरी और परिहार से निपटने के प्रयास में राज्यों को ब्लैक लिस्ट करना, हेज फंड और रेटिंग एजेंसियों पर सख्त नियंत्रण का प्रावधान करना, वित्तीय स्थिरता बोर्ड को वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिये एक प्रभावी पर्यवेक्षी और निगरानी निकाय बनाना, असफल बैंकों के लिये सख्त नियमों का प्रस्ताव करना, सदस्यों को व्यापार आदि में नए अवरोध लगाने से रोकना आदि शामिल हैं।

- कोविड-19 की दस्तक तक G-20 अपने मूल मिशन से भटक चुका था तथा G-20 के मूल लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया।
- G-20 ने जलवायु परिवर्तन, नौकरियों और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों, असमानता, कृषि, प्रवास, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के वित्तपोषण, मादक पदार्थों की तस्करी, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण, विघटनकारी प्रौद्योगिकियों जैसे मुद्दों को शामिल करने तथा सतत् विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिये अपने एजेंडे को विस्तृत कर खुद को फिर से स्थापित किया है।
- हाल के दिनों में G-20 के सदस्यों ने महामारी के बाद सभी प्रतिबद्धताएँ पूरी की हैं, लेकिन यह बहुत कम है।
- अक्टूबर 2020 में रियाद शिखर सम्मेलन में उन्होंने चार स्तंभों- महामारी से लड़ना, वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवधानों को संबोधित करने और वैश्विक सहयोग बढ़ाने को प्राथमिकता दी।
- वर्ष 2021 में इटली ने कोविड-19 का मुकाबला करने, वैश्विक अर्थव्यवस्था में रिकवरी को तीव्र करने और अफ्रीका में सतत् विकास को बढ़ावा देने जैसे विषयों के लिये G-20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की।

G-20 की अध्यक्षता के लिये भारत की तैयारी:

- भारत ने G-20 के संस्थापक सदस्य के रूप में दुनिया भर में सबसे कमजोर लोगों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिये इस मंच का उपयोग किया है।
- लेकिन बेरोजगारी दर में वृद्धि और गरीबी के कारण इसके लिये प्रभावी ढंग से नेतृत्व करना मुश्किल है।
- समवर्ती रूप से भारत-फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सफलता को लेकर भारत की नेतृत्वकारी भूमिका अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की दिशा में संसाधन जुटाने में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में विश्व स्तर पर प्रशंसित है।
- इसके अलावा 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के दृष्टिकोण से वैश्विक प्रतिमान में 'नए भारत' के लिये एक परिवर्तनकारी भूमिका की उम्मीद है, जो कोविड-19 महामारी के बाद विश्व अर्थव्यवस्था और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के एक महत्वपूर्ण व विश्वसनीय स्तंभ के रूप में उभरेगा।
- आपदासंरक्षित अवसंरचना के लिये गठबंधन का भारत का प्रयास, जिसमें अन्य देशों के अलावा G-20 देशों में से भी नौ देश शामिल हैं, वैश्विक विकास प्रक्रिया में नेतृत्व के नए आयाम प्रदान करता है।

G-20 के समक्ष चुनौतियाँ:

- वैश्विक:
 - हितों का ध्रुवीकरण:
 - ◆ नवंबर 2022 में होने वाले G-20 शिखर सम्मेलन में रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों को आमंत्रित किया गया है।
 - ◆ अमेरिका पहले ही रूसी राष्ट्रपति को आमंत्रित न करने की मांग कर चुका है, अन्यथा अमेरिका और यूरोपीय देश उनके अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे।
 - ◆ चीन की रणनीतिक वृद्धि, नाटो के विस्तार, जॉर्जिया एवं क्रीमिया में रूस की क्षेत्रीय आक्रामकता और अब 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष ने वैश्विक प्राथमिकताओं को बदल दिया है।
 - ◆ वैश्वीकरण अब आदर्श शब्द (Cool Word) नहीं है और बहुपक्षीय संगठनों के पास विश्वसनीयता का संकट है क्योंकि दुनिया भर के देशों ने G-7, G-20, ब्रिक्स, P-5 (UNSC स्थायी सदस्य) और अन्य पर 'G-zero' (राजनीतिक टिप्पणीकार इयान ब्रेमर द्वारा 'हर राष्ट्र को स्वयं के लिये' को निरूपित करने के लिये गढ़ा गया एक शब्द) चुना है।
- अन्य चुनौतियाँ:
 - ◆ अंतर्राष्ट्रीय वित्त:
 - ◆ हाल ही IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार, वर्ष 2021 में औसत उभरते बाजार और मध्यम आय वाले देश का ऋण-से-जीडीपी अनुपात लगभग 60% होगा।
 - ◆ समष्टि आर्थिक नीति:
 - ◆ युद्ध की वजह से आपूर्ति की कमी ने विशेष रूप से ऊर्जा और कृषि क्षेत्रों में मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा दिया है।
 - ◆ वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य सामाग्री:
 - ◆ आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुँच के कारण महामारी से उबरना काफी हद तक कठिन रहा है।
 - ◆ डिजिटल अर्थव्यवस्था:
 - ◆ रूस-यूक्रेन युद्ध ने क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के अवैध उपयोग और वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताओं को फिर से जन्म दिया है।
- भारत के लिये चुनौतियाँ:
 - भारत के लिये G-20 की चुनौतियाँ ध्रुवीकृत अंतर्राष्ट्रीय सदस्य देशों के साथ कुशलतापूर्वक अगले नवंबर में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन की मेजबानी के साथ उत्पन्न होंगी।
 - ◆ नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G-20 शेरपा और पूर्व विदेश सचिव हर्ष शृंगला को G-20 का समन्वयक नियुक्त किया गया है।

- ◆ सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में 100 तैयारी बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसके कारण भारत के पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष को देखते हुए जम्मू-कश्मीर में G-20 शिखर सम्मेलन या मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी या नहीं, इस पर विवाद उत्पन्न हो गया।
- हालाँकि भारत के लिये बड़ी चुनौतियाँ G-20 के विचार की रक्षा के संदर्भ में इंडोनेशिया की सहायता और भू-राजनीतिक मतभेद के कारण इसे विखंडन से बचाने की होंगी, जहाँ एक ही कमरे में एक साथ बैठकर नेता एक-दूसरे की बात सुनने से कतराते हैं।

आगे की राह

- G-20 को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे-IMF, OECD, WHO, विश्व बैंक और WTO के साथ साझेदारी को मजबूत करना चाहिये और उन्हें प्रगति की निगरानी का कार्य सौंपना चाहिये।
- सभी सदस्य देशों के लाभ के लिये व्यक्तिगत हितों पर वैश्विक सहयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- यूक्रेन-रूस संघर्ष और रूस एवं पश्चिम के बीच मतभेदों जैसे मुद्दों को हल करने के लिये संवाद तथा कूटनीति का उपयोग किया जाना चाहिये।
- भारत को आक्रामक व्यापार बाधाओं/प्रतिबंधों, अंतर्देशीय संघर्षों और वैश्विक शांति एवं सहयोग की वकालत जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिये एक मंच के रूप में G-20 शिखर सम्मेलन, 2023 का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

श्रीलंका संकट

चर्चा में क्यों ?

श्रीलंका जिसकी आबादी 22 मिलियन है, अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, यह सात दशकों में सबसे खराब स्थिति है, जिसके कारण लाखों लोगों को भोजन, दवा, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिये संघर्ष करना पड़ रहा है।

- राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के बाद सैकड़ों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर राष्ट्रपति के आवास पर धावा बोल दिया।



श्रीलंका संकट का कारण:

- पृष्ठभूमि:
- जब वर्ष 2009 में श्रीलंका 26 साल के लंबे गृहयुद्ध से उभरा तो युद्ध के बाद की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि वर्ष 2012 तक प्रतिवर्ष 8-9% पर काफी अधिक थी।
- हालाँकि वर्ष 2013 के बाद इसकी औसत GDP वृद्धि दर लगभग आधी हो गई क्योंकि वैश्विक कमोडिटी की कीमतें गिर गईं, निर्यात धीमा हो गया और आयात बढ़ गया।
- युद्ध के दौरान श्रीलंका का बजट घाटा बहुत अधिक था और वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने इसके विदेशी मुद्रा भंडार को खत्म कर दिया, जिसके कारण देश ने वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया।
- इसने वर्ष 2016 में फिर से 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के लिये IMF से संपर्क किया, हालाँकि IMF की शर्तों ने श्रीलंका के आर्थिक स्थिति को और खराब कर दिया।
- आर्थिक कारक:
- कोलंबो के चर्चों में अप्रैल 2019 के ईस्टर बम विस्फोटों के कारण 253 लोग हताहत हुए, परिणामस्वरूप पर्यटकों की संख्या में तेजी से गिरावट आई, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में भी गिरावट आई।
- वर्ष 2019 में गोटबाया राजपक्षे की नई सरकार ने अपने अभियान के दौरान किसानों के लिये कम कर दरों और व्यापक SoP का वादा किया था।
- ◆ इन बेबुनियाद वादों के त्वरित कार्यान्वयन ने समस्या को और बढ़ा दिया।
- वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी ने स्थिति को और खराब कर दिया:
- ◆ चाय, रबर, मसालों और कपड़ों के निर्यात को नुकसान हुआ।
- ◆ पर्यटन आगमन और राजस्व में और गिरावट आई।
- ◆ सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा वर्ष 2020-21 में 10% से अधिक हो गया और ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2019 में 94% से बढ़कर वर्ष 2021 में 119% हो गया।
- श्रीलंका में संकट विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण उत्पन्न हुआ है, जो पिछले दो वर्षों में 70% घटकर फरवरी 2022 के अंत तक केवल 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है।
- ◆ इस बीच देश पर वर्ष 2022 के लिये लगभग 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी ऋण दायित्व है।
- जैविक खेती की ओर कदम:
- वर्ष 2021 में सभी उर्वरक आयातों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था और यह घोषित किया गया था कि श्रीलंका रातोंरात 100% जैविक खेती वाला देश बन जाएगा।

- जैविक खादों के प्रयोग ने खाद्य उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया।
- परिणामस्वरूप श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मूल्यहास मुद्रा और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने के लिये आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी।
- चीन का कर्ज जाल:
- श्रीलंका ने वर्ष 2005 से बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये बीजिंग से काफी धन उधार लिया है, जिनमें से कई परियोजनाएँ सफेद हाथी (अब इणकी आवश्यकता नहीं है/उपयोगी नहीं) बनकर रह गई हैं।
- श्रीलंका ने वर्ष 2017 में एक चीनी कंपनी को अपना हंबनटोटा बंदरगाह तब पट्टे पर दिया, जब वह बीजिंग से लिया गया 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गया था।
- चीन का श्रीलंका पर कुल कर्ज 8 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जो उसके कुल विदेशी कर्ज का लगभग छठा हिस्सा है
- वर्तमान राजनीतिक शून्यता:
- प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा देने की मंशा जताई है, जिससे सर्वदलीय सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है।

भारत को श्रीलंका संकट की चिंता क्यों ?

- चुनौतियाँ:
- आर्थिक:
 - ◆ भारत के कुल निर्यात में श्रीलंका की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2015 में 2.16% से घटकर वित्त वर्ष 2022 में केवल 1.3 प्रतिशत रह गई है।
 - ◆ टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर्स जैसी ऑटोमोटिव फर्मों ने श्रीलंका को वाहन किट का निर्यात बंद कर दिया है और अस्थिर विदेशी मुद्रा भंडार तथा ईंधन की कमी के कारण अपनी श्रीलंकाई असेंबलिंग इकाइयों में उत्पादन रोक दिया है।
- शरणार्थी:
 - ◆ जब भी श्रीलंका में कोई राजनीतिक या सामाजिक संकट उत्पन्न हुआ है, तो भारत ने पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी के माध्यम से सिंहली भूमि से भारत में तमिल जातीय समुदाय के शरणार्थियों का बड़ा अंतर्वाह देखा है।
 - ◆ हालाँकि भारत के लिये इस तरह के अंतर्वाह को संभालना मुश्किल हो सकता है तथा ऐसे संकट से निपटने के लिये एक मजबूत नीति की आवश्यकता है।
 - ◆ तमिलनाडु राज्य ने पहले ही संकट के प्रभाव को महसूस करना शुरू कर दिया है क्योंकि अवैध तरीकों से श्रीलंका से 16 व्यक्तियों के आगमन की सूचना है।

भारत के लिये अवसर:

- चाय बाजार:
- वैश्विक चाय बाजार में श्रीलंका द्वारा चाय की आपूर्ति अचानक रोक दिये जाने के बीच भारत आपूर्ति अंतराल को पाटने का इच्छुक है।
- ईरान और साथ ही तुर्की, इराक जैसे नए बाजारों में भारत अपनी भूमिका को मजबूत कर सकता है।
- ईरान, तुर्की, इराक और रूस जैसे श्रीलंका के बड़े चाय आयातक कथित तौर पर भारत के चाय बागानों (विशेष रूप से असम और कोलकाता में चाय बागानों में) की ओर रुख कर रहे हैं।
- नतीजतन हाल ही में कोलकाता में आयोजित चाय बागानों की नीलामी में पारंपरिक तरीके से उत्पादित पत्तियों की औसत कीमत में पिछले वर्ष की तुलना में 41% तक की वृद्धि देखी गई।
- परिधान (वस्त्र) बाजार:
- यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और लैटिन अमेरिकी देशों के कई परिधान ऑर्डर अब भारत को मिल रहे हैं।
- तमिलनाडु में कपड़ा उद्योग के केंद्र तिरुपुर में कंपनियों को कई ऑर्डर मिले हैं।

श्रीलंका संकट में भारत द्वारा मदद:

- श्रीलंका भारत के लिये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। भारत इस अवसर का उपयोग श्रीलंका के साथ अपने राजनयिक संबंधों को संतुलित करने के लिये कर सकता है, चीन के साथ श्रीलंका की निकटता के कारण इनमें दूरी देखी गई थी।
- चूँकि उर्वरक के मुद्दे पर श्रीलंका और चीन के बीच असहमति के बीच भारत द्वारा श्रीलंका के अनुरोध पर भारत द्वारा उर्वरक आपूर्ति को द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक विकास के रूप में देखा जा रहा है।
- श्रीलंका के साथ राजनयिक संबंधों का विस्तार करने से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के 'स्ट्रिंग ऑफ पल' की नीति से श्रीलंकाई द्विपसमूह को दूर रखने के प्रयासों में भारत को आसानी होगी।
- श्रीलंका के लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिये भारत मदद कर सकता है, लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखते हुए मदद करनी चाहिये कि उसकी सहायता दृष्टिगोचर होने के साथ ही मायने रखती है।

आगे की राह

- लोकतंत्र को मजबूती से लागू करना:
- बेहतर संकट-प्रबंधन के लिये श्रीलंका में मजबूत राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है। इससे प्रशासन के सैन्यीकरण को कम किया जा सकता है।
- ◆ गरीबों और कमजोरों को फिर से सक्षम बनाने और दीर्घकालिक क्षति को रोकने में मदद के लिये विचार करने की आवश्यकता है।

- ◆ उठाए गए कदमों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि, गैर-कृषि क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों में वृद्धि, सुधारों का बेहतर कार्यान्वयन और पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करना शामिल है।
- भारत से समर्थन:
- भारत, जिसने अपने पड़ोसियों के साथ संबंध को मजबूत करने हेतु "नेबरहुड फर्स्ट नीति" का अनुसरण किया है, श्रीलंका को मौजूदा संकट से बाहर निकालने में अतिरिक्त सहायता देकर उसे संकट से उबरने में मदद कर सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत:
- श्रीलंका ने बेलआउट के लिये IMF से संपर्क किया है। IMF मौजूदा आर्थिक संकट से उबरने के श्रीलंका के प्रयासों का समर्थन कर सकता है।
- चक्रीय अर्थव्यवस्था की संभावनाएँ:
- श्रीलंका में आर्थिक अस्थिरता के संदर्भ में आयात पर निर्भरता को चक्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा कम किया जा सकता है यह रिकवरी में सहायता के लिये एक स्थायी विकल्प प्रदान करेगा।

जीनोमिक्स लोकतंत्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की विज्ञान परिषद ने विकासशील देशों को जीनोमिक प्रौद्योगिकियों को पारित करने की वकालत करते हुए एक रिपोर्ट "वैश्विक स्वास्थ्य के लिये जीनोमिक्स तक पहुँच में तेजी" जारी की है।

- रिपोर्ट ने रोगजनकों की जीनोमिक निगरानी के लिये WHO की 10 साल की रणनीति का पालन किया।
- वैश्विक कोविड-19 प्रतिक्रिया में जीनोमिक निगरानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश इस क्षेत्र में अपनी क्षमताओं के कारण वेरिएंट का पता लगाने में आवश्यक योगदान देने में सक्षम हैं।


WHO विज्ञान परिषद:

- WHO के निदेशक द्वारा अप्रैल 2021 में स्थापित इसमें दुनिया भर के 9 प्रमुख वैज्ञानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बना है।
- परिषद उच्च प्राथमिकता वाले मुद्दों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में प्रगति पर निदेशक को सलाह देती है जो सीधे वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है।
- इसने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये महत्वपूर्ण प्रभावों को देखते हुए जीनोमिक्स को अपने पहले अध्ययन के मुख्य केंद्र के रूप में पहचाना।

WHO की रिपोर्ट:

- विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMIC) के लिये जीनोमिक प्रौद्योगिकियों तक पहुँच का विस्तार करने की आवश्यकता है।
- कम संसाधनों वाले देशों के लिये ऐसी तकनीकों तक देर से पहुँच प्राप्त करना नैतिक या वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है।
- जीनोमिक प्रौद्योगिकियों तक पहुँच का विस्तार करने के लिये वित्तपोषण, प्रयोगशाला के बुनियादी ढाँचे, सामग्री और उच्च प्रशिक्षित कर्मियों की कमी को दूर करने की आवश्यकता है।
- जब तक उन्हें दुनिया भर में तैनात नहीं किया जाता है, तब तक पूरी तरह से लाभ प्राप्त नहीं होंगे।
- केवल समानता के माध्यम से ही विज्ञान अपने पूर्ण संभावित प्रभाव तक पहुँच सकता है और हर जगह, हर किसी के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है।
- रिपोर्ट ने चार विषयों को संबोधित करने की सिफारिश की:
- वकालत, कार्यान्वयन, सहयोग और संबद्ध नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दे।
- रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि WHO सिफारिशों को आगे बढ़ाने और उनके अनुप्रयोगों की निगरानी के लिये जीनोमिक्स समिति बनाए।

जीनोमिक्स:



- परिचय:
- जीनोमिक्स का क्षेत्र डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) और राइबोन्यूक्लिक एसिड (आरएनए) में जैविक जानकारी को समझने तथा उपयोग करने हेतु जैव रसायन, आनुवंशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान विधियों का उपयोग किया जाता है।
- जीनोमिक विज्ञान में उपयोग की जाने वाली अनेक तकनीक प्रचलित हैं और उनका विस्तार आज भी जारी है।
- ◆ इस क्षेत्र में सबसे मौलिक घटक सभी जानवरों, पौधों और रोगाणुओं में आनुवंशिक जानकारी की समग्रता, जिसमें वायरस

भी शामिल हैं, के जैविक सूचनाओं को चित्रित करने के लिये डिजाइन करना है जो जीनोम्स में संग्रहीत होते हैं जैसे- DNA के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम (या कभी-कभी RNA)।

- जीनोमिक्स के अनुप्रयोग:
- संक्रामक रोगों को नियंत्रित करना:
 - ◆ संक्रामक घटकों के विकास का अध्ययन।
 - ◆ विशिष्ट जीनों को फेनोटाइपिक, जैसे कि संक्रामकता और रोगजनकता प्रदान करना।
 - ◆ एक संक्रामक घटक की संवेदनशीलता या दवाओं के प्रतिरोध का मूल्यांकन करना।
- आनुवंशिक स्थितियों का निवारण और प्रबंधन:
 - ◆ आनुवंशिक विकार के लिये जिम्मेदार वाहक स्थिति का मूल्यांकन करना।
 - ◆ एकल जीन विकारों की जाँच और उनका निदान।
 - ◆ कई पुरानी बीमारियों के लिये रोग की संवेदनशीलता या प्रवृत्ति का आकलन करना।
 - ◆ विषाक्तता को कम करने के लिये क्रिया तंत्र या चयापचय के आनुवंशिक निर्धारकों के आधार पर दवाओं का चयन करना।
- कृषि:
 - ◆ जंगली प्रजातियों में आनुवंशिक विविधता की सूची तैयार करना।
 - ◆ स्वास्थ्य और व्यावसायिक लक्षणों के लिये आनुवंशिक रूप-रेखा का आकलन करना।
 - ◆ पर्यावरणीय तनाव के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी करना।
- जीनोमिक्स के लाभ:
- आर्थिक:
 - ◆ यह वाणिज्यिक लाभ के लिये प्रत्यक्ष प्रोत्साहन सेवाएँ प्रदान करता है, जो मशीनों और अभिकर्मकों का उत्पादन करता है।
 - ◆ यह जनसंख्या स्वास्थ्य में सुधार (बेहतर चिकित्सा देखभाल, जीवन की गुणवत्ता, संभावित रूप से कम स्वास्थ्य देखभाल उपयोग) और बौद्धिक संपदा अधिकारों के निर्माण के माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्रदान करता है।
 - ◆ शैक्षणिक, चिकित्सा और व्यावसायिक पदों पर रोजगार का सृजन करता है।
- सामाजिक और पर्यावरण:
 - ◆ यह संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से गरीबी, भूख को और स्वास्थ्य से संबंधित प्रगति में भूमिका अदा करता है।
 - ◆ यह संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों; विशेष रूप से सतत् विकास लक्ष्य 1 से 3 क्रमशः गरीबी, भूख और स्वास्थ्य से संबंधित प्रगति में भूमिका प्रदान करता है।

◆ इसके अलावा यह समुद्री और भूमि संसाधनों (लक्ष्य 14 और 15) के संरक्षण के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सहायता करता है।

- स्वास्थ्य :
 - ◆ जीनोमिक्स संक्रामक घटकों के लिये आबादी के सर्वेक्षण से मानव स्वास्थ्य में भारी योगदान दे सकता है, जैसे कि यह कोविड -19 एवं कैंसर जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का उपचार करने में योगदान प्रदान कर सकता है।
- जीनोमिक्स में व्याप्त चुनौतियाँ :
 - इससे मानव विषयों से प्राप्त जीनोमिक जानकारी के माध्यम से गोपनीयता का उल्लंघन करने, रोजगार और बीमा में भेदभाव की संभावना पैदा करने, अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान करने या सांस्कृतिक अनादर करने की आशंका विद्यमान है।
 - प्रतिभागियों और उनके द्वारा प्रदान किये गए आँकड़ों की अपर्याप्त सुरक्षा, जीनोमिक जानकारी के दुरुपयोग को जोखिम में डालती है, जबकि जीनोमिक जानकारी के संग्रहण, साझाकरण और उपयोग के बारे में अनुचित प्रतिबंधात्मक नियम, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले लाभों को सीमित करते हैं।

WHO रिपोर्ट की सिफारिशें

- समर्थन द्वारा जीनोमिक्स को बढ़ावा: विभिन्न पक्षकारों द्वारा समर्थन के माध्यम से सभी सदस्य राज्यों में जीनोमिक्स को अपनाने या इसके विस्तारित उपयोग को बढ़ावा देना।
- WHO को अपने सदस्य राज्यों में जीनोमिक्स के विस्तारित उपयोग का समर्थन करने के लिये वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका का उपयोग करना चाहिये।
- WHO को वैश्विक स्तर पर जीनोमिक तकनीक तक सस्ती पहुँच को बढ़ावा देना चाहिये ताकि सभी सदस्य राज्य, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देश (LMICs), बेहतर स्वास्थ्य एवं अन्य लाभों के लिये जीनोमिक्स के उपयोग को अपना सकें तथा इसका विस्तार कर सकें।
- जीनोमिक कार्यप्रणाली का कार्यान्वयन:
- स्थानीय नियोजन, वित्तपोषण, आवश्यक कर्मियों के प्रशिक्षण और उपकरणों, सामग्रियों एवं कम्प्यूटेशनल बुनियादी ढाँचे के प्रावधान के माध्यम से जीनोमिक्स के कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले व्यावहारिक मुद्दों की पहचान कर उन्हें दूर किया जाना चाहिये।
- ◆ WHO को सदस्य राज्यों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय जीनोमिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिये।
- ◆ सदस्य राज्यों को जीनोमिक क्षमताओं के निर्माण या विस्तार के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम स्थापित करने चाहिये या एक क्षेत्रीय कार्यक्रम में शामिल होना चाहिये।

- जीनोमिक्स में संलग्न संस्थाओं के बीच सहयोग:
- सदस्य राज्यों में जीनोमिक्स को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के सभी पहलुओं के संवर्द्धन हेतु सहयोगी गतिविधियों के लिये प्रतिबद्धताओं को बढ़ावा देना।
- ◆ WHO को प्रभावी मौजूदा सहयोगी व्यवस्थाओं को मजबूत करके और विशिष्ट जरूरतों के लिये नई व्यवस्थाओं के निर्माण में मदद कर जीनोमिक्स पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिये।
- ◆ उद्योग, शिक्षा और नागरिक समाज को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं, विशेष रूप से LMICs में प्रचलित समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिये जीनोमिक्स के उपयोग पर सहयोग करना चाहिये।
- जीनोमिक्स द्वारा उत्पन्न नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दों (ELSI) पर ध्यान देना:
- जीनोमिक्स के अभ्यास में प्रभावी निरीक्षण और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानकों के माध्यम से जीनोमिक विधियों के साथ प्राप्त जानकारी के नैतिक, कानूनी तथा न्यायसंगत उपयोग व जिम्मेदारीपूर्ण साझाकरण को बढ़ावा देना।
- ◆ WHO की जीनोमिक्स समिति को जीनोमिक्स के नैतिक एवं सामाजिक प्रभावों से निपटने के लिये मार्गदर्शन के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिये, जिसमें जीनोमिक से संबंधित जानकारी का वैश्विक शासन भी शामिल है।
- ◆ सदस्य राज्यों में स्थित संगठनों, विशेष रूप से वित्तपोषण एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी इकाइयों को ELSIs व WHO तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा जीनोमिक ELSIs से संबंधित शेष मुद्दों के समाधान विकसित करने के प्रयासों के प्रति तत्पर रहना चाहिये।

I2U2 शिखर सम्मेलन और खाद्य सुरक्षा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पहले I2U2 (भारत, इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात) नेताओं का शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया।

I2U2

- परिचय:
- I2U2 भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित एक समूह है। इसे 'पश्चिम एशियाई क्वाड' भी कहा जाता है।

- I2U2 का गठन अक्तूबर, 2021 में अब्राहम समझौते के बाद समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिये किया गया था।
- ◆ 'अब्राहम एकाईर्ड (Abraham Accord) इजरायल और अरब देशों के बीच पिछले 26 वर्षों में पहला शांति समझौता है।
- उद्देश्य:
- इसका घोषित उद्देश्य "पारस्परिक हित के सामान्य क्षेत्रों और उसके बाहर व्यापार एवं निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने" पर चर्चा करना है।
- देशों द्वारा परस्पर सहयोग के छह क्षेत्रों की पहचान की गई है तथा इसका उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है।

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ:

- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने देश भर में फूड पार्क विकसित करने के लिये भारत में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की।
- भारत इस परियोजना के लिये उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराएगा और किसानों के फूड पार्कों में एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।
- समूह ने गुजरात में "हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना" का समर्थन करने की घोषणा की, जिसमें 300 मेगावाट (MW) पवन और सौर क्षमता शामिल है।
- यह परियोजना वर्ष 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के लिये भारत में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
- अमेरिका और इजरायल को निजी क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करने और समूह के तहत परियोजनाओं की समग्र स्थिरता में योगदान करने वाले अभिनव समाधान प्रदान करने के लिये आमंत्रित किया जाएगा।

फूड पार्क:

- फूड पार्क एक अवधारणा है जिसका उद्देश्य खेत से प्रसंस्करण तक उपभोक्ता बाजारों का सीधा संबंध स्थापित करना है।
- इसमें केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र से जुड़े संग्रह केंद्र (CC) और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र (PPC) शामिल हैं।

फूड पार्क का महत्त्व:

- खाद्य असुरक्षा से निपटना:
- फूड पार्कों में निवेश से फसल की पैदावार को अधिकतम करने के साथ ही र बदले में दक्षिण एशिया और मध्य-पूर्व में खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद मिलेगी।

- उनका उद्देश्य "खाद्य क्षति और खाद्यान्न के खराब होने" को कम करना है।
- ◆ भारत, दुनिया में प्रमुख खाद्य उत्पादक है।
- ◆ यूक्रेन में वर्तमान सैन्य स्थिति की पृष्ठभूमि में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना अत्यावश्यक हो गया है, इसने खाद्य, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव डाला है।
- आय में वृद्धि:
- किसानों की आय कई गुना बढ़ जाएगी और वे पटल पर आएंगे।
- कृषि आपूर्ति श्रृंखला को कारगर बनाना:
- भारत को खाद्य परियोजना के लिये चुना गया था क्योंकि यह इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात से निकटता के कारण एक सुगम कृषि आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद करेगा।

आगे की राह

- केवल साझेदारी ही आज के संघर्षों और अतिव्यापी चुनौतियों को दूर कर सकती है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी हैं।
- भारत के मध्य-पूर्व के साथ भी बहुत पुराने संबंध हैं और न केवल खाड़ी देशों बल्कि वर्षों से इजरायल के साथ भी संबंध हैं।
- इसलिये जिस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्षेत्र में इजरायल के एकीकरण को मजबूत करने में मदद करने में एक महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका निभा सकता है, उसी तरह भारत को भी इसमें भूमिका निभानी है।
- भारत इंडो-पैसिफिक में यह कहते हुए "महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है" कि वह "इंडो-पैसिफिक में सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे रणनीतिक रूप से परिणामी देशों में से एक है और इसलिये उसे क्वाड के माध्यम से हमारी रणनीति में एक केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिये।

आंतरिक सुरक्षा

चीन का नया हाई-टेक विमान-वाहक पोत फुजियान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीन ने अपने पहले नई पीढ़ी के स्वदेशी विमान-वाहक पोत (Indigenous Aircraft Carrier), टाइप 003, फुजियान (Type 003, Fujian) का अनावरण किया।

- अमेरिका के बाद अब चीन के पास सबसे अधिक विमान-वाहक पोत हैं।

फुजियान

- फुजियान के बारे में:
- फुजियान का नाम चीन के पूर्वी तटीय प्रांत के नाम पर रखा गया है जो ताइवान के पास स्थित है।
- फुजियान वर्तमान में चीन द्वारा संचालित दो अन्य वाहकों में शामिल है जिनमें पहला शेडोंग (टाइप 001) है जिसे वर्ष 2019 में कमीशन किया गया तथा दूसरा लियाओनिंग (टाइप 002), जिसे वर्ष 1998 में यूक्रेन से सेकेंड-हैंड खरीदा गया।
 - ◆ टाइप 003 विमान-वाहक पोत अपने पूर्ववर्तियों शेडोंग और लियाओनिंग की तुलना में तकनीकी रूप से अधिक उन्नत है।
- विशेषताएँ:
- फुजियान का कुल भार 80,000 टन है, जो मौजूदा चीनी वाहकों की तुलना में बहुत अधिक है और अमेरिकी नौसेना के विमान-वाहक पोतों के बराबर है।
- फुजियान को नवीनतम लॉन्च तकनीक- इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम (Electromagnetic Aircraft Launch System- EMALS) से सुसज्जित किया गया है, जिसे पहले अमेरिकी नौसेना द्वारा विकसित किया गया था।
- इसमें टेक-ऑफ और लैंडिंग हेतु एक सीधा फ्लैट-टॉप फ्लाइंग डेक भी मौजूद है।
 - ◆ दो मौजूदा जहाज स्की जंप-स्टाइल रैंप (Ski Jump-Style Ramp) मौजूद हैं। स्की-जंप एक ऊपर की ओर घुमावदार रैंप होता है जिसका उपयोग विमान द्वारा रनवे के रूप में किया जाता है तथा यह विमान के आवश्यक टेक-ऑफ रोल से छोटा होता है।

चीन के लिये इस विमान का महत्त्व:

- चीन ने लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा किया है और ताइवान को चीनी मुख्य भूमि से अलग करने वाले जलडमरूमध्य में शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नौसेना तैनात की है।
- फुजियान के साथ चीन को दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलडमरूमध्य में काम करने के लिये और अधिक जगह मिलने की संभावना है।
- हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की एक बड़ी उपस्थिति है, लेकिन फुजियान की क्षमताएँ चीन को भारत के क्षेत्र में जाने का रास्ता प्रदान करती हैं, जहाँ वह अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है।
- चीन ने पहले ही श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह को कर्ज के एवज में लीज के तौर पर हासिल कर लिया है, चीन अरब सागर पर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का आधुनिकीकरण कर रहा है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका, राष्ट्र जिबूती में अपने नौसैनिक अड्डे का विस्तार कर रहा है।
- हालाँकि भले ही चीन अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार कर रहा है परंतु यू.एस. बहुत आगे है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका 11 परमाणु-संचालित जहाजों के साथ विमान वाहक के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी है, इसके बाद चीन, ब्रिटेन और इटली का स्थान है।

EMALS:

- परिचय:
- यह एक प्रक्षेप्य प्रणाली है जो हवाई जहाजों को अतिरिक्त दबाव देने में मदद करती है। एक बार जब प्रक्षेपक को छोड़ दिया जाता है, तो इससे जुड़ा विमान थोड़े समय में बड़ी गति के साथ आगे बढ़ता है, जो इसे रनवे के अंत तक पहुँचने से पहले उड़ान भरने के लिये आवश्यक गति प्राप्त करने में मदद करता है।
 - ◆ प्रक्षेपक 'असिस्टेड टेक-ऑफ बट अरेस्ट रिकवर' या कैटोबार ऐसी ही एक प्रणाली है। इसमें एक विमान प्रक्षेपक की मदद से पूरी तरह से सपाट स्थान (डैक) से उड़ान भरता है।
- प्रक्षेप्य प्रणाली दो प्रकार की होती है- भाप से चलने वाली और विद्युत चुंबकीय प्रणाली जिन्हें EMALS कहा जाता है।
 - ◆ पूर्व प्रक्षेप्य प्रणाली में आग दहन के लिये वाष्प दाब का उपयोग किया जाता था, EMALS रैखिक प्रेरण मोटर्स का उपयोग करता है। उत्पन्न विद्युत चुंबकीय बल का उपयोग विमान को जाने के लिये किया जाता है।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के अमरावती में एक फार्मासिस्ट की बर्बर हत्या की जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) को सौंप दी है।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA):

- परिचय:
- NIA भारत की केंद्रीय आतंक रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जाँच करने के लिये अनिवार्य है। उसमें समाविष्ट हैं:
 - ◆ विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
 - ◆ परमाणु और नाभिकीय सुविधाओं के विरुद्ध।
 - ◆ हथियारों, ड्रग्स और नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी तथा सीमाओं के पार से घुसपैठ।
 - ◆ संयुक्त राष्ट्र, इसकी एजेंसियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों एवं प्रस्तावों को लागू करने के लिये अधिनियमित वैधानिक कानूनों के तहत अपराध।
- इसका गठन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था।
- एजेंसी को गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जाँच करने का अधिकार है।
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- उद्भव:
- नवंबर 2008 में 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मद्देनजर, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने NIA की स्थापना का फैसला किया।
- दिसंबर 2008 में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी विधेयक पेश किया।
- एजेंसी 31 दिसंबर, 2008 को अस्तित्व में आई और वर्ष 2009 में इसने अपना कामकाज शुरू किया। अब तक NIA ने 447 मामले दर्ज किये हैं।
- क्षेत्राधिकार:
- जिस कानून के तहत एजेंसी संचालित होती है वह पूरे भारत में तथा देश के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू होती है।
- सरकार की सेवा में व्यक्ति जहाँ कहीं भी तैनात हैं।
- भारत में पंजीकृत जहाजों और विमानों पर व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी हों।

◆ स्टीम कैटापोल्ट्स की तुलना में EMALS अधिक विश्वसनीय है, इसमें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, तेजी से रिचार्ज होता है, वाहक पर ज्यादा जगह नहीं लेता है और ऊर्जा कुशल होता है।

- भारत की स्थिति:
- वर्ष 2017 में अमेरिका ने भारत को अपनी EMALS तकनीक प्रदान की जिसे अमेरिकी रक्षा कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स इंक द्वारा विकसित किया गया था।
- भारत ने इस प्रणाली को स्थापित करने की संभावना का पता लगाया, लेकिन नौसेना ने बजट की कमी के कारण योजना को छोड़ दिया।
- हालाँकि बंगलूरु में राज्य के स्वामित्व वाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कथित तौर पर एक EMALS मॉडल पर काम कर रही है जिसे निकट भविष्य में भारतीय युद्धपोतों पर CATOBAR संचालन के लिये परीक्षण किया जा सकता है।

भारत में विमान-वाहक की स्थिति:

- आईएनएस विक्रमादित्य:
- यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमान-वाहक पोत है और रूसी नौसेना के सेवामुक्त एडमिरल गोर्शकोव/बाकू से परिवर्तित युद्धपोत है।
- आईएनएस विक्रमादित्य एक संशोधित कीव-श्रेणी का विमान-वाहक पोत है जिसे नवंबर 2013 में सेवा में अधिकृत किया गया था।
- यह एक कोणीय स्की-जंप के साथ शॉर्ट टेक-ऑफ लेकिन अरेस्ट रिकवरी या STOBAR तंत्र पर काम करता है।
- ◆ STOBAR एक विमान-वाहक के डेक से विमान के प्रक्षेपण और पुनर्प्राप्ति के लिये उपयोग की जाने वाली प्रणाली है, जो "कैटापल्ट-असिस्टेड टेक-ऑफ बट अरेस्ट रिकवरी" के साथ "शॉर्ट टेक-ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग" के तत्वों को जोड़ती है।
- आईएनएस विक्रान्त:
- भारत का दूसरा विमान-वाहक पोत आईएनएस विक्रान्त, जिसे इस साल के अंत में चालू किया जाना है, विमान को लॉन्च करने के लिये CATOBAR प्रणाली का उपयोग करेगा।
- इसके निर्माण ने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर लिया, जिनके पास अत्याधुनिक विमान-वाहक बनाने की क्षमता है।
- संचालन विधि: भारतीय नौसेना के अनुसार, वह युद्धपोत मिग-29K लड़ाकू जेट, कामोव-31 हेलीकॉप्टर, MH-60R बहु-भूमिका हेलीकॉप्टर और स्वदेशी रूप से निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (ALH) संचालित करेगा।

- वे व्यक्ति जो भारत के बाहर भारतीय नागरिक के विरुद्ध या भारत के हित को प्रभावित करने वाला सूचीबद्ध अपराध करते हैं।

सूचीबद्ध अपराध:

- अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की एक सूची बनाई गई है जिन पर NIA जाँच कर सकती है और मुकदमा चला सकती है।
- सूची में शामिल हैं:
- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम
- गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम
- अपहरण रोधी अधिनियम
- नागरिक उड्डयन अधिनियम की सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी अधिनियमों का दमन
- सार्क सम्मलेन (आतंकवाद का उन्मूलन) अधिनियम
- कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ एक्ट पर समुद्री नेविगेशन और फिक्स्ड प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों का उन्मूलन
- सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियाँ निषेध) अधिनियम
- भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कोई अन्य प्रासंगिक अपराध
- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम

NIA की जाँच प्रक्रिया:

- सिफारिश:
- राज्य सरकार:
 - ◆ अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य सरकारें किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज सूचीबद्ध अपराधों से संबंधित मामलों को NIA जाँच के लिये केंद्र सरकार (केंद्रीय गृह मंत्रालय) को भेज सकती हैं।
 - ◆ उपलब्ध कराए गए विवरण का आकलन करने के बाद केंद्र एजेंसी को मामले को संभालने का निर्देश दे सकता है।
 - ◆ राज्य सरकारों को NIA को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।
- केंद्र सरकार:
 - ◆ भारत में: जब केंद्र सरकार की राय है कि किये गए अनुसूचित अपराध की जाँच अधिनियम के तहत की जानी आवश्यक है, तो वह जाँच करने के लिये एजेंसी को निर्देश दे सकती है।
 - ◆ भारत के बाहर: जब केंद्र सरकार को पता चलता है कि भारत के बाहर किसी भी स्थान पर जहाँ अनुसूचित अपराध किया गया है, यह अधिनियम लागू होता है, वह NIA को मामला दर्ज करने और जाँच करने का निर्देश भी दे सकती है।

- अनुमोदन:
- गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) और कुछ अन्य अनुसूचित अपराधों के तहत आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिये एजेंसी केंद्र सरकार से मंजूरी मांगती है।
 - ◆ UAPA की धारा 45 (2) के तहत गठित 'प्राधिकरण' की रिपोर्ट के आधार पर UAPA के तहत मंजूरी दी जाती है।
- अन्य:
- नक्सली समूहों के आतंकी वित्तपोषण पहलुओं से संबंधित मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये एक विशेष वामपंथी उग्रवाद (LWE) सेल है।
- किसी भी सूचीबद्ध अपराध की जाँच करते समय एजेंसी किसी अन्य अपराध की जाँच भी कर सकती है, यदि अपराध सूचीबद्ध अपराध से जुड़ा है।
- जाँच के बाद मामलों को NIA की विशेष न्यायालय में रखा जाता है।

NIA का विशेष न्यायालय:

- अनुसूचित अपराधों के मुकदमे के लिये केंद्र सरकार NIA अधिनियम, 2008 की धारा 11 और 22 के तहत एक या अधिक विशेष न्यायालयों का गठन करती है।
- संरचना:
- विशेष न्यायालय की अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर की जाती है।
- यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार विशेष न्यायालय में एक या एक से अधिक अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर कर सकती है।
- विशेष न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र:
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत सत्र न्यायालयों को प्राप्त सभी अधिकार विशेष न्यायालयों को भी प्राप्त हैं।
- किसी विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर किसी भी प्रश्न की स्थिति में इसे केंद्र सरकार को संदर्भित किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।
- सर्वोच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को उस राज्य के किसी अन्य विशेष न्यायालय को अथवा किसी असाधारण मामले में जहाँ शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई संभव नहीं हो, किसी अन्य राज्य के विशेष न्यायालय को हस्तांतरित कर सकता है।
- ◆ इसी प्रकार उच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को उस राज्य के किसी अन्य विशेष न्यायालय को हस्तांतरित कर सकता है।

NIA अधिनियम में हाल के संशोधन:

- NIA को 2019 में भारत के बाहर किये गए अपराधों सहित कुछ अपराधों की त्वरित जाँच और अभियोजन के उद्देश्य से संशोधित किया गया था।
- संशोधन के तीन मुख्य क्षेत्र:
- भारत के बाहर अपराध:
 - ◆ मूल अधिनियम ने NIA को भारत में अपराधों की जाँच और मुकदमा चलाने की अनुमति दी।
 - ◆ संशोधित अधिनियम ने एजेंसी को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन भारत के बाहर किये गए अपराधों की जाँच करने का अधिकार दिया।
- कानून का दायरा बढ़ाना:
 - ◆ संशोधन ने NIA को निम्नलिखित से संबंधित मामलों की जाँच करने की अनुमति दी है:
 - ◆ मानव तस्करी
 - ◆ जाली मुद्रा या बैंक नोट
 - ◆ प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या बिक्री
- ◆ साइबर आतंकवाद
- ◆ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (Explosive Substances Act) के तहत अपराध
- विशेष न्यायालय:
 - ◆ 2008 के अधिनियम ने अपराधों की सुनवाई के लिये विशेष न्यायालयों का गठन किया।
 - ◆ वर्ष के संशोधन ने केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराधों के परीक्षण हेतु सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करने की अनुमति दी।
 - ◆ इसे विशेष न्यायालय के रूप में नामित करने से पहले केंद्र सरकार को उच्च न्यायालय के उस मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता होती है जिसके तहत सत्र न्यायालय कार्य कर रहा है।
 - ◆ राज्य सरकारें अनुसूचित अपराधों के मुकदमे के लिये सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में भी नामित कर सकती हैं।


जैवविविधता और पर्यावरण

एशिया में जल सुरक्षा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के वैज्ञानिकों के निष्कर्ष बताते हैं कि दिल्ली सहित एशियाई शहरों में शहरी जल सुरक्षा में गिरावट आई है।

- टोक्यो, शंघाई और दिल्ली जैसे वैश्विक मेगा शहर नई एशियाई सदी के उदय के प्रतीक हैं क्योंकि वे दुनिया के तीन सबसे बड़े शहर और आर्थिक विकास के इंजन हैं, जो अपने निवासियों एवं विश्व के लिये अरबों की आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं।
- लेकिन उनकी एक गंभीर समस्या है, यानी प्रति व्यक्ति उनकी दैनिक जरूरतों के लिये पर्याप्त ताजा जल उपलब्ध नहीं है।



चुनौतियाँ:

- मीठे जल की मात्रा:
- एशिया में मीठे जल की उपलब्धता विश्व स्तर पर उपलब्ध मीठे जल की तुलना में आधा है।
- जल की कम दक्षता:
- कृषि उत्पादन में जल की तुलनात्मक रूप से बड़ी मात्रा का उपयोग होने के बावजूद (जल की दक्षता भी दुनिया में सबसे कम है) जल की दक्षता कम होने से फसल की पैदावार कम होती है।
- शहरी प्रदूषण:
- कई बड़े शहरों में पानी की समस्या आम है, इसका कारण पर्यावरण का ह्रास, जनसंख्या और आर्थिक विकास के लिये औद्योगिक गतिविधियाँ और जल निकासी में औद्योगिक अपशिष्ट का निर्वहन है।

- सिर्फ मौजूदा जल संसाधन बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं।
- जलवायु परिवर्तन:
- जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे और बाढ़ जैसी चरम मौसमी घटनाएँ अधिक देखी जा रही हैं, जो समस्या को बढ़ाती हैं।
- उदाहरण:
- बैंकॉक, थाईलैंड में अति-दोहन ने भूजल स्तर को गंभीर रूप से कम कर दिया है।
- घरेलू सीवेज के सीधे नालों और नहरों में छोड़े जाने से शहर के आसपास के जल स्रोत भी प्रदूषित हो जाते हैं।
- इसी तरह बैंकॉक की अपर्याप्त जल निकासी क्षमता और चाओ फ्राया नदी के बाढ़ के मैदानों में इसकी स्थिति इसे बाढ़ के लिये अतिसंवेदनशील बनाती है।
- हनोई, वियतनाम सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के मामले में सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से है, जो देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 19% से अधिक का योगदान देता है।
- इस वृद्धि के परिणाम आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों से अपशिष्ट जल के कारण इसकी प्रदूषित झीलों और नदियों में सीधे महसूस किये जाते हैं।
- जॉर्डन में मदाबा जल की कमी वाला शहर है:
- हालाँकि शहर की 98% आबादी की पानी तक पहुँच है, लेकिन अनुचित जल आपूर्ति के कारण निवासियों को अक्सर अपनी जरूरतों को पूरा करने हेतु बड़े टैंक या निजी जल विक्रेताओं जैसे भंडारण के वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर होने के लिये मजबूर होना पड़ता है।

सुझाव:

- नीति हस्तक्षेप:
- एकीकृत शहरी जल सुरक्षा मूल्यांकन ढाँचे की तरह व्यावहारिक हस्तक्षेप मददगार साबित हो सकते हैं। इसका उपयोग किसी शहर की शहरी जल सुरक्षा के पूर्ण स्पेक्ट्रम का आकलन करने हेतु किया जा सकता है जो कि ड्राइविंग फोर्स (Driving Forces) जो कि इसे प्रभावित कर सकते हैं, पर विचार कर सकता है।
- विकसित प्रौद्योगिकी:
- थाईलैंड के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Asian Institute of Technology- AIT) के शोधकर्ताओं ने

वैटसैट विकसित किया है, जो एक वेब-आधारित जल सुरक्षा मूल्यांकन उपकरण है, यह शहरी जल सुरक्षा के पाँच (जल आपूर्ति, स्वच्छता, जल उत्पादकता, जल पर्यावरण और जल शासन) अलग-अलग पहलुओं को मापकर शहरों की स्थिति का मूल्यांकन कर सकता है।

- स्थानीय समाधान:
- जल प्रबंधन के नए तरीकों को अपनाने वाले शहर अपनी आबादी की आजीविका में सुधार कर निरंतर विकास का समर्थन कर सकते हैं। उदाहरण के लिये बैंकॉक ने अपशिष्ट जल को सार्वजनिक जल स्रोतों में छोड़ने से पहले घरेलू स्तर पर अपशिष्ट जल के उपचार को शामिल करने हेतु जल प्रबंधन के लिये प्रोत्साहनों को अपनाया है।
- ◆ बैंकॉक विज्ञान 2032 के एक हिस्से के रूप में यह कार्यक्रम नहरों में पानी के रासायनिक गुणों की निगरानी भी करेगा और बीमारियों को रोकने तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिये स्वच्छता में सुधार करेगा।
- जॉर्डन की जल कार्ययोजना में जल आपूर्ति के पूरक के रूप वर्षा जल संचयन या अपशिष्ट जल उपचार जैसे विकेन्द्रीकृत बुनियादी ढाँचे का निर्माण शामिल है। इसका उद्देश्य मीठे पानी के बजाय उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग हेतु व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिये वित्तीय या कर प्रोत्साहन द्वारा दक्षता का प्रबंधन करना है।
- योजना और कार्यान्वयन:
- लीकेज पाइप के कारण पानी की आपूर्ति के नुकसान को रोकने के लिये योजनाओं की तत्काल आवश्यकता है जिससे उत्पादकता भी बढ़ेगी।
- इनमें जल शुल्क के माध्यम से वित्तीय स्थिरता बढ़ाना, नए मीटरिंग उपकरण स्थापित करना, पानी की पाइपलाइनों में अनधिकृत उपयोग का पता लगाने का प्रयास करना और निगरानी प्रणालियों का उपयोग करना शामिल है।
- रणनीति में बेहतर सुधार के लिये जंगलों, दलदलों और नदियों जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की मरम्मत हेतु पानी का आवंटन भी शामिल है, जो इस बात का एक और उदाहरण है कि प्रकृति-आधारित समाधान कैसी भूमिका निभाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (UN) महासागर सम्मेलन 2022 को दुनिया के महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और निर्वाह के उद्देश्य से वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करने हेतु आयोजित किया गया था।

- इस सम्मेलन की सह-मेज़बानी केन्या और पुर्तगाल की सरकारों द्वारा की गई थी।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत ने साझेदारी और पर्यावरण के अनुकूलन के माध्यम से लक्ष्य 14 के कार्यान्वयन के लिये विज्ञान एवं नवाचार आधारित समाधान प्रदान करने का वादा किया।
- संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 14, 'जल के नीचे जीवन' से जुड़ा हुआ है तथा समुद्र के लचीलेपन के निर्माण हेतु वैज्ञानिक ज्ञान और समुद्री प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देता है।



सम्मेलन का प्रमुख एजेंडा:

- गहरे समुद्र में खनन पर रोक:
- बूम इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी निर्माण के लिये आवश्यक दुर्लभ धातुओं के गहरे समुद्र में खनन पर रोक।
- मशीनों द्वारा समुद्र तल की खुदाई और मापन गहरे-समुद्री आवासों को बदल या नष्ट कर सकता है।
- कार्बन पृथक्करण:
- मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक सिंक को बढ़ाकर या भू-इंजीनियरिंग योजनाओं के माध्यम से CO₂ को सोखने के लिये समुद्र की क्षमता को बढ़ावा देने हेतु कार्बन पृथक्करण (Carbon Sequestration) पर बल।
- ब्लू डील:
- आर्थिक विकास के लिये समुद्री संसाधनों के सतत् उपयोग को सक्षम करने हेतु "ब्लू डील" (Blue Deal) को बढ़ावा दिया गया।
- इसमें एक सतत् और लचीली समुद्री अर्थव्यवस्था बनाने हेतु वैश्विक व्यापार, निवेश और नवाचार शामिल हैं।
- सभी स्रोतों से समुद्री फसल को टिकाऊ बनाने और सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिये समुद्री खाद्यों पर ध्यान देना।

- समुद्रीय अनियमितता:
- कोई व्यापक कानूनी ढाँचा उच्च समुद्रों को कवर नहीं करता है। महासागर पृथ्वी की सतह के लगभग 70% भाग को कवर करते हैं और अरबों लोगों के लिये भोजन एवं आजीविका प्रदान करते हैं।
- कुछ कार्यकर्ता उन्हें ग्रह पर सबसे बड़े अनियमित क्षेत्र के रूप में संदर्भित करते हैं।
- महासागर हेतु खतरा:
- महासागरों हेतु खतरों में ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण (प्लास्टिक प्रदूषण सहित), अम्लीकरण, समुद्री हीटवेव आदि शामिल हैं। सतत् महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने हेतु पहलें:
- सतत् विकास हेतु महासागर विज्ञान दशक:
- संयुक्त राष्ट्र ने समुद्र के संतुलन में गिरावट के चक्र को उलटने और एक सामान्य ढाँचे में दुनिया भर में महासागर हितधारकों को शामिल करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिये 2021-2030 के रूप में सतत् विकास हेतु महासागर विज्ञान दशक की घोषणा की है।
- विश्व महासागर दिवस:
- 8 जून को पूरी दुनिया में विश्व महासागर दिवस (World Ocean Day) के रूप में मनाया गया। यह दिवस महासागरों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिये मनाया जाता है।
- समुद्री संरक्षित क्षेत्र:
- सामान्य शब्दों में समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPA), समुद्री क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षा प्रदान करता है।
- ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट:
- इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) तथा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका प्रारंभिक वित्तपोषण नॉर्वे सरकार द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य शिपिंग व मत्स्य पालन उद्योग से उत्पन्न होने वाले समुद्री प्लास्टिक कचरे को कम करना है।
- भारत-नॉर्वे महासागर वार्ता:
- जनवरी 2019 में भारत और नॉर्वे की सरकारों द्वारा महासागरीय क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
- भारत का डीप ओशन मिशन:
- यह भारत सरकार की 'ब्लू इकॉनमी' पहल का समर्थन करने हेतु एक मिशन मोड परियोजना है।
- भारत की इंडो-पैसिफिक ओशन पहल (IPOI):
- यह देशों के लिये एक खुली, गैर-संधि आधारित पहल है जो इस क्षेत्र में आम चुनौतियों के लिये सहकारी और सहयोगी समाधान हेतु मिलकर काम करती है।

भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट अर्थात् तैरती सौर ऊर्जा परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की अंतिम 20 मेगावाट की घोषणा की गई है।

- इसके साथ ही तेलंगाना में 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना को 1 जुलाई, 2022 से चालू घोषित किया गया है।
- यह भारत में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना है।

फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट:

- ये फोटोवोल्टिक (Photovoltaic-PV) मॉड्यूल होते हैं जो प्लेटफॉर्मों पर लगे होते हैं तथा जलाशयों, झीलों पर तैरते हैं जहाँ की स्थितियाँ समुद्र और महासागर जैसी होती हैं।
- इन प्लेटफॉर्मों को आमतौर पर तालाबों, झीलों या जलाशयों जैसे पानी के शांत निकायों पर लगाया जाता है।
- इन सोलर पैनल का निर्माण अपेक्षाकृत जल्दी होता है और इन्हें स्थापित करने के लिये भूमि को समतल करने या वनस्पति को हटाने की आवश्यकता नहीं होती है।



रामागुंडम परियोजना की मुख्य विशेषताएँ:

- यह उन्नत तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं से संपन्न है। यह परियोजना जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है जो 40 ब्लॉकों में विभाजित है तथा प्रत्येक ब्लॉक की क्षमता 2.5 मेगावाट है। प्रत्येक ब्लॉक में एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म और 11,200 सौर मॉड्यूल की एक सारणी होती है। यह परियोजना जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है जो 40 ब्लॉकों में विभाजित है तथा प्रत्येक ब्लॉक की क्षमता 2.5 मेगावाट है।
- संपूर्ण फ्लोटिंग सिस्टम को विशेष प्रकार के हाईमॉड्यूलर पॉलीइथाइलीन (HMPE) रस्सी के माध्यम से संतुलित रूप से जलाशय में स्थापित किया गया है।

- यह परियोजना इस मायने में अनूठी है कि इन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मर, एचटी पैनल और पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा डेटा अधिग्रहण (SCADA) सहित सभी विद्युत उपकरण फ्लोटिंग फेरो सीमेंटेड प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध होते हैं।

परियोजना के पर्यावरणीय लाभ:

- सीमित भूमि की आवश्यकता:
- पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सबसे स्पष्ट लाभ भूमि की न्यूनतम आवश्यकता है जो ज़्यादातर संबद्ध निकासी व्यवस्था के लिये है।
- कम जल वाष्पीकरण दर:
- इसके अलावा फ्लोटिंग सौर पैनलों की उपस्थिति के साथ जल निकासों से वाष्पीकरण दर कम हो जाती है, इस प्रकार जल संरक्षण में मदद मिलती है।
- लगभग 32.5 लाख घन मीटर जल को प्रतिवर्ष वाष्पीकरण से बचाया जा सकता है।
- CO₂ उत्सर्जन कम करने में कुशल:
- सौर मॉड्यूल के नीचे का जल निकास उनके परिवेश के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे उनकी दक्षता और उत्पादन में सुधार होता है। इसी तरह प्रतिवर्ष 1,65,000 टन कोयले की खपत को रोका जा सकता है; जिससे प्रतिवर्ष 2,10,000 टन CO₂ के उत्सर्जन से बचा जा सकता है।

संबंधित चुनौतियाँ:

- स्थापित करने में महँगा:
- पारंपरिक पीवी सिस्टम की तुलना में फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाने के लिये अधिक धन की आवश्यकता होती है।
- मुख्य कारणों में से एक यह है कि प्रौद्योगिकी अपेक्षाकृत नई है, इसलिये विशेष ज्ञान और उपकरणों की आवश्यकता होती है।
 - ◆ हालाँकि जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, इसकी स्थापना लागत में भी कमी आने की उम्मीद होती है।
- सीमित अनुप्रयोग:
- कई अस्थायी सौर प्रतिष्ठान बड़े पैमाने पर हैं और वे बड़े समुदायों, कंपनियों या उपयोगिता कंपनियों को विद्युत प्रदान करते हैं।
- इसलिये रूफटॉप इंस्टॉलेशन या ग्राउंड-माउंटेड सोलर चुनना अधिक व्यावहारिक है।
- वाटर-बेड स्थलाकृति की समझ:
- फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं को विकसित करने के लिये वाटर-बेड टोपोग्राफी और फ्लोट्स हेतु लंगर स्थापित करने की उपयुक्तता की गहन समझ की आवश्यकता होती है।

अन्य सौर ऊर्जा पहल:

- सौर पार्क योजना:
- कई राज्यों में लगभग 500 मेगावाट की क्षमता वाले कई सौर पार्क बनाने की योजना है।
- रूफटॉप सौर योजना:
- घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का दोहन करना।
- अटल ज्योति योजना (AJAY):
- अटल ज्योति योजना (AJAY) अजय योजना सितंबर 2016 में उन राज्यों में सौर स्ट्रीट लाइटिंग (SSL) सिस्टम की स्थापना के लिये शुरू की गई थी, जहाँ ग्रिड पावर 50% से कम घरों (2011 की जनगणना के अनुसार) को उपलब्ध हो पाई थी।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

चर्चा में क्यों ?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन का प्रस्ताव रखा।

- हालाँकि हाल ही में जो प्रावधान लागू हुए हैं वे पहले से लागू पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधान एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के दंडात्मक प्रावधानों के लिये लागू होंगे हैं।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित प्रमुख संशोधन क्या हैं ?
- मंत्रालय ने साधारण उल्लंघनों के लिये कारावास के भय को दूर करने हेतु EPA, 1986 के मौजूदा प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है।
- इसमें "कम गंभीर" उल्लंघनों के लिये दंड के रूप में कारावास कि सज़ा को हटाना शामिल है।
 - ◆ हालाँकि EPA के गंभीर उल्लंघन जो गंभीर क्षति या जीवन की हानि का कारण बनते हैं, को भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के तहत कवर किया जाएगा।
- EPA के प्रावधानों की विफलता, उल्लंघन या गैर-अनुपालन जैसी रिपोर्ट, जानकारी प्रस्तुत करना आदि से अब विधिवत अधिकृत न्यायनिर्णयन अधिकारी के माध्यम से मौद्रिक दंड लगाकर निपटा जाएगा।
- कारावास के बजाय इस संशोधन में एक पर्यावरण संरक्षण कोष के निर्माण का प्रस्ताव भी किया गया है जिसमें पर्यावरण को हुए नुकसान का न्यायनिर्णयन के बाद अधिकारी द्वारा लगाए गए दंड की राशि को माफ कर दिया जाएगा।
- केंद्र सरकार उस तरीके को निर्धारित कर सकती है जिसमें संरक्षण निधि को प्रशासित किया जाएगा।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:

- परिचय:
- EPA, 1986 पर्यावरण सुरक्षा की दीर्घकालिक आवश्यकताओं के अध्ययन, योजना तथा कार्यान्वयन हेतु ढाँचा स्थापित करता है और पर्यावरण को खतरे में डालने वाली स्थितियों के लिये त्वरित और पर्याप्त प्रतिक्रिया की प्रणाली निर्धारित करता है।
- पृष्ठभूमि:
- EPA का अधिनियमन जून, 1972 (स्टॉकहोम सम्मेलन) में स्टॉकहोम में आयोजित "मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन" को देश में प्रभावी बनाने हेतु किया गया। ज्ञातव्य है कि भारत ने मानव पर्यावरण में सुधार के लिये उचित कदम उठाने हेतु इस सम्मेलन में भाग लिया था।
- अधिनियम स्टॉकहोम सम्मेलन में लिये गए निर्णयों को लागू करता है।
- संवैधानिक प्रावधान:
- EPA को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिये कानून बनाने का प्रावधान करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 48A निर्दिष्ट करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद 51A में प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा।
- केंद्र सरकार की शक्तियाँ:
- EPA केंद्र सरकार को अपने सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों के लिये विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने हेतु अधिकृत अधिकारियों को अधिकार देता है।
- EPA सरकार को निम्नलिखित अधिकार भी देता है:
 - ◆ पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिये एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना।
 - ◆ विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन जैसे विभिन्न पहलुओं में पर्यावरण की गुणवत्ता के लिये मानक निर्धारित करना।
- अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार को निम्नलिखित के मामले में निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है:
 - ◆ किसी उद्योग के संचालन या प्रक्रिया को बंद करना, निषेध या विनियमन।
 - ◆ विद्युत या जल या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति में ठहराव या विनियमन।

EPA के तहत अपराधों और दंड की वर्तमान स्थिति:

- अधिनियम के किसी भी प्रावधान का गैर-अनुपालन या उल्लंघन एक अपराध माना जाता है।
- अपराधों का संज्ञान:
- कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा बशर्ते शिकायत निम्नलिखित में से किसी के द्वारा न की गई हो:
 - ◆ केंद्र सरकार या उसकी ओर से कोई प्राधिकरण।
 - ◆ एक ऐसा व्यक्ति, जो केंद्र सरकार या उसके प्रतिनिधि प्राधिकरण को 60 दिनों का नोटिस सौंपने के पश्चात् न्यायालय के पास आया हो।
- दंड:
- EPA के मौजूदा प्रावधानों या इस अधिनियम के नियमों के किसी भी गैर-अनुपालन या उल्लंघन के मामले में उल्लंघनकर्ता को 5 वर्ष तक की कैद या 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
 - ◆ इस तरह के उल्लंघन को जारी रखने के मामले में प्रतिदिन के लिये 5,000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसके दौरान इस तरह का उल्लंघन जारी रहता है तो इस तरह के पहले उल्लंघन के लिये दोषी ठहराया जा सकता है।
 - ◆ यदि उल्लंघन दोष सिद्ध होने की तिथि के बाद एक वर्ष की अवधि के बाद भी जारी रहता है, तो अपराधी को कारावास कि सजा से दंडित किया जा सकता है, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

अधिनियम की कमियाँ:

- अधिनियम का पूर्ण केंद्रीकरण:
- अधिनियम का एक संभावित दोष इसका केंद्रीकरण हो सकता है।
 - ◆ जहाँ केंद्र को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं वहीं राज्य सरकारों के पास कोई शक्ति नहीं होती है। ऐसे में केंद्र सरकार इसकी मनमानी एवं दुरुपयोग के लिये उत्तरदायी है।
- कोई सार्वजनिक भागीदारी नहीं:
- अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी के बारे में भी कोई बात नहीं कही गई है।
- जबकि मनमानी को रोकने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण में शामिल करने की आवश्यकता है।
- सभी प्रदूषकों को शामिल न किया जाना:
- यह अधिनियम प्रदूषण की आधुनिक अवधारणा जैसे- शोर, अधिक बोझ वाली परिवहन प्रणाली और विकिरण तरंगों को प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं करता है, जो पर्यावरण प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारक हैं।

पर्यावरण की रक्षा के लिये अन्य पहल:


- भारत:
- राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम
- ग्रीन इंडिया मिशन
- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम
- नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन ईकोसिस्टम
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिनका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है:
- ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर वियना कन्वेंशन के लिये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987
- खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार संचलन पर बेसल कन्वेंशन, 1989
- रॉटरडैम कन्वेंशन, 1998
- स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POP) पर स्टॉकहोम कन्वेंशन
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC), 1992
- जैवविविधता पर कन्वेंशन, 1992
- संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय

प्लास्टिक अपशिष्ट न्यूनीकरण: नीति आयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीति आयोग ने प्लास्टिक के विकल्पों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये 'प्लास्टिक और उनके अनुप्रयोगों के लिये वैकल्पिक उत्पाद एवं प्रौद्योगिकी' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एकल उपयोग प्लास्टिक (SUP) पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA) की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।



रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन और निपटान: वर्ष 1950-2015 के बीच पॉलिमर, सिंथेटिक फाइबर और एडिटिव्स का संचयी उत्पादन 8,300 मिलियन टन था, जिसमें से 55% को सीधे लैंडफिल में डाल दिया गया या 8% को जला दिया गया और केवल 6% प्लास्टिक का पुनर्नवीनीकरण हो पाया है।
- यदि वर्ष 2050 तक इसी दर से उत्पादन जारी रखा जाता है, तो यह 12,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन करेगा।
- भारत का मामला: भारत ने प्रतिवर्ष 47 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन किया, जिसमें प्रति व्यक्ति कचरा पिछले पाँच वर्षों में 700 ग्राम से बढ़कर 2,500 ग्राम हो गया।
- गोवा, दिल्ली और केरल में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ, जबकि नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में सबसे कम प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ।
- चुनौती: विश्व स्तर पर इनमें से 97-99% प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन फीडस्टॉक से प्राप्त होता है, जबकि शेष 1-3% जैव (संयंत्र) आधारित प्लास्टिक है।
- इस प्लास्टिक कचरे के केवल छोटे से हिस्से का ही पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस कचरे का अधिकांश हिस्सा विभिन्न प्रदूषणकारी मार्गों के माध्यम से पर्यावरण में निष्कासित हो जाता है।
- भारत अपने प्लास्टिक कचरे का केवल 60% एकत्र करता है और शेष 40% बिना एकत्र किये रह जाता है जो कचरे के रूप में सीधे पर्यावरण में प्रवेश करता है।
- प्लास्टिक का लगभग हर टुकड़ा जीवाश्म ईंधन के रूप में शुरू होता है, और ग्रीनहाउस गैसों (GHG) प्लास्टिक जीवनचक्र के प्रत्येक चरण में उत्सर्जित होती हैं:
 - ◆ जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण और परिवहन
 - ◆ प्लास्टिक शोधन और निर्माण
 - ◆ प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन
 - ◆ महासागरों, जलमार्गों और विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र परिदृश्यों पर प्रभाव

Best practices in plastic waste management		
Sl No.	State	Best Practice
1	Andhra Pradesh	Plastic waste collected from local bodies or biomining sites is sent for co-processing in cement plants
2	Arunachal Pradesh	Plastic banks were established in one district; Plastic was used in Road Construction in variable districts
3	Goa	Non-biodegradable waste is sent to co-processing plants for which baling plants have been set up by Goa Waste Management Agency, Local bodies as well as Village Panchayats
4	Gujarat	94000T of plastic waste was sent for incineration during 2019-20s.
5	Haryana	All municipal corporations have been directed to set up material recovery facilities. 41 out of 81 MCs have set up the MRP

पहल:

- कचरे के प्रबंधन के लिये सबसे पसंदीदा विकल्प अपशिष्ट न्यूनीकरण है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को अपनाने की समय-सीमा में छूट देते हुए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility-EPR), उचित लेबलिंग और खाद एवं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के संग्रह के माध्यम से अपशिष्ट न्यूनीकरण अभियान को मजबूत करें।
- उभरती प्रौद्योगिकियों का विकास करना, उदाहरण के लिये एडिटिव्स प्लास्टिक को जैव-निम्नीकरणीय पॉलीओलेफिन में बदल सकते हैं, जैसे- पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीइथाइलीन।
- बायो-प्लास्टिक का उपयोग: प्लास्टिक के किफायती विकल्प के रूप में।
- अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।
- जवाबदेही तय करने और ग्रीनवाशिंग से बचने के लिये अपशिष्ट उत्पादन, संग्रह, पुनर्चक्रण या वैज्ञानिक निपटान का खुलासा करने में पारदर्शिता बढ़ाना।
- ग्रीनवाशिंग भ्रामक जानकारी देने की एक प्रक्रिया है कि कैसे कंपनी के उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर हैं।

प्लास्टिक का विकल्प:

- काँच:
- खाद्य और तरल पदार्थों की पैकेजिंग एवं उपयोग के लिये काँच हमेशा सबसे सुरक्षित व सबसे व्यवहार्य विकल्प रहा है।
- काँच को कई बार पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे लैंडफिल में समाप्त नहीं किया जाता है। इसके स्थायित्व और पुनर्चक्रण क्षमता को देखते हुए यह लागत प्रभावी है।
- खोई:
- कम्पोस्टेबल इको-फ्रेंडली खोई प्लास्टिक की आवश्यकता को डिस्पोबल प्लेट कप या बॉक्स के रूप में समाप्त कर सकती है।
- गन्ने या चुकंदर से रस निकालने के बाद बचे हुए गूदे से खोई बनाई जाती है। इसका उपयोग जैव ईंधन जैसे अन्य उद्देश्यों के लिये भी किया जा सकता है।
- बायोप्लास्टिक्स:
- प्लांट-आधारित प्लास्टिक, जिसे बायोप्लास्टिक्स के रूप में जाना जाता है, को जीवाश्म ईंधन-आधारित प्लास्टिक के हरे विकल्प के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से जब खाद्य पैकेजिंग की बात आती है।
- लेकिन बायोप्लास्टिक का अपना पर्यावरण पदचिह्न होता है, जिसके लिये फसल उगाने की आवश्यकता होती है तथा भूमि और पानी का उपयोग होता है।

- बायोप्लास्टिक को पारंपरिक प्लास्टिक की तुलना में उतना ही हानिकारक और कुछ मामलों में अधिक हानिकारक माना जाता है।
- प्राकृतिक वस्त्र:
- हर बार धोने के साथ लाखों छोटे प्लास्टिक फाइबर बह जाते हैं जिससे पॉलिएस्टर और नायलॉन कपड़ों को बदलने की बात आती है, तो कपास, ऊन, लिनन और सन (Hemp) पारंपरिक विकल्प के रूप में हैं।
- ◆ कपास का उत्पादन पर्यावरण के लिये गंभीर खतरा पैदा कर रहा है।
- रिफिल, पुनः उपयोग और अनपैकड खरीद:
- कम-से-कम हानिकारक पैकेजिंग वह है जिसे बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर बिल्कुल भी नहीं।
- ◆ फल और सब्जी आदि के लिये पुनः उपयोग किये जाने वाले कपड़े के बैग।
- ◆ मांस, मछली, पनीर आदि के लिये पुनः उपयोग किये जाने वाले कंटेनर और बक्से।
- ◆ तेल और सिरका, सफाई हेतु तरल पदार्थ आदि के लिये फिर से भरने योग्य बोतलें और जार।
- ◆ फॉइल (Foil) और क्लिंगफिल्म के बजाय मोम (Beeswax) लपेटना।

संबंधित पहल:

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
- प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ
- भारत प्लास्टिक समझौता
- प्रोजेक्ट रिप्लान
- यू. एन.-प्लास्टिक कलेक्टिव
- गोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट

जंगली प्रजातियों का सतत् उपयोग: आईपीबीईएस रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

इंटरगवर्नमेंटल साइंस-पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज (IPBES) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जंगली प्रजातियों का सतत् उपयोग अरबों लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकता है।


- 140 देशों के प्रतिनिधि वन्यजीवों के सतत् उपयोग पर चर्चा करने और परिणाम पर पहुँचने के लिये एक साथ आए।
- मूल्यांकन में जंगली प्रजातियों के लिये उपयोग की जाने वाली पाँच श्रेणियों की प्रथाओं को शॉर्टलिस्ट किया गया है- मछली पकड़ना, इकट्ठा करना, लॉगिंग करना, स्थलीय पशु का शिकार जैसी गैर-निष्कर्षण प्रथाओं का अवलोकन।
- यह अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है जो चार साल की अवधि के बाद जारी की गई है।
- अस्थिर शिकार को 1,341 जंगली स्तनपायी प्रजातियों के लिये एक खतरे के रूप में पहचाना गया है, जिसमें बड़ी-बड़ी प्रजातियों में गिरावट आई है, जिनमें वृद्धि की कम प्राकृतिक दर भी शिकार के दबाव से जुड़ी हुई है।
- जंगली प्रजातियों के सतत् उपयोग का खतरा:
- विकासशील देशों में ग्रामीण लोगों को जंगली प्रजातियों के निरंतर उपयोग से सबसे अधिक खतरा होता है, पूरक विकल्पों की कमी के कारण वे अक्सर पहले से ही खतरे में पड़ी जंगली प्रजातियों का दोहन करने के लिये मजबूर होते हैं।

आईबीपीईएस

- यह वर्ष 2012 में सदस्य राज्यों द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है।
- यह जैवविविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग, दीर्घकालिक मानव कल्याण, सतत् विकास के लिये जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं हेतु विज्ञान-नीति इंटरफेस (science-policy interface) को मजबूत करता है।
- ◆ विभिन्न प्रथाओं के माध्यम से लगभग 50,000 जंगली प्रजातियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें सीधे मानव भोजन (Human Food) के लिये 10,000 से अधिक जंगली प्रजातियाँ काटी जाती हैं।
- अग्रणी सांस्कृतिक महत्त्व के जंगली प्रजातियों को खतरा:
- कुछ प्रजातियों का सांस्कृतिक महत्त्व है क्योंकि वे कई लाभ प्रदान करते हैं जो लोगों की सांस्कृतिक विरासत की मूर्त और अमूर्त विशेषताओं को परिभाषित करते हैं।

निष्कर्ष:

- जंगली प्रजातियों पर निर्भरता:
- विश्व की लगभग 70% गरीब आबादी सीधे तौर पर जंगली प्रजातियों पर निर्भर है।
- 20% अपना भोजन जंगली पौधों, शैवाल और कवक से प्राप्त करते हैं।
- वन्य-प्रजातियाँ आय का महत्त्वपूर्ण स्रोत:
- जंगली प्रजातियों का उपयोग लाखों लोगों की आय का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
- जंगली पेड़ प्रजातियों में जंगली पौधों, शैवाल और कवक में वैश्विक औद्योगिक राउंडवुड के व्यापार का दो-तिहाई हिस्सा शामिल है, यह एक अरब डॉलर का उद्योग है और यहाँ तक कि जंगली प्रजातियों का गैर-निष्कर्षण भी एक बड़ा व्यवसाय है।
- स्थानीय भिन्नताएँ:
- लगभग 34% समुद्री जंगली मछली स्टॉक ओवरफिश हैं और 66% जैविक रूप से टिकाऊ स्तरों के भीतर हैं, इस वैश्विक तस्वीर में महत्त्वपूर्ण स्थानीय और प्रासंगिक भिन्नताएँ हैं।
- वृक्ष प्रजातियों की सतत् कटाई:
- जंगली पेड़ों की अनुमानित 12% प्रजातियों के अस्तित्व को उनकी स्थायी कटाई से खतरा है।
- कई पौधों के समूहों, विशेष रूप से कैक्टि, साइकैड और ऑर्किड के लिये अस्थिर जमाव मुख्य खतरों में से एक है।
- चालक और खतरा:
- भूमि और समुद्री दृश्य जैसे चालक जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ जंगली प्रजातियों की बहुतायत और वितरण को प्रभावित करते हैं तथा उन मानव समुदायों के बीच तनाव एवं चुनौतियों को बढ़ा सकते हैं जो उनका उपयोग करते हैं।
- अवैध व्यापार:
- पिछले चार दशकों में जंगली प्रजातियों के वैश्विक व्यापार में मात्रा, मूल्य और व्यापार नेटवर्क में काफी विस्तार हुआ है।
- जंगली प्रजातियों का अवैध व्यापार सभी अवैध व्यापार के तीसरे सबसे बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, इसका अनुमानित वार्षिक मूल्य USD 199 बिलियन तक है। लकड़ी और मछली जंगली प्रजातियों में अवैध व्यापार की सबसे बड़ी मात्रा व मूल्य का निर्माण करते हैं।



पहल:

- विविध मूल्य प्रणालियों का एकीकरण, लागत और लाभों का समान वितरण, सांस्कृतिक मानदंडों, सामाजिक मूल्यों एवं प्रभावी संस्थानों तथा शासन प्रणालियों में परिवर्तन भविष्य में जंगली प्रजातियों के सतत् उपयोग की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।
- असंधारणीय उपयोग के कारणों को संबोधित करना और जहाँ भी संभव हो इन प्रवृत्तियों में बदलाव के जंगली प्रजातियों एवं उन पर निर्भर लोगों के लिये उचित परिणाम प्राप्त होंगे।

- वैज्ञानिकों और स्वदेशी लोगों को एक-दूसरे से सीखने के लिये एक साथ लाने से जंगली प्रजातियों के सतत् उपयोग को मजबूती मिलेगी।
- यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश राष्ट्रीय ढाँचे और अंतर्राष्ट्रीय समझौते आर्थिक एवं शासन के मुद्दों सहित पारिस्थितिक तथा कुछ सामाजिक विचारों पर जोर देना जारी रखे हुए हैं, जबकि सांस्कृतिक संदर्भों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।
- मछली पकड़ने में वर्तमान अक्षमताओं में सुधार, अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने को कम करना, हानिकारक वित्तीय सब्सिडी में कमी, छोटे पैमाने पर मत्स्य पालन का समर्थन करना, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री उत्पादकता में परिवर्तन को सक्रिय रूप से प्रभावी सीमा तक सक्षम बनाने से स्थायी उपयोग में मदद मिलेगी।
- मजबूत मत्स्य प्रबंधन वाले देशों में स्टॉक में बहुतायत में वृद्धि देखी गई है। उदाहरण के लिये अटलांटिक ब्लूफिन टूना आबादी का पुनर्विकास किया गया है और अब इसका टिकाऊ आधार पर मत्स्यन किया जा रहा है।
- लकड़ी के संदर्भ में इसे कई उपयोगों के लिये वनों के प्रबंधन और प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी, लकड़ी के उत्पादों के निर्माण में कचरे को कम करने के लिये तकनीकी नवाचार और आर्थिक एवं राजनीतिक पहल आवश्यक हैं, जो भूमि अधिग्रहण सहित स्वदेशी लोगों तथा स्थानीय समुदायों के अधिकारों को मान्यता देती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

नियोबैंक

नियोबैंक (NEOBANK)

परिचय

- नियोबैंक एक तरह का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई शाखा नहीं होती है। किसी डिजिटल स्क्रन पर भौतिक रूप से उपस्थित होने के बजाय, नियोबैंकिंग पूरी तरह से ऑनलाइन है।
- ये परिवारजन वृद्धि को कम करते हुए ब्राह्मणों को व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं।
- नियोबैंक ने पारंपरिक बैंकों के जटिल बुनियादी ढाँचे और 'कस्टमर अर्बाइंग' प्रक्रिया को चुनौती देते हुए 'पेमेंट बैंक' के दौर के साथ वित्तीय प्रणाली में प्रवेश किया था।
- उदाहरण: रोजरपेय (Rozorpay), जूपीटर (Jupiter), नियो (Nio), ओपन (Open) आदि।

डिजिटल बैंक बनाम नियोबैंक

- डिजिटल बैंक प्रायः बैंकिंग क्षेत्र में स्थापित और विनिश्चित विद्ये अर्थात् ऑनलाइन कंपनी है।
- दूसरी ओर नियोबैंक, वित्त किसी भी भौतिक शाखा के स्वरूप रूप से या पारंपरिक सङ्केतों में पूरी तरह से ऑनलाइन रूप में मौजूद होता है।

चुनौतियाँ निपटारक कर्षण, अनेकिक, सीमित सेवाएँ, डेटा प्रदाने

लाभ कम लागत, सुविधाजनक, गति, पारदर्शित, पठन अनुभव

प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ:

- परिचय:
- PACS ज़मीनी स्तर की सहकारी ऋण संस्थाएँ हैं जो किसानों को विभिन्न कृषि और कृषि गतिविधियों के लिये अल्पकालिक एवं मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करती हैं।
- यह ज़मीनी स्तर पर ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर काम करती हैं।
- पहली प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) का गठन वर्ष 1904 में किया गया था।
- सहकारी बैंकिंग प्रणाली के आधार पर कार्यरत PACS ग्रामीण क्षेत्र को लघु अवधि और मध्यम अवधि के ऋण के प्रमुख खुदरा बिक्री केंद्रों का गठन करती हैं।
- उद्देश्य:
- ऋण लेने और सदस्यों की आवश्यक गतिविधियों का समर्थन करने के उद्देश्य से पूंजी जुटाना।
- सदस्यों की बचत की आदत में सुधार लाने के उद्देश्य से जमा राशि एकत्र करना।
- सदस्यों को उचित मूल्य पर कृषि आदानों और सेवाओं की आपूर्ति करना।
- सदस्यों के लिये पशुधन की उन्नत नस्लों की आपूर्ति एवं विकास की व्यवस्था करना।
- सदस्यों के लिये पशुधन की उन्नत नस्लों की आपूर्ति एवं उनके विकास की व्यवस्था करना।
- आवश्यक आदानों और सेवाओं की आपूर्ति के माध्यम से विभिन्न आय-सृजन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

PACS का महत्त्व:

- ये बहुआयामी संगठन हैं जो बैंकिंग, साइट पर आपूर्ति, विपणन, उत्पाद और उपभोक्ता वस्तुओं के व्यापार जैसी विभिन्न सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- ये वित्त प्रदान करने के लिये मिनी-बैंकों के साथ-साथ कृषि इनपुट और उपभोक्ता सामान प्रदान करने हेतु काउंटर के रूप में कार्य करते हैं।
- ये समितियाँ किसानों को अपने खाद्यान्नों के संरक्षण और भंडारण हेतु भंडारण सेवाएँ भी प्रदान करती हैं।

PACS का डिजिटलीकरण

चर्चा में क्यों ?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने लगभग 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (Primary Agricultural Credit Societies-PACS) के डिजिटलीकरण की मंजूरी दी।

- 2,516 करोड़ रुपए की लागत से PACS का डिजिटलीकरण किया जाएगा, जिससे लगभग 13 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा। प्रत्येक प्राथमिक कृषि ऋण समिति को अपनी क्षमता को उन्नत करने के लिये लगभग 4 लाख रुपए मिलेंगे और यहाँ तक कि पुराने लेखा रिकॉर्ड को भी डिजिटल किया जाएगा और क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा।

पहल का महत्त्व:

- PACS के कम्प्यूटरीकरण से उनकी पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दक्षता में वृद्धि होगी एवं बहुउद्देशीय PACS के लेखांकन में भी सुविधा होगी।
- यह PACS को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), ब्याज सहायता योजना (ISS), फसल बीमा योजना (PMFBY) और उर्वरक एवं बीज के आदानों जैसी विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिये एक नोडल केंद्र बनने में भी मदद करेगा।
- इस पहल से प्रत्येक केंद्र में लगभग 10 नौकरियों के अवसर उत्पन्न करने में मदद मिलेगी और इसका उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में PACS की संख्या को बढ़ाकर 3 लाख करना है।

- देश में सभी संस्थाओं द्वारा दिये गए किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card- KCC) ऋणों में PACS का 41% (3.01 करोड़ किसान) हिस्सा है तथा PACS के माध्यम से इन KCC ऋणों में से 95% (2.95 करोड़ किसान) छोटे और सीमांत किसानों के हैं।

PACS से संबंधित मुद्दे:

- अपर्याप्त कवरेज:
- हालाँकि भौगोलिक रूप से सक्रिय PACS, 5.8 गाँवों में से लगभग 90% को कवर करता है, देश के कुछ हिस्से खासकर उत्तर-पूर्व में यह कवरेज बहुत कम है।
- इसके अलावा सदस्यों के रूप में शामिल की गई आबादी सभी ग्रामीण परिवारों का केवल 50% है।
- अपर्याप्त संसाधन:
- PACS के संसाधन ई-ग्रामीण अर्थव्यवस्था की लघु और मध्यम अवधि की ऋण आवश्यकताओं के संबंध में बहुत अधिक अपर्याप्त हैं।
- यहाँ तक कि इन अपर्याप्त निधियों का बड़ा हिस्सा उच्च वित्तपोषण एजेंसियों से आता है, न कि 'समाजों के स्वामित्व वाले धन या उनके द्वारा जमा जुटाने' के माध्यम से।
- सीमित क्रेडिट:
- PACS कुल ग्रामीण आबादी के केवल एक छोटे से हिस्से को ही ऋण प्रदान करती हैं।
- दिया गया ऋण मुख्य रूप से फसल वित्त (मौसमी कृषि कार्यों) और मध्यम अवधि ऋण के रूप में पहचाने जाने योग्य उद्देश्यों जैसे कि कुओं की खुदाई, पंप सेटों की स्थापना आदि तक सीमित है।
- बकाया:
- PACS के लिये अधिक बकाया एक बड़ी समस्या बन गई है।
- वे ऋण योग्य निधियों के संचलन पर अंकुश लगाती हैं, उधार लेने के साथ-साथ समाजों की उधार शक्ति को कम करती हैं तथा डिफाल्टर लेनदारों की समाज में छवि खराब करती हैं।
- बड़े ज़र्मीदार सस्ते सहकारी ऋणों को हथियाने और समय पर अपने ऋणों का भुगतान न करने में गाँवों में अपनी अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हैं।

आगे की राह

- इन एक सदी से भी अधिक पुराने संस्थानों को एक और नीतिगत प्रोत्साहन की आवश्यकता है, ताकि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के साथ-साथ वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण में एक प्रमुख स्थान बना सकें, उनमें आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण की क्षमता है।

- यदि पुनर्गठन और संबंधित उपायों के माध्यम से उन्हें मजबूत और व्यवहार्य इकाइयों में परिवर्तित किया जाता है तो संसाधन-जुटाने में PACS की क्षमता में काफी सुधार होगा। फिर वे उच्च वित्तपोषण एजेंसियों की तुलना में जमा और ऋण दोनों को आकर्षित करने में अधिक सक्षम होंगी।

वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो

चर्चा में क्यों ?

कैबिनेट नियुक्ति समिति (ACC) ने बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) के स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) की स्थापना के लिये एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया है।

नए ढाँचे का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा किया गया था।

वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो:

- परिचय:
- वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रमुखों का चयन करेगा।
- FSIB के पास दिशा-निर्देश जारी करने और राज्य द्वारा संचालित गैर-जीवन बीमा कंपनियों, सामान्य बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों के महाप्रबंधकों तथा निदेशकों का चयन करने का स्पष्ट अधिदेश होगा।
- FSIB सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और वित्तीय संस्थानों में पूर्णकालिक निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिये सिफारिशें करने वाली एकल इकाई होगी।
- वित्तीय सेवा विभाग पहले राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 (संशोधित) में आवश्यक संशोधन करेगा।
- FSIB के अध्यक्ष: ACC ने FSIB के प्रारंभिक अध्यक्ष के रूप में दो साल के लिये भानु प्रताप शर्मा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह BBB के पूर्व अध्यक्ष भी हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB):

- यह एक ऐसा बैंक है जिसमें सरकार के शेयरों का एक बड़ा हिस्सा होता है।
- उदाहरण के लिये भारतीय स्टेट बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, इस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी लगभग 60% है।

वित्तीय संस्थान (FI):

- एक वित्तीय संस्थान वित्तीय और मौद्रिक लेन-देन से संबंधित कंपनी के लिये एक अंत्रेला टर्म है, जिसमें ऋण, जमा और/या निवेश शामिल हैं।

- अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFI) विनियमन और पर्यवेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।
- उदाहरण:
 - ◆ राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (NBFID)
 - ◆ भारतीय निर्यात-आयात बैंक (EXIM Bank)
 - ◆ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
 - ◆ नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB)
 - ◆ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 में फैसला सुनाया कि BBB राज्य द्वारा संचालित सामान्य बीमा कंपनियों के महाप्रबंधकों और निदेशकों का चयन नहीं कर सकता क्योंकि यह एक सक्षम निकाय नहीं था।
 - ◆ न्यू इंडिया एश्योरेंस, देश का सबसे बड़ा सामान्य बीमाकर्ता है, लगभग 100 दिनों से नियमित रूप से CMD के बिना काम कर रहा है।
 - ◆ कृषि बीमा कंपनी में CMD का पद भी खाली हो गया।

बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB):

- पृष्ठभूमि:
- देश के बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने के लिये वर्ष 2014 में पी.जे. नायक की सिफारिशों के आधार पर बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) का गठन किया गया था।
- गठन:
- सरकार ने वर्ष 2016 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks- PSBs) और वित्तीय संस्थाओं (Financial Institution- FI) के निदेशक मंडल (पूर्णकालिक निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष) की नियुक्ति हेतु सिफारिशें करने के लिये BBB के गठन को मंजूरी दी।
 - ◆ BBB एक एक स्वायत्त संस्तुतिकर्ता संस्था के रूप में कार्य करती है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित बैंक बोर्ड ब्यूरो एक सार्वजनिक प्राधिकरण था।
- वित्त मंत्रालय के पास प्रधानमंत्री कार्यालय के परामर्श से नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है।
- कार्य:
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये कर्मियों की सिफारिश करने के अलावा ब्यूरो को सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपनियों में निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु कर्मियों की सिफारिश करने का काम भी सौंपा गया था।
- इसे सभी PSB के निदेशक मंडल के साथ जुड़ने का काम भी सौंपा गया था ताकि उनके वृद्धि और विकास के लिये उपयुक्त रणनीति तैयार की जा सके।
- चुनौतियाँ:
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सामान्य बीमा कंपनियों के निदेशकों का चयन करने के लिये BBB की शक्ति को रद्द कर दिया था और सरकार ने BBB द्वारा चुने गए तत्कालीन सेवारत निदेशकों की सभी नियुक्तियों को रद्द करके पहले ही फैसले को लागू कर दिया था।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया।
- मंत्रालय ने नवंबर 2020 में FCRA नियमों को सख्त बना दिया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि गैर-सरकारी संगठन (NGO) जो सीधे किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं, लेकिन बंद, हड़ताल या सड़क अवरोधों जैसी राजनीतिक कार्रवाई में संलग्न हैं, को राजनीतिक प्रकृति का माना जाएगा यदि वे सक्रिय राजनीति या दलीय राजनीति में भाग लेते हैं। कानून के अनुसार, धन प्राप्त करने वाले सभी गैर-सरकारी संगठनों को FCRA के तहत पंजीकृत होना होगा।
- यह कदम तब उठाया गया है जब सरकार ने सोने के आयात पर आयात शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है ताकि सोने के आयात को हतोत्साहित किया जा सके जिससे व्यापार घाटे में वृद्धि होती है और मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है।
- सोने पर आयात शुल्क में वृद्धि से आयात की लागत में वृद्धि होगी और यह आयात और खपत को हतोत्साहित करेगा।

विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम:

- परिचय:
- FCRA को 1976 में आपातकाल के दौरान इस आशंका के माहौल में अधिनियमित किया गया था कि विदेशी शक्तियाँ स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से धन भेजकर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं।
 - ◆ इन चिंताओं को संसद में वर्ष 1969 में ही व्यक्त कर दिया गया था।
- कानून ने व्यक्तियों और संघों को विदेशी दान को विनियमित करने की मांग की ताकि वे "एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के अनुरूप" कार्य कर सकें।

- उद्देश्य:
- विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति या एनजीओ को अधिनियम के तहत पंजीकृत होने, विदेशी धन की प्राप्ति के लिये एक बैंक खाता खोलने और उन निधियों का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिये करने की आवश्यकता है जिसके लिये उन्हें प्राप्त किया गया है, जैसा कि अधिनियम में निर्धारित है।
- यह अधिनियम चुनावों के लिये उम्मीदवारों, पत्रकारों या समाचार पत्रों और मीडिया प्रसारण कंपनियों, न्यायाधीशों तथा सरकारी कर्मचारियों, विधायिका के सदस्यों एवं राजनीतिक दलों या उनके पदाधिकारियों व राजनीतिक प्रकृति के संगठनों द्वारा विदेशी धन प्राप्त करने पर रोक लगाता है।
- संशोधन:
- इसे वर्ष 2010 में विदेशी धन के उपयोग पर "कानून को मजबूत करने" और "राष्ट्रीय हित के लिये हानिकारक किसी भी गतिविधि" हेतु उनके उपयोग को "प्रतिबंधित" करने के लिये संशोधित किया गया था।
- वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2020 में कानून में पुनः संशोधन किया गया, जिससे सरकार को गैर- सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग पर सख्त नियंत्रण एवं जाँच करने की शक्ति प्राप्त हुई।

प्रमुख परिवर्तन:

- यह भारतीयों को FCRA के तहत विदेशों में अपने रिश्तेदारों से सालाना 10 लाख रुपए तक प्राप्त करने की अनुमति देता है।
- पहले यह सीमा 1 लाख रुपए थी।
- यदि राशि अधिक हो जाती है तो व्यक्तियों के पास अब 30 दिन पहले के बजाय सरकार को सूचित करने के लिये 90 दिन का समय होगा।
- इसने व्यक्तियों और संगठनों या गैर-सरकारी संगठनों को धन प्राप्त करने के लिये FCRA के तहत 'पंजीकरण' या 'पूर्व अनुमति' प्राप्त करने के लिये आवेदन हेतु 45 दिन का समय दिया है।
- पहले यह 30 दिन था।
- विदेशी फंड प्राप्त करने वाले संगठन प्रशासनिक उद्देश्यों के लिये इस तरह के फंड का 20% से अधिक उपयोग नहीं कर पाएंगे।
- वर्ष 2020 से पहले यह सीमा 50% थी।
- संगठनों या व्यक्तियों पर सीधे मुकदमा चलाने के बजाय FCRA के तहत पाँच और अपराधों को "समाधेय" बनाते हुए 12 कर दिया।
- इससे पहले FCRA के तहत केवल 7 अपराध "समाधेय" थे।

समाधेय अपराध:

- समाधेय अपराध वे अपराध हैं जहाँ शिकायतकर्ता। (जिसने मामला दर्ज किया है, यानी पीड़ित), समझौता करता है और आरोपी के खिलाफ आरोपों को हटाने के लिये सहमत होता है। हालाँकि समझौते में यह ध्यान रखना होता है कि समझौता प्रामाणिक या वास्तविक हो।
- FCRA उल्लंघन जो अब कंपाउंडेबल हो गए हैं, उनमें विदेशी धन की प्राप्ति के बारे में सूचित करने में विफलता, बैंक खाते खोलना, वेबसाइट पर जानकारी देने में विफलता आदि शामिल हैं।

प्रस्ताव का महत्त्व:

- प्रेषण बढ़ाएगा:
- यह धन के बहिर्वाह पर अंकुश लगाएगा और दूसरी ओर आवक प्रेषण को बढ़ाएगा।
- विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करना:
- इससे भारत में धन की आमद में वृद्धि होगी जो विदेशी मुद्रा भंडार और मुद्रा को भी स्थिर करेगा।
- इसी तरह सोने पर आयात शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 12.5% करने से सोने का आयात हतोत्साहित होगा क्योंकि इससे भारत में सोने की कीमत में वृद्धि होगी।
- व्यापार घाटा कम करना:
- सोने के आयात के कारण धन के प्रवाह में वृद्धि और धन के बहिर्वाह में कमी से व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी।
- ◆ अप्रैल और मई 2022 के महीने में व्यापार घाटा क्रमशः 20.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 24.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर रहा, जिससे दो महीनों में यह कुल मिलाकर 44.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- ◆ तुलनात्मक रूप से अप्रैल और मई 2021 में व्यापार घाटा 21.8 अरब डॉलर रहा।

उद्यम और सेवा केंद्रों का विकास विधेयक

चर्चा में क्यों ?

सरकार की योजना संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान उद्यम और सेवा केंद्रों के विकास (DESH) विधेयक को पेश करने की है।

DESH विधेयक:

- यह वर्ष 2005 के मौजूदा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) कानून में बदलाव करेगा, जिसका उद्देश्य SEZ में रुचि को पुनर्जीवित करना और अधिक समावेशी आर्थिक केंद्रों को विकसित करना है।

- SEZ को नया रूप दिया जाएगा और विकास केंद्रों के रूप में स्थापित किया जाएगा तथा ये उन कई कानूनों से मुक्त होंगे जो वर्तमान में उन्हें प्रतिबंधित करते हैं। ये हब घरेलू टैरिफ क्षेत्र एवं SEZ की दोहरी भूमिका निभाते हुए निर्यात-उन्मुख व घरेलू निवेश दोनों की सुविधा प्रदान करेंगे।
- सरकार घरेलू बाजार में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं पर समतुल्य लेवी (Equalisation Levy) लगा सकती है ताकि करों को बाहर की इकाइयों द्वारा प्रदान किये गए करों के बराबर लाया जा सके।

वर्तमान SEZ अधिनियम में परिवर्तन की आवश्यकता:

- WTO की विवाद समाधान समिति ने निर्णय दिया है कि SEZ योजना सहित भारत की निर्यात-संबंधित योजनाएँ, WTO के नियमों के साथ असंगत थीं क्योंकि वे सीधे कर लाभ को निर्यात से जोड़ती थीं।
- देशों को सीधे निर्यात सब्सिडी देने की अनुमति नहीं है क्योंकि यह बाजार की कीमतों को विकृत कर सकता है।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर की शुरुआत और कर छूट को हटाने के लिये एक सनसेट क्लॉज के बाद SEZ में गिरावट शुरू हो गई।
- SEZ इकाइयों को पहले पाँच वर्षों के लिये निर्यात आय पर 100% आयकर छूट प्रदान की जाती है, फिर अगले पाँच वर्षों के लिये 50% आयकर छूट, और उसके बाद पाँच वर्षों के लिये 50% निर्यात लाभ मिलता है।

DESH विधेयक का महत्त्व:

- विकास केंद्र:
- निर्यात को बढ़ावा देने के अलावा इसका व्यापक उद्देश्य 'विकास केंद्रों' के माध्यम से घरेलू विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।
- इन केंद्रों को SEZ शासन में अनिवार्य पाँच वर्षों में संचयी रूप से आयात से अधिक निर्यात और घरेलू क्षेत्र में अधिक आसानी से विक्रय की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- इसलिये हब विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप होंगे।
- स्वीकृति के लिये ऑनलाइन पोर्टल:
- DESH कानून हब की स्थापना और संचालन के लिये समयबद्ध अनुमोदन प्रदान करने हेतु एक ऑनलाइन सिंगल-विंडो पोर्टल प्रदान करता है।
- घरेलू बाजार को प्रोत्साहन:
- कंपनियाँ घरेलू बाजार में केवल अंतिम उत्पाद के बजाय आयातित इनपुट और कच्चे माल को भुगतान किये जाने वाले शुल्क के साथ बेच सकती हैं।

- ◆ मौजूदा SEZ व्यवस्था में जब कोई उत्पाद घरेलू बाजार में बेचा जाता है तो अंतिम उत्पाद पर शुल्क का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा SEZ के मामले में विदेशी मुद्रा में किसी अनिवार्य भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है।

- राज्यों की बड़ी भूमिका:
- हब के कामकाज की निगरानी के लिये राज्य बोर्ड स्थापित किये जाएंगे। उनके पास माल के आयात या खरीद को मंजूरी देने और विकास केंद्र में वस्तुओं या सेवाओं, गोदामों व व्यापार के विकास की निगरानी करने की शक्ति होगी।
- ◆ SEZ शासन में केंद्र के वाणिज्य विभाग द्वारा अधिकांश निर्णय लिये गए थे। अब राज्य भी भाग ले सकेंगे और यहाँ तक कि विकास केंद्रों हेतु सीधे अनुमोदन के लिये केंद्रीय बोर्ड को सिफारिशें भेज सकेंगे।

ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व बैंक ने 'द ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट 2021' जारी की है।

- ग्लोबल फाइंडेक्स ने कोविड-19 के दौरान 123 अर्थव्यवस्थाओं में 125,000 से अधिक वयस्कों का सर्वेक्षण किया ताकि इस बात को बेहतर ढंग से समझा जा सके कि लोग औपचारिक और अनौपचारिक वित्तीय सेवाओं एवं डिजिटल भुगतान का उपयोग कैसे करते हैं।

निष्कर्ष:

- खाता स्वामित्व:
- विश्व भर में खातों के स्वामित्व में 50% की वृद्धि हुई है इसके साथ ही 76 प्रतिशत वयस्क आबादी के पास खातों की उपलब्धता है।
- ◆ दर्जनों विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक रूप से खाता स्वामित्व में वृद्धि हुई है और अधिकांश नए खाते भारत एवं चीन में खोले गए हैं।
- औपचारिक बैंकिंग की पहुँच:
- औपचारिक बैंकिंग के बिना वैश्विक आबादी का बड़ा हिस्सा (क्रमशः 130 मिलियन और 230 मिलियन) भारत और चीन में रहता है।
- महिलाओं को अक्सर औपचारिक बैंकिंग सेवाओं से बाहर रखा जाता है क्योंकि उनके पास पहचान के आधिकारिक दस्तावेजों की कमी होती है, उनके पास मोबाइल फोन या अन्य प्रकार की तकनीक नहीं होती है और उनकी वित्तीय क्षमता कम होती है।
- ◆ विकासशील देशों में 74% खाते पुरुषों के थे, जबकि 68% खातों के साथ महिलाएँ छह अंक पीछे हैं।

- बैंक रहित (Unbanking):
- विश्व स्तर पर 24% वयस्क बैंक रहित हैं, जिसमें विभिन्न कारणों में से एक, पैसे की कमी है, साथ ही 31% बैंक रहित वयस्कों के लिये दूरी एक बाधा है।
 - ◆ जिन लोगों का किसी वित्तीय संस्थान या मोबाइल मनी सेवा प्रदाता में खाता नहीं है, उन्हें बैंक रहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- विश्व स्तर पर 64% बैंक रहित वयस्क प्राथमिक स्तर या उससे कम शिक्षित हैं।
- विश्व भर में 36% बैंक रहित वयस्कों का कहना है कि वित्तीय सेवाएँ बहुत महँगी हैं।
- कोविड-19 और डिजिटल भुगतान:
- कोविड-19 महामारी ने डिजिटल भुगतान के उपयोग में वृद्धि को उत्प्रेरित किया।
- वर्ष 2021 में विकासशील देशों में 18% वयस्कों ने उपयोगिता बिलों का भुगतान सीधे खाते से किया। इनमें से लगभग एक-तिहाई बिलों का पहली बार ऑनलाइन भुगतान किया गया।
- मोबाइल मनी:
- मोबाइल मनी उप-सहारा अफ्रीका में विशेष रूप से महिलाओं के लिये वित्तीय समावेशन में सहयोग कर रहा है।
- 11 अर्थव्यवस्थाएँ ऐसी हैं जहाँ वयस्कों के पास वित्तीय संस्थान खाते की तुलना में केवल मोबाइल मनी खाता ही है और ये सभी उप-सहारा अफ्रीका में स्थित हैं।
- वित्तीय प्रदाताओं की वित्तीय पहुँच के विस्तार में योगदान:
- सरकारी, निजी नियोक्ताओं और वित्तीय प्रदाताओं ने बाधाओं को कम करके और बुनियादी ढाँचे में सुधार करके बैंक रहित लोगों के बीच वित्तीय पहुँच एवं उपयोग का विस्तार करने में मदद की।
- कोविड-19 महामारी के बाद से वित्तीय समावेश अल्पकालिक राहत और स्थायी पुनर्प्राप्ति दोनों प्रयासों के लिये आधारशिला बन गया है।
- वित्तीय चिंताएँ:
- वित्त के संदर्भ में, विकासशील देशों के वयस्कों को उच्च आय वाले देशों के वयस्कों की तुलना में अधिक चिंतित होने की संभावना है।
- उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में चिकित्सा खर्चों के संबंध में सबसे अधिक चिंता देखी गई, जहाँ 64% वयस्क अधिक चिंतित हैं तथा पूर्वी एशिया एवं प्रशांत में सबसे कम 38% वयस्क अधिक चिंतित पे गए।

सिफारिशें:

- महामारी से बाहर निकलने के लिये जैसे-जैसे सरकारें डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की गति को तीव्र और पहुँच का विस्तार करना

चाहती हैं, नीतियों को महिलाओं, गरीबों और सीमित शैक्षिक योग्यता या वित्तीय साक्षरता वाले लोगों सहित सबसे कमजोर वर्गों के लिये सुरक्षा में कारक होना चाहिये।

- वित्तीय समावेशन पर समान प्रगति सुनिश्चित करने के लिये गतिशीलता में लैंगिक अंतर को दूर किया जाना चाहिये।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की निकासी

चर्चा में क्यों ?

विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से लगातार धन की निकासी कर रहे हैं। जून 2022 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने लगभग 50,203 हजार करोड़ रुपए के शेयर बेचे जो मार्च 2020 (जब देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी) से अब तक निकासी का सबसे उच्च स्तर है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक:

- परिचय:
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक वे होते हैं जो अपनी घरेलू सीमा के बाहर के बाजारों में निवेश करते हैं।
 - ◆ FPI के उदाहरणों में स्टॉक, बॉण्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स (ADR), और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स (GDR) शामिल हैं।
- FPI किसी देश के पूंजी खाते का हिस्सा होता है और इसे भुगतान संतुलन (BOP) पर दर्शाया जाता है
 - ◆ भुगतान संतुलन (Balance Of Payment-BoP) का अभिप्राय ऐसे सांख्यिकी विवरण से होता है, जो एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के निवासियों के विश्व के साथ हुए मौद्रिक लेन-देनों के लेखांकन को रिकॉर्ड करता है।
- वे आमतौर पर सक्रिय शेयरधारक नहीं होते हैं और उन कंपनियों पर कोई नियंत्रण नहीं रखते हैं जिनके शेयर उनके पास हैं।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने वर्ष 2014 के पूर्ववर्ती FPI विनियमों की जगह नया FPI विनियम, 2019 लागू किया।
- FPI को अक्सर "हॉट मनी" के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार के संकट की स्थिति में सबसे पहले भागने वाले संकेतों की प्रवृत्ति को दर्शाता है। एफपीआई अधिक तरल और अस्थिर होता है, इसलिये यह FDI की तुलना में अधिक जोखिम भरा है।
- FPI का महत्त्व:
- अंतर्राष्ट्रीय ऋण तक पहुँच:
 - ◆ निवेशक विदेशों में ऋण की बड़ी हुई राशि तक पहुँचने में सक्षम हो सकते हैं, जिससे निवेशक अधिक लाभ और अपने इक्विटी निवेश पर उच्च रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।

- यह घरेलू पूंजी बाजारों की तरलता को बढ़ाता है:
 - ◆ जैसे-जैसे बाजार में तरलता बढ़ती जाती है, बाजार अधिक गहन और व्यापक होते जाते हैं, फलस्वरूप अधिक व्यापक श्रेणी के निवेशों को वित्तपोषित किया जा सकता है।
 - ◆ नतीजतन निवेशक यह जानकर विश्वास के साथ निवेश कर सकते हैं कि यदि आवश्यकता हो तो वे अपने पोर्टफोलियो का शीघ्र प्रबंधन कर सकते हैं या अपनी वित्तीय प्रतिभूतियों को बेच सकते हैं।
- यह इक्विटी बाजारों के विकास को बढ़ावा देता है:
 - ◆ वित्तपोषण के लिये बढ़ी हुई प्रतिस्पर्द्धा बेहतर प्रदर्शन, संभावनाओं और कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार करती है।
 - ◆ जैसे-जैसे बाजार की तरलता और कार्यक्षमता विकसित होती है, इक्विटी की कीमतें निवेशकों के लिये उचित व प्रासंगिक बन जाती हैं, अंततः ये बाजार की दक्षता को बढ़ावा देती हैं।

भारत में FPI:

- एफपीआई भारतीय बाजार में सबसे बड़े गैर-प्रवर्तक शेयरधारक हैं और उनके निवेश निर्णयों का शेयर की कीमतों व बाजार की समग्र दिशा पर भारी असर पड़ता है।
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों में FPI (मूल्य के संदर्भ में) की होल्डिंग 31 मार्च, 2022 को 99 लाख करोड़ रुपए थी, जो अक्टूबर 2021 से निरंतर बिकवाली के कारण 31 दिसंबर, 2021 के 53.80 लाख करोड़ रुपए से 3.36% की कम थी।
- एफपीआई की निजी बैंकों, टेक कंपनियों और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी है।
- नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) से उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, अमेरिका में मई 2022 तक 57 लाख करोड़ रुपए के FPI निवेश का एक बड़ा हिस्सा है, इसके बाद मॉरीशस में 5.24 लाख करोड़ रुपए, सिंगापुर में 4.25 लाख करोड़ रुपए और लक्जमबर्ग में 3.58 लाख करोड़ रुपए है।

FPI को प्रोत्साहित करने वाले कारक:

- आर्थिक वृद्धि
- आर्थिक वृद्धि से लाभ की अपेक्षा FPI सहित निवेशकों को देश के बाजारों के प्रति आकर्षित करता है।
- नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (NSDL) के आँकड़ों के अनुसार, FPI से वर्ष 2002 में लगभग 3,682 करोड़ रुपए आए।
 - ◆ वर्ष 2010 में यह बढ़कर 79 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बावजूद उस अवधि में आर्थिक उत्पादन के समवर्ती विस्तार से संबंधित है, जिसमें देश में उस समय-सीमा में FPI की बिक्री देखी गई थी।

- जब भारत ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की तो आर्थिक विकास को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुई थीं, उस समय अकेले FPI ने (मार्च 2020 में) 1.18 लाख करोड़ रुपए निकाले।
- यूएस फेडरल रिजर्व:
- फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में परिवर्तन या अन्य फैसलों से न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण को भी आकार देती है और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीतियों पर प्रभाव भी डालती है।
- फेडरल रिजर्व और भारतीय बाजारों का सह:संबंध:
 - ◆ भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विकसित देशों जैसे-अमेरिका और कई (मुख्य रूप से पश्चिमी) यूरोपीय देशों की तुलना में उच्च मुद्रास्फीति तथा उच्च ब्याज दरें होती हैं।
 - ◆ अतः वित्तीय संस्थान, विशेष रूप से विदेशी संस्थागत निवेशक (Foreign Institutional Investors- FIIs), कम ब्याज दरों पर अमेरिका से पैसा उधार लेकर उस पैसे को अधिक ब्याज दर वाले देशों के सरकारी बॉण्ड में निवेश करते हैं।
 - ◆ जब यूएस फेडरल अपनी घरेलू ब्याज दरों को बढ़ाता है, तो दोनों देशों की ब्याज दरों के बीच का अंतर कम हो जाता है।
 - ◆ यह भारत को करेंसी कैरी ट्रेड (Currency Carry Trade) हेतु कम आकर्षक बनाता है जिसके परिणामस्वरूप कुछ धन के भारतीय बाजारों से बाहर निकलने और अमेरिका में वापस आने की उम्मीद की जा सकती है।

FPI भारतीय होल्डिंग्स क्यों बेच रहे हैं ?

- महामारी के बाद के प्रभाव:
- महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी असमान रही है।
- वर्ष 2021 में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने जीवन और आजीविका को तबाह कर दिया।
 - ◆ अर्थव्यवस्था तब फिर से लड़खड़ा गई जब वर्ष 2021 की शुरुआत में ही तीसरी लहर के रूप में ओमिक्रॉन संस्करण के प्रसार को देखा गया था।
- इसके साथ ही महामारी के थमने के बाद इसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की मांग में कमी की समस्या पैदा कर दी।
 - ◆ पेंट-अप डिमांड आमतौर पर कम खर्च की अवधि के बाद सेवा या उत्पाद की मांग में तेजी से वृद्धि का वर्णन करती है।
- रूस-यूक्रेन संघर्ष:
- इसके कारण इन दोनों देशों से सूरजमुखी और गेहूँ की आपूर्ति प्रभावित हुई, जिससे इन फसलों की वैश्विक कीमतों में वृद्धि देखी गई।

- ◆ जैसा कि सामान्य रूप से दुनिया भर में आपूर्ति में मजबूती देखी गई, कमोडिटी की कीमतों में भी वृद्धि हुई और समग्र मुद्रास्फीति में तेजी आई।
- ◆ भारत में मूल्य वृद्धि में तेज गति देखी गई जो पाँच महीनों के लिये रिजर्व बैंक के 6% के स्तर से ऊपर रही, यह अप्रैल में 8% थी, बाद के महीने में थोड़ा कम आक्रामक यानी 7.04% हो गई।
- S&P ग्लोबल इंडिया मैनुफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) जून में घटकर 9 पर आ गया, जो पिछले महीने में 54.6 के साथ नौ महीने में सबसे निचला स्तर था। विशेषज्ञ इसका श्रेय मुद्रास्फीति के दबाव को देते हैं, जिसने सर्वेक्षण आधारित निष्कर्षों के अनुसार, जून में व्यावसायिक विश्वास की भावना को 27 महीने के निचले स्तर पर पहुँचा दिया।
- यूएस फेडरल रिजर्व:
- हाल ही में यूएस फेडरल रिजर्व ने लगभग 30 वर्षों में सबसे आक्रामक ब्याज दर वृद्धि की घोषणा की, बढ़ती मुद्रास्फीति के खिलाफ अपने संघर्ष में उधार दर को 7.5% बढ़ा दिया।
- ◆ जब यू.एस. और अन्य बाजारों में ब्याज दरों के बीच का अंतर कम हो जाता है और अगर ऐसी घटना डॉलर के मजबूत होने के साथ होती है, तो निवेशकों की उचित रिटर्न प्राप्त करने की क्षमता प्रभावित होती है।
- यदि डॉलर रुपए के मुकाबले मजबूत होता है, तो निवेशक संपत्ति के परिसमापन के लिये एक निश्चित मात्रा में रुपए की तुलना में कम डॉलर चुकाने में सक्षम होता है।
- निवेशक भारत, ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका जैसे उभरते बाजारों जैसे 'जोखिम भरा' के रूप में देखी जाने वाली संपत्तियों से बाहर निकलते हैं।
- ◆ दरअसल डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन हो रहा है।
- ◆ जुलाई 2022 में रुपए ने ग्रीनबैक के मुकाबले अपने रिकॉर्ड निचले स्तर 33 को छू लिया।
- निर्यात और आयात पर:
- भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक है।
- डॉलर की तुलना में कमजोर रुपए के परिणामस्वरूप कच्चे तेल का आयात अधिक महंगा होता है जो पूरी अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागत-संचालित मुद्रास्फीतिकारी दबाव डाल सकता है जो कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।
- दूसरी ओर भारत का निर्यात विशेष रूप से आईटी और आईटी-सक्षम सेवाएँ रुपए के संबंध में मजबूत डॉलर के चलते कुछ हद तक लाभान्वित होंगे।
- ◆ हालाँकि निर्यात बाजार में मजबूत प्रति स्पर्धा के कारण निर्यातकों को समान लाभ नहीं मिल सकता है।
- भंडार:
- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले नौ महीनों में 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर गिरकर 10 जून 2022 तक 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जिसका मुख्य कारण डॉलर का अधिमूल्यन और FPI निकासी है।
- अन्य प्रभाव:
- विदेशी निवेशकों के बाहर निकलने से स्टॉक और इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेश में गिरावट आ सकती है।
- डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य कम होने से आयात बिल अधिक रहता है, जिससे मुद्रास्फीति और अधिक बढ़ जाती है।
- ◆ उच्च मुद्रास्फीति समग्र बाजार के लिये हानिकारक है। अगर रुपया मजबूत नहीं होता है, तो FPI का बहिर्वाह जारी रहेगा, जो एक और नकारात्मक प्रभाव है।
- ◆ यात्रियों तथा विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को बैंकों से डॉलर खरीदने के लिये अधिक रुपए खर्च करने होंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र को कृषि निर्यात हब के रूप में बढ़ावा देने की रणनीति

चर्चा में क्यों ?

- कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (APEDA) ने पूर्वोत्तर (NE) राज्यों में उगाए जाने वाले कृषि और बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये एक रणनीति तैयार की है।
- APEDA का लक्ष्य निर्यातकों के लिये सीधे उत्पादक समूहों तथा प्रोसेसरों से उत्पादों को प्राप्त करने के लिये असम में एक प्लेटफॉर्म का सृजन करना है।
 - यह प्लेटफॉर्म असम के उत्पादकों तथा प्रोसेसरों एवं देश के अन्य हिस्सों से निर्यातकों को जोड़ेगा जो असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में निर्यात पॉकेट के आधार को विस्तारित करेगा

कृषि निर्यात में NER का महत्त्व:

- पूर्वोत्तर क्षेत्र भौगोलिक रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह चीन तथा भूटान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ साझा करता है जो इसे पड़ोसी देशों एवं साथ में विदेशी गंतव्य स्थानों को कृषि ऊपज के निर्यात के लिये संभावित हब बनाता है।
- पिछले छह वर्षों में कृषि उत्पादों के निर्यात में 85.34% की वृद्धि देखी गई क्योंकि यह वर्ष 2016-17 में 2.52 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 17.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- निर्यात का प्रमुख गंतव्य बांग्लादेश, भूटान, मध्य-पूर्व, यूके और यूरोप रहा है।
- असम और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के अन्य राज्यों में अनुकूल जलवायु स्थिति है तथा लगभग सभी कृषि एवं बागवानी फसलों को उगाने के लिये मृदा मौजूद है।
- NER कई खराब होने वाली वस्तुओं, जैसे-केला, अनानास, संतरा और टमाटर के मामले में भारी बिक्री योग्य अधिशेष पैदा करता है। NER को कृषि निर्यात हब के रूप में बढ़ावा देने हेतु पहल:
- उत्तर-पूर्व क्षेत्र हेतु मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCD-NER): यह 12वीं योजना अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में कार्यान्वयन के लिये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (NMSA) के तहत एक उप-मिशन है।
- इस योजना का उद्देश्य उत्पादकों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ने के लिये मूल्य शृंखला मोड में प्रमाणित जैविक उत्पादन का विकास करना और आदानों, बीज, प्रमाणन से लेकर संग्रह, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन तथा ब्रांड निर्माण पहल हेतु सुविधाओं के निर्माण तक संपूर्ण मूल्य शृंखला के विकास का समर्थन करना है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम:
- APEDA ने असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट के साथ क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिये पूर्व-कटाई और कटाई के बाद के प्रबंधन एवं अन्य अनुसंधान गतिविधियों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- आभासी क्रेता-विक्रेता बैठक:
- कोविड -19 अवधि के दौरान APEDA ने अनानास, अदरक, नींबू, संतरा आदि की सोर्सिंग के संबंध में NER के निर्यातकों सहित विभिन्न देशों में स्थित भारत के दूतावासों के साथ वर्चुअल क्रेता-विक्रेता मीट के माध्यम से अपनी निर्यात योजनाओं को आगे बढ़ाना जारी रखा।


- ट्रेड फेयर:
- APEDA ने महामारी के दौरान आभासी व्यापार मेलों (Virtual Trade Fairs) का भी आयोजन किया और विदेशों में निर्यात की सुविधा प्रदान की।
- स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग:
- APEDA, कीवी वाईन, प्रसंस्कृत खाद्य, जोहा चावल पुलाव, काले चावल की खीर आदि का ताजा नमूना जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के उत्पादों की ब्रांडिंग तथा संवर्द्धन के लिये भी सहायता प्रदान करता है।
- क्षमता निर्माण:
- APEDA ने मूल्यवर्द्धन के लिये स्थानीय उत्पादों का उपयोग करने हेतु निर्माताओं, निर्यातकों और उद्यमियों हेतु कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किये।
- खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा प्रबंधन पर कार्यशाला:
- APEDA ने टिकाऊ खाद्य मूल्य शृंखला विकास के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात हेतु खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा प्रबंधन पर एक कार्यशाला की सुविधा प्रदान की।

RBI ने रुपए में व्यापार निपटान की अनुमति दी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तत्काल प्रभाव से रुपए (INR) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिये एक तंत्र स्थापित किया है।

- हालाँकि ऐसे लेन-देन के लिये डीलर के रूप में कार्य करने वाले अधिकृत बैंकों को इसका उपयोग कर इसे सुविधाजनक बनाने के लिये नियामक से पूर्वानुमति लेनी होगी।
- RBI द्वारा प्रस्तावित संशोधित फ्रेमवर्क के अनुसार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के तहत कवर किये गए क्रॉस-बॉर्डर निर्यात और आयात को भारतीय रुपए में डिनॉमिनेट और इनवाँइस किया जा सकता है। हालाँकि RBI ने निर्धारित किया है कि दोनों व्यापार भागीदार देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर बाजार के अनुसार निर्धारित की जाएगी



रुपया भुगतान तंत्र:

- भारत में अधिकृत डीलर बैंकों को रुपया वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दी गई है (एक खाता जो एक अधिकृत बैंक दूसरे बैंक की ओर से रखता है)।
- इस तंत्र के माध्यम से आयात करने वाले भारतीय आयातक भारतीय रुपए में भुगतान करेंगे जो विदेशी विक्रेता से माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिये चालान भागीदार देश के अधिकृत बैंक के विशेष वोस्ट्रो खाते में जमा किया जाएगा।
- तंत्र का उपयोग करने वाले भारतीय निर्यातकों को भागीदार देश के अधिकृत बैंक के नामित विशेष वोस्ट्रो खाते में जमा शेष राशि से भारतीय रुपए में निर्यात का भुगतान किया जाएगा।
- भारतीय निर्यातक उपर्युक्त रुपए भुगतान तंत्र के माध्यम से विदेशी आयातकों से भारतीय रुपए में निर्यात के लिये अग्रिम भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।
- निर्यात के लिये अग्रिम भुगतान की ऐसी किसी भी प्राप्ति की अनुमति देने से पहले भारतीय बैंकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन खातों में उपलब्ध धनराशि का उपयोग पहले से ही निष्पादित निर्यात आदेशों/पाइपलाइन में निर्यात भुगतान से उत्पन्न भुगतान दायित्वों के लिये किया जाता है।
- विशेष वोस्ट्रो अकाउंट में शेष राशि का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जा सकता है: परियोजनाओं और निवेशों के लिये भुगतान, निर्यात/आयात अग्रिम प्रवाह प्रबंधन, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश आदि।

मौजूदा तंत्र:

- यदि कोई कंपनी निर्यात या आयात करती है, तो लेन-देन (नेपाल और भूटान जैसे देशों को छोड़कर) हमेशा एक विदेशी मुद्रा में होता है।

- इसलिये आयात के मामले में भारतीय कंपनी को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है (मुख्य रूप से डॉलर में और इसमें पाउंड, यूरो, येन आदि मुद्राएँ भी शामिल हो सकती हैं)।
- निर्यात के मामले में भारतीय कंपनी को विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाता है और कंपनी उस विदेशी मुद्रा को रुपए में परिवर्तित कर देती है क्योंकि उसे ज्यादातर मामलों में अपनी जरूरतों के लिये रुपए की आवश्यकता होती है।

मौजूदा तंत्र के लाभ:

- विकास को बढ़ावा:
- यह वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा और भारतीय रुपए के प्रति वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करेगा।
- स्वीकृत देशों के साथ व्यापार:
- जब से रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, भुगतान की समस्या के कारण रूस के साथ व्यापार लगभग ठप है।
- ◆ RBI द्वारा शुरू किये गए व्यापार सुविधा तंत्र के परिणामस्वरूप रूस के साथ भुगतान संबंधी मुद्दे को हल करना आसान हो गया है।
- विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव:
- इस कदम से विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव का जोखिम भी कम होगा, विशेष रूप से यूरो-रुपया सममूल्यता को देखते हुए।
- रुपए की गिरावट पर नियंत्रण:
- इस तंत्र का उद्देश्य रुपए में लगातार गिरावट के दौरान व्यापार प्रवाह हेतु रुपए में निपटान को बढ़ावा देकर विदेशी मुद्रा की मांग को कम करना है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत की पहल:

- रुपया-रुबल समझौता:
- रुपया-रुबल व्यापार व्यवस्था डॉलर या यूरो के बजाय देय राशि का निपटान रुपए में करने के लिये वैकल्पिक भुगतान तंत्र है।
- ◆ रूस का स्टेट बैंक भारत में एक या एक से अधिक वाणिज्यिक बैंकों, जो कि विदेशी मुद्रा में व्यापार करने के लिये अधिकृत हैं, के साथ खातों का रखरखाव करेगा। इसके अलावा यदि बैंक आवश्यक समझता है तो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ स्टेट बैंक ऑफ रूस एक और खाता बनाए रखेगा।
- ◆ भारत और रूस के निवासियों द्वारा भुगतान को केवल उन्हीं निर्दिष्ट खातों में डेबिट/क्रेडिट किया जाएगा।
- मुक्त व्यापार समझौता (FTA):
- भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

- ◆ FTA दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात की बाधाओं को कम करने के लिये एक समझौता है।
- ◆ मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार किया जा सकता है, जिसमें उनके विनिमय को बाधित करने के लिये बहुत कम या कोई सरकारी शुल्क, कोटा, सब्सिडी या निषेध नहीं है।
- ◆ मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद (Economic Isolationism) के विपरीत है।
- हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा:
- भारत एक हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा (IPEF) स्थापित करने के लिये अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल में शामिल हो गया है, इस कदम से आर्थिक संबंधों को और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
- सेवाओं के निर्यात के लिये अमेरिका लगातार भारत का सबसे बड़ा बाजार रहा है, हाल ही में अमेरिका को सामान की बिक्री के मामले में भी इसने चीन को पीछे छोड़ दिया, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार बन गया।

भारतीय इतिहास

अल्लूरी सीताराम राजू

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री ने 4 जुलाई, 2022 को अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आंध्र प्रदेश में उनकी एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया।

- आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उचित मान्यता देने और देश भर के लोगों को उनके बारे में जागरूक करने के लिये प्रतिबद्ध है।



अल्लूरी सीताराम राजू :

- परिचय:
- वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल एक भारतीय क्रांतिकारी थे।
- उनका जन्म वर्तमान आंध्र प्रदेश में वर्ष 1897 (कुछ स्रोतों में वर्ष 1898) में हुआ था।
- वह 18 वर्ष की आयु में एक संन्यासी बन गए और उन्होंने अपनी तपस्या, ज्योतिष तथा चिकित्सा के ज्ञान एवं जंगली जानवरों को वश में करने की अपनी क्षमता के कारण पहाड़ी व आदिवासी लोगों के बीच एक रहस्यमय आभा प्राप्त की।

- स्वतंत्रता आंदोलन:
- बहुत कम उम्र में राजू ने गंजम, विशाखापत्तनम और गोदावरी में पहाड़ी लोगों के असंतोष को अंग्रेजों के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी गुरिल्ला प्रतिरोध में बदल दिया।
 - ◆ गुरिल्ला युद्ध अनियमित युद्ध का एक रूप है जिसमें लड़ाकों के छोटे समूह एक बड़ी और कम-गतिशील पारंपरिक सेना से लड़ने के लिये घात, तोड़फोड़, छापे, छोटे युद्ध, हिट-एंड-रन रणनीति एवं गतिशीलता सहित सैन्य रणनीति शामिल है।
- औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों की पारंपरिक पोडु (स्थानांतरित) खेती को खतरे में डाल दिया, क्योंकि सरकार ने वन भूमि को सुरक्षित करने की मांग की थी।
- वर्तमान आंध्र प्रदेश में जन्मे सीताराम राजू वर्ष 1882 के मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए। इस अधिनियम ने आदिवासियों (आदिवासी समुदायों) के उनके वन आवासों में मुक्त आवाजाही तथा उनके पारंपरिक रूप पोडु (स्थानांतरित खेती झूम कृषि) को प्रतिबंधित कर दिया।
- अंग्रेजों के प्रति बढ़ते असंतोष ने 1922 के रम्पा विद्रोह/मन्यम विद्रोह को जन्म दिया, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू ने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई।
 - ◆ रम्पा विद्रोह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ हुआ। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिये सहमत किया।
 - ◆ लेकिन साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत केवल बल के प्रयोग से ही आजाद हो सकता है अहिंसा से नहीं।
- स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उनके वीरतापूर्ण कारनामों के लिये उन्हें "मन्यम वीरुडु" (जंगल का नायक) उपनाम दिया गया था।
- वर्ष 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पुलिस हिरासत में ले लिया गया, एक पेड़ से बाँध कर सार्वजनिक रूप से गोली मार दी गई तथा सशस्त्र विद्रोह को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया।

भारतीय राजनीति

भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चुनाव आयोग ने अगस्त 2022 में होने वाले उप-राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की।

उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान:

- उपराष्ट्रपति:
- उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। वह पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिये कार्य करता है, लेकिन वह कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण नहीं कर लिया जाता है।
- उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद से त्यागपत्र दे सकता है जो इस्तीफा स्वीकृत होने के दिन से प्रभावी हो जाता है।
- उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद (राज्यसभा) के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जो उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होता है, साथ ही लोकसभा द्वारा सहमति आवश्यक होती है। इस प्रयोजन के लिये कम-से-कम 14 दिनों का नोटिस दिये जाने के बाद ही इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।
- उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद (राज्यसभा) का पदेन अध्यक्ष होता है और उसके पास कोई अन्य लाभ का पद नहीं होता है।
- योग्यता:
 - भारत का नागरिक होना चाहिये।
 - 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिये।
 - राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिये योग्य होना चाहिये।
 - केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिये।
- निर्वाचन मंडल:
 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
 - निर्वाचन मंडल :
 - ◆ राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य।

- ◆ राज्यसभा के मनोनीत सदस्य।
- ◆ लोकसभा के निर्वाचित सदस्य।

चुनाव प्रक्रिया क्या है ?

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार, कार्यालय की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिये चुनाव, निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है।
- राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 तथा राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है।
- चुनाव के लिये अधिसूचना निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के साठ दिन पूर्व या उसके बाद जारी की जाएगी।
- चूँकि निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसलिये प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य समान होगा अर्थात् 1 (एक)।
- चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) के रूप में नियुक्त करता है।
- तदनुसार महासचिव, लोकसभा को भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के वर्तमान चुनाव के लिये निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- आयोग ने निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिये संसद भवन (लोकसभा) में सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है।
- राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसार, चुनाव के लिये मतदान संसद भवन में होगा।

ओबीसी उप-वर्गीकरण आयोग का विस्तार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप-वर्गीकरण की जाँच करने और 31 जनवरी, 2023 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये 13वाँ विस्तार दिया है।

- आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रारंभिक समय-सीमा 12 सप्ताह थी (2 जनवरी, 2018 तक)।

प्रमुख बिंदु

- आयोग:
- 2 अक्टूबर, 2017 को राष्ट्रपति के अनुमोदन के उपरांत संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित इस आयोग को रोहिणी आयोग (Rohini Commission) भी कहा जाता है।
- इसे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण और उनके लिये आरक्षित लाभों के समान वितरण का काम सौंपा गया था।
 - ◆ वर्ष 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes-NCBC) ने सिफारिश की थी कि OBC को अत्यंत पिछड़े वर्गों, अधिक पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये।
 - ◆ NCBC के पास सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों व कल्याणकारी उपायों की जाँच करने का अधिकार है।
- आयोग के विचारार्थ विषय:
- केंद्रीय OBC सूची में विभिन्न जातियों के बीच आरक्षण लाभों के असमान वितरण की जाँच करना।
- अन्य पिछड़ा वर्गों के मध्य उप-वर्गीकरण के लिये वैज्ञानिक दृष्टिकोण में तंत्र, मानदंड तैयार करना।
- व्यापक डेटा कवरेज हेतु संबंधित जातियों/समुदायों/उप-जातियों/समानार्थक की पहचान करने का प्रयास करना।
- किसी भी प्रकार के दोहराव, अस्पष्टता, विसंगतियों और वर्तनी या प्रतिलेखन की त्रुटियों का अध्ययन एवं सुधार की सिफारिश करना।
- वर्तमान प्रगति:
- आयोग राज्य सरकारों, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों, सामुदायिक संघों आदि के प्रतिनिधियों के मध्य परस्पर समन्वय करता है। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों और केंद्रीय विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में भर्ती होने वाले OBC के जाति-आधारित आँकड़ों का संकलन करता है।
- वर्ष 2021 में आयोग ने ओबीसी को चार उपश्रेणियों संख्या 1, 2, 3 और 4 में विभाजित करने तथा 27% आरक्षण को क्रमशः 2, 6, 9 और 10% में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया।
- इसने सभी ओबीसी रिकॉर्ड के पूर्ण डिजिटलीकरण और ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने की एक मानकीकृत प्रणाली की भी सिफारिश की।

ओबीसी आरक्षण की स्थिति:

- वर्ष 1953 में स्थापित कालेलकर आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने वाला पहला आयोग था।
- मंडल आयोग की रिपोर्ट, 1980 में ओबीसी जनसंख्या 52% होने का अनुमान लगाया गया था और 1,257 समुदायों को पिछड़े के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- इसने ओबीसी को शामिल करने के लिये मौजूदा कोटा, जो केवल एससी/एसटी के लिये था, को 22.5% से बढ़ाकर 49.5% करने की सिफारिश की।
- केंद्र सरकार ने OBC [अनुच्छेद 16 (4)] के लिये यूनियन सिविल पदों और सेवाओं में 27% सीटें आरक्षित की हैं। कोटा बाद में केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों [अनुच्छेद 15 (4)] में लागू किया गया।
- वर्ष 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को OBC के बीच क्रीमी लेयर (उन्नत वर्ग) को बाहर करने का निर्देश दिया।
- 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जो पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय था।

मेघालय जनजातीय परिषद का विलय के साधन (IoA) पर पुर्नविचार

चर्चा में क्यों ?

मेघालय में आदिवासी परिषद ने सात दशक से भी अधिक समय पहले खासी डोमेन को भारतीय संघ का हिस्सा बनाने वाले विलय के साधन (Instrument of Accession-IoA) पर फिर से विचार करने के लिये पारंपरिक प्रमुखों की बैठक बुलाई है।

मेघालय जनजातीय परिषद का IoA पर पुर्नविचार:

- खासी पहाड़ी स्वायत्त जिला परिषद (Khasi Hills Autonomous District Council-KHADC) के नेताओं ने IoA और संलग्न समझौते पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके अनुसार समझौते के अनुच्छेदों को समझना जरूरी है, क्योंकि संविधान की छठी अनुसूची से कई प्रावधान गायब हैं।
- खासी राज्यों के संघ ने विशेष दर्जे की मांग की थी, जैसे नगालैंड ने अनुच्छेद 371 ए के तहत यह नगा प्रथागत कानूनों के अनुसार नागरिक और आपराधिक न्याय के प्रशासन के अधिकार के साथ नगाओं के सामाजिक-धार्मिक एवं प्रथागत अभ्यास की रक्षा करता है।

- अनुच्छेद 371A के तहत नगाओं को भूमि और संसाधनों का स्वामित्व एवं हस्तांतरण भी प्राप्त है।
- हाल ही में 'खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधेयक, 2021' पेश किये जाने से खासी लोगों की सामाजिक और प्रथागत प्रथाओं में हस्तक्षेप के कारण KHADC के कुछ नेताओं को इसने नाराज कर दिया है। बिल खासी समुदाय में भाई-बहनों के बीच पैतृक संपत्ति के "समान वितरण" का आह्वान करता है।
- KHADC ने कहा कि प्रावधानों को छठी अनुसूची में जोड़ा जा सकता है, जिसे "संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है"।

प्रमुख बिंदु

- KHADC संविधान की छठी अनुसूची के तहत एक निकाय है।
- इसमें कानून बनाने की शक्ति नहीं है।
- छठी अनुसूची का अनुच्छेद 12ए राज्य विधानमंडल को कानून पारित करने का अंतिम अधिकार देता है।
- संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिये आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है।
- यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 275 (1) के तहत प्रदान किया गया है।
- यह स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के माध्यम से उन क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता प्रदान करता है, जिन्हें अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है।

'विलय के साधन (Instrument of Accession)':

- परिचय:
- विलय का साधन एक कानूनी दस्तावेज़ था जिसे पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पेश किया गया था और 1947 में ब्रिटिश सर्वोच्चता के तहत रियासतों के प्रत्येक शासक को ब्रिटिश भारत के विभाजन द्वारा बनाए गए भारत या पाकिस्तान के नए उपनिवेशों में से एक में शामिल होने के लिये इस्तेमाल किया गया था।
- शासकों द्वारा निष्पादित विलय के उपकरण, तीन विषयों, अर्थात् रक्षा, विदेश मामलों और संचार पर भारत के डोमिनियन (या पाकिस्तान) में राज्यों के परिग्रहण के लिये प्रदान किये गए थे।
- IoA और मेघालय:
- 15 दिसंबर, 1947 से 19 मार्च, 1948 के बीच भारत डोमिनियन तथा खासी पहाड़ी राज्य के मध्य IoA पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- ◆ मेघालय को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें कई मातृवंशीय समुदायों का वर्चस्व है - खासी, गारो और जयंतिया।

- ◆ खासी पहाड़ियाँ 25 हिमाओं या राज्यों में फैली हुई हैं जिन्होंने खासी राज्यों के संघ का गठन किया।

- इन राज्यों के साथ सशर्त संधि पर भारत के गवर्नर जनरल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा 17 अगस्त, 1948 को हस्ताक्षर किये गए थे। छठी अनुसूची:
- अनुच्छेद 244 के तहत संविधान की छठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों के गठन की शक्ति प्रदान करती है, स्वायत्त जिला परिषद (ADC) जिनके पास एक राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता है।
- छठी अनुसूची में चार उत्तर-पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिये विशेष प्रावधान हैं।
- इन चार राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार है।
- संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं अथवा निर्दिष्ट संशोधनों व अपवादों के साथ ही लागू होते हैं।
- इस संबंध में निर्देशन की शक्ति या तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास होती है।
- प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से चार राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।
- निर्वाचित सदस्य पाँच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करते हैं (जब तक कि परिषद पहले भंग नहीं हो जाती) और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं।
- प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र की एक अलग क्षेत्रीय परिषद भी होती है।
- जिला और क्षेत्रीय परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों का प्रशासन करती हैं।
- वे भूमि, जंगल, नहर का पानी, झूम खेती, ग्राम प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति-रिवाजों आदि जैसे कुछ विशिष्ट मामलों पर कानून बना सकते हैं लेकिन ऐसे सभी कानूनों के लिये राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है।
- वे जनजातियों के बीच मुकदमों और मामलों की सुनवाई के लिये ग्राम परिषदों या अदालतों का गठन कर सकते हैं। वे उनकी अपील सुनते हैं। इन मुकदमों और मामलों पर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
- जिला परिषद, जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, घाटों, मत्स्य पालन, सड़कों आदि की स्थापना, निर्माण या प्रबंधन कर सकती है।
- उन्हें भू-राजस्व का आकलन और संग्रह करने तथा कुछ निर्दिष्ट कर लगाने का अधिकार है।

चुनाव चिह्न को लेकर विवाद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक राजनीतिक दल ने पार्टी के चुनाव चिह्न पर दावा करने के लिये भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) से संपर्क किया है।

चुनाव चिह्न:

- चुनाव चिह्न किसी राजनीतिक दल को आवंटित एक मानकीकृत प्रतीक है।
- इस चिह्न का उपयोग पार्टियों द्वारा अपने प्रचार अभियान के दौरान किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर इसे दर्शाया जाता है, जहाँ मतदाता संबंधित पार्टी के चिह्न के आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनता है।
- इसका प्रावधान मुख्यतः निरक्षर लोगों द्वारा मतदान की सुविधा के लिये पेश किया गया था, जो वोट डालते समय पार्टी का नाम पढ़ने में अक्षम होते हैं।
- 1960 के दशक में यह प्रस्तावित किया गया था कि चुनावी प्रतीकों का विनियमन, आरक्षण और आवंटन संसद के एक कानून यानी प्रतीक आदेश के माध्यम से किया जाना चाहिये।
- इस प्रस्ताव के जवाब में ECI ने कहा कि राजनीतिक दलों की मान्यता की निगरानी चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के प्रावधानों द्वारा की जाती है और इसी तरह से प्रतीकों का आवंटन होगा।

ऐसे विवादों में चुनाव आयोग की शक्तियाँ:

- चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिह्न आवंटित करने का अधिकार देता है।
- आदेश के पैरा 15 के तहत यह प्रतिद्वंद्वी समूहों या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के वर्गों के बीच विवादों को अपने नाम और प्रतीक पर दावा करने का फैसला कर सकता है।
- प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच प्रतिनियुक्ति पर प्रतीक आदेश कहता है कि चुनाव आयोग को मामले के सभी उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद निर्णय लेने का अधिकार है कि एक प्रतिद्वंद्वी वर्ग या समूह या ऐसा कोई भी प्रतिद्वंद्वी वर्ग या समूह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है।
- आयोग का निर्णय ऐसे सभी प्रतिद्वंद्वी वर्गों/समूहों पर बाध्यकारी होगा।
- यह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों के बीच विवादों पर लागू होता है।

- पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों में विभाजन के लिये चुनाव आयोग आमतौर पर युद्धरत गुटों को अपने मतभेदों को आंतरिक रूप से हल करने या अदालत जाने की सलाह देता है।

चुनाव आयोग द्वारा निर्धारण:

- ECI मुख्य रूप से एक राजनीतिक दल के भीतर अपने संगठनात्मक इकाई और उसके विधायी इकाई में दावेदार द्वारा प्राप्त समर्थन का पता लगाता है।
- संगठनात्मक संभाग के मामले में आयोग पार्टी के एकजुट होने की स्थिति में पार्टी के संविधान और इसके पदाधिकारियों की प्रस्तुत सूची की जाँच करता है।
- भारत निर्वाचन आयोग संगठन में शीर्ष समिति (समितियों) की पहचान करता है और पता लगाता है कि कितने पदाधिकारी, सदस्य या प्रतिनिधि प्रतिद्वंद्वी दावेदारों का समर्थन करते हैं।
- विधायी संभाग के मामले में पार्टी/दल प्रतिद्वंद्वी शिविरों में सांसदों (संसद सदस्य) और विधायकों (विधानसभा सदस्य) की संख्या का आकलन करती है। निर्वाचन आयोग इन सदस्यों द्वारा दायर किये गए हलफनामों पर विचार कर सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे किसका समर्थन करते हैं।
- ECI एक गुट के पक्ष में विवाद का फैसला कर सकता है कि यह मान्यता प्राप्त पार्टी के नाम और प्रतीक के हकदार होने के लिये अपने संगठनात्मक तथा विधायी विंग में पर्याप्त समर्थन प्राप्त करता है।
- यह दूसरे समूह को स्वयं को एक अलग राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति दे सकता है।

क्या होता है जब कोई निश्चितता नहीं होती है ?

- जब भी कोई राजनीतिक दल या तो उर्ध्वाधर रूप से विभाजित होता है निश्चित रूप से यह कहना संभव नहीं होता है कि किस समूह के पास बहुमत है, तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल के प्रतीक चिह्न को फ्रीज कर सकता है और समूहों को नए नामों के साथ स्वयं को पंजीकृत करने या पार्टी के मौजूदा नामों में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ने की अनुमति दे सकता है।
- क्या होता है जब भविष्य में प्रतिद्वंद्वी गुट फिर से एकजुट हो जाते हैं ?
- यदि वे फिर से एकजुट हो जाते हैं, तो दावेदार पुनः निर्वाचन आयोग से संपर्क कर सकते हैं और एक एकीकृत पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने की मांग कर सकते हैं।
- निर्वाचन आयोग के पास दलों के विलय को एक इकाई दल के रूप में मान्यता देने का भी अधिकार है। यह मूल पार्टी के प्रतीक और नाम को पुनर्स्थापित कर सकता है।

भारतीय विरासत और संस्कृति

प्राचीन बौद्ध स्थल का संरक्षण

चर्चा में क्यों ?

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में कानागनहल्ली (सन्नति स्थल का हिस्सा) के पास भीमा नदी के तट पर प्राचीन बौद्ध स्थल का संरक्षण करेगा।

- संरक्षण परियोजना के तहत खुदाई में प्राप्त महा स्तूप के अवशेषों को बिना किसी अलंकरण के उनकी मूल स्थिति में पुनर्स्थापित किया जाएगा और साथ ही समान आकार और बनावट की नव-निर्मित ईंटों का उपयोग करके अयाका प्लेटफॉर्मों (Ayaka Platforms) के गिरे हुए हिस्सों का पुनर्निर्माण करेगी।

उत्खनन के निष्कर्ष:

- अशोक के शिलालेख:
- अशोक के शिलालेखों के साथ-साथ पत्थरों और गुफाओं की दीवारों पर तीस से अधिक शिलालेखों का संग्रह है, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने इनका निर्माण करवाया था, जिन्होंने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था।
- महा स्तूप:
- एक महा स्तूप की खोज की गई थी जिसे शिलालेखों में अधोलोक महा चैत्य (नीदरलोक का महान स्तूप) के रूप में संदर्भित किया गया था और अधिक महत्वपूर्ण रूप से सम्राट अशोक का भित्तिचित्र उनकी रानियों और महिला परिचारकों से घिरा हुआ था।
- ◆ माना जाता है कि महा स्तूप को तीन निर्माण चरणों में विकसित किया गया था - मौर्य, प्रारंभिक सातवाहन और बाद में सातवाहन काल जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक फैला हुआ था।
- ◆ माना जाता है कि भूकंप में स्तूप नष्ट हो गया था।
- यह अपने समय के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है, भित्तिचित्र को मौर्य सम्राट की एकमात्र जीवित छवि माना जाता है, जिस पर ब्राह्मी में 'राय अशोक' शिलालेख था।

अन्य प्रमुख बिंदु:

- जातक कथाओं का मूर्तिकलात्मक प्रतिपादन।
- जातक बौद्ध कला और साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

- वे बुद्ध (प्रबुद्ध व्यक्ति) के पिछले अस्तित्व या जन्म का वर्णन करते हैं, जब वे मानव और गैर-मानव दोनों रूपों में बोधिसत्व (ऐसे प्राणी जो अभी तक ज्ञान या मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए हैं) के रूप में प्रकट हुए थे।
- सातवाहन राजशाही और अशोक द्वारा विभिन्न भागों में भेजे गए बौद्ध मिशनरियों के कुछ अद्वितीय चित्रण।
- विभिन्न धर्म चक्रों से सजाए गए 72 मृदंग पट्टी (Drum-Slabs)।
- यक्ष और सिंह की मूर्तियाँ।
- यक्ष (पुरुष प्रकृति की आत्माएँ) प्राकृतिक दुनिया की पहचान हैं।
- समय के साथ उन्हें बौद्ध और हिंदू देवताओं दोनों में सामान्य देवताओं के रूप में पूजा की जाती थी, जो अक्सर पृथ्वी के धन के संरक्षक के रूप में कार्य करते थे और वे धन से जुड़े हुए थे।
- विभिन्न पुरालेखीय विशेषताओं वाले ब्राह्मी शिलालेख:
- ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक है, जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया में अंतिम शताब्दी ईसा पूर्व एवं प्रारंभिक शताब्दी के दौरान किया गया था।

सातवाहन:

- मौर्यों के पतन के बाद दक्कन में सातवाहनों ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। उनका शासन लगभग 450 वर्षों तक चला।
- उन्हें आंध्र के नाम से भी जाना जाता था।
- पुराण और नासिक एवं नानागढ़ शिलालेख सातवाहनों के इतिहास के लिये महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था।
- सातवाहनों ने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया। सातवाहनों द्वारा अश्वमेध और राजसूय यज्ञों के प्रदर्शन के साथ ब्राह्मणवाद को पुनर्जीवित किया था।
- उन्होंने प्राकृत भाषा और साहित्य को भी संरक्षण दिया।

भूगोल

अमरनाथ फ्लैश फ्लड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य कश्मीर के गांदरबल इलाके में बालटाल आधार शिविर के पास फ्लैश फ्लड के कारण भूस्खलन हुआ।

- इस घटना में 13 तीर्थयात्री मारे गए हैं और दर्जनों लापता हैं। अमरनाथ के बारे में:
- अमरनाथ भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित एक हिंदू मंदिर है।
- यह गुफा 3,888 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है, श्रीनगर से लगभग 100 किमी दूर जो जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, यहाँ पहलगाम शहर के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।
- मंदिर हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
- अमरनाथ यात्रा इस बार तीन वर्ष बाद फिर से शुरू हुई।
- वार्षिक यात्रा में गुफा मंदिर तक पहुँचने के लिये दक्षिण में पहलगाम और मध्य कश्मीर में सोनमर्ग के दो मार्ग हैं।



अमरनाथ फ्लैश फ्लड:

- फ्लैश फ्लड:
- इसमें आमतौर पर बारिश के दौरान या उसके बाद जल स्तर में अचानक वृद्धि होती है।
- ये बहुत ऊँची चोटी के साथ छोटी अवधि की अत्यधिक स्थानीयकृत घटनाएँ हैं और आमतौर पर वर्षा और चरम बाढ़ की घटना के बीच छह घंटे से भी कम समय होता है।
- पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा डालने वाली जल निकासी लाइनों या अतिक्रमणों की उपस्थिति में बाढ़ की स्थिति और खराब हो जाती है।

- कारण:
- यह घटना भारी बारिश की वजह से तेज़ आँधी, तूफान, उष्णकटिबंधीय तूफान, बर्फ का पिघलना आदि के कारण हो सकती है।
- फ्लैश फ्लड की घटना बाँध टूटने और/या मलबा प्रवाह के कारण भी हो सकती है।
- ज्वालामुखियों पर या उसके आस-पास के क्षेत्रों में विस्फोट के बाद अचानक बाढ़ भी आई है, जब भीषण गर्मी से ग्लेशियर पिघल जाते हैं।
- वर्षा की तीव्रता, वर्षा का स्थान और वितरण, भूमि उपयोग तथा स्थलाकृति, वनस्पति के प्रकार एवं विकास/घनत्व, मृदा का प्रकार, मृदा, जल- सामग्री सभी यह निर्धारित करते हैं कि फ्लैश फ्लडिंग कितनी जल्दी हो सकती है और यह कहाँ प्रभावित करती है।

बादल फटना:

- परिचय:
- बादल फटना एक छोटे से क्षेत्र में छोटी अवधि की तीव्र वर्षा की घटना है।
- यह लगभग 20-30 वर्ग किमी. के भौगोलिक क्षेत्र में 100 मिमी./घंटा से अधिक अप्रत्याशित वर्षा के साथ एक मौसमी घटना है।
- भारतीय उपमहाद्वीप में आमतौर पर यह घटना तब घटित होती है जब मानसून उत्तर की ओर, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से मैदानी इलाकों में और फिर हिमालय की ओर बढ़ता है जो कभी-कभी प्रति घंटे 75 मिलीमीटर वर्षा करता है।
- घटना:
- सापेक्षिक आर्द्रता और मेघ आवरण, निम्न तापमान एवं धीमी हवाओं के साथ अधिकतम स्तर पर होता है, जिसके कारण बादल बहुत अधिक मात्रा में तीव्र गति से संघनित होते हैं और इसके परिणामस्वरूप बादल फट सकते हैं।
- जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, वातावरण अधिक-से-अधिक नमी धारण कर सकता है और यह नमी कम अवधि में बहुत तीव्र वर्षा (शायद आधे घंटे या एक घंटे के लिये) का कारण बनती है, जिसके परिणामस्वरूप पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आती है और शहरों में शहरी बाढ़ कि स्थिति देखी जाती हैं।

- बादल फटना और वर्षण:
- वर्षण बादल से गिरने वाला संघनित जल है, जबकि बादल फटना (Cloudburst) अचानक भारी वर्षण है।
- प्रति घंटे 100 मिमी से अधिक वर्षण को बादल फटने के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- बादल फटना प्राकृतिक घटना है, लेकिन यह काफी अप्रत्याशित रूप से अचानक और बाद के रूप में उत्पन्न होती है।
- बादल फटने का परिणाम:
 - फ्लैशफ्लड
 - भूस्खलन
 - कीचड़ प्रवाह (Mudflows)
 - भूमि गुहा (Land caving)
- अमरनाथ जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने की घटना:
 - पहाड़ी क्षेत्रों में कभी-कभी संतृप्त बादल संघनित हो जाते हैं लेकिन ऊपर की ओर वायु के बहुत गर्म प्रवाह के कारण बारिश नहीं कर पाते हैं।
 - वर्षा की बूंदों को नीचे की ओर गिरने की बजाय वायु प्रवाह द्वारा ऊपर की ओर ले जाया जाता है। जिससे नई बूंदें बनती हैं और मौजूदा वर्षा की बूंदों का आकार बढ़ जाता है।
 - एक बिंदु के बाद बारिश की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि बादल ऊपर टिके नहीं रह पाते और वे एक साथ त्वरित रूप से नीचे गिर जाते हैं।
 - वर्ष 2020 में प्रकाशित एक अध्ययन ने केदारनाथ क्षेत्र में बादल फटने के पीछे के मौसम संबंधी कारणों की जाँच की, जहाँ बादल फटने से वर्ष 2013 की विनाशकारी बाढ़ में आई।
 - इसमें पाया गया कि बादल फटने के दौरान कम तापमान और धीमी हवाओं के साथ सापेक्षिक आर्द्रता एवं बादलों का आवरण अधिकतम स्तर पर था।

भू-विज्ञान में नई अंतर्दृष्टि

चर्चा में क्यों ?

गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च (NCPOR) के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा हाल ही में किये गए एक अध्ययन ने पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गति में शामिल महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है।

नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च (NCPOR):


- NCPOR की स्थापना 25 मई, 1998 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (पूर्व में महासागर विकास विभाग) के एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में की गई थी।

- इसे अंटार्कटिक में भारत के स्थायी स्टेशन के रखरखाव सहित भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के समन्वय और कार्यान्वयन के लिये नोडल संगठन के रूप में नामित किया गया है।
- अंटार्कटिक में दो भारतीय स्टेशनों (मैत्री और भारती) का साल भर रखरखाव इस केंद्र की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
- ध्रुवीय अनुसंधान के सभी विषयों में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान करने के लिये मैत्री (1989) और भारती (2011) की स्थापना की गई थी।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:
 - पृथ्वी के आंतरिक भाग से सतह की ओर गर्म और निम्न-घनत्व वाले मैग्मा या प्लम के उछाल से व्यापक ज्वालामुखी और समुद्र तल के ऊपर समुद्री पर्वतों और ज्वालामुखी शृंखलाओं का निर्माण होता है।
 - ◆ हालाँकि कई बार मैग्मा का उत्प्लावक बल स्थलमंडल को भेदने के लिये पर्याप्त नहीं होता है।
 - ◆ ऐसे मामलों में प्लम सामग्री को उप-लिथोस्फेरिक गहराई पर डंप करते हैं। जब स्थलमंडल के ऊपर स्थित टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, तो वे अपने साथ जमा हुई सामग्री को खींचती हैं।
- एक मौलिक प्रश्न जो पृथ्वी की प्रक्रियाओं को समझने में अभी बाकी है, वह यह है कि प्लम के साथ प्रारंभिक प्रभाव के बाद एक टेक्टोनिक प्लेट प्लम सामग्री को उसके आधार पर कितनी दूर खींच सकती है।
- अध्ययन के बारे में:
- वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम (IODP) के तहत एक अभियान के दौरान हिंद महासागर में नाइंटी ईस्ट रिज के पास से एकत्र किये गए आग्नेय चट्टानों के नमूनों का अध्ययन किया।
 - ◆ नाइंटी ईस्ट रिज हिंद महासागर में लगभग 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के समानांतर स्थित एक एसिस्मिक रिज है। इसकी लंबाई लगभग 5,000 किमी. है और इसकी औसत चौड़ाई 200 किमी. है।
 - ◆ आग्नेय चट्टान, या मैग्मैटिक चट्टान, तीन मुख्य चट्टान प्रकारों में से एक है, अन्य अवसादी और कार्यांतरित हैं।
 - ◆ यह मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से बनता है।
- जाँच से पता चला कि कुछ बेसाल्टिक नमूने अत्यधिक क्षारीय थे और उनमें केर्ज्यूलेन हॉटस्पॉट (दक्षिणी हिंद महासागर में केर्ज्यूलेन पठार पर ज्वालामुखीय हॉटस्पॉट) के नमूनों के समान संयोजन था।

- ◆ इसके अलावा क्षारीय नमूनों की न्यूनतम आयु लगभग 58 मिलियन वर्ष थी, जो नाइंटी ईस्ट रिज के आसपास के समुद्री क्रस्ट (लगभग 82-78 मिलियन वर्ष पुराना) से बहुत कम थी।
- इस अध्ययन का दावा है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट जो समकालीन में बहुत तेज़ गति से उत्तर की ओर बढ़ रही थी, ने भारतीय स्थलमंडल के नीचे 2,000 किमी से अधिक गहराई से काफी मात्रा में केर्ज्यूलेन प्लम सामग्री को खींच लिया था।
- गहरे भ्रंसन के बाद पुनः सक्रियण से अंतर्निहित प्लम सामग्री पर कम दबाव ने इसे पिघलने से रोक दिया जिससे लगभग 58 मिलियन वर्ष पहले नाइंटी ईस्ट रिज के पास मैग्मैटिक सिल्लस और लावा प्रवाह के रूप में स्थापित हो सकता है।



पृथ्वी की आंतरिक संरचना:

- भू-पर्पटी/क्रस्ट:
- पृथ्वी की बाहरी सतह की परत को "क्रस्ट" कहा जाता है। महाद्वीपीय क्षेत्रों में क्रस्ट को दो परतों में विभाजित किया जा सकता है।
 - ◆ ऊपरी परत जिसकी विशेषता कम घनी और दानेदार होती है, उसे "सियाल" के रूप में जाना जाता है, जबकि निचली परत जो बेसाल्टिक होती है उसे "सिमा" के रूप में जाना जाता है।
- यह महाद्वीपों के नीचे 30 या 40 किलोमीटर तक और महासागरीय घाटियों के नीचे लगभग 10 किमी. तक फैली है।
- मेंटल:
- मेंटल पृथ्वी की पपड़ी के नीचे स्थित है और इसकी मोटाई लगभग 2900 किमी. है।
- इसे दो परतों में विभाजित किया गया है: (i) ऊपरी मेंटल और (ii) निचला मेंटल।
- इनके बीच की सीमा लगभग 700 किमी. गहराई पर है।
- ऊपरी मेंटल में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे "एस्थेनोस्फीयर" कहा जाता है। यह 50 से 100 किमी. की गहराई पर स्थित है।
- यह क्षेत्र ज्वालामुखी विस्फोट के लिये लावा प्रदान करता है।
- कोर:
- कोर (आंतरिक कोर और बाह्य कोर) पृथ्वी के आयतन का लगभग 16% लेकिन पृथ्वी के द्रव्यमान का 33% है।
- मेंटल की तरह कोर को भी दो परतों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात् बाह्य कोर और आंतरिक कोर।
- बाह्य कोर निकेल के साथ मिश्रित लोहे से बना है और हल्के तत्वों की मात्रा का पता लगाता है।
- बाह्य कोर में पर्याप्त दबाव नहीं है कि वह ठोस में परिवर्तित हो जाए, यही कारण है कि यह तरल अवस्था में है, भले ही इसकी संरचना आंतरिक कोर के समान हो।

चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पंजाब राज्य जल बचत विधि (चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण) में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा।

चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण (DSR):

- चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण (DSR) जिसे 'बीज बिखेरना तकनीक (Broadcasting Seed Technique)' के रूप में भी जाना जाता है, धान की बुवाई की एक जल बचत विधि है।
- इस विधि में बीजों को सीधे खेतों में बुवाई की जाती है। नर्सरी से जलभराव वाले खेतों में धान की रोपाई की पारंपरिक जल-गहन विधि के विपरीत यह विधि भूजल की बचत करती है।
- इस पद्धति में कोई नर्सरी तैयारी या प्रत्यारोपण शामिल नहीं है।
- किसानों को केवल अपनी जमीन को समतल करना होता है और बुवाई से पहले सिंचाई करनी होती है।

DSR के लाभ:

- कम श्रमिकों की आवश्यकता:
- DSR श्रम की कमी की समस्या को हल कर सकता है क्योंकि पारंपरिक पद्धति की तरह इसमें धान की नर्सरी की आवश्यकता नहीं होती है और 30 दिन पुरानी धान की नर्सरी का रोपण खेत में किया जा सकता है।
- भूजल के लिये मार्ग:
- यह भूजल पुनर्भरण के लिये मार्ग प्रदान करता है क्योंकि यह मृदा की परत के नीचे कठोर परत के विकास को रोकता है, जैसा कि पोखर प्रत्यारोपण विधि में होता है।

22वाँ राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने पूरे देश में सभी मछुआरों, मत्स्य किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिये 22वाँ राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस (10 जुलाई 2022) मनाया।

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड:

- यह वर्ष 2006 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था।
- अब यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत काम करता है।
- इसका उद्देश्य देश में मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना तथा एक एकीकृत एवं समग्र तरीके से मत्स्य विकास का समन्वय करना है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
- राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस वैज्ञानिक डॉ. के एच अलीकुन्ही और डॉ. एच एल चौधरी की याद में मनाया जाता है।
- इन दोनों ने 10 जुलाई, 1957 को भारतीय मेजर कार्प्स (मत्स्य की कई प्रजातियों के लिये सामान्य नाम) में हाइपोफिजेशन (प्रेरित प्रजनन तकनीक) का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया।
- उद्देश्य:
- देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास में मत्स्य किसानों, एक्वाप्रेन्योर (जल क्षेत्र में उद्यमी) और मछुआरों की उपलब्धियों व योगदान को मान्यता देना।
- स्थायी स्टॉक और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को सुनिश्चित करने के लिये देश के मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के तरीके को बदलने हेतु ध्यान आकर्षित करना।

मत्स्य क्षेत्र का महत्त्व:

- सूर्योदय क्षेत्र:
- मत्स्य पालन क्षेत्र देश के आर्थिक और समग्र विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। "सूर्योदय क्षेत्र" के रूप में संदर्भित मत्स्य पालन क्षेत्र समान एवं समावेशी विकास के माध्यम से अपार संभावनाएँ लाने हेतु तैयार है।
- मत्स्य पालन प्राथमिक उत्पादक क्षेत्रों में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है।
- दूसरा प्रमुख निर्माता:
- भारत दुनिया में जलीय कृषि के माध्यम से मत्स्य का दूसरा प्रमुख उत्पादक है।

- ◆ यह पोखर प्रतिरोपित फसल की तुलना में 7-10 दिन पहले पक जाती है, इसलिये धान की पराली के प्रबंधन के लिये अधिक समय मिल जाता है।

- उपज में वृद्धि:
- अनुसंधान परीक्षणों और किसानों के क्षेत्र सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, इस तकनीक से प्रति एकड़ एक से दो क्विंटल अधिक पैदावार हो रही है।

DSR से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ:

- चरम जलवायु:
- उच्च तापमान और कम वर्षा मुख्य रूप से इसके लिये जिम्मेदार हैं।
- कुछ दिनों पहले तापमान 47-48 डिग्री सेल्सियस के बीच था, जबकि इस अवधि के लिये आदर्श तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस है।
- DSR को लेकर किसानों में अनिश्चितता की स्थिति देखी गई क्योंकि हीटवेव के कारण उनकी गेहूँ की फसल पहले ही नष्ट हो चुकी थी।
- किसानों में अनिच्छा:
- अच्छी किस्म के खरपतवार (Weeds) उपलब्ध कराने में सरकार से समर्थन की कमी और DSR की बुवाई के मौसम के दौरान निर्बाध बिजली की आपूर्ति न होने के कारण इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग कर खेत की सिंचाई करना किसानों के लिये बहुत मुश्किल काम है।
- शासन के मुद्दे:
- जून के मध्य में शुरू होने वाले पोखर सीजन हेतु पंजाब सरकार की निर्बाध बिजली आपूर्ति DSR के लिये फायदेमंद नहीं है क्योंकि इसकी बुवाई का मौसम मई की शुरुआत से मध्य जून के बीच होता है और इसलिये यह पारंपरिक पद्धति के लिये फायदेमंद है।
- अन्य:
- इसमें बंद नहरें, सिंचाई हेतु नलकूपों के संचालन के लिये अनियमित बिजली की आपूर्ति, खरपतवार और चूहों के मुद्दे शामिल हैं।
- मई के दौरान पंजाब राज्य के कई हिस्सों में कम बारिश होने के कारण पानी की उपलब्धता भी एक चुनौती थी।

आगे की राह

- सरकार द्वारा उचित प्रतिक्रिया और शिकायत निवारण कार्यक्रम प्रदान करना समय की मांग है।
- सरकार द्वारा वितरित खरपतवारनाशी की खराब गुणवत्ता के कारण DSR में फसल की कटाई को बढ़ाने के लिये खरपतवार प्रबंधन की आवश्यकता है।
- DSR पद्धति को बढ़ावा देने के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और नवीन समाधानों पर काम करना, क्योंकि इसमें पारंपरिक पद्धति की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, जो इस क्षेत्र में पानी के दबाव से निपटने में भी मदद कर सकता है।


नेचुरल फार्मिंग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक नेचुरल फार्मिंग सम्मेलन को संबोधित किया जहाँ उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने का आग्रह किया।

नेचुरल फार्मिंग:

- इसे "रसायन मुक्त कृषि (Chemical-Free Farming) और पशुधन आधारित (livestock based)" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- कृषि-पारिस्थितिकी के मानकों पर आधारित यह एक विविध कृषि प्रणाली है जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है, जिससे कार्यात्मक जैवविविधता के इष्टतम उपयोग की अनुमति मिलती है।
- यह मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ाने तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने या न्यून करने जैसे कई अन्य लाभ प्रदान करते हुए किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है।
- कृषि के इस दृष्टिकोण को एक जापानी किसान और दार्शनिक मासानोबू फुकुओका (Masanobu Fukuoka) ने 1975 में अपनी पुस्तक द वन-स्ट्रॉ रेवोल्यूशन में पेश किया था।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती को पुनर्जीवी कृषि का एक रूप माना जाता है, जो ग्रह को बचाने के लिये एक प्रमुख रणनीति है।
- भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत प्राकृतिक खेती को भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम (BPKP) के रूप में बढ़ावा दिया जाता है।
- BPKP योजना का उद्देश्य बाहर से खरीदे जाने वाले आदानों के आयात को कम कर पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना है।



- भारत दुनिया में मत्स्य का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है क्योंकि यह वैश्विक मत्स्य उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है।
- रोजगार सृजन:
- वर्तमान में यह क्षेत्र देश के भीतर 2.8 करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है। फिर भी यह अप्रयुक्त क्षमता वाला क्षेत्र है।
 - ◆ भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2019-20 का अनुमान है कि अब तक देश की अंतर्देशीय क्षमता का केवल 58% का ही दोहन किया गया है।
- मछुआरों और मत्स्य किसानों हेतु अवसर:
- मात्स्यिकी क्षेत्र की अपार क्षमता, मापनीय (Scalable) व्यापार समाधान और मछुआरों एवं मत्स्य किसानों हेतु लाभ को अधिकतम करने के लिये विभिन्न अवसर प्रदान करती है।
 - ◆ मात्स्यिकी क्षेत्र की वास्तविक क्षमता प्राप्त करने हेतु मात्स्यिकी मूल्य शृंखला के निर्माण, उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाने के लिये उचित तकनीक विकसित करने की आवश्यकता है।

संबंधित पहल:

- नीली क्रांति:
- केंद्र प्रायोजित योजना "नीली क्रांति" मत्स्य पालन के एकीकृत विकास और प्रबंधन हेतु वर्ष 2016 में शुरू कि गई थी।
- मत्स्य संपदा योजना:
- यह 15 लाख मछुआरों, मत्स्य पालकों आदि को प्रत्यक्ष रोजगार देने का प्रयास करती है जो अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों के रूप में इस संख्या का लगभग तीन गुना है।
- इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक मछुआरों, मत्स्य पालकों और मत्स्य श्रमिकों की आय को दोगुना करना है।
- मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF):
- FIDF से मत्स्य पालन से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की स्थापना एवं प्रबंधन से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA):
- MPEDA राज्य के स्वामित्व वाली एक नोडल एजेंसी है जो मत्स्य उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों से जुड़ी है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1972 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम (MPEDA), 1972 के तहत की गई थी।
- समुद्री शैवाल पार्क:
- तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क एक हब और स्पोक मॉडल पर विकसित गुणवत्ता वाले समुद्री शैवाल आधारित उत्पादों के उत्पादन का केंद्र होगा।
- फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज:
- यह चुनौती देश के भीतर स्टार्टअप्स को मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के भीतर अपने अभिनव समाधानों को प्रदर्शित करने के लिये एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

नेचुरल फार्मिंग का महत्त्व:

- उत्पादन की न्यूनतम लागत:
- इसे रोजगार बढ़ाने और ग्रामीण विकास के साथ एक लागत-प्रभावी कृषि पद्धति/प्रथा माना जाता है।
- बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना:
- चूँकि प्राकृतिक खेती में किसी भी सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिये स्वास्थ्य जोखिम और खतरे का भय नहीं रहता। साथ ही भोजन में उच्च पोषक तत्व होने से यह बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है।
- रोजगार सृजन:
- प्राकृतिक खेती आगत उद्यमों, मूल्यवर्द्धन, स्थानीय क्षेत्रों में विपणन आदि के कारण रोजगार सृजन करती है। प्राकृतिक खेती में अधिशेष का गाँव में ही निवेश किया जाता है।
- चूँकि इसमें रोजगार सृजन की क्षमता है, जिससे ग्रामीण युवाओं का पलायन रुकेगा।
- पर्यावरण संरक्षण:
- यह बेहतर मृदा जीव विज्ञान, बेहतर कृषि जैव विविधता और बहुत छोटे कार्बन एवं नाइट्रोजन पदचिह्नों के साथ जल का अधिक न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करती है।
- पशुधन संधारणीयता:
- कृषि प्रणाली में पशुधन का एकीकरण प्राकृतिक खेती में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने में मदद करता है। जीवामृत और बीजामृत जैसे पर्यावरण के अनुकूल जैव आदान गाय के गोबर एवं मूत्र तथा अन्य प्राकृतिक उत्पादों से तैयार किये जाते हैं।
- लचीलापन (Resilience):
- यह बेहतर मृदा जीव विज्ञान, बेहतर कृषि जैव विविधता और बहुत छोटे कार्बन एवं नाइट्रोजन पदचिह्नों के साथ जल का अधिक न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करती है।
- NF मौसम की चरम सीमाओं के खिलाफ फसलों को लचीलापन प्रदान करके किसानों पर इसका सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करता है।

प्राकृतिक खेती से संबंधित चुनौतियाँ:

- पैदावार में गिरावट:
- सिक्किम (भारत का पहला जैविक राज्य) में जैविक खेती में परिवर्तन के बाद पैदावार में कुछ गिरावट देखी गई है।
- कुछ वर्षों के बाद भी शून्य-बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) के उत्पादन में गिरावट के चलते कई किसान पारंपरिक खेती में लौट आए हैं।

- उत्पादकता और आय बढ़ाने में असमर्थ:
- ZBNF ने निश्चित रूप से मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में मदद की है, जबकि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने में इसकी भूमिका अभी तक निर्णायक नहीं है।
- प्राकृतिक आदानों की उपलब्धता का अभाव:
- किसान अक्सर आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक आदानों की कमी का हवाला देते हैं जो रसायन मुक्त कृषि में संक्रमण के लिये एक बाधा के रूप में हैं। प्रत्येक किसान के पास अपना आदान बढ़ाने हेतु समय, धैर्य या श्रम नहीं होता है।
- पोषक तत्वों की कमी:
- नेचर सस्टेनेबिलिटी के एक अध्ययन में कहा गया है कि प्राकृतिक आदानों का पोषक मूल्य कम आदान वाले खेतों (कम मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करने वाले खेतों) में उपयोग किये जाने वाले रसायनिक उर्वरकों के मूल्य के समान है, लेकिन उच्च आदान वाले खेतों में यह कम है।
- जब इस तरह से पोषक तत्वों की कमी बड़े पैमाने पर होती है, तो यह वर्षों में उपज में बाधा उत्पन्न कर सकता है, संभावित रूप से खाद्य सुरक्षा चिंताओं का कारण बन सकता है।

संबंधित पहल:

- बारानी क्षेत्र विकास (RAD)
- कृषि वानिकी पर उप-मिशन (SMAF)
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (NMSA)
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
- ग्रीन इंडिया मिशन

आगे की राह

- गंगा बेसिन से परे वर्षा सिंचित क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- वर्षा सिंचित क्षेत्र, सिंचाई के प्रचलित क्षेत्रों की तुलना में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का केवल एक-तिहाई उपयोग करते हैं।
- रसायन मुक्त कृषि के लिये आदानों का उत्पादन करने वाले सूक्ष्म उद्यमों को आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक आदानों की अनुपलब्धता की चुनौती को दूर करने के हेतु सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाएगी, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये इन्हें ग्राम-स्तरीय इनपुट और बिक्री की दुकानों की स्थापना के साथ जोड़ा जाना चाहिये।
- सरकार को एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करनी चाहिये जिसमें किसान संक्रमण काल के समय एक-दूसरे से सीखें और एक-दूसरे का समर्थन करें।
- कृषि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम विकसित करने के अलावा कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं को स्थायी कृषि प्रथाओं पर कौशल बढ़ाने की आवश्यकता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

हैड्रॉन कोलाइडर रन 3

चर्चा में क्यों ?

यूरोपियन ऑर्गनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च (CERN) ने गॉड पार्टिकल कहे जाने वाले हिग्स बोसॉन की खोज के 10 साल बाद जुलाई 2022 में एक बार फिर से लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को चालू किया है।

लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर

- परिचय:
- लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक विशाल, जटिल मशीन है जिसे उन कणों का अध्ययन करने के लिये बनाया गया है जो सभी चीजों के सबसे छोटे ज्ञात मूलभूत अंग हैं।
- अपनी परिचालन अवस्था में यह सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की एक रिंग के अंदर विपरीत दिशाओं में प्रकाश की गति से लगभग दो प्रोटॉनों को फायर करता है।
- सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स द्वारा बनाया गया चुंबकीय क्षेत्र प्रोटॉन को एक तंग बीम में रखता है और उन्हें रास्ते में मार्गदर्शन करता है ये बीम पाइप के माध्यम से यात्रा करते हैं और अंत में टकराते हैं।
- चूंकि LHC के शक्तिशाली विद्युत चुंबकों में अत्याधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिये इसे ठंडा रखा जाना आवश्यक है।
 - ◆ LHC में महत्वपूर्ण घटकों को 0 से 271.3 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अल्ट्राकोल्ड रखने के लिये तरल हीलियम की वितरण प्रणाली का उपयोग होता है, जो इंटरस्टेलर स्पेस की तुलना में ठंडा है।
- नवीनतम अपग्रेड:
- यह LHC's का तीसरा रन है, यह 13 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट (इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को विद्युत विभवांतर के 1 वोल्ट के माध्यम से त्वरित करके दी जाती है) के अभूतपूर्व ऊर्जा स्तरों पर चार साल के लिये चौबीसों घंटे काम करेगा।
- ATLAS और CMS प्रयोगों के लिये वैज्ञानिक प्रति सेकंड 1.6 बिलियन प्रोटॉन-प्रोटॉन टकराव का लक्ष्य बना रहे हैं।
 - ◆ ATLAS: LHC पर सबसे बड़ा सामान्य प्रयोजन कण डिटेक्टर प्रयोग।

◆ CMS: इतिहास में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोगों में से एक है, जिसमें एटलस के समान लक्ष्य हैं, लेकिन जो एक अलग चुंबक-प्रणाली डिजाइन का उपयोग करता है।

- महत्त्व:
- भौतिक विज्ञानी छोटे पैमाने पर ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने हेतु और डार्क मैटर की प्रकृति जैसे रहस्यों को सुलझाने के लिये टकरावों का उपयोग करना चाहते हैं।
- LHC का उद्देश्य भौतिकविदों को कण भौतिकी के विभिन्न सिद्धांतों की भविष्यवाणियों का परीक्षण करने की अनुमति देना है ,
 - ◆ कण त्वरक में पाई जाने वाली तकनीक का उपयोग पहले से ही कुछ प्रकार की कैंसर सर्जरी आदि के लिये किया जाता है।

LHC के पिछले चरणों का प्रदर्शन:

- पहला चरण:
- एक दशक पहले सर्न ने LHC के पहले चरण के दौरान दुनिया को हिग्स बोसॉन या 'गॉड पार्टिकल' की खोज की घोषणा की थी।
 - ◆ इस खोज ने 'बल-वाहक' उप-परमाणु कण के लिए दशकों से चली आ रही खोज के निष्कर्षों को गलत साबित कर दिया था और हिग्स तंत्र के अस्तित्व को साबित कर दिया था।
 - ◆ इसके कारण पीटर हिग्स और उनके सहयोगी फ्रांस्वा एंगलर्ट को 2013 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
 - ◆ माना जाता है कि हिग्स बोसोन और उससे संबंधित ऊर्जा क्षेत्र ने ब्रह्मांड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- दूसरा चरण:
- यह वर्ष 2015 में शुरू हुआ और वर्ष 2018 तक चला। डेटा प्राप्ति के दूसरे चरण ने पहले चरण की तुलना में पाँच गुना अधिक डेटा प्रदान किया।

गॉड पार्टिकल:

- वर्ष 2012 में हिग्स बोसोन (जिसे 'गॉड पार्टिकल' के रूप में भी जाना जाता है) की नोबेल विजेता खोज ने भौतिकी के मानक मॉडल को मान्य किया, जो यह भी भविष्यवाणी करता है कि लगभग 60% हिग्स बोसोन पेयर बॉटम क्वार्क में क्षय हो जाएगा।

- वर्ष 1960 के दशक में पीटर हिग्स यह सुझाव देने वाले पहले व्यक्ति थे कि यह कण मौजूद हो सकता है।
- हिग्स क्षेत्र को वर्ष 1964 में नए प्रकार के क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया था जो पूरे ब्रह्मांड को भरता है और सभी प्राथमिक कणों को द्रव्यमान प्रदान करता है। इसकी खोज हिग्स क्षेत्र के अस्तित्व की पुष्टि करती है।
- भौतिकी का मानक मॉडल:
- कण भौतिकी का मानक मॉडल वह सिद्धांत है जो ब्रह्मांड में चार ज्ञात मौलिक बलों (विद्युत चुंबकीय, कमजोर और मजबूत अंतःक्रिया तथा गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति) में से तीन का वर्णन करता है, साथ ही सभी ज्ञात प्राथमिक कणों को वर्गीकृत करता है।
 - ◆ यह जानकारी देता है कि कैसे क्वार्क नामक कण (जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं) तथा लेप्टॉन (जिसमें इलेक्ट्रॉन शामिल हैं) सभी ज्ञात पदार्थ का निर्माण करते हैं।
 - ◆ साथ ही यह भी जानकारी देता है कि कैसे बल कण को प्रभावित करता है, जो बोसॉन के एक व्यापक समूह से संबंधित हैं और क्वार्क तथा लेप्टॉन को प्रभावित करते हैं।
- वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं जानते हैं कि मानक मॉडल के साथ गुरुत्वाकर्षण को कैसे जोड़ा जाए।
- हिग्स कण बोसॉन है।
- बोसॉन को ऐसे कण माना जाता है जो सभी भौतिक बलों के लिये जिम्मेदार होते हैं।
 - ◆ अन्य ज्ञात बोसॉन फोटॉन, डब्ल्यू और जेड बोसॉन तथा ग्लूऑन हैं।

भारत और CERN

- भारत 2016 में यूरोपियन ऑर्गनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च (CERN) का सहयोगी सदस्य बना।
- CERN के साथ भारत का जुड़ाव लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के साथ दशकों पुराना है, हार्डवेयर एक्सप्लेरेटर घटकों / प्रणालियों के डिजाइन, विकास व आपूर्ति एवं मशीन में इसकी कमीशनिंग और सॉफ्टवेयर विकास तथा तैनाती के क्षेत्रों में।
- भारत को वर्ष 2004 में CERN में 'पर्यवेक्षक' के रूप में शामिल किया गया था। सहयोगी सदस्य के रूप में इसका उन्नयन भारतीय कंपनियों को आकर्षक इंजीनियरिंग अनुबंधों के लिये बोली लगाने की अनुमति देता है और भारतीय संगठन में स्टाफ पदों के लिये आवेदन कर सकते हैं।

- सहयोगी सदस्यता पर भारत का सालाना लगभग 78 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, हालाँकि अभी भी परिषद के निर्णयों पर मतदान का अधिकार नहीं होगा।
- भारतीय वैज्ञानिकों ने ए लार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट (ALICE) और कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनॉइड (CMS) प्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके कारण हिग्स बोसोन की खोज हुई।

मेटावर्स स्टैंडर्ड्स फोरम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मेटावर्स स्टैंडर्ड्स फोरम की स्थापना के लिये कई बड़ी कंपनियाँ एक साथ आईं, जो मेटावर्स के विकास को गति प्रदान करने के लिये अंतरसंचालनीयता मानकों के विकास का नेतृत्व कर रही हैं।

मेटावर्स:

- मेटावर्स कोई नया विचार नहीं है; 'साइंस फिक्शन' लेखक नील स्टीफेंसन ने वर्ष 1992 में इस शब्द को गढ़ा था और यह अवधारणा वीडियो गेम कंपनियों के बीच आम है।
- मेटावर्स सामाजिक संपर्क पर केंद्रित इंटरनेट का अगला संस्करण है।
- इसे एक 'सिम्युलेटेड' डिजिटल वातावरण (Simulated Digital Environment) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो वास्तविक दुनिया की नकल करते हुए समृद्ध उपयोगकर्ता संपर्क वाले स्थान के सृजन के लिये सोशल मीडिया से प्राप्त सूचनाओं के साथ-साथ संवर्द्धित वास्तविकता (AR), आभासी वास्तविकता (VR) और ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करता है।
- इसे लगातार विकसित होते पहलुओं वाली एक 3D आभासी दुनिया के रूप में समझा जा सकता है, जिसे इसके निवासियों द्वारा सामूहिक रूप से साझा किया जाता है; यह रियल-टाइम घटनाओं और ऑनलाइन अवसंरचना से युक्त एक आभासी दुनिया है।
- सिद्धांत: यह वास्तविक दुनिया में होने वाली हर घटना को समाहित करता है और वास्तविक समय की घटनाओं और अद्यतित जानकारी को आगे ले जाता है। मेटावर्स में उपयोगकर्ता एक सीमा रहित आभासी दुनिया में मौजूद रहता है।

मेटावर्स स्टैंडर्ड्स फोरम:

- परिचय:
- मेटावर्स की अवधारणा अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है लेकिन आभासी और संवर्द्धित वास्तविकताओं में रुचि विभिन्न मेटावर्स परियोजनाओं के विकास को तेजी से ट्रैक करती है।

- मेटावर्स के क्षेत्र में बढ़ती संभावना के आलोक में मेटावर्स स्टैंडर्ड्स फोरम की स्थापना "मेटावर्स हेतु खुले मानकों के विकास को बढ़ावा देने के लिये" की गई थी।
 - ◆ "खुले मानक" आम जनता के लिये उपलब्ध कराए गए मानक हैं तथा इन्हें सहयोगी और सर्वसम्मति संचालित प्रक्रिया के माध्यम से विकसित (या अनुमोदित) और बनाए रखा जाता है। "खुले मानक" विभिन्न उत्पादों या सेवाओं के बीच अंतरसंचालनीयता एवं डेटा विनिमय की सुविधा प्रदान करते हैं तथा व्यापक रूप से अपनाने हेतु उपलब्ध हैं।
- जैसे HTML के द्वारा इंटरनेट अंतरसंचालनीय है, मेटावर्स को भी आभासी दुनिया के बीच स्वतंत्र रूप से नेविगेट करने हेतु उपयोगकर्ताओं के लिये एक समान इंटरफेस की आवश्यकता होती है।
- उद्देश्य:
- इसका उद्देश्य मेटावर्स के संचालन के लिये आवश्यक अंतःक्रियाशीलता का विश्लेषण करना है।
 - ◆ पारस्परिकता, ओपन मेटावर्स के विकास और उसे अपनाने के लिये प्रेरक शक्ति है।
- यह मेटावर्स मानकों के परीक्षण तथा अपनाने में तेजी लाने के लिये व्यावहारिक, क्रिया-आधारित परियोजनाओं जैसे- कार्यान्वयन प्रोटोटाइप, हैकथॉन, प्लगफेस्ट और ओपन-सोर्स टूलिंग पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- यह ऑनलाइन युनिवर्स का विस्तार करने के लिये सुसंगत भाषा और परिनिर्देश दिशा-निर्देश भी विकसित करेगा।

मेटावर्स की अंतर-संचालनीयता की आवश्यकता

- अंतरसंचालनीयता परियोजनाओं में विभिन्न विशेषताओं और गतिविधियों के लिये मेटावर्स को समर्थन प्रदान करती है।
- खुले अंतरसंचालनीयता मानकों और दिशा-निर्देशों का पालन करने के साथ कंपनियाँ पूरी तरह से अंतरसंचालनीयता योजना लॉन्च कर सकती हैं, जिससे उन्हें अन्य परियोजनाओं के साथ अपने प्रोग्रामिंग इंटरफेस को एकीकृत करने की इजाजत मिलती है।
- मेटावर्स के क्षेत्र में काम करने के लिये आमतौर पर सहमत प्रोटोकॉल का एक सेट होना चाहिये, ठीक उसी तरह जैसे ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल/इंटरनेट प्रोटोकॉल (TCP/IP) ने इंटरनेट को चार दशक पहले लाइव होने में सक्षम बनाया था।
- इस तरह के प्रोटोकॉल हमारे उपकरणों को बदले बिना घर और कार्यालय से वाईफाई नेटवर्क से जुड़ने में हमारी मदद करते हैं।
- वे खुले मानकों के परिणाम हैं। मेटावर्स की क्षमता का सबसे अच्छा परिणाम तभी प्राप्त होगा जब इसे खुले मानकों पर बनाया गया हो।

- मेटावर्स के समर्थक इसे इंटरनेट का भविष्य कहते हैं जिसके मूल में 3D है और डिजिटल दुनिया को पूरी तरह से इसका अनुकरण करने के लिये 3D अंतरसंचालनीयता को पूरा करना होगा।

मेटावर्स के निर्माण में भारत की भूमिका

- भारत मेटावर्स हेतु तैयार:
- वर्ष 2015 के बाद से भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में लगभग 40 स्थानों की वृद्धि कर चुका है जो अब विश्व में 46वें स्थान पर है।
- भारत में उद्यमिता की एक समृद्ध संस्कृति है जिसने हाल ही में महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त की है।
- इस वातावरण को अनुकूल उपभोक्ता प्रवृत्तियों के एक समूह द्वारा बल दिया गया है, जिसमें खर्च करने योग्य आय में वृद्धि, स्मार्टफोन अपनाने में वृद्धि और किफायती मोबाइल डेटा शामिल हैं।
- उभरता हुआ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर:
- पिछले दशक में इंडिया स्टैक का निर्माण हुआ है, जो राष्ट्रीय डिजिटल पहचान और भुगतान बुनियादी ढाँचे सहित प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का एक संयोजन है, जिसने मिलकर देश में वित्तीय समावेशन के एक नए युग की शुरुआत की।
- ई-गवर्नेंस के लिये ब्लॉकचेन एप्लीकेशन का उपयोग करने की भारत की योजना में ब्लॉकचेन-समर्थित डिजिटल रुपया का प्रस्ताव शामिल है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2022-23 तक जारी किया जाएगा।
- सरकार ने यह भी घोषणा की है कि वह 5G मोबाइल सेवाओं के रोलआउट की सुविधा के लिये स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित करेगी, जिससे गेमिंग और मेटावर्स सहित क्लाउड एप्लीकेशन की मांग में तेजी आएगी।
- विकसित नियामक परिदृश्य:
- मेटावर्स के लिये तकनीकी, जनसांख्यिकीय और नीतिगत नींव भारत में मौजूद प्रतीत होती है, इसके बावजूद मेटावर्स के निर्माण की परिचालन चुनौती बनी हुई है।
- यदि भारत को अग्रणी भूमिका निभानी है तो निजी क्षेत्र में सौदे के प्रवाह में तेजी लाने की आवश्यकता होगी।
- नवीनतम केंद्रीय बजट वचुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर लगाता है, जिसमें क्रिप्टोकॉरेंसी और संभावित रूप से नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) शामिल हो सकते हैं।
 - ◆ जबककर क्रिप्टो को संपत्ति के रूप में मान्यता देगा जिससे विनियमित किया जा सकता है, यह क्रिप्टो स्वामित्व को वैध नहीं बनाता है, जबकि उचित कानून के माध्यम से किया जा सकता है।

- क्रिप्टो से परे मेटावर्स नीतिगत प्रश्न भी उठाता है कि गोपनीयता और सुरक्षा को कैसे संबोधित किया जाना चाहिये।
 - ◆ मेटावर्स में ऑनलाइन जोखिम बढ़ सकते हैं, जहाँ अवांछित संपर्क की व्यापक स्तर पर अधिक घुसपैठ हो सकती है।
- आभासी दुनिया के लिये शासन तंत्र को डिजिटल साक्षरता, सुरक्षा और भलाई को बढ़ावा देने के प्रयासों को मजबूत करने और बढ़ाने के लिये समर्थन की आवश्यकता होगी ताकि प्रतिभागी सचेत होकर हानिकारक सामग्री और व्यवहारों को नेविगेट करते हुए ऑनलाइन समुदायों में सार्थक रूप से संलग्न हो सकें।

गीगामेश समाधान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एस्ट्रोम ने भारत में 15 गाँवों के साथ "गीगामेश संपर्क समाधान (GigaMesh Network Solution)" नामक पायलट परियोजना शुरू करने के लिये दूरसंचार विभाग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं।

- एस्ट्रोम द्वारा विकसित गीगामेश ग्रामीण 4जी बुनियादी ढाँचे में भीड़भाड़ की चुनौतियों को संबोधित करेगा और उच्च तकनीक एवं सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

गीगामेश (GigaMesh):

- समाधान को एस्ट्रोम द्वारा विकसित किया गया है।
- स्टार्टअप को भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क (ARTPARK), टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब (TIH) द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है।
- यह एक नेटवर्क समाधान है जो वायरलेस रूप से फाइबर जैसी बैकहॉल क्षमता प्रदान करेगा और 5जी के लिये मार्ग प्रशस्त करेगा।
- यह दुनिया का पहला मल्टी-बीम ई-बैंड रेडियो है जो इन टावरों में से प्रत्येक को मल्टी Gbps थ्रूपुट डिलीवर करते हुए एक टावर से कई टावरों तक एक साथ संचार करने में सक्षम है।
- एक एकल गीगामेश डिवाइस 2+ Gbps क्षमता के साथ 40 लिंक प्रदान कर सकता है, जो दस किलोमीटर की सीमा तक संचार कर सकता है।
- गीगामेश ई-बैंड में कई पॉइंट-टू-पॉइंट संचार की सुविधा देता है, लागत कम करता है और सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित होता है जिससे इसे दूरस्थ रूप से तैनात, रखरखाव और मरम्मत करना आसान हो जाता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क (ARTPARK):

- परिचय:
 - ARTPARK भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बंगलूरू द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और रोबोटिक्स में प्रौद्योगिकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिये एक गैर-लाभकारी फाउंडेशन है।
 - पहल:
 - ARTPARK के AI शोधकर्ताओं ने हेल्थटेक स्टार्टअप निरामई हेल्थ एनालिटिक्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) के सहयोग से एक्सरे सेतु (XraySetu) भी विकसित किया है।
 - ◆ XraySetu एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कुछ ही सेकंड में कोविड-19 के प्रति 98.86% संवेदनशीलता के साथ चेस्ट के एक्स-रे की व्याख्या कर सकता है।
 - ARTPARK ने ARTPARK इनोवेशन समिट का भी आयोजन किया, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिये उद्योग, शिक्षा और सरकार को एक छत के नीचे लाया गया:
 - ◆ जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की संचार व्यवस्था (कनेक्टिविटी) कैसे बनाई जाए, भारत के लिये स्वास्थ्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), भारत को ड्रोन से जोड़ना, भविष्य के लिये समावेशी शिक्षा तथा एआई एवं अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण।
 - इसके अलावा उन्होंने भारतीय सेना के एक मानव रहित जमीनी वाहन (UGV) के प्रयोग में भाग लिया और भारत के एकमात्र लेग्ड रोबोटिक डॉग का भी प्रदर्शन किया।
- ### AI के उपयोग के अन्य क्षेत्र:
- पुलिसिंग:
 - AI की मदद से केंद्रीय डेटाबेस के साथ चेहरे के मिलान, अपराध के पैटर्न के अनुमान और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण द्वारा संदिग्धों की पहचान की जा सकती है।
 - सरकार सभी रिकॉर्ड (विशेष रूप से अपराध रिकॉर्ड) का डिजिटलीकरण कर रही है; वह इसे CCTNS नामक एक ही स्थान पर एकत्र कर रही है जहाँ किसी अपराधी या संदिग्ध की तस्वीरों, बायोमीट्रिक्स या आपराधिक इतिहास सहित सभी डेटा उपलब्ध हैं।
 - कृषि:
 - AI कृषि डेटा का विश्लेषण करने में मदद करता है:
 - ◆ किसान अपने निर्णयों को बेहतर ढंग से सूचित करने के लिये मौसम की स्थिति, तापमान, पानी के उपयोग या अपने खेत से एकत्रित मिट्टी की स्थिति जैसे कारकों का विश्लेषण कर सकते हैं।

- कृषि में सटीकता:
 - ◆ कृषि में अधिक सटीकता लाने हेतु पौधों में बीमारियों, कीटों और पोषण की कमी आदि का पता लगाने के लिये कृषि एआई तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
 - ◆ एआई सेंसर खरपतवारों की पहचान कर सकते हैं तथा फिर उनकी पहचान के आधार पर उपयुक्त खरपतवारनाशक का चुनाव कर उस क्षेत्र में सटीक मात्रा में खरपतवारनाशक का छिड़काव कर सकते हैं।
- शिक्षा:
 - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस साल अप्रैल में "युवाओं के लिये जिम्मेदार AI" कार्यक्रम लॉन्च किया था जिसमें सरकारी स्कूलों के 11,000 से अधिक छात्रों ने AI में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया।
 - केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूली पाठ्यक्रम में AI को एकीकृत किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बुनियादी ज्ञान व कौशल हो।
- स्वास्थ्य देखभाल:
 - मशीन लर्निंग:
 - ◆ सटीक दवाओं में AI का अनुप्रयोग फायदेमंद हो सकता है, यह भविष्यवाणी करना कि विभिन्न रोग विशेषताओं और उपचार संदर्भ के आधार पर रोगी पर कौन से उपचार प्रोटोकॉल सफल होने की संभावना है।
- प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण:
 - ◆ NLP में नैदानिक दस्तावेजीकरण और शोध का प्रकाशन, समझ और वर्गीकरण शामिल है।
 - ◆ NLP सिस्टम रोगियों से संबंधित नैदानिक नोटों का विश्लेषण कर सकता है, रिपोर्ट तैयार कर सकता है, रोगी की बातचीत को ट्रांसक्रिप्ट कर सकता है और AI संवादों का संचालन कर सकता है।

ग्रामीण संपर्क बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा की गई पहल:

- राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन:
- NMB देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिये सार्वभौमिक एवं समान पहुँच को सुविधाजनक बनाएगा।
- मिशन का उद्देश्य डिजिटल विभाजन को दूर करना, डिजिटल सशक्तीकरण एवं समावेशन की सुविधा प्रदान करना और सभी के लिये ब्रॉडबैंड तक सस्ती एवं सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना है।

- घर तक फाइबर योजना:
- GTFS बिहार के सभी 45,945 ग्रामों को हाई-स्पीड ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य रखता है।
- योजना के तहत बिहार को प्रति ग्राम कम-से-कम पाँच फाइबर-टू-द-होम (FTTH) कनेक्शन और प्रति ग्राम कम-से-कम एक वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदान करना है।
- यह योजना बिहार में ई-शिक्षा, ई-कृषि, टेली-मेडिसिन, टेली-लॉ जैसी डिजिटल सेवाओं और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का नेतृत्व करेगी तथा राज्य के सभी निवासियों के लिये आसान पहुँच सुनिश्चित करेगी।
- यह भारतनेट पहल के कार्यान्वयन के साथ स्थानीय कर्मियों की भर्ती कर स्थानीय रोजगार सृजन को भी बढ़ावा दे सकेगी।

आगे की राह

- इंटरनेट एक्सेस के न्यूनतम मानक और गुणवत्ता के साथ-साथ क्षमता निर्माण उपायों के लिये बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने हेतु राज्य को सकारात्मक दायित्व निभाना चाहिये जो सभी नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर होने की अनुमति देगा।
- बेहतर ग्रामीण डिजिटल बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये सरकार को ऑनलाइन सेवाओं को स्थानांतरित करके संसाधनों का निवेश करना चाहिये।
- इंटरनेट का उपयोग एवं डिजिटल साक्षरता एक-दूसरे पर निर्भर हैं और डिजिटल बुनियादी ढाँचे का निर्माण डिजिटल कौशल के निर्माण के साथ-साथ होना चाहिये।
- राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन और लेखा परीक्षा की जानी चाहिये।
- राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का उद्देश्य है:
 - ◆ वर्ष 2022 तक सभी गाँवों में ब्रॉडबैंड पहुँच प्रदान करना।
 - ◆ मोबाइल और इंटरनेट के लिये सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार।

भारत का रक्षा निर्यात

चर्चा में क्यों ?

- वर्ष 2021-22 के लिये भारत का रक्षा निर्यात 13,000 करोड़ रुपए अनुमानित था जो अब तक का सबसे अधिक है।
- अमेरिका एक प्रमुख खरीदार था साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र भी शामिल थे।

प्रमुख बिंदु

- निजी क्षेत्र का निर्यात में 70% हिस्सा था, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म बाकी के लिये जिम्मेदार थी।

- पहले निजी क्षेत्र का 90% हिस्सा हुआ करता था लेकिन अब रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का हिस्सा बढ़ गया।
- जबकि हाल के वर्षों में अमेरिका से भारत का रक्षा आयात काफी बढ़ गया है, भारतीय कंपनी तेजी से अमेरिकी रक्षा कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन रही हैं।
- रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु हाल के पहल:
- जनवरी 2022 में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट-आधारित एंटी-शिप संस्करण की तीन बैटरियों की आपूर्ति के लिये फिलीपींस के साथ 374.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किये, जो उसका सबसे बड़ा रक्षा निर्यात आदेश है।
- भारत ने पिछले दो वर्षों के दौरान 310 विभिन्न हथियारों और प्रणालियों पर चरणबद्ध आयात प्रतिबंध लगाया है, जिससे निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिली है।
- इन हथियारों और प्लेटफॉर्मों का अगले पाँच से छह वर्षों में कई चरणों में स्वदेशीकरण किया जाएगा।
- निजी क्षेत्र के साथ बढ़ी हुई भागीदारी से रक्षा निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

भारत का रक्षा निर्यात:

- रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये रक्षा निर्यात सरकार के अभियान का प्रमुख स्तंभ है।
- 30 से अधिक भारतीय रक्षा कंपनियों ने इटली, मालदीव, श्रीलंका, रूस, फ्रांस, नेपाल, मॉरीशस, श्रीलंका, इजरायल, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, इथियोपिया, सऊदी अरब, फिलीपींस, पोलैंड, स्पेन जैसे देशों को हथियारों और उपकरणों का निर्यात किया है।
- निर्यात में व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली, इंजीनियरिंग यांत्रिक उपकरण, अपतटीय गश्ती जहाज, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, एवियोनिक्स सूट, रेडियो सिस्टम तथा रडार सिस्टम शामिल हैं।
- हालाँकि भारत का रक्षा निर्यात अभी भी अपेक्षित सीमा तक नहीं पहुँच पाया है।
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने 2015-2019 के लिये प्रमुख हथियार निर्यातकों की सूची में भारत को 23वें स्थान पर रखा।
- भारत अभी भी वैश्विक हथियारों का केवल 0.17% हिस्सा ही निर्यात करता है।
- भारत के रक्षा निर्यात में निराशाजनक प्रदर्शन का कारण यह है कि भारत के रक्षा मंत्रालय के पास अब तक निर्यात के लिये कोई समर्पित एजेंसी नहीं है।

- भारत ने 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है।

रक्षा क्षेत्र से संबंधित पहल:

- रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्द्धन नीति 2020 (DPEPP 2020):
- DPEPP 2020 को आत्मनिर्भरता और निर्यात के लिये देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं पर एक केंद्रित संरचित एवं महत्वपूर्ण रूप से बल प्रदान करने के लिये व्यापक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में परिकल्पित किया गया है।
- आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र की दिशा में बहुआयामी कदम:
- निजी उद्योग को सशक्त बनाने के लिये फोकस के साथ प्रगतिशील परिवर्तन हुए हैं।
- डीपीपी 2016 भारतीय आईडीडीएम (स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) नामक एक नई श्रेणी के साथ सामने आया है।
- यदि कोई भारतीय कंपनी भारतीय आईडीडीएम का विकल्प चुनती है तो उसे अन्य सभी श्रेणियों पर वरीयता दी जाती है।
- रणनीतिक साझेदारी:
- एक रणनीतिक साझेदारी मॉडल भारतीय कंपनियों को विदेशी ओईएम के साथ सहयोग और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने तथा भारत के निर्माण और भारत में परियोजनाओं को बनाए रखने की अनुमति प्रदान करता है।
- कामकाज में पारंपरिक पनडुब्बियों के लिये पहला आरएफपी।
- सकारात्मक स्वदेशीकरण:
- पहली बार सरकार किसी वस्तु के आयात पर खुद पर प्रतिबंध लगा रही है, सरकार स्वदेशी उद्योग को सशक्त बनाना चाहती है।
- 101 वस्तुओं तथा 108 वस्तुओं की दो सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ हैं जिसकी रेंज प्लेटफॉर्मों से लेकर हथियार प्रणालियों तक तथा सेंसर से लेकर अधिकतम वस्तुओं तक हैं।

डार्क मैटर

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में अमेरिका द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिये लक्स-जेप्लिन (LUX-ZEPLIN-LZ) नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया।
- इससे पहले यह जाँच करते हुए कि डार्क मैटर का आकार कुछ आकाशगंगाओं (तारकीय पट्टी) के केंद्र में तारों की गति को कैसे प्रभावित करता है, जिसमें वैज्ञानिकों ने पाया है कि अवरुद्ध आकाशगंगाओं में डार्क मैटर हेलो के माध्यम से अक्ष के बाहर की ओर झुकने (Out-of-Plane) के कारण को समझा जा सकता है।

डार्क मैटर:

- डार्क मैटर उन कणों से बना होता है जिन पर कोई आवेश नहीं होता है।
- ये कण "डार्क" हैं क्योंकि वे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, जो एक विद्युत चुंबकीय घटना है, और "मैटर/पदार्थ" के पास सामान्य पदार्थ की तरह द्रव्यमान होता है, अतः गुरुत्वाकर्षण के साथ अंतःक्रिया करते हैं।
- हम जो ब्रह्मांड देखते हैं, वह कणों पर लगने वाले चार मौलिक बलों के बीच विभिन्न अंतःक्रियाओं का परिणाम है, अर्थात्-
- मजबूत परमाणु बल
- कमजोर परमाणु बल
- विद्युत चुंबकीय बल
- गुरुत्वाकर्षण
- पूरे दृश्यमान ब्रह्मांड का केवल 5% ही सभी पदार्थों से बना है और शेष 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है।
- अभी तक गुरुत्वाकर्षण बल को इसकी अत्यंत कमजोर शक्ति के रूप में कम समझा जाता है और यही कारण है कि गुरुत्वाकर्षण बल के साथ अंतःक्रिया करने वाले किसी भी कण का पता लगाना आसान नहीं है।

डार्क एनर्जी:

- डार्क एनर्जी सैद्धांतिक प्रकार की ऊर्जा है जो गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में कार्य करते हुए नकारात्मक, प्रतिकारक बल लगाती है।
- इसे दूर से देखी गई सुपरनोवा की विशेषताओं की व्याख्या करने के लिये प्रस्तावित किया गया है, जो ब्रह्मांड के त्वरित दर से विस्तार करने का खुलासा करती है।
- डार्क एनर्जी का अनुमान डार्क मैटर की तरह स्पष्ट रूप से देखे जाने के बजाय आकाशीय पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रिया के मापन से लगाया जाता है।

डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में अंतर:

- डार्क मैटर एक आकर्षक शक्ति के रूप में कार्य करता है, एक प्रकार का ब्रह्मांडीय मोर्टर जो हमारी दुनिया को एक साथ रखता है।
- ऐसा इसलिये है क्योंकि डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण के साथ इंटरैक्ट करता है फिर भी प्रकाश को प्रतिबिंबित, अवशोषित या उत्सर्जित नहीं करता है। वहीं डार्क एनर्जी एक प्रतिकारक बल है, एक प्रकार का एंटी-ग्रेविटी जो ब्रह्मांड के विस्तार को धीमा कर देता है।
- डार्क एनर्जी दोनों में कहीं अधिक शक्तिशाली है, जो ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान और ऊर्जा का लगभग 68% है।

- डार्क मैटर कुल का 27% हिस्सा है, बाकी का 5% साधारण मैटर है जिसे हम दैनिक आधार पर देखते हैं और जो परस्पर क्रिया करते हैं।
- यह ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करने में भी मदद करता है।

डार्क मैटर का प्रमाण:

- डार्क मैटर के लिये मजबूत अप्रत्यक्ष प्रमाण विभिन्न स्तरों (या दूरी के पैमाने) पर परिलक्षित होता है।
- उदाहरण के लिये जब आप आकाशगंगा के केंद्र से इसकी परिधि की ओर बढ़ते हैं, तो तारे की गति के अवलोकित क्षेत्र और उनके अनुमानित आँकड़े के बीच एक महत्वपूर्ण असमानता होती है।
- इसका तात्पर्य है कि आकाशगंगा में पर्याप्त मात्रा में डार्क मैटर है।
- अन्य दूरी मापक प्रमाण:
- ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिये कई स्तर हैं जैसे परमाणुओं, आकाशगंगाओं, आकाशगंगा समूहों, या उससे भी बड़ी दूरी के इलेक्ट्रॉनों और नाभिकों का स्तर जहाँ पूरे ब्रह्मांड का मानचित्रण एवं अध्ययन किया जा सकता है।
- आकाशगंगाओं के बुलेट क्लस्टर हैं जो दो आकाशगंगाओं के विलय से बनते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार, उनके विलय को केवल कुछ डार्क मैटर की उपस्थिति के माध्यम से समझा जा सकता है। डार्क मैटर को देखने के लिये किस कण का उपयोग किया जाता है?
- न्यूट्रिनो डार्क मैटर का पता लगाने में बहुत मददगार है लेकिन वे बहुत हल्के होते हैं, इसलिये उपयोगी नहीं हैं।
- अन्य नियत तत्वों में Z बोसॉन, जो वैद्युत रूप से क्षीण पारस्परिक क्रियाओं में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, का अति संतुलित (supersymmetric) युग्म शामिल है।
- लेकिन अभी तक ऐसा कोई उचित कण नहीं मिला है जो गुरुत्वाकर्षण के साथ परस्पर क्रिया कर सके और जिसका पृथ्वी पर मौजूद तकनीक का उपयोग करके पता लगाया जा सके।

इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज 2022

चर्चा में क्यों ?

डिजिटल इंडिया वीक 2022 समारोह के हिस्से के रूप में इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज पर एक तीन दिवसीय वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- द इंडिया स्टैक भारत की 4 अरब आबादी को डिजिटल युग में लाने के लिये एक महत्वपूर्ण एकीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है।

इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज (ISKE) कार्यक्रम:

- परिचय:
- ISKE 2022 के पीछे यह मंशा थी कि आईटी नेतृत्वकर्ताओं को ग्राउंड लेवल पर बड़ा परिवर्तन लाने वाली परियोजनाओं व इन परियोजनाओं के भविष्य और इनके सामने आने वाली चुनौतियों पर बोलने के लिये सामने लाया जाए।
 - ◆ इसका लक्ष्य दुनिया के सामने इंडिया स्टैक सॉल्यूशन एंड गुड्स प्रोग्राम को पेश करना भी था, ताकि कोई भी देश इसे अपने उपयोग के हिसाब से अपना सके।
- महत्त्व:
- यह कार्यक्रम अग्रणी परियोजनाओं को लागू करने में अपने अनुभव साझा करने के लिये व्यवसायों और डिजिटल परिवर्तन लाने वाले नेताओं को एक साथ लाया।
- इसने इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज के गठन में मदद की।
- इसने कुछ डिजिटल पहलों की प्रतिकृति के लिये एक सहयोगी मंच के रूप में कार्य किया।
- इसने भारत के लिये ग्लोबल डिजिटल पब्लिक गुड्स के भंडार में अपने योगदान के लिये एक नॉलेज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य किया।

ISKE में शामिल क्षेत्र:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● अर्बन स्टैक: | <ul style="list-style-type: none"> ● स्मार्ट सिटी मिशन: ● यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे जून 2015 में "स्मार्ट सॉल्यूशंस" (Smart Solutions) के आवेदन के माध्यम से नागरिकों को उच्च गुणवत्ता के साथ जीवन जीने हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करने के लिये 100 शहरों को परिवर्तित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ● मिशन का उद्देश्य विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं के माध्यम से शहरों में रहने वाली भारतीय आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करना है। ● शासन, प्रभाव और परिवर्तन के लिये डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (DIGIT): |
|--|--|

- DIGIT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ओपन सोर्स और ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) है जो डेवलपर्स, उद्यमों और नागरिकों के लिये नए एप्लीकेशन के निर्माण और समाधान के लिये संचालित है।
- रेडी टू यूज़ प्लेटफॉर्म समय-सीमा में त्वरित कार्यान्वयन और स्थानीय सरकारों को प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया में सुधार, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद करता है।
- यसामाजिक मंच के विचारों की अभिव्यक्ति है, जटिल सामाजिक चुनौतियों को तेजी से बड़े पैमाने पर स्थायी रूप से हल करने के लिये व्यवस्थित तरीका है।
 - ◆ सामाजिक मंच सामाजिक विचार, प्रणालीगत दृष्टिकोण, मूल्यों और विशिष्ट डिजाइन सिद्धांतों के समूह, सामाजिक समस्याओं, समाज के प्रमुख कारकों के बीच प्रमुख अंतःक्रियाओं को फिर से डिजाइन करने और घातीय सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने की अभिव्यक्ति की सुविधा प्रदान करता है।
- भारत शहरी डेटा विनिमय:
- IUDE को स्मार्ट सिटी मिशन और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बंगलूरु के बीच साझेदारी में विकसित किया गया है।
- यह एक ओपन-सोर्स सॉटवेयर प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न डेटा प्लेटफॉर्म, तृतीय पक्ष प्रमाणित और अधिकृत एप्लीकेशन तथा अन्य स्रोतों के बीच डेटा के सुरक्षित, प्रमाणित एवं प्रबंधित आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

- ई-कॉमर्स हेतु प्रौद्योगिकी स्टैक:
- GeM पोर्टल:
 - विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा हेतु गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस वन-स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है।
 - GeM पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के लिये मंत्रालयों व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद करना अनिवार्य है।
 - यह सरकारी उपयोगकर्ताओं को उनके पैसे का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने की सुविधा के लिये ई-बोली और रिवर्स ई-नीलामी जैसे उपकरण भी प्रदान करता है।
 - ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC):
 - ONDC स्वतंत्र रूप से सुलभ सरकार-समर्थित प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य ई-कॉमर्स को प्लेटफॉर्म-केंद्रित मॉडल से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद तथा बिक्री हेतु एक ओपन नेटवर्क में स्थानांतरित करके सार्वभौमिक बनाना है।
 - यह एक गैर-लाभकारी संगठन है जो उद्योगों में स्थानीय डिजिटल कॉमर्स स्टोर को किसी भी नेटवर्क-सक्षम एप्लीकेशन द्वारा खोजने और संलग्न करने में सक्षम बनाने के लिये एक नेटवर्क की पेशकश करेगा।
 - ONDC के तहत यह परिकल्पना की गई है कि एक प्रतिभाग करने वाली ई-कॉमर्स साइट (उदाहरण के लिये-अमेज़ॉन) पर पंजीकृत खरीदार किसी अन्य प्रतिभागी ई-कॉमर्स साइट (उदाहरण के लिये फ्लिपकार्ट) पर विक्रेता से सामान खरीद सकता है।

- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टैक:
- NavIC:
 - नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टेलेशन (NavIC) भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS) है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विकसित किया गया है।
 - इसका मुख्य उद्देश्य भारत और उसके पड़ोस में विश्वसनीय स्थिति, नेविगेशन तथा समयबद्ध सेवाएँ प्रदान करना है।
 - इसे मोबाइल टेलीफोनी मानकों के समन्वय के लिये वैश्विक निकाय, तीसरी पीढ़ी की भागीदारी परियोजना (3GPP) द्वारा प्रमाणित किया गया है।
 - भू प्रेक्षण डेटा और अभिलेखीय प्रणाली का विजुअलाइजेशन (VEDAS):
 - VEDAS युवा शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को भारतीय पृथ्वी अवलोकन डेटा का उपयोग करके अपने स्थानिक विश्लेषणात्मक कौशल का प्रदर्शन करने एवं भू-स्थानिक अनुप्रयोगों के निर्माण को प्रेरित करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।
 - यह इसरो के पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान में देश के निवेश के सामाजिक लाभों के विस्तार की दिशा में एक कदम है।
 - यह उम्मीद की जाती है कि डेटा जनरेटर और संभावित विश्लेषकों के बीच सहयोग से नए और अभिनव प्रसंस्करण उपकरण एवं भू-स्थानिक अनुप्रयोग सामने आएंगे।

- प्रावधान:
 - ◆ शिक्षाविदों हेतु अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिये मंच।
 - ◆ वेब पर डेटा विजुअलाइजेशन और ग्राफिकल विश्लेषण।
 - ◆ वेब पर विश्लेषण के लिये भू-प्रसंस्करण उपकरण।
 - ◆ विभिन्न स्रोतों से वेब मानचित्र सेवा को एकीकृत करना।
- मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान उपग्रह डेटा अभिलेखीय केंद्र (MOSDAC):
- स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (SAC) अहमदाबाद में स्थित एक इसरो केंद्र है, जो उपग्रह पेलोड विकास, ऑपरेशनल डेटा रिसेप्शन (Operational Data Reception) और संसाधन (Processing) से लेकर सामाजिक अनुप्रयोगों तक कई तरह के कार्य करता है।
- मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान उपग्रह डेटा अभिलेखीय केंद्र (MOSDAC) स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (SAC) का एक डेटा केंद्र है और यह उपग्रह डेटा प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार की सुविधा प्रदान करता है।
- MOSDAC राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारतीय

मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान उपग्रहों के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन डेटा की आपूर्ति कर रहा है।

- भुवन, भूनिधि और युक्तधारा:
- भुवन:
 - ◆ भुवन एक प्रकार का वेब पोर्टल है, जिसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से भौगोलिक जानकारी (भू-स्थानिक जानकारी) और अन्य संबंधित भौगोलिक सेवाओं (प्रदर्शन, संपादन, विश्लेषण आदि) की खोज और उनके उपयोग के लिये किया जाता है।
- भूनिधि:
 - ◆ यह 44 उपग्रहों से रिमोट सेंसिंग डेटा के व्यापक संग्रह तक पहुँच को सक्षम बनाता है, जिसमें 31 वर्षों में प्राप्त भारतीय और विदेशी रिमोट सेंसिंग सेंसर शामिल हैं।
- युक्तधारा:
 - ◆ यह एक भू-स्थानिक नियोजन पोर्टल है जो पूरे भारत में मनरेगा गतिविधियों की ग्राम पंचायत स्तर की योजना को सुविधाजनक बनाने के लिये है।
 - ◆ यह ओपन सोर्स GIS टूल्स का उपयोग करके योजना बनाने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण को सक्षम करने के लिये स्थानिक सूचना सामग्री की विस्तृत विविधता को एकीकृत करता है।

शासन व्यवस्था

वन (संरक्षण) नियम, 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने वन (संरक्षण) नियम, 2022 जारी किया है।

- यह वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 4 और वन (संरक्षण) नियम, 2003 के अधिक्रमण (Supersession) में प्रदान किया गया है।

वन (संरक्षण) नियम, 2022 के प्रावधान:

- समितियों का गठन:
- इसने एक सलाहकार समिति, प्रत्येक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों में एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश (UT) सरकार के स्तर पर एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया।
- सलाहकार समिति:
- सलाहकार समिति की भूमिका इसके लिये संदर्भित प्रस्तावों और केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित वनों के संरक्षण से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में संबंधित धाराओं के तहत अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में सलाह देने या सिफारिश करने तक सीमित है।
- परियोजना स्क्रीनिंग समिति:
- MoEFCC ने वन भूमि के अंतरण से जुड़े प्रस्तावों की प्रारंभिक समीक्षा के लिये प्रत्येक राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश में एक परियोजना स्क्रीनिंग समिति के गठन का निर्देश दिया है।
- पाँच सदस्यीय समिति प्रत्येक महीने कम-से-कम दो बार बैठक करेगी और राज्य सरकारों को समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं पर सलाह देगी।
- 5-40 हेक्टेयर के बीच की सभी गैर-खनन परियोजनाओं की समीक्षा 60 दिनों की अवधि के भीतर की जानी चाहिये और ऐसी सभी खनन परियोजनाओं की समीक्षा 75 दिनों के भीतर की जानी चाहिये।
- बड़े क्षेत्र वाली परियोजनाओं के लिये समिति को कुछ और समय मिलता है, जिसमें 100 हेक्टेयर से अधिक की गैर-खनन परियोजनाओं के लिये 120 दिन और खनन परियोजनाओं के लिये 150 दिन शामिल है।

- क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समितियाँ:
- सभी रैखिक परियोजनाओं (सड़कों, राजमार्गों आदि), 40 हेक्टेयर तक की वन भूमि से जुड़ी परियोजनाएँ और जिन्होंने सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिये उनकी सीमा के बावजूद 0.7 तक कैनोपी घनत्व वाली वन भूमि के उपयोग का अनुमान लगाया है, उनकी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय में जाँच की जाएगी।
- प्रतिपूरक वनीकरण:
- पर्वतीय या पहाड़ी राज्य वन भूमि को अपने भौगोलिक क्षेत्र के दो-तिहाई से अधिक कवर करने वाले हरित आवरण के साथ, या राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अपने भौगोलिक क्षेत्र के एक-तिहाई से अधिक को कवर करने वाले वन भूमि के अंतरण में सक्षम होंगे, इसके अलावा अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, जहाँ कवर 20% से कम है, में प्रतिपूरक वनरोपण करना।

वन संरक्षण के लिये अन्य पहलें:

- भारतीय वन नीति, 1952:
- यह औपनिवेशिक वन नीति का एक सरल विस्तार था। हालांकि इसमें कुल भूमि क्षेत्र का एक- तिहाई तक वन आवरण बढ़ाने का प्रावधान शामिल था।
- ◆ उस समय जंगलों से प्राप्त अधिकतम वार्षिक राजस्व राष्ट्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। दो विश्व युद्धों, रक्षा की आवश्यकता, विकासात्मक परियोजनाएँ जैसे- नदी घाटी परियोजनाएँ, लुगदी, कागज और प्लाईवुड जैसे उद्योग तथा राष्ट्रीय हित की वन उपज पर बहुत अधिक निर्भरता के परिणामस्वरूप जंगलों के विशाल क्षेत्रों से राजस्व जुटाने के लिये राज्यों को मंजूरी दे दी गई।
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980:
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 ने निर्धारित किया कि वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिये केंद्रीय अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा उल्लंघन या परमिट की कमी को एक अपराध माना गया।
- ◆ इसने वनों की कटाई को सीमित करने, जैवविविधता के संरक्षण और वन्यजीवों को बचाने का लक्ष्य रखा। हालाँकि हाँकि यह अधिनियम वन संरक्षण के प्रति अधिक आशा प्रदान करता है लेकिन यह अपने लक्ष्य में सफल नहीं था।

- राष्ट्रीय वन नीति, 1988:
- राष्ट्रीय वन नीति का अंतिम उद्देश्य एक प्राकृतिक विरासत के रूप में वनों के संरक्षण के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना था।
 - ◆ इसने वाणिज्यिक सरोकारों से वनों की पारिस्थितिक भूमिका और भागीदारी प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पष्ट बदलाव किया।
 - ◆ इसमें देश के भौगोलिक क्षेत्र के 33% हिस्से को वन और वृक्षों से आच्छादित करने के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है।
- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम:
- इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000 से निम्नीकृत वन भूमि के वनीकरण के लिये लागू किया गया है।
- अन्य संबंधित अधिनियम:
- 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और 2002 का जैवविविधता अधिनियम।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006:
 - ◆ यह वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन अधिकारों एवं वन भूमि पर कब्जेको पहचानने के लिये बनाया गया है जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में रह रहे हैं।

भारत में वन:

- परिचय:
- भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के अनुसार, भारत का कुल वन और वृक्षावरण क्षेत्र अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है, जो 2019 के 21.67% से अधिक है।
- वनावरण (क्षेत्रफल में): मध्य प्रदेश > अरुणाचल प्रदेश > छत्तीसगढ़ > ओडिशा > महाराष्ट्र।
- वर्गीकरण:
- आरक्षित वन:
 - ◆ आरक्षित वन: आरक्षित वन सबसे अधिक प्रतिबंधित वन हैं और किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि जो कि सरकार की संपत्ति है, राज्य सरकार द्वारा आरक्षित होती है।
 - ◆ आरक्षित वनों में किसी वन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति के बिना स्थानीय लोगों की आवाजाही निषिद्ध है।

संरक्षित वन:

- राज्य सरकार को आरक्षित भूमि के अलावा अन्य किसी भी भूमि को, जो कि सरकार की संपत्ति है, संरक्षित करने का अधिकार है।

- इस शक्ति का उपयोग ऐसे वृक्षों जिनकी लकड़ी, फल या अन्य गैर-लकड़ी उत्पादों में राजस्व बढ़ाने की क्षमता है, पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने के लिये किया जाता है।

ग्राम वन:

- ग्राम वन वे हैं जिनके संबंध में राज्य सरकार “किसी भी ग्राम समुदाय को किसी भूमि या आरक्षित वन के रूप में सूचीबद्ध भूमि के संबंध में सरकार के अधिकार सौंप सकती है।”
- सुरक्षा का स्तर:
- आरक्षित वन > संरक्षित वन > ग्राम वन।
- संवैधानिक प्रावधान:
- 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से शिक्षा, नापतौल एवं न्याय प्रशासन, वन, वन्यजीवों तथा पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- संविधान के अनुच्छेद 51A (g) में कहा गया है कि वनों एवं वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा।
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 48A के मुताबिक, राज्य पर्यावरण संरक्षण व उसको बढ़ावा देने का काम करेगा और देश भर में जंगलों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करेगा।

टेक-होम राशन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में टेक होम राशन-गुड प्रैक्टिस (Take Home Ration-Good Practices) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी।

विश्व खाद्य कार्यक्रम क्या है ?

- यह विश्व का एक अग्रणी मानवीय संगठन है जो आवश्यकता के समय लोगों की जान बचाता है और लोगों को युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं से उबरने में मदद करने के लिये खाद्य सहायता प्रदान करता है एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान हेतु शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग सुनिश्चित करता है।
- WFP को वर्ष 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था।
- इसकी स्थापना वर्ष 1961 में ‘खाद्य एवं कृषि संगठन’ (FAO) तथा ‘संयुक्त राष्ट्र महासभा’ (UNGA) द्वारा अपने मुख्यालय रोम, इटली में की गई थी।

- यह संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास समूह (UNSDG) का सदस्य भी है, जो सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों एवं संगठनों का एक गठबंधन है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- रिपोर्ट राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा टेक होम राशन मूल्य श्रृंखला के कार्यान्वयन में अपनाई गई अच्छी और नवीन प्रथाओं का एक सेट प्रस्तुत करती है।
- सरकार ने दूर-दराज के इलाकों तक पहुँचने के लिये इनोवेटिव मॉडल्स को अपनाया।
- इसने जनभागीदारी और आँगनवाड़ी के स्थानीय नेटवर्क आदि के माध्यम से सरकार द्वारा अपनाए गए सामाजिक एवं व्यावहारिक मानदंडों, उत्पादन, निर्माण, वितरण, लेबलिंग, पैकेजिंग, पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा संशोधन आदि की सराहना की।

टेक होम राशन:

- भारत सरकार बच्चों के साथ-साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं (PLW) के बीच पोषण में अंतर को भरने के लिये एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) के पूरक पोषण घटक के तहत टेक होम राशन प्रदान करती है।
- यह दो तरह से घर पर उपयोग के लिये फोर्टीफाईड राशन प्रदान करता है:
- आँगनवाड़ी केंद्रों पर टेक-होम राशन और गरमा-गर्म भोजन।
- यह कच्चे माल या पके हुए भोजन के पैकेट के रूप में दिया जाता है।

चुनौतियाँ:

- वितरण तंत्र में खामियाँ:
- वितरण प्रणाली में दोषपूर्ण प्रथाओं और भ्रष्टाचार के कारण यह कार्य अत्यंत जटिल है और इसे ब्लैक मार्केट में भेजना आसान है।
- निम्न गुणवत्ता:
- खरीद विभाग की लापरवाही के कारण कई बार माल खराब गुणवत्ता का होता है।
- गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण अक्सर खाद्यान्न की बर्बादी होती थी।
- पारदर्शिता का अभाव:
- समग्र वितरण तंत्र में पारदर्शिता का अभाव है क्योंकि यह रसद और उन पर नियंत्रण रखने के लिये शामिल विभिन्न अन्य तंत्रों की निगरानी करने में लगभग असमर्थ है।
- अप्रभावी कार्यान्वयन:
- उत्पाद को प्राप्त करने, छाँटने और वितरित करने के लिये पारंपरिक तरीकों का उपयोग प्रणाली को अक्षम बनाता है, जिससे खाद्यान्न की डिलीवरी का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन नहीं होता है।

अन्य समान सरकारी योजनाएँ:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM):
- NHM को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (वर्ष 2005 में शुरू) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (वर्ष 2013 में शुरू) को मिलाकर आरंभ किया गया था।
- इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री पोषण योजना (PM-POSHAN):
- सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.31 ट्रिलियन रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने के लिये प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण या पीएम-पोषण को मंजूरी दी।
- इस योजना ने स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम या मध्याह्न भोजन योजना (Mid-day Meal Scheme) की जगह ले ली।
- राष्ट्रीय पोषण रणनीति:
- इस रणनीति का उद्देश्य सबसे कमजोर और गंभीर आयु समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को कम करना है।

आगे की राह

- समय पर पोषण संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिये THR कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।
- विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आदर्श THR कार्यक्रमों की सर्वोत्तम पद्धतियों तथा विश्लेषणों को सीखने की आवश्यकता है।
- उत्पादन, वितरण, गुणवत्ता नियंत्रण, निगरानी और प्रौद्योगिकी के उपयोग के मामले में THR के क्षेत्र में नवाचार की आवश्यकता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 100वाँ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया।

- भारत ने "सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व का निर्माण" विषय के तहत यह सहकारिता दिवस मनाया।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस:

- ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:
- 16 दिसंबर, 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में घोषित किया गया था।

- इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जो उनके विस्तार और लाभप्रदता को बढ़ावा दे।
- यह अवसर संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख मुद्दों से निपटने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी आंदोलन और अन्य कारकों के बीच गठबंधन को बढ़ाने एवं विस्तारित करने के लिये सहकारी आंदोलन के योगदान पर प्रकाश डालता है।
- महत्त्व:
- इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आंदोलन के मूल्यों को आगे बढ़ाना है:
 - ◆ अंतर्राष्ट्रीय एकता
 - ◆ आर्थिक दक्षता
 - ◆ समानता
 - ◆ वैश्विक शांति
- 2022 की थीम:
- “सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है” (Cooperatives Build a Better World)।

सहकारी समितियाँ:

- परिचय:
- सहकारिताएँ जन-केंद्रित उद्यम हैं जिनका स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन उनके सदस्यों द्वारा उनकी सामान्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये किया जाता है।
- सहकारिता लोगों को लोकतांत्रिक और समान तरीके से एक साथ लाती है। सदस्य चाहे ग्राहक हों, कर्मचारी हों, उपयोगकर्ता हों या निवासी हों, सहकारी समितियों का प्रबंधन लोकतांत्रिक तरीके से 'एक सदस्य, एक वोट' नियम द्वारा किया जाता है।
 - ◆ उद्यम में किये गए पूंजी निवेश की परवाह किये बिना सदस्यों को समान मतदान अधिकार प्राप्त है।
- भारतीय परिप्रेक्ष्य:
- वर्तमान में भारत में 90 प्रतिशत गाँवों को कवर करने वाली 8.5 लाख से ज़्यादा सहकारी समितियों के नेटवर्क के साथ ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समावेशी विकास के उद्देश्य से सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिये महत्वपूर्ण संस्थान हैं।
- भारत में सहकारिता आंदोलन की सफलता की कुछ जानी मानी कहानियों में शामिल हैं:
 - ◆ आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड (AMUL)
 - ◆ भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO)
 - ◆ कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (KRIBHCO)
 - ◆ राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED)

संबंधित सरकारी पहल:

- सहकारिता क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के क्रम में केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की थी। इसके गठन के बाद से मंत्रालय नई सहकारिता नीति और योजनाओं के मसौदे पर काम कर रहा है।
- सहकारिता क्षेत्र में देश के किसान, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं सशक्तीकरण के लिये पर्याप्त संभावनाएँ हैं।
- हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के डिजिटलीकरण को स्वीकृति देकर सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने का अहम निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य PACS की दक्षता बढ़ाना, पारदर्शिता के साथ संचालन कर उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाना, PACS के कामकाज में विविधता लाना और कई गतिविधियों/सेवाओं के संचालन में सहायता देना है।

सहकारिता के समक्ष चुनौतियाँ:

- नीति निर्माताओं द्वारा उपेक्षा: सहकारिता की भूमिका को नीति निर्माताओं द्वारा उनकी अदूरदर्शिता के कारण विभिन्न स्तरों पर अनदेखा किया गया है।
- जागरूकता का अभाव: व्यावसायिक रणनीतियों और बाजार गतिविधियों के बारे में जागरूकता एवं जानकारी की कमी।
- वित्तपोषण और क्षमताओं की कमी: सार्वजनिक हो या निजी क्षेत्र दोनों में ही इस क्षेत्र के प्रति विश्वास की कमी देखी गई है, क्योंकि सहकारी समितियों के लिये बहुत कम या कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है, जो उनकी क्षमता को नुकसान पहुँचाता है।
- खराब प्रबंधन: बाजार के बारे में समझ की कमी और श्रमिकों में कौशल की कमी के कारण कई सहकारी समितियाँ खराब प्रदर्शन करती रही हैं और वांछित परिणाम देने में असफल रही हैं।

आगे की राह

- सहकारी समितियों की द्वैध भूमिका: सरकार और कॉर्पोरेट्स सहित विभिन्न हितधारकों को सहकारी समितियों के सबसे उल्लेखनीय प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ (यानी एक संगठन और एक उद्यम के रूप में उनकी दोहरी स्थिति) को सामने लाकर उनकी भूमिका को पूर्णता प्रदान करनी चाहिये तथा उन्हें आगे और समर्थन देना चाहिये।
- सरकार की भूमिका: सरकार को उनकी क्षमताओं के संवर्द्धन हेतु कार्य करना होगा, उन्हें बाजार और व्यापारिक समुदायों की ओर से उचित मार्गदर्शन एवं समर्थन मिलना सुनिश्चित हो, ताकि वे उद्यम के संचालन हेतु आवश्यक कौशल एवं ज्ञान का वांछित स्तर प्राप्त कर सकें और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में इन क्षमताओं का उपयोग कर सकें।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की उपलब्धियाँ :

- वर्ष 2014 से 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या DBT के माध्यम से लाभार्थियों को हस्तांतरित किये गए हैं।
- आधार, UPI, कोविन और डिजिलॉकर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवाओं ने "ईज्ज ऑफ लिविंग" में योगदान दिया है क्योंकि इससे नागरिकों को बिना सरकारी कार्यालयों या बिचौलियों के पास गए ऑनलाइन सेवाएँ मिलती हैं।
- डिजिटल इंडिया ने सरकार को नागरिकों के दरवाजे और फोन (Doorsteps and Phones) तक पहुँचा दिया है। 1.25 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और ग्रामीण स्टोर अब ई-कॉमर्स को ग्रामीण भारत में ले जा रहे हैं।
- इसी प्रकार ग्रामीण संपत्तियों के लिये संपत्ति के दस्तावेज प्रौद्योगिकी के उपयोग से उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) की मदद से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों हेतु मुफ्त राशन सुनिश्चित किया गया।
- Co-Win प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत ने विश्व का सबसे बड़ा और सबसे कुशल कोविड टीकाकरण एवं कोविड राहत कार्यक्रम चलाया है।

आगे की राह

- भारत की डिजिटल क्रांति भारत और उसकी अर्थव्यवस्था के लिये एक आदर्श बदलाव का कारण बनेगी। सार्वजनिक और निजी भागीदारी, अनुकूल सरकारी नीतियों, नवोन्मेषी सुधारों, जनसांख्यिकीय लाभ, बढ़ती आय व भारत की स्टार्टअप संस्कृति के उदय की मदद से भारत सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था बन सकता है।
- डिजिटल क्रांति ने बदलते समय के प्रति पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था को लचीला बनने में मदद की है। भविष्य में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था से भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार

चर्चा में क्यों ?

संसदीय स्थायी समिति ने भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा मानकों, मान्यता (प्रत्यायन) प्रक्रिया, अनुसंधान, परीक्षा सुधारों और शैक्षणिक वातावरण की समीक्षा की।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने समिति को सूचित किया कि मात्र 30% विश्वविद्यालय और 20% कॉलेज प्रत्यायन प्रणाली में हैं।

- कुल 50,000 कॉलेजों में से 9,000 से कम कॉलेज मान्यता प्राप्त हैं।
- कई डीम्ड विश्वविद्यालयों ने तेजी से पैसा कमाने के लिये मुक्त दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किया है जिससे शोध कार्य की गुणवत्ता में कमी आती है।
- कई राज्य विश्वविद्यालय सुचारु रूप से मूल्यांकन करने में लगातार विफल रहे हैं, जिसकी वजह से अक्सर प्रश्नपत्र लीक और नकल जैसे बड़े मामले समाचारों में देखे जाते हैं।

प्रत्यायन प्रणाली:

- परिचय:
- प्रत्यायन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इस बात का मानकीकरण होता है कि कौन से न्यूनतम बेंचमार्क बनाए जाने हैं।
- यह एक औपचारिक, स्वतंत्र सत्यापन प्रक्रिया है जो यह निर्धारित करती है कि कोई कार्यक्रम या संस्थान परीक्षण, निरीक्षण या प्रमाणन के मामले में स्थापित गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है या नहीं।
- महत्त्व:
- यह स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिये एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
- यह गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और उत्पाद प्रमाणन से संबंधित गुणवत्ता मानकों को अपनाने पर भी जोर देता है।
- यह भारतीय उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार के उद्देश्य को साकार करने में मदद करता है।
- ग्रेडिंग प्रक्रिया:
- वर्तमान में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के तहत एक स्वायत्त निकाय है, जो पठन-पाठन, अनुसंधान एवं बुनियादी ढाँचे सहित कई मापदंडों पर उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करता तथा संस्थानों को A++ से लेकर C तक के ग्रेड प्रदान करता है।
- ◆ यदि किसी संस्थान को D ग्रेड दिया जाता है, तो इसका अर्थ है कि वह मान्यता प्राप्त नहीं है।
- ग्रेडिंग पाँच वर्ष के लिये वैध होती है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन मंच (International Accreditation Forum-IAF):
- IAF अनुरूपता मूल्यांकन प्रत्यायन निकायों और प्रबंधन प्रणालियों, उत्पादों, सेवाओं, कर्मियों तथा अनुरूपता मूल्यांकन के अन्य समान कार्यक्रमों के क्षेत्र में रुचि रखने वाले अन्य निकायों का वैश्विक संघ है।
- ◆ अनुरूपता मूल्यांकन निकाय: ये ऐसे निकाय हैं जो उत्पाद, प्रक्रिया या सेवाओं तथा प्रबंधन प्रणालियों को प्रमाणित करते हैं।
- ◆ उदाहरण के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO)।
- भारत भी इसका सदस्य है।

समिति की प्रमुख सिफारिशें:

- मुद्दों का विश्लेषण:
- NAAC और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA), जो उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा पेश किये जाने वाले पाठ्यक्रमों को मान्यता देता है, के सामने आने वाले मुद्दों का विश्लेषण किया जाना चाहिये और उन पर काम किया जाना चाहिये।
- लगातार प्रत्यायन:
- प्रत्यायन की आवृत्ति और आवधिकता के मानदंडों को परिभाषित किया जाना चाहिये ताकि संस्थान समीक्षा के बिना वर्षों तक ग्रेड बनाए रखने की प्रवृत्ति विकसित न करें, क्योंकि यह प्रवृत्ति समीक्षा के बिना संस्थानों को आत्मसंतुष्टता की ओर ले जाती है और गुणवत्ता तंत्र को कमजोर करती है।
- परीक्षा प्रबंधन:
- समिति अनुशंसा करती है कि संस्थान की परीक्षा प्रबंधन योग्यता के मानदंड को भी मान्यता के विचार के लिये अनिवार्य मानदंड के रूप में माना जाए।
- इसने कोचिंग सेंट्रों के सहयोग से कदाचार में शामिल उच्च संस्थानों की मान्यता रद्द करने सहित सख्त कार्रवाई का भी सुझाव दिया।
- सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को इस आधार पर ग्रेड प्रदान किया जाना चाहिये कि उनकी परीक्षाएँ कितनी विश्वसनीय और आसान हैं।
- डीम्ड विश्वविद्यालय:
- तथाकथित "डीम्ड विश्वविद्यालयों" को भी 'विश्वविद्यालय' शब्द का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिये क्योंकि अन्य देशों में ऐसी कोई अवधारणा नहीं है।
- संस्थानों का वित्तपोषण:
- अधिक वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने के लिये इसने सुझाव दिया कि "व्यक्तियों, पूर्व छात्रों और संस्थानों द्वारा दिया गया दान" 100% कर कटौती योग्य होना चाहिये।
- डिजिटल पाठ्यक्रम मानदंड:
- इसने यह भी सुझाव दिया कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिये मानदंडों पर फिर से विचार करने और संशोधित करने की तत्काल आवश्यकता है।
- मुक्त दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों के संबंध में विकल्पों की सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद समिति ने ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिये पर्याप्त उपाय करने की सिफारिश की।

भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिये पहल:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति:
- NEP 2020 का उद्देश्य "भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना" है।

- कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की भी मंजूरी दे दी है।
- कैबिनेट द्वारा स्वीकृत NEP आज़ादी के बाद से भारत में शिक्षा के ढाँचे में तीसरा बड़ा सुधार है।
 - ◆ इससे पहले की दो शिक्षा नीतियाँ वर्ष 1968 और 1986 में लाई गई थीं।
- मार्गदर्शन:
- अच्छे प्रत्यायन रिकॉर्ड वाले संस्थानों या शीर्ष प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को अपेक्षाकृत नए 10 से 12 संभावित संस्थानों को सलाह देने के लिये चुना जाता है।
- संस्थानों में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम शिक्षण और सीखने की प्रथाओं का अनुकरण चिह्नित मॉडल संस्थान में किया जाएगा।
- संस्थानों को प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिये तीन वर्ष की अवधि में 50 लाख रुपए (किसतों में) तक प्रति संस्थान वित्तपोषण भी प्रदान किया जाएगा।
- एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट:
- यह एक डिजिटल बैंक के रूप में परिकल्पित है जो किसी भी पाठ्यक्रम में छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट को संग्रह है।
- यह बहुविषयक और समग्र शिक्षा की सुविधा के लिये एक प्रमुख साधन है।
- यह उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये कई प्रवेश और निकास विकल्प प्रदान करेगा।
- यह युवाओं को भविष्योन्मुखी बनाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संचालित अर्थव्यवस्था के लिये रास्ता खोलेगा।

अनुचित विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिये दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने हाल ही में झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण:

- परिचय:
- CCPA उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के आधार पर वर्ष 2020 में स्थापित नियामक संस्था है।
- CCPA उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
- उद्देश्य:
- एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना।

- उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करना और शिकायत/अभियोजन करना।
- असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापसी, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश देना।
- भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं/प्रदर्शकों/प्रकाशकों पर दंड लगाना।

दिशा-निर्देश:

- गैर-भ्रामक और वैध विज्ञापन:
- विज्ञापन को गैर-भ्रामक माना जा सकता है यदि इसमें वस्तु का सही और ईमानदार प्रतिनिधित्व होता है तथा सटीकता, वैज्ञानिक वैधता या व्यावहारिक उपयोगिता या क्षमता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं रता है।
- अनजाने में हुई चूक के मामले में विज्ञापन को तब भी वैध माना जा सकता है यदि विज्ञापनदाता ने उपभोक्ता को कमी बताने में त्वरित कार्रवाई की हो।
- सरोगेट विज्ञापन:
- सरोगेट विज्ञापन" का तात्पर्य अन्य वस्तुओं की आड़ में वस्तु के विज्ञापन से है।
 - ◆ जैसे पान मसाले की आड़ में तंबाकू का विज्ञापन।
- उन वस्तुओं या सेवाओं के लिये कोई सरोगेट विज्ञापन (Surrogate Advertisement) या अप्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं बनाया जाएगा, जो विज्ञापन कानून द्वारा अन्यथा निषिद्ध या प्रतिबंधित हैं।
- इस तरह के निषेध या प्रतिबंध को दरकिनार करने और इसे अन्य वस्तुओं या सेवाओं के विज्ञापन के रूप में चित्रित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- बच्चों को लक्षित करने वाले विज्ञापन:
- ऐसे विज्ञापन जो बच्चों के लिये खतरनाक हो सकते हैं या बच्चों की अनुभवहीनता, विश्वसनीयता या विश्वास की भावना आदि का लाभ उठा सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने, उनके व्यवहार को प्रेरित करने या अनुचित रूप से अनुकरण करने वाले विज्ञापनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- यह स्पष्ट है कि विज्ञापन बच्चों की खरीदारी के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और उन्हें अस्वास्थ्यकर वस्तुओं का उपभोग करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं या स्वस्थ वस्तुओं के प्रति नकारात्मक भावनाओं को विकसित करते हैं।
- विज्ञापनों में अस्वीकरण:
- दिशा-निर्देशों में ऐसे विज्ञापन में किये गए दावे को स्पष्ट करने, योग्य बनाने या अस्पष्टताओं का समाधान करने के लिये "विज्ञापनों में अस्वीकरण" की आवश्यकता को भी पेश किया गया है ताकि इस तरह के दावे को और विस्तार से समझाया जा सके।

- इसके अलावा विज्ञापनदाता को "ऐसे विज्ञापन में किये गए किसी भी दावे के संबंध में भौतिक जानकारी को छिपाने का प्रयास नहीं करना चाहिये, जिसके चूक या अनुपस्थिति से विज्ञापन को भ्रामक बनाने या इसके व्यावसायिक इरादे को छिपाने की संभावना है"।
- कर्तव्य:
- दिशानिर्देशों के अनुसार निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों को ऐसे दावे नहीं करने या विज्ञापनों में तुलना करने की भी आवश्यकता नहीं है जो वस्तुनिष्ठ रूप से पता लगाने योग्य तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।
- इसके अतिरिक्त विज्ञापन को उपभोक्ताओं का विश्वास हासिल करने के लिये तैयार किया जाना चाहिये, न कि "उपभोक्ताओं के विश्वास का दुरुपयोग करने या उनके अनुभव या ज्ञान की कमी का फायदा उठाने" के लिये।

दिशा-निर्देशों का महत्त्व:

- दिशा-निर्देश पथ प्रदर्शक होते हैं क्योंकि वे विज्ञापनदाता के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हुए महत्त्वपूर्ण उपभोक्ता संरक्षण अंतराल को भरते हैं।
- दिशा-निर्देश बच्चों के उद्देश्य से अतार्किक उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने को हतोत्साहित करने का भी प्रयास करते हैं।
- भ्रामक, प्रलोभन, सरोगेट और बच्चों को लक्षित विज्ञापन की समस्या बहुत लंबे समय से बिना किसी विराम के चली आ रही है।
- दिशा-निर्देश भारतीय नियामक ढाँचे को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और मानकों के बराबर लाने का आवश्यक कार्य करते हैं।
- भ्रामक विज्ञापनदाताओं के खिलाफ ग्राहकों को सशक्त बनाने के लिये दिशा-निर्देश महत्त्वपूर्ण हैं।
- दिशा-निर्देश एक भ्रामक या अमान्य विज्ञापन को परिभाषित करने के बजाय "गैर-भ्रामक और वैध" विज्ञापन को परिभाषित करने की शर्तों का उल्लेख करते हैं।
- मौजूदा विज्ञापन विनियमों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों को भी दिशा-निर्देशों के माध्यम से दंडनीय बनाया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण हेतु पहल:

- उपभोक्ता कल्याण कोष
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद
- उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021
- उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020
- राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

ऑनलाइन गेमिंग: परिदृश्य एवं विनियमन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने और इसकी देखरेख के लिये एक मंत्रालय बनाने के लिये एक समिति के गठन की घोषणा की।

- समिति को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने और ऑनलाइन गेमिंग के लिये एक समान नियामक तंत्र बनाने की सिफारिश करने हेतु गठित किया गया है।

भारतीय ऑनलाइन गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र का वर्तमान परिदृश्य क्या है ?

- गेमिंग उद्योग को विनियमित करने के लिये बिल: हाल ही में राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन गेम, विशेष रूप से फंतासी खेलों को विनियमित करने के लिये एक मसौदा विधेयक लाया।
- इससे पहले, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों ने भी ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पारित किये थे।
- हालाँकि उन्हें राज्य उच्च न्यायालयों द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि कौशल के खेल (Game of skills) के लिये पूरा प्रतिबंध अनुचित था।
- संसद के बजट सत्र के दौरान, ऑनलाइन गेमिंग (विनियमन) विधेयक, 2022 को लोकसभा में एक निजी सदस्य के विधेयक के रूप में पेश किया गया था।
- विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग में अखंडता बनाए रखने और ऑनलाइन गेमिंग के लिये एक नियामक व्यवस्था शुरू करने की मांग की गई है।
- गेमिंग सेक्टर में प्रोथ: बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) द्वारा प्रकाशित वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का मोबाइल गेमिंग सेक्टर वर्ष 2020 में 1.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2025 तक 5 बिलियन डॉलर हो जाएगा।
- भारत में अब 30 करोड़ से ज्यादा गेमर्स हैं। इस बीच वर्ष 2020 में सभी गेमिंग उपकरणों का राजस्व 1.8 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जो वर्ष 2016 से 500 प्रतिशत अधिक है।
- बढ़ती गेमिंग कंपनियाँ: वर्तमान में, भारत में 400 से अधिक गेमिंग कंपनियाँ हैं, जिनमें इंफोसिस लिमिटेड, हाइपरलिंक इंफोसिस्टम, एफजीफैक्टरी और जेनसर टेक्नोलॉजीज शामिल हैं।

राज्य ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ?

- ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मुद्दे: कई सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी अधिकारी और कानून प्रवर्तन में शामिल लोगों का मानना

है कि रग्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम नशे की लत हैं, और जब मौद्रिक दौंव के साथ खेला जाता है तो वे अवसाद, बढ़ते कर्ज और आत्महत्या का कारण बनते हैं।

- कथित तौर पर, ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहाँ ऑनलाइन गेम में नुकसान के कारण बढ़ते कर्ज का सामना करने वाले युवाओं ने चोरी और हत्या जैसे अन्य अपराध किये हैं।
- इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के रूप में "गेमिंग डिसऑर्डर" को शामिल करने की योजना की घोषणा की थी।
- हेरफेर के लिये अति संवेदनशील: ऑनलाइन गेम ऐसे गेम को संचालित करने वाली वेबसाइटों द्वारा हेरफेर के लिये अति संवेदनशील होते हैं और ऐसी संभावना है कि उपयोगकर्ता अन्य खिलाड़ियों के खिलाफ ऐसे गेम नहीं खेल रहे हैं, लेकिन स्वचालित मशीनों या 'बॉट्स' के खिलाफ, जिसमें सामान्य खिलाड़ी के लिये खेल जीतने का कोई उचित अवसर नहीं है, खेल रहे हैं।

भारत में ऑनलाइन गेमिंग को सुगम बनाने वाले कारक क्या हैं ?

- गेमिंग उद्योग और डिजिटल इंडिया: गेमिंग उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है और उद्योग के विकास और हाल ही में आयोजित डिजिटल इंडिया पहल के बीच सीधा संबंध है।
- डिजिटलीकरण के कारण लोगों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) तक पहुँच प्राप्त हो रही है, इसलिये यह केवल एक उद्योग नहीं है जो उपयोगकर्ताओं की संख्या के मामले में बढ़ रहा है, यह मुद्राकरण के मामले में भी बढ़ रहा है।
- स्मार्टफोन पेनेट्रेशन: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के अनुसार, भारत में गेमिंग बाजार के लिये मोबाइल प्राथमिक वाहन है। अधिकांश गेमिंग मोबाइल में उपलब्ध है और जहाँ तक यह देखा गया है कि गेमिंग उद्योग में वृद्धि का परिणाम स्मार्टफोन की पैठ के कारण है।
- तेजी से प्रसंस्करण क्षमताओं द्वारा समर्थित अधिक गेमिंग-अनुकूल हैंडसेट के आगमन के साथ स्मार्टफोन का उपयोग भी बढ़ा है।
- वहनीय इंटरनेट: भारत में इंटरनेट का उपयोग अन्य देशों की तुलना में बहुत सस्ता है, जिसके कारण उपयोगकर्ताओं के बीच इंटरनेट का भारी उपयोग होता है जो कि डिजिटल इंडिया पहल का भी परिणाम है।
- WEF के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में किफायती स्मार्टफोन की पहुँच में साल-दर-साल 15% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, दुनिया के सबसे कम डेटा टैरिफ द्वारा समर्थित हाई-स्पीड 4 जी इंटरनेट पैठ ने शानदार योगदान दिया है।

- रोज़गार के अवसर: गेमिंग उद्योग को अब अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है। यह आगामी क्षेत्र देश में लाखों नौकरियाँ पैदा कर सकता है।
- कई गेमिंग स्टार्टअप फर्मों को भी अगले कुछ वर्षों में विकास का समर्थन करने के लिये भर्ती योजनाओं को मजबूत करने की उम्मीद है।
- प्रासंगिक रूप से अदालतों ने अतीत में स्पष्ट किया है कि खेल खेलने और/या सुविधाओं को बनाए रखने के लियेकेवल अतिरिक्त शुल्क लेने को लाभ या लाभ के रूप में नहीं देखा जा सकता है। लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी से संबंधित केंद्रीय कानून क्या हैं?
- लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998:
- भारत में लॉटरी को कानूनी माना जाता है। लॉटरी का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहियेऔर ड्रा का स्थान उस विशेष राज्य में होना चाहिए।

भारत में ऑनलाइन खेलों की वैधता

- कानूनी क्षेत्राधिकार: राज्य के विधायकों को, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 34 के तहत, सट्टेबाजी और जुए से संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्ति दी गई है।
- भारत में खेलों के प्रकार: अधिकांश भारतीय राज्य 'कौशल के खेल' (Game of skill) और 'मौका के खेल' (Game of chance) के बीच कानून में अंतर के आधार पर जुआ खेलने का विनियमन करते हैं।
- खेल के प्रकार का परीक्षण: जैसे एक 'प्रमुख तत्त्व' परीक्षण का उपयोग यह निर्धारित करने के लियेकिया जाता है कि खेल के परिणाम को निर्धारित करने में मौका या कौशल प्रमुख तत्त्व है या नहीं।
- यह 'प्रमुख तत्त्व इस बात की जाँच करके निर्धारित किया जा सकता है कि क्या खिलाड़ी के बेहतर ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव, विशेषज्ञता या ध्यान जैसे कारकों का खेल के परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ता है।
- अनुमत खेलों के प्रकार की स्थिति: 'मौका के खेल' के परिणाम पर धन या संपत्ति को दाँव पर लगाना निषिद्ध है और दोषी पक्षों को आपराधिक प्रतिबंधों के अधीन करता है।
- हालाँकि 'कौशल के खेल' के परिणाम पर कोई दाँव लगाना अवैध नहीं है और इसकी अनुमति दी जा सकती है।
- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोई भी खेल विशुद्ध रूप से 'कौशल का खेल' नहीं है और लगभग सभी खेलों में मौका का एक तत्त्व होता है।
- आम गेमिंग हाउस:
- अधिकांश राज्यों में गेमिंग कानून के लिये एक अन्य अवधारणा एक 'कॉमन गेमिंग हाउस' का विचार है।
- एक सामान्य गेमिंग हाउस का स्वामित्व, रख-रखाव या प्रभारी होना या ऐसे किसी भी सामान्य गेमिंग हाउस में गेमिंग के उद्देश्य के लिये उपस्थित होना राज्य गेमिंग कानूनों के संदर्भ में आमतौर पर निषिद्ध है।
- एक सामान्य गेमिंग हाउस को किसी भी घर, दीवारों के बाड़े, कमरे या स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें गेमिंग के उपकरण रखे जाते हैं या लाभ के लिये उपयोग किये जाते हैं।
- भारतीय दंड संहिता, 1860:
- संहिता में किसी को भी दंडित करने का प्रावधान है, जो दूसरों को परेशान करने के लियेसार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कार्य करता है या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या उसके आस-पास कोई अश्लील गीत, गाथा, या शब्द बोलता है।
- यदि सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों के विज्ञापन के लिये किसी अश्लील सामग्री का उपयोग किया जाता है तो आईपीसी के ये प्रावधान लागू हो सकते हैं।
- पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, 1955:
- यह प्रतियोगिताओं में पुरस्कार को परिभाषित करता है।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999:
- इस अधिनियम के तहत लॉटरी जीतने और रेसिंग/राइडिंग से उत्पन्न आय का प्रेषण निषिद्ध है।
- सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2011:
- इन नियमों के तहत, कोई भी इंटरनेट सेवा प्रदाता, नेटवर्क सेवा प्रदाता या कोई भी खोज इंजन ऐसी किसी भी सामग्री को होस्ट नहीं करेगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुआ का समर्थन करती हो।
- आयकर अधिनियम, 1961:
- भारत में वर्तमान कराधान नीति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार के जुआ उद्योग को कवर करती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सभी विनियमित और वैध जुआ भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) द्वारा समर्थित हैं।

गेमिंग उद्योग को विनियमित करने की आवश्यकता क्यों है ?

- भारत के भीतर ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में नियामक निरीक्षण की कमी है और यह 'ग्रे क्षेत्र' में आता है।
- भारत में वर्तमान में ऑनलाइन गेमिंग या सीमाओं की वैधता के संबंध में कोई व्यापक कानून नहीं है जो सट्टेबाजी और जुआ उद्योग पर लागू कर दरों को निर्दिष्ट करता है।
- इस दिशा में विकास तब होगा है जब अधिक-से-अधिक राज्य ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में कोई आदेश जारी करें या कानून लाएँ।

- भारत में ऑनलाइन गेमिंग की अनुमति देश के अधिकांश हिस्सों में है। हालाँकि ऑनलाइन गेमिंग की अनुमति है या नहीं, इस संबंध में विभिन्न राज्यों का अपना कानून है।
- अच्छी तरह से विनियमित ऑनलाइन गेमिंग के अपने फायदे हैं, जैसे आर्थिक विकास और अतिरिक्त लाभ।
- हालाँकि, उपयोगकर्ताओं को ग्रे या अवैध ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग ऐप में स्थानांतरित करने से न केवल राज्य के लिये कर राजस्व और स्थानीय लोगों के लिये नौकरी के अवसरों का नुकसान होता है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता किसी भी अनुचित व्यवहार या जीत का भुगतान करने से इनकार करने पर उपलब्ध सहायता या लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं।

आगे की राह

- चेक और बैलेंस: पूर्ण प्रतिबंध के बजाय, कोई भी उद्योग को विभिन्न चेक और बैलेंस के साथ विनियमित करने पर विचार किया जा सकता है जैसे: मजबूत KYC और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाएँ।
- नाबालिगों को पैसे के खेल तक पहुँचने से रोकना।
- उस धन पर साप्ताहिक या मासिक सीमा निर्धारित करना जिसे दौंव पर लगाया जा सकता है या जो समय खर्च किया जा सकता है।
- नशे की लत वाले खिलाड़ियों के लिये परामर्श और ऐसे खिलाड़ियों के आत्म-बहिष्करण की अनुमति देना आदि।
- आवश्यक निगरानी: केंद्रीय स्तर पर एक गेमिंग प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए। इसे ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिये जिम्मेदार बनाया जा सकता है, इसके संचालन की निगरानी, गलत सामाजिक मुद्दों को रोकना, कौशल या मौके से जुड़े खेल को उपयुक्त रूप से वर्गीकृत करना, उपभोक्ता संरक्षण की देखरेख करना और अवैधता एवं अपराध का मुकाबला करना।
- गेमिंग उद्योग का विनियमन: अधिक-से-अधिक युवा ऑनलाइन गेम के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, ऑनलाइन गेमिंग के नियमन से न केवल आर्थिक अवसर खुलेंगे, बल्कि इसकी सामाजिक लागत भी कम होगी।
- गेम खेलते समय (In-Game) खरीदारी नहीं: इस प्रकार की खरीदारी को वयस्क सहमति के बिना और जहाँ भी संभव हो, अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
- जागरूकता की आवश्यकता: गेमिंग कंपनियों को संभावित जोखिमों के बारे में उपयोगकर्ताओं को सक्रिय रूप से शिक्षित करना चाहिये और धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार की संभावित स्थितियों की पहचान कैसे करनी चाहिये।
- प्रतिभागियों की गुमनामी को दूर करने और एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र बनाने की भी आवश्यकता है।

- लाइसेंस की आवश्यकता: उद्योग को लाइसेंस देने की आवश्यकता है। कई सुरक्षा जाँच बनाने की आवश्यकता है। उद्योग को नीति बनाने के बजाय एक स्व-नियामक के रूप में लाया जाना चाहिये।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए

चर्चा में क्यों ?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत ट्विटर (माइक्रोब्लॉगिंग साइट) से कुछ पोस्ट हटाने के आदेश जारी किये हैं।

- ट्विटर ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें दावा किया गया है कि अधिनियम की धारा 69ए के तहत कई अवरुद्ध आदेश प्रक्रियात्मक रूप से अपर्याप्त हैं।

वर्तमान चुनौतियाँ:

- मंत्रालय ने कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत कंपनी "कई मौकों पर निर्देशों का पालन करने में विफल रही है"।
- ट्विटर ने वर्ष 2021 में सरकार के अनुरोध के आधार पर 80 से अधिक खातों और ट्वीट्स की एक सूची प्रस्तुत की जिन्हें ब्लॉक कर दिया गया था।
- ट्विटर का दावा है कि जिस आधार पर मंत्रालय द्वारा कई खातों और पोस्ट को ब्लॉक किया गया है, वह या तो "व्यापक और मनमाना" है या "अनियमित" है।
- ट्विटर के अनुसार, मंत्रालय द्वारा चिह्नित कुछ सामग्री राजनीतिक दलों के आधिकारिक खातों से संबंधित हो सकती है, जिसे अवरुद्ध करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A:

- परिचय:
- यह केंद्र और राज्य सरकारों को "किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिफ्रिक्ट करने के लिये" निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
- जिन आधारों पर इन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है वे हैं:
 - ◆ भारत की संप्रभुता या अखंडता के हित में भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा।
 - ◆ विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
 - ◆ सार्वजनिक आदेश या इनसे संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध हेतु उकसाने से रोकने के लिये।
 - ◆ किसी भी अपराध की जाँच के लिये।

भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने नई दिल्ली में भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया।

- इंडियन चैंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर (ICFA) और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित यह भारत का प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है।
- पशु स्वास्थ्य, वन हेल्थ का एक महत्वपूर्ण घटक है। वन हेल्थ एक ऐसा दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि लोगों का स्वास्थ्य जानवरों के स्वास्थ्य और हमारे साझा पर्यावरण से निकटता से जुड़ा हुआ है।

पशु स्वास्थ्य का महत्त्व:

- पशु स्वास्थ्य की अवधारणा में पशु रोगों के साथ-साथ पशु कल्याण, मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण तथा खाद्य सुरक्षा के बीच परस्पर क्रिया शामिल है।
- कई ज्ञात मानव संक्रामक रोग जानवरों और जलवायु परिवर्तन में शुरू होते हैं, उदाहरण के लिये इनका उनके संचरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है।
- हालाँकि सभी पशु रोग मनुष्यों के लिये सीधे तौर पर हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन उनके महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिणाम हो सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों का व्यवसाय और जीवन पशु स्वास्थ्य पर निर्भर होता है।
- 5 में से 1 व्यक्ति अपनी आय और आजीविका के लिये पशुओं के उत्पादन पर निर्भर करता है।
- फीड की मांग के लिये वर्ष 2050 तक वैश्विक खाद्य उत्पादन में 70 प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता होगी।
- वैश्विक पशु उत्पादन नुकसान का 20% पशु रोगों से जुड़ा हुआ है।
- विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH, जिसे पहले OIE के नाम से जाना जाता था) ने 117 बीमारियों को सूचीबद्ध किया है।
- WOAH एक अंतर-सरकारी संगठन है, जो पशु रोगों पर पारदर्शी रूप से सूचना प्रसारित करने, विश्व स्तर पर पशु स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने तथा इस प्रकार एक सुरक्षित, स्वस्थ एवं अधिक टिकाऊ दुनिया के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत इसका सदस्य है।

जानवरों से संबंधित रोग:

- मंकीपॉक्स:
- यह बंदरों के बीच एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जो मंकीपॉक्स वायरस के संक्रमण के कारण होती है जो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में होती है तथा कभी-कभी अन्य क्षेत्रों में संचारित हो जाती है।

- इंटरनेट वेबसाइटों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया:
- धारा 69A समान कारणों और आधारों के लिये (जैसा कि ऊपर बताया गया है) केंद्र सरकार को किसी भी एजेंसी या मध्यस्थों से किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, पारेषित, प्राप्त या भंडारित की गई किसी भी जानकारी की जनता तक पहुँच को अवरुद्ध करने के लिये कहने में सक्षम बनाती है।
- ◆ 'मध्यस्थों' शब्द में सर्च इंजन, ऑनलाइन भुगतान और नीलामी साइटों, ऑनलाइन मार्केटप्लेस तथा साइबर कैफे के अलावा दूरसंचार सेवा, नेटवर्क सेवा, इंटरनेट सेवा तथा वेब होस्टिंग के प्रदाता भी शामिल हैं।
- पहुँच को अवरुद्ध करने के लिये ऐसा कोई भी अनुरोध लिखित में दिये गए कारणों पर आधारित होना चाहिये।

अन्य संबंधित कानून:

- भारत में समय-समय पर संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000, कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग से संबंधित सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- इसमें सभी 'मध्यस्थ' शामिल हैं जो कंप्यूटर संसाधनों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उपयोग में भूमिका निभाते हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश) नियम, 2011 में इस उद्देश्य के लिये बनाए गए अलग-अलग नियमों में मध्यस्थों की भूमिका का वर्णन किया गया है।

मध्यस्थों द्वारा अधिनियम का अनुपालन किये जाने का कारण:

- अंतर्राष्ट्रीय अनिवार्यताएँ:
- अधिकांश देशों ने कुछ परिस्थितियों में कानून और व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के साथ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं या वेब होस्टिंग सेवा प्रदाताओं तथा अन्य बिचौलियों द्वारा सहयोग को अनिवार्य बनाने वाले कानून बनाए हैं।
- साइबर अपराध से निपटने हेतु:
- वर्तमान में साइबर अपराध और कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित अन्य कई अपराधों से लड़ने की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता कंपनियों एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को महत्वपूर्ण माना जाता है।
- ऐसे अपराधों में हैकिंग, डिजिटल प्रतिरूपण और डेटा की चोरी शामिल होती है।
- इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकने हेतु:
- इंटरनेट के दुरुपयोग की संभावनाओं ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को इसके दुष्प्रभावों को रोकने हेतु इंटरनेट पर अधिक नियंत्रण के लिये प्रेरित किया है।

- मंकीपॉक्स वायरस पॉक्सविरिडे फैमिली (Poxviridae Family) में ऑर्थोपॉक्सवायरस जीनस (Orthopoxvirus Genus) का सदस्य है।
- गाँठदार त्वचा रोग (LSD):
- यह पॉक्सवायरस लम्पी स्किन डिज़ीज़ वायरस (LSDV) के कारण होने वाली उल्लेखनीय बीमारी है।
- यह मवेशियों और भैंसों को प्रभावित करती है, पशु स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाती है और महत्वपूर्ण उत्पादन एवं व्यापार नुकसान का कारण बनती है।
- अफ्रीकन स्वाइन फीवर (ASF):
- यह एक अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरल बीमारी है जो सभी उम्र के घरेलू और जंगली सूअर दोनों को प्रभावित करती है। ASF मानव स्वास्थ्य के लिये खतरा नहीं है और इसे सूअरों से मनुष्यों तक नहीं पहुँचाया जा सकता है।
- खुरपका-मुँहपका रोग:
- यह एक अत्यधिक संचारी रोग है जो कटे-फटे पैरों वाले जानवरों को प्रभावित करता है। यह बुखार, पुटिकाओं के गठन और मुँह में छाले, थन, निप्पल और पैर की उँगलियों के बीच एवं खुरों के ऊपर की त्वचा को प्रभावित करता है।
- भारत में इस रोग की व्यापकता देखी जाती है और यह पशुधन उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
- यह रोग सीधे संपर्क या परोक्ष रूप से संक्रमित जल, खाद, घास एवं चरागाहों के माध्यम से फैलता है। इसकी जानकारी पशुपालकों ने भी दी है। यह बरामद जानवरों, खेत के चूहों, साही और पक्षियों के माध्यम से फैलने के लिये जाना जाता है।
- रेबीज़:
- यह कुत्तों, लोमड़ियों, भेड़ियों, लकड़बग्घा और कहीं-कहीं यह चमगादड़ों (जो खून चूसते हैं) का रोग है।
- रेबीज़ वाले जानवर द्वारा काटे जाने पर यह रोग अन्य जानवरों या लोगों में फैल जाता है। रेबीज़ पैदा करने वाले रोगाणु बीमार (पागल) जानवर की लार में रहते हैं। यह एक जानलेवा बीमारी है लेकिन काटने वाला हर कुत्ता रेबीज़ से संक्रमित नहीं होता है।
- एवियन इन्फ्लुएंज़ा (बर्ड फ्लू):
- एवियन इन्फ्लुएंज़ा या बर्ड फ्लू पक्षियों की एक बीमारी है। इसके अलावा कुछ प्रकार के बर्ड फ्लू मनुष्यों को हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है।

पशु रोगों पर अंकुश लगाने के लिये सरकार की पहल:

- पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण:
- पशुधन और पशुओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये पशुपालन तथा डेयरी विभाग ने एक केंद्र प्रायोजित योजना "पशुधन स्वास्थ्य

एवं रोग नियंत्रण" (LH एंड DC) लागू की है, जिसमें राज्यों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करके आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशु रोगों के नियंत्रण व रोकथाम की परिकल्पना की गई है।

- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP):
- यह फुट एंड माउथ डिज़ीज़ और ब्रुसेल्लोसिस के नियंत्रण के लिये सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। FMD के लिये 100% मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, और सुअर आबादी तथा ब्रुसेल्लोसिस के लिये 4-8 माह के 100% गोजातीय मादा बछड़ों का टीकाकरण।
- इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक फुट एंड माउथ डिज़ीज़ (FMD) का टीकाकरण और वर्ष 2030 तक इसके पूर्ण उन्मूलन के साथ नियंत्रित करना है।

मिशन वात्सल्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण योजना को लेकर राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किये थे।

नए दिशा-निर्देश:

- दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि तक पहुँच प्राप्त करने के लिये राज्य योजना का मूल नाम नहीं बदल सकते हैं।
- राज्यों को फंड मिशन वात्सल्य परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB) के माध्यम से अनुमोदित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता WCD सचिव करेंगे, जो अनुदान जारी करने के लिये राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त वार्षिक योजनाओं और वित्तीय प्रस्तावों की जाँच और अनुमोदन करेंगे।
- इसे 60:40 के अनुपात में फंड-शेयरिंग पैटर्न के साथ राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ साझेदारी में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा।
- हालाँकि पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिये केंद्र और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का हिस्सा 90:10 में होगा।
- MVS, राज्यों और जिलों के साथ साझेदारी में बच्चों के लिये 24x7 हेल्पलाइन सेवा को क्रियान्वित करेगा, जैसा कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत परिभाषित किया गया है।
- यह राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों (SARA) का समर्थन करेगा जो देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करने में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) का समर्थन करेगा।

- SARA राज्य में दत्तक ग्रहण सहित गैर-संस्थागत देखभाल से संबंधित कार्यों का समन्वय, निगरानी और विकास करेगी।
- मिशन की योजना परित्यक्त और अवैध व्यापार किये गए बच्चों को प्राप्त करने के लिये प्रत्येक क्षेत्र में कम-से-कम एक विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी में पालना शिशु स्वागत केंद्र स्थापित करने की है।
- देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ-साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लिंग (ट्रांसजेंडर बच्चों के लिये अलग घरों सहित) और उम्र के आधार पर अलग-अलग घरों में रखा जाएगा।
- चूँकि वे शारीरिक या मानसिक अक्षमताओं के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं, इसलिये ये संस्थान व्यावसायिक चिकित्सा, वाक् चिकित्सा, वर्बल थेरेपी और अन्य उपचारात्मक कक्षाएँ प्रदान करने के लिये विशेष शिक्षक, चिकित्सक और नर्स प्रदान करेंगे।
- इसके अलावा इन विशिष्ट प्रभागों के कर्मचारियों को सांकेतिक भाषा, ब्रेल और अन्य संबंधित भाषाओं में पारंगत होना चाहिये।
- भागे हुए बच्चों, गुमशुदा बच्चों, तस्करी किये गये बच्चों, कामकाजी बच्चों, गली-मोहल्लों में रहने वाले बच्चों, बाल भिखारियों, मादक द्रव्यों के सेवन करने वाले बच्चों आदि की देखभाल के लिये राज्य सरकार द्वारा खुले आश्रयों की स्थापना का समर्थन किया जाएगा।
- विस्तारित परिवारों के साथ रहने वाले या पालक देखभाल में कमजोर बच्चों के लिये शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य आवश्यकताओं का समर्थन करते हुए वित्तीय सहायता भी निर्धारित की गई है।
- उद्देश्य:
- देश के प्रत्येक बच्चे के लिये स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना।
- बच्चों के विकास के लिये एक संवेदनशील, सहायक और समकालिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अधिदेश को वितरित करने में राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता करने हेतु उन्हें अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने व सभी प्रकार से पालन-पोषण में सहायता करने के अवसर सुनिश्चित करने के लिये सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करना।
- यह अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के 'संस्थागतकरण के सिद्धांत' के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार-आधारित गैर-संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देता है।

आगे की राह

- ये दिशा-निर्देश सही दिशा में हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, इन सभी पहलों से उनका जीवन आसान हो जाएगा।
- इन सभी पहलों को कुशलतापूर्वक और बेहतर गति से लागू करने की आवश्यकता है।

मिशन वात्सल्य:

- ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:
- वर्ष 2009 से पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु तीन योजनाओं को लागू किया:
 - ◆ देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ-साथ बच्चों हेतु किशोर न्याय कार्यक्रम,
 - ◆ सड़क पर रहने वाले बच्चों हेतु एकीकृत कार्यक्रम,
 - ◆ बाल गृह सहायता योजना।
- वर्ष 2010 में इन्हें एक ही योजना में मिला दिया गया जिसे एकीकृत बाल संरक्षण योजना के रूप में जाना जाता है।
- वर्ष 2017 में इसका नाम बदलकर "बाल संरक्षण सेवा योजना" कर दिया गया और फिर वर्ष 2021-22 में मिशन वात्सल्य के रूप में नामित किया गया।
- परिचय:
- यह देश में बाल संरक्षण सेवाओं हेतु अम्ब्रेला योजना है।
- मिशन वात्सल्य के तहत घटकों में सांविधिक निकायों के कामकाज में सुधार, सेवा वितरण संरचनाओं को मजबूत करना, संपन्न संस्थागत देखभाल और सेवाएँ, गैर-संस्थागत समुदाय-आधारित देखभाल को प्रोत्साहित करना, आपातकालीन पहुँच हेतु सेवाएँ एवं प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

किसान क्रेडिट कार्ड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र के गरीब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रगति की समीक्षा की।

किसान क्रेडिट कार्ड:

- परिचय:
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी। किसानों की ऋण आवश्यकताओं (कृषि संबंधी खर्चों) की पूर्ति के लिये पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करना, साथ ही आकस्मिक खर्चों के अलावा सहायक कार्यक्रमों से संबंधित खर्चों की पूर्ति करना। यह ऋण सुविधा एक सरल कार्यविधि के माध्यम से यथा- आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाती है।
- वर्ष 2004 में इस योजना को किसानों की निवेश ऋण आवश्यकता जैसे संबद्ध और गैर-कृषि गतिविधियों के लिये आगे बढ़ाया गया था।

- बजट-2018-19 में सरकार ने मत्स्य पालन और पशुपालन किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिये किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा के विस्तार की घोषणा की।
- कार्यान्वयन एजेंसियाँ:
 - ◆ वाणिज्यिक बैंक
 - ◆ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs)
 - ◆ लघु वित्त बैंक
 - ◆ सहकारी समितियाँ
- विशेषताएँ:
 - यह योजना एटीएम-सक्षम रुपे डेबिट कार्ड के साथ संबद्ध है जिसमें एकमुश्त दस्तावेजीकरण, सीमा में अंतर्निहित लागत वृद्धि और सीमा के भीतर किसी भी संख्या में निकासी की सुविधा है।
 - संतृप्ति सुनिश्चित करने के अलावा बैंक को आधार से जोड़ने के लिये भी तुरंत कदम उठाए जायेंगे क्योंकि आधार संख्या को केसीसी खातों से नहीं जोड़े जाने पर ब्याज सहायता प्रदान नहीं की जा सकती।
 - इसके अलावा सरकार ने KCC संतृप्ति के लिये कई पहल की हैं जिसमें पशुपालन और मत्स्य पालन में लगे किसानों को शामिल करना, KCC के तहत ऋण का कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं है एवं संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए करना शामिल है।
 - KCC सुविधा मत्स्य पालन और पशुपालन किसानों को जानवरों, पोल्ट्री पक्षियों, मछली, झींगा, अन्य जलीय जीवों के पालन एवं मछली पकड़ने की उनकी अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी।
- उद्देश्य:
 - फसलों की खेती के लिये अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना।
 - फसल के बाद का खर्च।
 - विपणन ऋण का उत्पादन करना।
 - किसान परिवारों की खपत आवश्यकताएँ।
 - कृषि संपत्ति और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के रखरखाव के लिये कार्यशील पूंजी।
 - कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिये निवेश ऋण की आवश्यकता।
 - वित्तीय प्रावधान:
 - किसानों को 7% प्रतिवर्ष की उचित लागत पर कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये:
 - ◆ भारत सरकार ने 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक फसल ऋण के लिये 2% की ब्याज सहायता योजना लागू की है।

- ◆ इसके अतिरिक्त भारत सरकार किसानों को 2% की ब्याज सहायता और 3% का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करती है।

KCC की उपलब्धियाँ:

- जून 2020 तक राष्ट्रव्यापी मत्स्य पालन हेतु KCC के लिये लगभग 25 लाख आवेदन स्वीकृत किये गए हैं।
- आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने एक विशेष सेचुरेशन कैम्पेन के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए के ऋण संवर्द्धन के साथ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को कवर करने की घोषणा की है।
- समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप 1.35 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृत ऋण सीमा के साथ KCC के तहत 1.5 करोड़ से अधिक किसानों को कवर करने का एक प्रमुख लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।

KCC का दुरुपयोग:

- क्रेडिट अक्सर आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को प्रदान किया जा रहा है।
- इस धन का उपयोग गैर-कृषि कार्यों हेतु किया जाता है, जैसे:
 - रियल एस्टेट में निवेश
 - वाहनों की खरीद पर
 - विदेशों में बच्चों की उच्च शिक्षा पर
- उच्च ऋण प्राप्त करने के लिये भूमि की मात्रा को बढ़ाया जाता है।
- KCC रूट का उपयोग धन शोधन के लिये किया जाता है।

सिफारिशें:

- सभी बैंकों को केसीसी के दिशा-निर्देशों का ठीक से पालन करना चाहिये, आवेदकों को KCC आवेदन की देय पावती दी जानी चाहिये, साथ ही आवेदन पर एक समयबद्ध निर्णय तय किया जाना चाहिये।
- अस्वीकृत के कारणों को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिये ताकि फील्ड अधिकारी सुधार कर सकें और फॉर्म को फिर से जमा कर सकें।
- KCC मालधारी (घुमंटू) समुदाय के उन लोगों को दिया जाना चाहिये जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं और न ही जिनके पास कोई संपार्श्विक सुरक्षा होती है।
- मालधारी गुजरात, भारत में एक आदिवासी चरवाहा समुदाय है। मूल रूप से यह एक खानाबदोश समुदाय है, जो जूनागढ़ जिले (मुख्य रूप से गिर वन) में बसने के बाद मालधारी के रूप में जाने जाते हैं।
- KCC उन गरीब मछुआरों को दिया जाना चाहिये जो कोई संपार्श्विक (Collateral) देने में असमर्थ हैं।

एनएफएसए रैंकिंग 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया गया।

सूचकांक के बारे में:

परिचय:

- यह सूचकांक राज्यों के साथ परामर्श के बाद देश भर में NFSA के कार्यान्वयन और विभिन्न सुधार पहलों की स्थिति एवं प्रगति के दस्तावेजीकरण का प्रयास करता है।
- यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किये गए सुधारों पर प्रकाश डालता है तथा सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एक क्रॉस-लर्निंग एन्वायरनमेंट व स्केल-अप सुधार उपायों का निर्माण करता है।
- वर्तमान सूचकांक काफी हद तक NFSA वितरण पर केंद्रित है और इसमें भविष्य में खरीद, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) वितरण शामिल होंगे।
- मूल्यांकन का आधार:
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिये सूचकांक का निर्माण तीन प्रमुख स्तंभों पर किया गया है, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से NFSA के एंड-टू-एंड कार्यान्वयन को कवर करता है। ये स्तंभ हैं:
 - i) NFSA - कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधान
 - ii) डिलीवरी प्लेटफॉर्म
 - iii) पोषण संबंधी पहल

राज्यों का प्रदर्शन:

- सामान्य श्रेणी के राज्य:
- ओडिशा पहले स्थान पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
- विशेष श्रेणी के राज्य:
- त्रिपुरा विशेष श्रेणी के राज्यों (उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और द्वीपीय राज्यों) में शीर्ष स्थान पर है।
- हिमाचल प्रदेश और सिक्किम क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
- सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य:
- पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सबसे निचले पाँच राज्यों में शामिल हैं।

IMPLEMENTING FOOD SECURITY

How the 20 'general category' states ranked in terms of NFSA implementation

TOP THREE

Rank	State	Index score
1	Odisha	0.836
2	Uttar Pradesh	0.797
3	Andhra Pradesh	0.794

BOTTOM THREE

18	Delhi	0.658
19	Chhattisgarh	0.654
20	Goa	0.631

सूचकांक का महत्व:

- अभ्यास के निष्कर्षों से पता चलता है कि अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग तथा ePoS इंस्टॉलेशन में अच्छा प्रदर्शन किया है, जो सुधारों की मजबूती और मानकों को दोहराता है।
- हालाँकि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कुछ क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में राज्य खाद्य आयोगों के कार्यों को अच्छी तरह से संचालित करने एवं उनका संचालन करने जैसे अभ्यास, अधिनियम की वास्तविक भावना को और मजबूत करेंगे।
- इससे राज्यों के बीच उनके प्रदर्शन को बेहतर करने के लिये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

सूचकांक से संबंधित चुनौतियाँ:

- इसमें NFSA के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को शामिल नहीं किया गया है।
- सूचकांक केवल TPDS संचालन की दक्षता को दर्शाता है, यह किसी निश्चित राज्य या संघ क्षेत्र में भूख, कुपोषण या दोनों के स्तर को नहीं दर्शाता है।

ओडिशा रैंकिंग का महत्व:

- ओडिशा ने वर्ष 2015 में राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के संचालन हेतु मजबूत एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण के साथ NFSA को अपनाने का निर्णय लिया।
- 25 करोड़ डिजिटल लाभार्थियों के डेटाबेस को सार्वजनिक किया गया है साथ ही और 378 राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (RCMS) केंद्र, 314 ब्लॉकों तथा 64 शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के डेटा को अद्यतन किया गया है।
- इसके अलावा खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग की 152 खाद्य भंडारण सुविधाओं को पूरी तरह से स्वचालित कर दिया गया

है, जिसमें 1.87 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की रीयल-टाइम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग राज्य भर में 12,133 उचित मूल्य स्टोरों को भेजी गई है।

- जुलाई 2021 से राज्य भर में वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) कार्यक्रम शुरू किया गया।
- इसके लागू होने के बाद PDS लाभार्थी अब खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये अपनी पसंद और सुविधा के किसी भी उचित मूल्य के राशन की दुकान या खुदरा विक्रेता को चुन सकते हैं।
- लगभग 1.10 लाख परिवार अंतर-राज्यीय सुविधा के माध्यम से राशन प्राप्त कर रहे हैं और 533 परिवारों को हर महीने अंतर-राज्यीय कार्यक्रम के माध्यम से राशन प्राप्त होता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) :

- अधिसूचित: 10 सितंबर, 2013।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
- कवरेज: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत ग्रामीण आबादी की 75 प्रतिशत और शहरी आबादी की 50 प्रतिशत आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है।
- पात्रता:
- राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत आने वाले प्राथमिकता वाले परिवार।
- अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किये गए परिवार।
- प्रावधान:
- प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो, गेहूँ 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो प्रदान करना।
- हालाँकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत मौजूदा प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करना जारी रहेगा।
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म से 6 माह बाद तक भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
- 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये भोजन।
- खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देना।
- ज़िला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

दूरस्थ मतदान सुविधा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने पायलट आधार पर प्रवासी श्रमिकों को दूरस्थ रूप से मतदान करने की अनुमति देने की संभावना का पता लगाने के लिये एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

- ECI के अनुसार, प्रवासी श्रमिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में आने वाली समस्याओं को देखने के लिये एक ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।
- वर्ष 2020 में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने रिमोट वोटिंग को सक्षम करने के लिये ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने का विचार भी प्रस्तावित किया। इसका उद्देश्य मतदान में भौगोलिक बाधाओं को दूर करना है।
- आयोग रिमोट वोटिंग की संभावना पर विचार कर रहा है जिससे लोग अपने कार्यस्थल से मतदान कर सकेंगे।
- वर्तमान में पोस्टल बैलेट केवल सेवा प्रदान करने वाले मतदाताओं के लिये हैं जैसे कि सेना के जवान जो वोट देने के लिये अपने क्षेत्र में वापस नहीं आ सकते।

रिमोट वोटिंग क्या है ?

- दूरस्थ मतदान किसी नियत मतदान केंद्र के अलावा कहीं और व्यक्तिगत रूप से हो सकता है या किसी अन्य समय पर हो सकता है या वोट डक द्वारा भेजे जा सकते हैं या नियुक्त प्रॉक्सी द्वारा डाले जा सकते हैं।
- विभिन्न राजनीतिक दलों से मांग की गई है कि चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवासी श्रमिक, एनआरआई (अनिवासी भारतीय) जो मतदान से चूक जाते हैं, क्योंकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिये चुनाव के दौरान घर जाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, उन्हें जिस शहर में वे काम कर रहे हैं, वहाँ के निर्वाचन क्षेत्र में उन्हें वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए। वोटिंग में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है ?
- चुनाव सुरक्षा, मतदाता पंजीकरण इंटीग्रिटी, मतदान पहुँच और मतदान पर बढ़ती चिंता ने सरकारों को आवश्यक लोकातांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास और भागीदारी बढ़ाने के साधन के रूप में ब्लॉकचेन-आधारित मतदान प्लेटफॉर्मों पर विचार करने के लिये प्रेरित किया है।
- 1970 के दशक से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का उपयोग अलग-अलग रूपों में किया गया है, जिसमें कागज़-आधारित प्रणालियों जैसे कि बड़ी हुई दक्षता और कम त्रुटियों पर मूलभूत लाभ हैं। वर्तमान में, प्रभावी ई-वोटिंग के लिये ब्लॉकचेन की व्यवहार्यता का पता लगाया जा रहा है।

- यहाँ तक कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में आयोग ने सेवा क्षेत्र (जिसमें सशस्त्र बलों, केंद्रीय अर्ध सैन्य बलों और विदेशों में भारतीय मिशनों में तैनात केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं) से जुड़े मतदाताओं के लिये एकतरफा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली (इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS)) का उपयोग किया था है।
- ब्लॉकचेन के विकेंद्रीकृत, पारदर्शी, अपरिवर्तनीय और एन्क्रिप्टेड गुण संभावित रूप से चुनाव छेड़छाड़ को कम करने और मतदान पहुँच को अधिकतम करने में मदद कर सकते हैं।
- असंगठित श्रमिकों का बढ़ता पंजीकरण: लगभग 10 मिलियन प्रवासी श्रमिक हैं, जो असंगठित क्षेत्र के लिये हैं, जो सरकार के ई-श्रम पोर्टल के साथ पंजीकृत हैं। यदि रिमोट वोटिंग परियोजना को लागू किया जाता है, तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।
- स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ: मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है क्योंकि वे भी मुख्य विचार-विमर्श बन रहे हैं। इस संदर्भ में दूरस्थ मतदान सुविधा के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी।

संभावित कार्य:

- एक ब्लॉकचेन रिमोट वोटिंग प्रक्रिया में कार्यक्रम स्थल पर एक बहुस्तरीय आईटी-सक्षम प्रणाली (बायोमेट्रिक्स और वेब कैमरों की मदद से) का उपयोग करके मतदाता पहचान जारी करना शामिल होगा।
- सिस्टम द्वारा मतदाता की पहचान स्थापित करने के बाद, एक ब्लॉकचेन-सक्षम व्यक्तिगत ई-बैलेट पेपर (स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट) तैयार किया जाएगा।
- जब वोट डाला जाता है (स्मार्ट अनुबंध निष्पादित), तो मतपत्र सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट किया जाएगा और एक ब्लॉकचेन हैशटैग (#) उत्पन्न होगा। यह हैशटैग अधिसूचना विभिन्न हितधारकों यानी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को भेजी जाएगी।
- रिमोट वोटिंग की आवश्यकता क्यों है ?
- प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण: मतदाता अपने पंजीकरण के स्थान से शहरों और अन्य स्थानों पर शिक्षा, रोजगार और अन्य उद्देश्यों के लिये प्रवासन करते हैं। उनके लिये वोट डालने के लिये अपने पंजीकृत मतदान केंद्रों पर लौटना मुश्किल हो जाता है।
- यह भी देखा किया गया कि उत्तराखंड के दुमक और कलगोट जैसे गाँवों में, लगभग 20-25% पंजीकृत मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अपना वोट डालने में असमर्थ हैं क्योंकि उन्हें नौकरी या शैक्षिक कारण से मोटे तौर पर अपने गाँव/राज्य से बाहर जाना पड़ता है।
- मतदान प्रतिशत में कमी: वर्ष 2019 के आम चुनावों के दौरान, कुल 910 मिलियन मतदाताओं में से लगभग 300 मिलियन नागरिकों ने अपना वोट नहीं डाला।
- लगभग 30 करोड़ मतदाता हैं जिन्होंने विभिन्न और स्पष्ट कारणों से मतदान नहीं किया था।
- महानगरीय क्षेत्रों के बारे में चिंताएँ: चुनाव आयोग ने शहरी क्षेत्रों में किसी भी मतदाता के लिये 2 किमी. के भीतर मतदान केंद्र स्थापित किये जाने के बावजूद कुछ महानगरों/शहर क्षेत्रों में कम मतदान के बारे में चिंता व्यक्त की। शहरी क्षेत्रों में मतदान की उदासीनता को दूर करने की आवश्यकता महसूस की गई।

रिमोट वोटिंग से जुड़ी कमियाँ क्या हैं ?

- सुरक्षा: कोई भी नई प्रौद्योगिकी प्रणाली, जिसमें ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और अन्य पर आधारित प्रणाली शामिल है, साइबर हमलों और अन्य सुरक्षा कमजोरियों के प्रति संवेदनशील हैं।
- प्रौद्योगिकी-आधारित मतदान प्रणाली में गोपनीयता जोखिम और चिंताएँ भी शामिल हो सकती हैं।
- सत्यता और सत्यापन: इसके अलावा यूएक मतदाता सत्यापन प्रणाली जो बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है, जैसे कि चेहरे की पहचान, मतदाता पहचान में सकारात्मक या नकारात्मक झूठी जानकारी दे सकती है, इस प्रकार से धोखाधड़ी को बल मिलता है।
- इंटरनेट कनेक्शन और मालवेयर सुरक्षा: सुरक्षा हेतु विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन वाले मतदाताओं पर निर्भरता है। इंटरनेट की पहुँच और उपलब्धता और ई-सरकारी सेवाओं का उपयोग कुछ देशों तक ही सीमित है।
- मतदाताओं के उपकरणों पर सॉफ्टवेयर त्रुटियाँ या मालवेयर भी वोट कार्रवाई को प्रभावित कर सकते हैं।
- गोपनीयता: मतदाता गोपनीयता और अंतिम परिणामों की अखंडता की रक्षा के लिये चुनावों में हमेशा उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। चुनावों की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने का मतलब है कि ऑनलाइन वोटिंग तकनीक से उन बाधाओं को दूर करना होगा जो मतदाता की गोपनीयता के लिये खतरा उत्पन्न कर सकती हैं।
- पसंदीदा वातावरण: यह भी संभव है कि मतदान अनियंत्रित वातावरण में हो। यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से और बिना जबरदस्ती के मतदान करे।
- एक जोखिम यह है कि कोई अन्य व्यक्ति मतदाता की ओर से मतदान करता है, इसलिये मतदाता की पहचान करना मुश्किल है।

आगे की राह

- कानूनी ढाँचा: चुनाव, कई अन्य सरकारी प्रक्रियाओं की तरह, कानूनों के एक सेट के अनुसार करवाए जाते हैं, जो आमतौर पर एक

संविधान या चुनावी कोड में निर्धारित होते हैं। इनमें से कई का कानूनी ढाँचे में स्पष्ट विवरण होता है कि चुनाव के दौरान मतपत्र कैसे डाले जा सकते हैं और उन मतपत्रों में क्या शामिल है।

- चुनाव की सत्यनिष्ठा बनाए रखना: एक ऑनलाइन मतदान प्रणाली को यह सत्यापन प्रदान करने में भी सक्षम होना चाहिये कि उसने सफलतापूर्वक चुनाव की अखंडता बनाए रखी है और मतदान या मिलान प्रक्रिया के दौरान कोई हेरफेर नहीं हुआ है।
- हितधारकों की स्वीकार्यता: यह महत्वपूर्ण है कि रिमोट वोटिंग की किसी भी प्रणाली को चुनावी प्रणाली के सभी हितधारकों - मतदाताओं, राजनीतिक दलों और चुनाव मशीनरी के विश्वास और स्वीकार्यता को ध्यान में रखना होगा, अधिकारियों को सीखना होगा ने समिति को सूचित किया है। राजनीतिक सहमति रिमोट वोटिंग शुरू करने का एक रास्ता है।
- विश्वास और पारदर्शिता: यहाँ तक कि सभी उचित कानूनी ढाँचे के साथ, एक ऑनलाइन वोटिंग प्रणाली का उपयोग करना व्यर्थ होगा यदि सरकार या आम जनता इसकी सुरक्षा, अखंडता और सटीकता में आश्वस्त नहीं थी।
- इस कारण से ऑनलाइन वोटिंग तकनीक की पारदर्शिता सुनिश्चित करने, अंतिम परिणामों में विश्वास बनाने में मदद करने के लिये कई पारदर्शिता उपायों को विकसित करना होगा।
- अन्य प्रस्तावित सुधार: स्थायी समिति उन प्रमुख चुनावी सुधारों पर विचार कर रही है जो प्रस्तावित किये गए हैं, जिसमें आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना शामिल है। समिति ने तीन अन्य प्रस्तावित चुनावी सुधारों को भी लेने का फैसला किया है, जिसमें रिमोट वोटिंग, झूठे हलफनामे दाखिल करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई और ग्राम पंचायत से संसद तक सभी चुनाव कराने के लिये एक आम मतदाता सूची शामिल है।

निष्कर्ष

रिमोट वोटिंग सुविधा की अवधारणा एक उल्लेखनीय पहल है, इसके अलावा इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में और अधिक मूल्य जोड़ने की संभावना है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ हैं और उन चुनौतियों पर काम किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिस्टम में उचित जांच और संतुलन हो ताकि मतदान हो सके। रिमोट से मतलब फ्री एंड फेयर के साथ-साथ हर तरह से सुरक्षित चुनाव हो।

श्रम संहिताओं के लिये केंद्र का प्रयत्न

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार वर्ष 2020 में प्रस्तुत किये गए चार श्रम संहिताओं (2019 में वेतन संहिता अधिनियम) को लागू करने पर जोर दे रही है, जो श्रम कानूनों के 29 सेटों का स्थान लेंगी।

- श्रम संहिताओं में 4 संस्करण शामिल हैं: वेतन संहिता अधिनियम, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2020; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता विधेयक, 2020।

श्रम संहिताओं के बारे में:

- वेतन संहिता अधिनियम, 2019:
- परिचय:
 - ◆ विधेयक का उद्देश्य पुराने और अप्रचलित श्रम कानूनों को अधिक जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाना तथा देश में न्यूनतम वेतन व श्रम सुधारों की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करना है।
 - ◆ यह उन सभी रोजगार क्षेत्रों में वेतन और बोनस भुगतान को नियंत्रित करता है जहाँ कोई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय या विनिर्माण किया जा रहा है।
 - ◆ विधेयक निम्नलिखित चार श्रम कानूनों को समाहित करता है:
 - ◆ न्यूनतम मजदूरी कानून, 1948
 - ◆ मजदूरी भुगतान कानून, 1936
 - ◆ बोनस भुगतान कानून, 1965
 - ◆ समान पारितोषिक कानून, 1976
 - ◆ वेतन संहिता सभी कर्मचारियों के लिये न्यूनतम वेतन और वेतन के समय पर भुगतान के प्रावधानों को सार्वभौमिक बनाती है तथा प्रत्येक कर्मचारी के लिये "निर्वाह का अधिकार" सुनिश्चित करने का प्रयास करती है, साथ ही न्यूनतम मजदूरी के विधायी संरक्षण को मजबूत करती है।
 - ◆ विधेयक में यह सुनिश्चित किया गया है कि मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख तक वेतन मिलेगा, साप्ताहिक आधार पर काम करने वालों को सप्ताह के आखिरी दिन वेतन मिलेगा और दैनिक वेतनभोगियों को उसी दिन वेतन मिल जाएगा।
 - ◆ केंद्र सरकार को श्रमिकों के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार है। यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिये अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सकती है।
 - ◆ केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी, फ्लोर वेज (Floor Wage) से अधिक होनी चाहिये।
- औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2020:
- औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ताओं के लिये अनिवार्य है जहाँ 100 या अधिक श्रमिक हैं, रोजगार की शर्तों और कामगारों के लिये आचरण के नियमों को स्थायी आदेशों/सेवा नियमों के माध्यम से स्पष्ट रूप से परिभाषित करने तथा काम करने वाले कर्मचारियों को उनसे अवगत कराना अनिवार्य बनाता है।

- ◆ स्थायी आदेश का नया प्रावधान हर उस औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होगा जिसमें पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन 300 या 300 से अधिक कर्मचारी कार्यरत रहे या कार्यरत थे।
 - ◆ यह पहली श्रम संबंधी स्थायी समिति द्वारा सुझाया गया था जिसने यह भी सुझाव दिया था कि सीमा को संहिता के अनुसार बढ़ाया जाए और 'उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित' शब्दों को हटा दिया जाए क्योंकि कार्यकारी मार्ग के माध्यम से श्रम कानूनों में सुधार अवांछनीय है तथा जहाँ तक संभव हो इससे बचना चाहिये।
 - ◆ कानून बनने के बाद आदेश राज्य सरकारों के अधिकारियों की मर्जी और पसंद पर निर्भर नहीं होंगे।
 - यह वैध हड़ताल करने के लिये नई शर्तें भी पेश करता है। वैध हड़ताल पर जाने से पहले श्रमिकों के लिये शर्तों में मध्यस्थता की कार्यवाही अवधि को शामिल किया गया है, जबकि वर्तमान में केवल समझौते का समय शामिल है।
 - ◆ किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कोई भी व्यक्ति बिना 60 दिन के नोटिस और न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाही के दौरान तथा ऐसी कार्यवाही के समापन के 60 दिन बाद हड़ताल पर नहीं जाएगा।
 - ◆ वर्तमान में जनोपयोगी सेवा में कार्यरत कोई व्यक्ति तब तक हड़ताल पर नहीं जा सकता जब तक कि वह हड़ताल पर जाने से पहले छह सप्ताह के भीतर या ऐसा नोटिस देने के 14 दिनों के भीतर हड़ताल का नोटिस नहीं देता, यह IR कोड अब सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू करने का प्रस्ताव करता है।
 - इसने छंटनी किये गए कामगारों के प्रशिक्षण के लिये नियोक्ता के योगदान के साथ पुनः कौशल निधि स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है, जो श्रमिक द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन के 15 दिनों की राशि के बराबर होगी।
 - सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2020:
 - संहिता ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, निश्चित अवधि के कर्मचारियों और गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों आदि को शामिल करके कवरेज क्षेत्र को व्यापक बना दिया है।
 - साथ ही गिग वर्कर्स को नियोजित करने वाले एग्रीगेटर्स को सामाजिक सुरक्षा के लिये अपने वार्षिक टर्नओवर का 1-2% योगदान करना होगा, कुल योगदान एग्रीगेटर द्वारा गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स को देय राशि के 5% से अधिक नहीं होना चाहिये।
 - व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता विधेयक, 2020:
 - इसने अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों को ऐसे श्रमिक के रूप में परिभाषित किया है जो एक राज्य से आकर दूसरे राज्य में अपने दम पर रोजगार प्राप्त करते हैं और प्रतिमाह 18,000 रुपए तक आय अर्जित करते हैं।
 - प्रस्तावित परिभाषा संविदात्मक रोजगार की वर्तमान परिभाषा से अलग है।
 - इसने कार्यस्थलों के पास श्रमिकों के लिये अस्थायी आवास हेतु पहले के प्रावधान को हटा दिया है और यात्रा भत्ता का प्रस्ताव दिया है जो कर्मचारी को रोजगार के स्थान से उनके मूल स्थान तक की यात्रा के लिये नियोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा।
- ### श्रम संहिता के लाभ:
- वेतन अधिनियम की संहिता, 2019:
 - इससे मुकदमेबाजी कम होने और नियोक्ता के लिये इसका अनुपालन सरलता से किये जाने की उम्मीद है।
 - यह न्यूनतम मजदूरी की मौजूदा 2000 से अधिक दरों से देश में न्यूनतम मजदूरी की संख्या को काफी हद तक कम कर देगा।
 - इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि हर कामगार को न्यूनतम वेतन मिले, जिससे कामगार की क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
 - जटिल कानूनों का समेकन और सरलीकरण:
 - तीन संहिताएँ (IR, SS और OSHW) 25 केंद्रीय श्रम कानूनों को कम करके श्रम कानूनों को सरल बनाती हैं।
 - ◆ यह उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देगा तथा परिभाषाओं की बहुलता एवं व्यवसायों के लिये प्राधिकरण की बहुलता को कम करेगा।
 - एकल लाइसेंसिंग तंत्र:
 - संहिता एकल लाइसेंसिंग तंत्र प्रदान करती है।
 - ◆ यह लाइसेंसिंग तंत्र में व्यापक सुधार लाकर उद्योगों को प्रोत्साहन देगा। वर्तमान में उद्योगों को विभिन्न कानूनों के तहत अपने लाइसेंस के लिये आवेदन करना होता है।
 - आसान विवाद समाधान:
 - संहिता औद्योगिक विवादों से निपटने वाले पुरातन कानूनों को भी सरल बनाती है और विवाद प्रक्रियाओं को संशोधित करती है जो विवादों के शीघ्र समाधान के लिये मार्ग प्रशस्त करेगी।
 - व्यापार करने में आसानी:
 - कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार, इस तरह के सुधार से निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा व्यापार करने में आसानी होगी।
 - यह जटिलता को कम करता है और आंतरिक विरोधाभास बढ़ाता है तथा सुरक्षा/कार्य स्थितियों पर नियमों का आधुनिकीकरण करता है।
 - श्रमिकों हेतु अन्य लाभ:
 - तीनों संहिताएँ निश्चित अवधि के रोजगार को बढ़ावा देंगी, मजदूर संघ के प्रभाव को कम और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार करेंगी।

- लैंगिक समानता:
- महिलाओं को हर क्षेत्र में रात में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिये, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उनकी सुरक्षा का प्रावधान नियोजित द्वारा किया जाए और रात में काम करने से पहले महिलाओं की सहमति ली जाए।
- मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) के तहत महिलाओं को खदानों में काम करने की अनुमति दी गई थी।
- महिला श्रमिकों को उनके पुरुष समकक्षों के समान भुगतान करना।

श्रम संहिताओं के समक्ष चुनौतियाँ:

- संवैधानिक चुनौती:
- श्रम समवर्ती सूची का विषय होने के कारण केंद्र और राज्यों दोनों को इस पर कानून एवं नियम बनाने का अधिकार है।
 - ◆ जबकि संसद ने वर्ष 2020 में चार श्रम संहिताओं को मंजूरी दे दी और केंद्र ने सभी चार संहिताओं के लिये मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित कर दिया था, वहीं कुछ राज्य सरकारों ने अभी तक प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है।
- औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक:
- यह 300 से कम श्रमिकों वाले छोटी कंपनियों में श्रमिकों के श्रम अधिकारों में कमी करेगा और कंपनियों को श्रमिकों के लिये मनमानी सेवा शर्तें पेश करने में सक्षम बनाएगा।
- मजदूरी संहिता अधिनियम:
- यह आरोप लगाया गया है कि नया वेतन कोड संगठित श्रमिकों की आय क्षमता और क्रय शक्ति को बढ़ाएगा जबकि असंगठित श्रमिकों में भुखमरी को और आगे बढ़ाएगा।
- बहिष्करण की चुनौती:
- मसौदा नियम श्रम सुविधा पोर्टल पर सभी श्रमिकों (आधार कार्ड के साथ) के पंजीकरण को किसी भी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में सक्षम होने के लिये अनिवार्य करते हैं।
- इससे श्रमिकों का आधार-संचालित बहिष्करण हो जाएगा और जानकारी की कमी के कारण श्रमिक स्वयं पंजीकरण करने में असमर्थ होंगे।
- शहरी केंद्रित:
- ये कोड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बहुमत के लिये सामाजिक सुरक्षा के किसी भी रूप का विस्तार करने में विफल रहते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से प्रवासी श्रमिक, स्व-नियोजित श्रमिक, घरेलू श्रमिक और अन्य कमजोर समूह सहित ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं।
- अधिकार विहीन आधारित ढाँचा:
- संहिता सामाजिक सुरक्षा को एक अधिकार के रूप में महत्व नहीं देती है, न ही यह संविधान द्वारा निर्धारित इसके प्रावधान का संदर्भ प्रदान करती है।

आगे की राह

- प्रवासी कार्यबल की देखभाल:
- मसौदा नियमों के लिये यह स्पष्ट रूप से बताना महत्वपूर्ण है कि प्रवासी असंगठित कार्यबल के संबंध में उनकी प्रयोज्यता कैसे सामने आएगी।
- इस संदर्भ में सरकार की एक भारत एक राशन कार्ड की योजना सही दिशा में एक कदम है।
- CSR व्यय के तहत कौशल:
- बड़े कॉरपोरेट घरानों को भी CSR खर्च के तहत असंगठित क्षेत्रों में लोगों को कुशल बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिये।
- अदृश्य श्रम को पहचानना:
- घरेलू कामगारों के अधिकारों को पहचानने और बेहतर काम करने की स्थिति को बढ़ावा देने के लिये जल्द-से-जल्द एक राष्ट्रीय नीति लाने की जरूरत है।
- अन्य उपाय:
- असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिये भी एक बहुत ही मजबूत, विश्वसनीय और अनुकूल सामाजिक सुरक्षा पैकेज तैयार करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये स्वीकृत ईंधन: CAQM

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) राज्यों को वायु प्रदूषण को कम करने के लिये अनुमोदित ईंधन की एक मानक सूची अपनाने का निर्देश दिया है।
- CAQM द्वारा अनुमोदित ईंधन की मानक सूची में पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन/मीथेन, प्राकृतिक गैस, तरल पेट्रोलियम गैस (LPG) और विद्युत् शामिल हैं।
 - कई उद्योग पाइपड नेचुरल गैस (PNG) एवं बायोमास जैसे स्वच्छ ईंधन स्रोत की ओर स्थानांतरित हो गए हैं, जबकि कई अन्य औद्योगिक क्षेत्र जैसे- खाद्य प्रसंस्करण, आसवनी और रसायन उद्योग आदि स्वच्छ ईंधन स्रोत की ओर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया में हैं।
 - एनसीआर क्षेत्र के उद्योगों को बायोमास और PNG जैसे स्वच्छ ईंधनों स्रोतों की ओर स्थानांतरित करना प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है (उदाहरण के लिये राजस्थान में अलवर और भिवाड़ी के उद्योग)।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM):

- परिचय:
- CAQM राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
- ◆ इससे पहले आयोग का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश, 2021 की घोषणा के माध्यम से किया गया था।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 ने 1998 में NCR में स्थापित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) को भी भंग कर दिया।
- उद्देश्य:
- वायु गुणवत्ता सूचकांक की समस्याओं से जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिये उचित समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान सुनिश्चित करना।
- विस्तार:
- आसपास के क्षेत्रों को NCR से सटे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ प्रदूषण का कोई भी स्रोत NCR में वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- संरचना:
- आयोग का नेतृत्व एक पूर्णकालिक अध्यक्ष करेगा जो भारत सरकार का सचिव या राज्य सरकार का मुख्य सचिव रहा हो।
- अध्यक्ष तीन वर्ष के लिये या 70 वर्ष की आयु तक पद पर रहेगा।
- इसमें कई मंत्रालयों के सदस्यों के साथ-साथ हितधारक राज्यों के प्रतिनिधि भी होंगे।
- इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और सिविल सोसाइटी के विशेषज्ञ होंगे।
- कार्य:
- संबंधित राज्य सरकारों (दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) द्वारा की गई समन्वित कार्रवाई।
- एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिये योजना बनाना तथा उसे क्रियान्वित करना।
- वायु प्रदूषकों की पहचान के लिये एक रूपरेखा प्रदान करना।
- तकनीकी संस्थानों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से अनुसंधान और विकास का संचालन करना।
- वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिये एक विशेष कार्यबल का प्रशिक्षण और गठन करना।

- वृक्षारोपण बढ़ाने और पराली जलाने से रोकने से संबंधित विभिन्न कार्य योजनाएँ तैयार करना।

जमानत कानून में सुधार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को रेखांकित किया कि जमानत से संबंधित कानून में सुधार किया जाना अति आवश्यक है और सरकार से यूनाइटेड किंगडम के कानून की तर्ज पर एक विशेष कानून बनाने पर विचार करने का आह्वान किया।

न्यायालय के निर्णय के बारे में:

- दो न्यायाधीशों की बेंच ने जुलाई 2021 में जमानत कानून में सुधार (Bail Reform), (सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI) पर दिये गए एक पुराने फैसले को लेकर कुछ स्पष्टीकरण जारी किये हैं।
- निर्णय अनिवार्य रूप से आपराधिक प्रक्रिया के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों की पुनरावृत्ति है।
- देश में जेलों की स्थिति, जहाँ दो-तिहाई से अधिक विचाराधीन कैदी हैं, का उल्लेख करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि गिरफ्तारी एक कठोर उपाय है जिसका संयम से प्रयोग किये जाने की आवश्यकता है।
- सैद्धांतिक रूप से न्यायालय ने मनमानी गिरफ्तारी के विचार को "जेल नही, जमानत" के नियम की अनदेखी करने वाले न्यायाधीशों की औपनिवेशिक मानसिकता से जोड़ा है।
- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) पहली बार 1882 में तैयार की गई थी और समय-समय पर संशोधनों के साथ इसका उपयोग जारी है।

जमानत के संबंध में भारत का कानून:

- CrPC जमानत शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन केवल भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों को 'जमानती' और 'गैर-जमानती' के रूप में वर्गीकृत करता है।
- CrPC जमानती अपराधों के लिये न्यायाधीशों को जमानत देने का अधिकार देता है।
- इसमें जमानतनामा या जमानत बॉण्ड प्रस्तुत न करने पर भी रिहाई होगी।
- गैर-जमानती अपराध के मामले में एक न्यायाधीश ही यह निर्धारित करेगा कि आरोपी जमानत पर रिहा होने के योग्य है या नहीं।
- गैर-जमानती अपराध संज्ञेय हैं जो पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने में सक्षम बनाता है।

- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436 में कहा गया है कि P.C के तहत एक जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी जा सकती है। दूसरी ओर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437 में कहा गया है कि गैर-जमानती अपराधों में आरोपी को जमानत का अधिकार नहीं है। गैर-जमानती अपराधों के मामले में जमानत देना अदालत का विवेकाधिकार है।

यूनाइटेड किंगडम में जमानत कानून:

- यूनाइटेड किंगडम का जमानत अधिनियम, 1976 जमानत देने की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
- इसका एक प्रमुख विशेषता यह है कि कानून का एक उद्देश्य "कैदियों की आबादी के आकार को कम करना" है।
- कानून में प्रतिवादियों के लिये कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के प्रावधान भी हैं।
- अधिनियम जमानत दिये जाने के लिये एक "सामान्य अधिकार" को मान्यता देता है।
- इसकी धारा 4 (1) के अनुसार, यह कानून उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसे अधिनियम की अनुसूची 1 में दिये गए प्रावधान में जमानत दी जाएगी।
- जमानत खारिज करने के लिये अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि जमानत हेतु प्रतिवादी पर विश्वास करने के लिये आधार मौजूद हैं कि वह हिरासत में आत्मसमर्पण नहीं करेगा, न ही जमानत पर रहते हुए अपराध करेगा या गवाहों के साथ हस्तक्षेप करेगा और न ही न्याय के मार्ग में बाधा डालेगा, तब तक प्रतिवादी को अपने कल्याण या सुरक्षा के लिये या अन्य परिस्थितियों में हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिये।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुधारों हेतु बनाए गए नियम:

- जमानत हेतु अलग कानून:
- न्यायालय ने रेखांकित किया कि CrPC में स्वतंत्रता के बाद किये गए संशोधनों के बावजूद यह बड़े पैमाने पर अपने मूल ढाँचे को बरकरार रखता है, जैसा कि अपने विषयों पर औपनिवेशिक शक्ति द्वारा तैयार किया गया था।
- न्यायालय ने कहा कि फैसलों के बावजूद संरचनात्मक रूप से संहिता अपने आप में मौलिक स्वतंत्रता के मुद्दे के रूप में गिरफ्तारी के लिये जिम्मेदार नहीं है।
- इसने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यह जरूरी नहीं कि मजिस्ट्रेट अपनी विवेकाधीन शक्तियों का समान रूप से प्रयोग करें।
- न्यायालय के निर्णयों में एकरूपता और निश्चितता न्यायिक व्यवस्था की नींव है।
- एक ही तरह के अपराध के आरोपी व्यक्तियों के साथ एक ही न्यायालय या अलग-अलग न्यायालय द्वारा कभी भी भिन्न व्यवहार नहीं किया जाएगा।
- इस तरह की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का गंभीर उल्लंघन होगी।
- न्यायालय एक अलग कानून बनाने की वकालत करता है जो जमानत देने से संबंधित है।
- विवेकहीन गिरफ्तारियाँ:
- न्यायालय ने कहा कि बहुत अधिक एवं विवेकहीन गिरफ्तारियों की प्रवृत्ति, विशेष रूप से गैर-संज्ञेय अपराधों के लिये अनुचित है।
 - ◆ इसने इस बात पर जोर दिया कि संज्ञेय अपराधों के लिये भी गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है और इसे "आवश्यक" होना चाहिये।
 - ◆ इस तरह की आवश्यक गिरफ्तारी भविष्य में किसी भी अपराध को रोकने के लिये उचित जाँच और सबूत के गायब करने या सबूत के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिये की जाती है।
 - ◆ ऐसे व्यक्ति को तथ्यों या सबूतों के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकने के लिये उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है, ताकि उसे उक्त तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके।
 - ◆ एक और आधार जिस पर गिरफ्तारी आवश्यक हो सकती है, वह यह है कि जब न्यायालय के समक्ष उसकी उपस्थिति आवश्यक हो और वह उपस्थित न हो।
- निचली न्यायालय का इस बात से संतुष्ट होना आवश्यक है कि शर्तों को पूरा किया गया है, इसी आधार "कोई गैर-अनुपालन आरोपी को जमानत लेने का हकदार होगा"।
- जमानत आवेदन:
- संहिता की धारा 88, 170, 204 और 209 के तहत आवेदन पर विचार करते समय जमानत आवेदन पर जोर देने की जरूरत नहीं है।
 - ◆ ये धाराएँ मुकदमे के विभिन्न चरणों से संबंधित हैं जिनके आधार पर मजिस्ट्रेट आरोपी की रिहाई पर फैसला कर सकता है।
 - ◆ ये मजिस्ट्रेट की पेशी के लिये बॉण्ड लेने की शक्ति (धारा 88) से लेकर समन जारी करने की शक्ति (धारा 204) तक हैं।
 - ◆ सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने कहा कि इन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट को नियमित रूप से एक अलग जमानत आवेदन पर जोर दिये बिना जमानत देने पर विचार करना चाहिये।
- राज्यों के लिये निर्देश:
- सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को आदेशों का पालन करने और विवेकहीन गिरफ्तारी से बचने के लिये स्थायी आदेशों की सुविधा प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

- ◆ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) पहले ही अपने अधिकार क्षेत्र के तहत विशेष न्यायाधीशों को न्यायालय के पहले के आदेशों से अवगत करा चुकी है।

- यह निश्चित रूप से न केवल अनुचित गिरफ्तारी को रोकेगा बल्कि विभिन्न न्यायालयों के समक्ष जमानत आवेदनों को भी रोकेगा क्योंकि सात साल तक के अपराधों के लिये इनकी आवश्यकता भी नहीं हो सकती है।

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली हेतु कानूनी ढाँचा:

- भारतीय दंड संहिता (IPC) भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है जिसे वर्ष 1834 में स्थापित भारत के पहले विधि आयोग की सिफारिशों पर चार्टर अधिनियम, 1833 के तहत वर्ष 1860 में लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में तैयार किया गया था।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) भारत में वास्तविक आपराधिक कानून के प्रशासन के लिये मुख्य कानून है। यह वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल, 1974 को लागू हुआ था।

मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 20:
- अनुच्छेद 20 यह कहते हुए मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है कि "कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय, जिसमें वह अपराधी के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक सजा का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किये जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी।"
- अनुच्छेद 21:
- अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है।
- किसी व्यक्ति की नज़रबंदी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।
- अनुच्छेद 22:
- अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 22 का पहला भाग सामान्य कानून से संबंधित है और इसमें शामिल हैं:
 - ◆ गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का अधिकार।
 - ◆ एक विधि व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार।

- ◆ यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार।
- ◆ 24 घंटे के बाद रिहा होने का अधिकार जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत के लिये अधिकृत नहीं करता

आगे की राह

- पुलिस कर्मियों के बीच कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, एक क्षेत्र में शिकायतों की संख्या के अनुपात में पुलिस कर्मियों और स्टेशनों की संख्या में वृद्धि करना तथा आपराधिक न्याय प्रणाली में सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं मनोवैज्ञानिकों को शामिल करना।
- पीड़ित के अधिकारों और स्मार्ट पुलिसिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है। पुलिस अधिकारियों की दोषसिद्धि की दर और उनके द्वारा कानून का पालन न करने की दर का अध्ययन करने की आवश्यकता है।
- जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने रेखांकित किया है, देश में विचाराधीन मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिये जमानत पर एक अलग कानून का मसौदा तैयार किया जाना चाहिये।
- समाज के विभिन्न वर्गों से पुलिस बल में समावेशन बढ़ाना, ताकि किसी भी जाति/वर्ग/समुदाय के खिलाफ मनमानी गिरफ्तारी से बचने के लिये संतुलित मानसिकता प्रदान की जा सके।

मध्यस्थता विधेयक, 2021 पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मध्यस्थता विधेयक, 2021 में पर्याप्त बदलाव की अनुशंसा की है।

- न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से यह विधेयक दिसंबर, 2021 में राज्यसभा में पेश किया गया था।
- जैसे ही विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया, राज्यसभा के सभापति ने इसे जाँच के लिये भेज दिया।

पैनल द्वारा उठाए गए मुद्दे:

- पूर्व मुकदमेबाजी:
- पैनल ने पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता की अनिवार्यता की प्रकृति सहित कई प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला।
- मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता को आवश्यक बनाने के परिणामस्वरूप मामले में देरी हो सकती है क्योंकि यह मामले के निपटान में विलंब करने के लिये यह एक और साधन प्रदान कर सकता है।
- खंड 26:
- पैनल मसौदे के 26 वें खंड के खिलाफ था जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को उनके अनुसार पूर्व-मुकदमे के कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

- गैर-व्यावसायिक विवादों के संदर्भ में इसका लागू न होना:
- सदस्यों ने सरकार और उसकी एजेंसियों से जुड़े गैर-व्यावसायिक प्रकृति के विवादों/मामलों पर विधेयक के प्रावधानों के लागू न होने पर सवाल उठाया।
- नियुक्तियाँ:
- पैनल ने प्रस्तावित मध्यस्थता परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता व नियुक्ति के संबंध में भी चर्चा की।

सिफारिशें:

- पूर्व मुकदमेबाजी:
- इसने पूर्व-मुकदमा मध्यस्थता को वैकल्पिक बनाने की सिफारिश की और सभी नागरिक तथा वाणिज्यिक विवादों के लिये इसे तत्काल प्रभाव से शुरू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से पेश किया।
- वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत पूर्व-मुकदमा मध्यस्थता को लागू करते समय अन्य मामलों की श्रेणियों में इसे अनिवार्य करने से पहले अध्ययन किया जाना चाहिये।
- अध्यक्ष की नियुक्ति:
- पैनल ने सिफारिश की कि केंद्र सरकार एक चयन समिति के माध्यम से भारतीय मध्यस्थता परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर सकती है।
 - ◆ विधेयक में यह कहा गया था कि 'वैकल्पिक विवाद समाधान' से संबंधित समस्याओं से निपटने वाले लोग मध्यस्थता में 'क्षमता', 'ज्ञान और अनुभव' के आधार पर परिषद के सदस्य व अध्यक्ष बन सकते हैं।
- प्रत्येक राज्य में चिकित्सा परिषद की स्थापना:
- भारतीय मध्यस्थता परिषद को आवंटित कर्तव्यों और दायित्वों की विशाल शृंखला को देखते हुए प्रत्येक राज्य में मध्यस्थता परिषदों की स्थापना की जानी चाहिये।
- इन राज्य मध्यस्थता परिषदों को भारतीय मध्यस्थता परिषद के सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के तहत ऐसे कार्यों को करना चाहिये जो वह निर्दिष्ट कर सकते हैं।
- विशिष्ट पंजीकरण संख्या
- मध्यस्थता परिषद को प्रत्येक मध्यस्थ के लिये एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या जारी करना चाहिये और उन प्रावधानों को बिल में शामिल करना चाहिये ताकि मध्यस्थता परिषद को नियमित रूप से प्रशिक्षण सत्र आयोजित करके मध्यस्थ का लगातार मूल्यांकन करने की अनुमति मिल सके तथा वार्षिक आधार पर मध्यस्थता का संचालन करने के लिये पात्र बनने हेतु मध्यस्थ एक न्यूनतम संख्या में क्रेडिट अंक अर्जित कर सकें।

- मध्यस्थों को पंजीकृत करने वाले कई निकायों के बजाय, प्रस्तावित मध्यस्थता परिषद को मध्यस्थों के पंजीकरण और मान्यता के लिये नोडल प्राधिकरण बनाया जाना चाहिये।
- समय-सीमा को कम करना:
- पैनल ने समय-सीमा को 180 दिनों से घटाकर 90 दिन करने और 180 दिनों के बजाय 60 दिनों की विस्तार अवधि की सिफारिश की।
- फिर से परिभाषित करना:
- उन्होंने मध्यस्थता की नई परिभाषा को फिर से तैयार करने की भी सिफारिश की और इसे खंड 4 के तहत अलग से नहीं रखा क्योंकि यह पहले से ही खंड 3 में दी गई है।

मध्यस्थता विधेयक, 2021 की मुख्य विशेषता:

- विधेयक का उद्देश्य न्यायालय या ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप की मांग करने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से किसी भी नागरिक या वाणिज्यिक विवाद को निपटाना है।
- दो मध्यस्थता सत्रों के बाद एक पक्ष मध्यस्थता से हट सकता है।
- मध्यस्थता प्रक्रिया को 180 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिये, जिसे 180 दिनों के लिये और बढ़ा सकते हैं।
- पूरी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिये भारत मध्यस्थता परिषद की स्थापना की जाएगी।
- इसके कार्यों में मध्यस्थों को पंजीकृत करना और मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं और मध्यस्थता संस्थानों को मान्यता देना शामिल है।
- इसके अलावा मध्यस्थता के परिणामस्वरूप होने वाले समझौते बाध्यकारी और न्यायालय के निर्णयों के समान ही लागू करने योग्य होंगे।

मध्यस्थता:

- मध्यस्थता एक स्वैच्छिक, बाध्यकारी प्रक्रिया है जिसमें एक निष्पक्ष और तटस्थ मध्यस्थ विवादित पक्षों के बीच समझौता कराने में मदद करता है।
- मध्यस्थ विवाद का कोई समाधान प्रदान नहीं करता है बल्कि एक अनुकूल वातावरण बनाता है जिसमें विवादित पक्ष अपने सभी विवादों को हल कर सकते हैं।
- मध्यस्थता विवाद समाधान का एक आजमाया हुआ और परखा हुआ वैकल्पिक तरीका है। यह दिल्ली, रांची, जमशेदपुर, नागपुर, चंडीगढ़ एवं औरंगाबाद शहरों में सफल साबित हुआ है।
- मध्यस्थता एक संरचित प्रक्रिया है जहाँ एक तटस्थ व्यक्ति विशेष संचार और बातचीत तकनीकों का उपयोग करता है तथा मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग लेने वाले पक्षों द्वारा स्पष्ट रूप से इसका समर्थन किया जाता है।

- मध्यस्थता के अलावा कुछ अन्य विवाद समाधान विधियाँ जैसे- विवाचन (Arbitration), बातचीत (Negotiation) और सुलह (Conciliation) हैं।
- मध्यस्थता एक प्रकार का वैकल्पिक विवाद समाधान है क्योंकि वे मुकदमेबाजी का विकल्प प्रदान करते हैं।
- ADR कार्यवाही पार्टियों द्वारा शुरू की जा सकती है या कानून, न्यायालय या संविदात्मक प्रावधानों द्वारा अनिवार्य है।



मिशन शक्ति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'मिशन शक्ति' योजना हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

- 'मिशन शक्ति' के मानदंड 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे।

मिशन शक्ति:

- परिचय:
- 'मिशन शक्ति' को 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान लॉन्च किया गया है।
- ◆ मिशन शक्ति एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम है जिसे महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तीकरण हेतु अम्ब्रेला योजना के रूप में कार्यान्वयन हेतु शुरू किया गया है।
- घटक:
- संबल:
 - ◆ यह महिलाओं की सुरक्षा के लिये है।
 - ◆ संबल' उप-योजना के घटकों में नारी अदालतों के एक नए घटक के साथ वन स्टॉप सेंटर (OSC), महिला हेल्पलाइन (WHL), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) की पूर्ववर्ती

योजनाएँ शामिल हैं, इसके अलावा यह योजना समाज और परिवार के भीतर वैकल्पिक विवाद के समाधान एवं लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने का काम करेगी।

सामर्थ्य(Samarthya):

- ◆ यह महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये है।
- ◆ 'सामर्थ्य' उप-योजना के घटकों में उज्वला, स्वाधार गृह और कामकाजी महिला छात्रावास की पूर्ववर्ती योजनाओं को संशोधनों के साथ शामिल किया गया है।
- ◆ इसके अलावा कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये राष्ट्रीय क्रेच योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) अम्ब्रेला योजना के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) की मौजूदा योजनाओं को अब सामर्थ्य योजना में शामिल किया गया है।
- ◆ सामर्थ्य योजना में आर्थिक सशक्तीकरण के लिये गैप फंडिंग (Gap Funding for Economic Empowerment) का एक नया घटक भी जोड़ा गया है।

सेवाएँ और गतिविधियाँ:

- आपातकालीन/तत्काल सेवाएँ और अल्पकालिक देखभाल:
- राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर और एकीकृत सेवाएँ जैसे- अस्थायी आश्रय, कानूनी सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श, चिकित्सा सहायता, पुलिस सुविधा और उन्हें वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से मौजूदा सेवाओं से जोड़ना।
- दीर्घकालिक समर्थन के लिये संस्थागत देखभाल:
- इसमें गर्भाधान के चरण से लेकर उस समय तक महिलाओं की जरूरतों का ख्याल रखा जाता है जब तक उन्हें इस तरह की देखभाल और समर्थन की आवश्यकता नहीं होती।
- सखी निवास या वर्किंग वुमन हॉस्टल, कामकाजी महिलाओं के लिये एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा।

महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा की रोकथाम के लिये संचार:

- इसमें बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम और लैंगिक संवेदनशीलता के लिये सामुदायिक जुड़ाव शामिल होगा।
 - इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ हिंसा और लैंगिक रूढ़ियों का मुकाबला करने के लिये पुरुषों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
- मिशन शक्ति का उद्देश्य:
- हिंसा से प्रभावित महिलाओं एवं संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल और व्यापक निरंतर देखभाल, समर्थन और सहायता प्रदान करना।
 - सहायता की आवश्यकता वाली महिलाओं और अपराध तथा हिंसा पीड़ितों के बचाव, संरक्षण और पुनर्वास के लिये गुणवत्ता तंत्र स्थापित करना।

- विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिये उपलब्ध विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुँच में सुधार करना।
 - दहेज, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने और लैंगिक समानता आदि को बढ़ावा देने के लिये सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ-साथ कानूनी प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक करना।
 - नीतियों, कार्यक्रमों/योजनाओं के अभिसरण के लिये सहयोगी मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ सहयोग और सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिये सक्षम वातावरण बनाना।
 - लिंग आधारित लिंग चयन उन्मूलन के लिये बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना।
 - यह महिलाओं पर देखभाल के बोझ को कम करने और कौशल विकास, क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता, माइक्रोक्रेडिट तक पहुँच आदि को बढ़ावा देकर महिला श्रम बल की भागीदारी को बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
- उन्हें ग्राहकों को यह बताना होगा कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक और वैकल्पिक हैं।
 - सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि होटल और रेस्तराँ को अब सेवा शुल्क के संग्रह के आधार पर प्रवेश या सेवाओं को सीमित करने की अनुमति नहीं है।
 - इसके अलावा होटलों को अपने बिलों में सेवा शुल्क जोड़ने और कुल GST जमा करने की अनुमति नहीं है।
 - किसी भी टिप, टोकन, दान आदि को होटल के कर्मचारियों और उपभोक्ता के बीच एक अलग लेन-देन के रूप में माना जाएगा जो उपभोक्ता के लिये पूरी तरह से स्वैच्छिक है।
 - सुधार प्रक्रिया:
 - अगर कोई होटल या रेस्तराँ सेवा शुल्क ले रहा है तो ग्राहक संबंधित होटल या रेस्तराँ को बिल से सेवा शुल्क हटाने के लिये कह सकता है या फिर 1915 नंबर पर कॉल करके या NCH मोबाइल एप के माध्यम से NCH पर शिकायत दर्ज करा सकता है।
 - ◆ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन मुकदमेबाजी के पूर्व स्तर पर एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में कार्य करती है।
 - इसके त्वरित और प्रभावी निवारण के लिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से edaakhil.nic.in के माध्यम से उपभोक्ता आयोग के पास अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है।

सेवा शुल्क

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचने और सेवा शुल्क का आकलन करने वाले होटलों और रेस्तराँ में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिये नियम जारी किये हैं।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA):

- इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA) 2019 के तहत स्थापित किया गया था।
- यह उपभोक्ता अधिकारों के दुरुपयोग, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विपणन, जो कि जनता के हित में हानिकारक हैं, को नियंत्रित करने का अधिकार रखता है।
- इसके पास CPA, 2019 की धारा 18 के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, प्रचार और सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम के तहत उनके अधिकारों के उल्लंघन को रोकने का अधिकार है।
- इसके अलावा यह उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल न हो और इसे उपभोक्ताओं के अधिकारों को लागू करने के लिये दिशा-निर्देश जारी करने का भी अधिकार है।

नए दिशा-निर्देश:

- परिचय:
- इसके अनुसार होटल और रेस्तराँ में सेवा शुल्क (Service Charge) चार्ज के नाम पर बिल में स्वतः या डिफॉल्ट रूप से अतिरिक्त चार्ज वसूलने पर रोक है।

सेवा शुल्क:

- यह ग्राहक और रेस्तराँ कर्मियों, विशेष रूप से प्रतीक्षा कर्मचारियों के बीच एक टिप या सीधा लेन-देन है।
- यह एक मुख्य उत्पाद या सेवा की खरीद से संबंधित सेवाओं के लिये ली जाने वाली लागत है।
- यह आतिथ्य और खाद्य एवं पेय उद्योगों द्वारा उपभोक्ताओं की सेवा के लिये शुल्क के रूप में एकत्र किया जाता है।
- नए दिशा-निर्देश जारी करने का कारण:
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर भुगतान बिलों में अनावश्यक रूप से सेवा शुल्क लगाने से संबंधित अत्यधिक शिकायतें दर्ज की गई थीं।
- बिल में अक्सर कुछ अन्य शुल्कों की आड़ में कुल राशि के रूप में अतिरिक्त राशि वसूली जा रही थी।
- नए नियमों के अनुसार, किसी उपभोक्ता से मैन्यू पर खाद्य पदार्थों की कीमत और लागू करों से अधिक शुल्क लेना CPA के तहत 'अनुचित व्यापार व्यवहार' माना जाता है।

आगे की राह

- ये नए नियामक दिशा-निर्देश आवश्यक थे क्योंकि कई होटल और रेस्तराँ आदि लोगों से भारी मात्रा में सेवा शुल्क वसूल रहे थे तथा साथ ही मनमाना मूल्य निर्धारण भी कर रहे थे।

- अब ग्राहक शुल्क का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं होंगे और यह एक स्वैच्छिक विकल्प होगा, लेकिन देश भर में इन नियमों के बेहतर कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

चर्चा में क्यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना को सभी जिलों में लागू किया जाएगा।

दिशा-निर्देश:

- मंत्रालय ने अब जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) में प्रतिवर्ष 2 अंक सुधार और संस्थागत प्रसव में 95% या उससे अधिक सुधार का लक्ष्य रखा है।
- 'खेलो इंडिया' के तहत प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें उपयुक्त प्राधिकारियों से जोड़कर खेलों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाना है।
- आत्मरक्षा शिविरों को बढ़ावा देना, लड़कियों के लिये शौचालयों का निर्माण, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में PC-PNDT (पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक) अधिनियम 1994 के बारे में जागरूकता आदि।
- PC-PNDT अधिनियम का उद्देश्य पूर्व गर्भाधान या बाद में लिंग चयन तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना और लिंग-चयनात्मक गर्भपात के लिये प्रसव-पूर्व निदान तकनीक के दुरुपयोग को रोकना है।
- शून्य-बजट विज्ञापन और ज़मीनी प्रभाव वाली गतिविधियों पर अधिक खर्च को प्रोत्साहित करना।
- वर्ष 2021 में महिलाओं के सशक्तीकरण पर संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि BBBP योजना में लगभग 80% धन का उपयोग विज्ञापनों के लिये किया गया है, न कि महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा पर।
- घरेलू हिंसा और तस्करी सहित हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की मदद के लिये स्थापित वन-स्टॉप सेंटर (OSC) को मज़बूत करना, उन जिलों में 300 OSC जोड़कर, जहाँ या तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों की उच्च दर है या भौगोलिक रूप से बड़े हैं, विशेषतः आकांक्षी जिलों में।

IN THE WORKS

■ Additional 300 One-Stop Centres to be set up; existing centres to be upgraded

■ Govt to introduce free day-care crèche facilities through Palna

■ Half-Way Homes to be set up under Anti-

Trafficking Units, where a group of victims, ready for reintegration, can live and work out of

■ Hubs for empowerment of women to be set up at Central, states and districts levels to merge and monitor schemes

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:

- परिचय:
- इसे जनवरी 2015 में लिंग चयनात्मक गर्भपात (Sex Selective Abortion) और गिरते बाल लिंग अनुपात (Declining Child Sex Ratio) को संबोधित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जो 2011 में प्रति 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियाँ थी।
- यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है।
- यह कार्यक्रम देश के 405 जिलों में लागू किया जा रहा है।
- मुख्य उद्देश्य:
- लिंग आधारित चयन पर रोकथाम।
- बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं के लिये शिक्षा की उचित व्यवस्था तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना।
- योजना का प्रदर्शन:
- जन्म के समय लिंग अनुपात:
- स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (Health Management Information System- HMIS) से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014-15 में जन्म के समय लिंग अनुपात 918 था जो वर्ष 2019-20 में 16 अंकों के सुधार के साथ बढ़कर 934 हो गया है।
- महत्वपूर्ण उदाहरण:
- मऊ (उत्तर प्रदेश) में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 तक लिंग अनुपात 694 से बढ़कर 951 हुआ है।
- करनाल (हरियाणा) में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 तक यह अनुपात 758 से बढ़कर 898 हो गया है।

- महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 तक यह 791 से बढ़कर 919 हो गया।
 - स्वास्थ्य:
 - ANC पंजीकरण: पहली तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल (AnteNatal Care- ANC) पंजीकरण में सुधार का रुझान वर्ष 2014-15 के 61% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 71% देखा गया है।
 - संस्थागत प्रसव में सुधार का प्रतिशत वर्ष 2014-15 के 87% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 94% तक पहुँच गया है।
 - शिक्षा:
 - सकल नामांकन अनुपात (GER): शिक्षा के लिये एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (UDISE) के अंतिम आँकड़ों के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं के सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio-GER) में 77.45 (वर्ष 2014-15) से 81.32 (वर्ष 2018-19) तक सुधार हुआ है।
 - ◆ लड़कियों के लिये शौचालय: लड़कियों के लिये अलग शौचालय वाले स्कूलों का प्रतिशत वर्ष 2014-15 में 92.1% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 95.1% हो गया है।
 - मनोवृत्ति परिवर्तन:
 - ◆ BBBP योजना कन्या भ्रूण हत्या के महत्वपूर्ण मुद्दे, लड़कियों के बीच शिक्षा की कमी और जीवन चक्र निरंतरता पर उनको अधिकारों से वंचित करने पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम रही है।
 - ◆ बेटी जन्मोत्सव प्रत्येक जिले में मनाए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।
- संबंधित पहल:
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
 - सुकन्या समृद्धि योजना
 - सीबीएसई उड़ान योजना
 - माध्यमिक शिक्षा हेतु लड़कियों को प्रोत्साहन राष्ट्रीय योजना
 - राष्ट्रीय बालिका दिवस
 - किशोरियों हेतु योजना

सामाजिक न्याय

स्वयं सहायता समूह

चर्चा में क्यों ?

सरकार स्वयं सहायता समूहों (Self-Help Groups-SHGs) में प्रत्येक महिला की वार्षिक आय को वर्ष 2024 तक 1 लाख रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

SHGs के बारे में:

- परिचय:
- स्वयं सहायता समूह (SHG) कुछ ऐसे लोगों का एक अनौपचारिक संघ होता है जो अपने रहन-सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिये स्वेच्छा से एक साथ आते हैं।
- सामान्यतः एक ही सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का ऐसा स्वैच्छिक संगठन स्वयं सहायता समूह (SHG) कहलाता है, जिसके सदस्य एक-दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्याओं का समाधान करते हैं।
- SHG स्वरोजगार और गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहित करने के लिये "स्वयं सहायता" (Self-Employment) की धारणा पर भरोसा करता है।
- उद्देश्य:
- रोजगार और आय सृजन गतिविधियों के क्षेत्र में गरीबों तथा हाशिए पर पड़े लोगों की कार्यात्मक क्षमता का निर्माण करना।
- सामूहिक नेतृत्व और आपसी चर्चा के माध्यम से संघर्षों को हल करना।
- बाजार संचालित दरों पर समूह द्वारा तय की गई शर्तों के साथ संपार्श्विक मुक्त ऋण (Collateral Free Loans) प्रदान करना।
- संगठित स्रोतों से उधार लेने का प्रस्ताव रखने वाले सदस्यों के लिये सामूहिक गारंटी प्रणाली के रूप में कार्य करना।
 - ◆ गरीब लोग अपनी बचत जमा कर उसे बैंकों में जमा करते हैं। बदले में उन्हें अपनी सूक्ष्म इकाई उद्यम शुरू करने हेतु कम ब्याज दर के साथ ऋण तक आसान पहुँच प्राप्त होती है।

SHGs की आवश्यकता:

- हमारे देश में ग्रामीण निर्धनता का एक कारण ऋण और वित्तीय सेवाओं तक उचित पहुँच का अभाव है।

- 'देश में वित्तीय समावेशन' पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने हेतु डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने वित्तीय समावेशन की कमी के चार प्रमुख कारणों की पहचान की, जो इस प्रकार हैं:
- संपार्श्विक सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थता
- खराब ऋण शोधन क्षमता
- संस्थानों की अपर्याप्त पहुँच
- कमजोर सामुदायिक नेटवर्क
- ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत सामुदायिक नेटवर्क के अस्तित्व को क्रेडिट लिंकेज के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक के रूप में तेजी से पहचान मिली है।
- वे गरीबों को ऋण प्राप्त करने में मदद करते हैं, इस प्रकार गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- वे गरीबों, विशेषकर महिलाओं के बीच सामाजिक पूंजी के निर्माण में भी मदद करते हैं। यह महिलाओं को सशक्त बनाता है।
- स्वरोजगार के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता में कई बाहरी पहलू भी शामिल हैं जैसे कि साक्षरता स्तर में सुधार, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और यहाँ तक कि बेहतर परिवार नियोजन।

SHGs का महत्त्व:

- सामाजिक समग्रता:
- SHGs दहेज, शराब आदि जैसी प्रथाओं का मुकाबला करने के लिये सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करते हैं।
- लिंग समानता:
- SHGs महिलाओं को सशक्त बनाते हैं और उनमें नेतृत्व कौशल विकसित करते हैं। अधिकार प्राप्त महिलाएँ ग्राम सभा व अन्य चुनावों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेती हैं।
- इस देश के साथ-साथ अन्यत्र भी इस बात के प्रमाण हैं कि स्वयं सहायता समूहों के गठन से समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के साथ परिवार में उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनके आत्म-सम्मान में भी वृद्धि होती है।
- हाशिये पर पड़े वर्ग के लिये आवाज:
- सरकारी योजनाओं के अधिकांश लाभार्थी कमजोर और हाशिए पर स्थित समुदायों से हैं, इसलिये SHGs के माध्यम से उनकी भागीदारी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है।

- वित्तीय समावेशन:
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के मानदंड और रिटर्न का आश्वासन बैंकों को SHGs को ऋण देने के लिये प्रोत्साहित करता है। नाबार्ड द्वारा अग्रणी SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने ऋण तक पहुँच को आसान बना दिया है तथा पारंपरिक साहूकारों एवं अन्य गैर-संस्थागत स्रोतों पर निर्भरता कम कर दी है।
- रोजगार के वैकल्पिक स्रोत:
- यह सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना में सहायता प्रदान करके कृषि पर निर्भरता को आसान बनाता है, उदाहरण के लिये व्यक्तिगत व्यावसायिक उद्यम जैसे- सिलाई, किराना और उपकरण मरम्मत की दुकानें आदि।

संबंधित मुद्दे:

- कौशल के उन्नयन का अभाव:
- अधिकांश SHGs नए तकनीकी नवाचारों और कौशल का उपयोग करने में असमर्थ हैं। क्योंकि नई प्रौद्योगिकियों से संबंधित सीमित जागरूकता है, साथ ही उनके पास इसका उपयोग करने के लिये आवश्यक कौशल नहीं है। इसके अलावा प्रभावी तंत्र की कमी भी है।
- कमजोर वित्तीय प्रबंधन:
- यह भी पाया गया है कि कतिपय इकाइयों में व्यवसाय से प्राप्त होने वाले प्रतिफल को इकाइयों में उचित रूप से निवेश नहीं किया जाता है, बल्कि धन को अन्य व्यक्तिगत और घरेलू उद्देश्यों जैसे विवाह, घर के निर्माण आदि के लिये उपयोग कर लिया जाता है।
- अपर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएँ:
- उत्पाद चयन, उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादन तकनीक, प्रबंधकीय क्षमता, पैकिंग, अन्य तकनीकी ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में एसएचजी के सदस्यों को दी गई प्रशिक्षण सुविधाएँ मजबूत इकाइयों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।
- विशेष रूप से महिला SHGs के बीच स्थिरता और एकता की कमी:
- महिलाओं के वर्चस्व वाले SHGs के मामले में यह पाया गया है कि इकाइयों में कोई स्थिरता नहीं है क्योंकि कई विवाहित महिलाएँ अपने निवास स्थान में बदलाव के कारण समूह के साथ जुड़ने की स्थिति में नहीं हैं।
- इसके अलावा व्यक्तिगत कारणों से महिला सदस्यों के बीच कोई एकता नहीं है।
- अपर्याप्त वित्तीय सहायता:
- यह पाया गया है कि अधिकांश स्वयं सहायता समूहों में संबंधित एजेंसियों द्वारा उन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता उनकी वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वित्तीय अधिकारी श्रम लागत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भी पर्याप्त सब्सिडी नहीं दे रहे हैं।

महिला सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका:

- स्वयं सहायता समूह (SHG) आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में महिला लचीलापन और उद्यमिता के सबसे शक्तिशाली इन्व्यूबेटरों में से एक है। यह गाँवों में लैंगिक सामाजिक निर्माण को बदलने के लिये एक शक्तिशाली चैनल है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ अब आय के स्वतंत्र स्रोत बनाने में सक्षम हैं, जबकि कई युवा अर्द्ध-साक्षर महिलाएँ थीं जिनके पास घरेलू कौशल है, पूंजी और प्रतिगामी सामाजिक मानदंडों की अनुपस्थिति उन्हें किसी भी निर्णय लेने की भूमिका में पूरी तरह से शामिल होने तथा अपना स्वतंत्र व्यवसाय स्थापित करने से रोकती है।
- महिलाएँ कई क्षेत्रों में बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट (BC), बैंक सखियों, किसान सखियों और पाशु सखियों के रूप में काम कर रही हैं।

आगे की राह

- उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के इस युग में महिलाएँ अपनी स्वाधीनता, अधिकारों और स्वतंत्रता, सुरक्षा, सामाजिक स्थिति आदि के लिये अधिक जागरूक हैं, लेकिन आज तक वे इससे वंचित हैं, इसलिये उन्हें सम्मान के साथ उनके योग्य अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिये।
- SHG समाज के ग्रामीण तबके की महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- इसके अलावा सरकारी कार्यक्रमों को विभिन्न SHG के माध्यम से लागू किया जा सकता है। यह न केवल पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करेगा बल्कि हमारे समाज को महात्मा गांधी की कल्पना के अनुसार 'स्व-शासन' के करीब लाएगा।

खिलाड़ियों हेतु नकद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण एवं पेंशन योजनाएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण, पेंशन और खेल विभाग (dbtyas-sports.gov.in) की योजनाओं के लिये वेब पोर्टल एवं राष्ट्रीय खेल विकास निधि वेबसाइट (nsdf.yas.gov.in) की संशोधित योजनाओं की शुरुआत की।

योजनाओं में संशोधन:

- इन योजनाओं हेतु प्रत्यक्ष प्रयोज्यता (Applicability):
- अब कोई भी व्यक्तिगत खिलाड़ी तीनों योजनाओं के लिये सीधे आवेदन कर सकता है (पहले प्रस्ताव खेल संघों/SAI के माध्यम से प्राप्त होते थे, जिसमें आमतौर पर 1-2 साल से अधिक का समय लगता था)।

- ◆ आवेदकों को अब विशेष आयोजन के समापन की अंतिम तिथि से छह महीने के भीतर नकद पुरस्कार योजना के लिये ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन:
- डेफलम्पिक्स के खिलाड़ियों को भी पेंशन का लाभ दिया गया है।
- कार्यान्वयन हेतु वेब पोर्टल:
- इन योजनाओं को लागू करने एवं लाभ प्रदान करने के लिये खेल विभाग (DoS) ने उपरोक्त योजनाओं में आवेदन करने वाले खिलाड़ियों की सुविधा हेतु वेब पोर्टल dbtyas-sports.gov.in विकसित किया है।
- यह ऑनलाइन पोर्टल खिलाड़ियों के आवेदनों की रीयल टाइम ट्रैकिंग और उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (OTP) के माध्यम से प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।
- ◆ मंत्रालय को अब आवेदनों को भौतिक रूप से जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- पोर्टल खिलाड़ियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यक रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही डेटा प्रबंधन का कार्य भी करेगा।
- राष्ट्रीय खेल विकास कोष (NSDF):
- DoS ने 'राष्ट्रीय खेल विकास कोष' (NSDF) के लिये समर्पित इंटरैक्टिव वेबसाइट nsdf.yas.gov.in भी विकसित की है।
- ◆ यह फंड देश में खेलों के प्रचार और विकास के लिये केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), निजी कंपनियों तथा व्यक्तियों आदि के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान पर आधारित है।
- व्यक्तिगत, संस्था और कॉर्पोरेट संगठन अब पोर्टल के माध्यम से खिलाड़ियों, खेल सुविधाओं तथा खेल आयोजनों के लिये सीधे योगदान कर सकते हैं।
- ◆ NSDF कोष का उपयोग 'लक्ष्य ओलंपिक पोज़ियम' (TOP) योजना, प्रख्यात खिलाड़ियों और खेल संगठनों द्वारा बुनियादी ढाँचों के विकास आदि के लिये किया जाता है।
- ◆ यह योजना उन खिलाड़ियों पर लागू होगी, जो भारतीय नागरिक हैं और जिन्होंने ओलंपिक और एशियाई खेलों में विश्व कप/ विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीते हैं।
- ◆ खिलाड़ी को पेंशन उसके 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर देय होगी और यह उसके जीवनकाल के दौरान जारी रहेगी।
- दी गई सहायता:
 - ◆ ओलंपिक/पैरालंपिक खेलों में पदक विजेता को 20,000 रुपए।
 - ◆ विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता (ओलंपिक/एशियाई खेलों में) को 16,000 रुपए।
 - ◆ विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप (ओलंपिक/एशियाई खेल) में रजत/कांस्य पदक विजेता और एशियाई खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों/ पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 14,000 रुपए।
 - ◆ एशियाई खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों/पैरा एशियाई खेलों में रजत और कांस्य पदक विजेता को 12,000 रुपए।
- अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेताओं व उनके प्रशिक्षकों हेतु नकद पुरस्कार की योजना:
- नकद पुरस्कार की योजना वर्ष 1986 में शुरू की गई और वर्ष 2020 में संशोधित की गई थी।
- उत्कृष्ट खिलाड़ियों की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना, उन्हें उच्च उपलब्धियों के लिये प्रोत्साहित और प्रेरित करना तथा युवा पीढ़ी को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिये प्रेरक रोल मॉडल के रूप में कार्य करना।
- पुरस्कार निम्नलिखित विषयों में दिये जाएंगे:
 - ◆ ओलंपिक खेलों/एशियाई खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में
 - ◆ शतरंज
 - ◆ बिलियर्ड्स और सूकर

नोट:

उत्कृष्ट खिलाड़ी का अर्थ ऐसे खिलाड़ी से है जिसने राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा आयोजित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैंपियनशिप (वरिष्ठ श्रेणी) में व्यक्तिगत स्पर्धाओं और टीम स्पर्धाओं में प्रथम तीन में स्थान हासिल किया है, जिसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, या भारतीय ओलंपिक संघ के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय खेलों, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के तत्वावधान में आयोजित अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंट या जिसने ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खेल विधाओं में वरिष्ठ श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है।

संशोधित योजना:

- मेधावी खिलाड़ियों की पेंशन के लिये खेल कोष:
- परिचय:
 - ◆ इसका उद्देश्य ओलंपिक खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों, पैरालंपिक खेलों में शामिल विधाओं में पदक विजेताओं को सक्रिय खेलों से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद या 30 वर्ष की आयु के बाद आजीवन मासिक पेंशन प्रदान करना है।

खिलाड़ियों के लिये पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष (PDUNWFS):

- PDUNWFS की स्थापना वर्ष 1982 में (2016 में संशोधित) की गई थी, जिसका उद्देश्य उन मेधावी खिलाड़ियों की सहायता करना था, जिन्होंने खेल में देश को गौरवान्वित किया था।
- पेंशन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है क्योंकि मेधावी खिलाड़ियों के लिये पहले से ही पेंशन की एक योजना है।
- निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये किया जाएगा:
- मेधावी खिलाड़ियों को उपयुक्त सहायता प्रदान करना।
 - ◆ गरीबी में रह रहे मेधावी खिलाड़ियों को उपयुक्त सहायता।
 - ◆ चोट की प्रकृति के आधार पर प्रतियोगिताओं के लिये अपने प्रशिक्षण की अवधि के दौरान और प्रतियोगिताओं के दौरान भी घायल होने पर।
 - ◆ अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश को गौरवान्वित करने वाले मेधावी खिलाड़ियों को कठिन प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप या किसी अन्य कारणवश विकलांग होने पर उपयुक्त सहायता प्रदान करना तथा चिकित्सा उपचार में मदद करना है।

विश्व जनसंख्या संभावनाएँ 2022

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना (WPP) रिपोर्ट के 2022 संस्करण के अनुसार, भारत के वर्ष 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन से आगे निकलने का अनुमान है।

World Population	Year
1 billion	1804
2 billion	1927
3 billion	1959
4 billion	1974
5 billion	1987
6 billion	1998
7 billion	2011
8 billion	2022

Source: United Nations Population Fund

विश्व जनसंख्या संभावनाएँ:

- संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या प्रभाग वर्ष 1951 से द्विवार्षिक रूप में WPP प्रकाशित कर रहा है।
- WPP का प्रत्येक संशोधन वर्ष 1950 से शुरू होने वाले जनसंख्या संकेतकों की एक ऐतिहासिक समय शृंखला प्रदान करता है।

- यह प्रजनन, मृत्यु दर या अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन में पिछले रुझानों के अनुमानों को संशोधित करने के लिये नए जारी किये गए राष्ट्रीय डेटा को ध्यान में रखते हुए ऐसा करता है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- जनसंख्या वृद्धि: लेकिन वृद्धि दर कम
- वैश्विक जनसंख्या वर्ष 2030 में लगभग 8.5 बिलियन, वर्ष 2050 में 9.7 बिलियन और वर्ष 2100 में 10.4 बिलियन तक बढ़ने की संभावना है।
- वर्ष 1950 के बाद पहली बार वर्ष 2020 में वैश्विक विकास दर 1% प्रति वर्ष से कम हुई।
- दरें देशों और क्षेत्रों में बहुत भिन्न हैं:
- वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि का आधे से अधिक केवल आठ देशों में केंद्रित होगा:
 - ◆ ये हैं- कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंजानिया।
- 46 सबसे कम विकसित देश (LDCs) दुनिया के सबसे तेजी से जनसंख्या वृद्धि वाले देशों में से हैं।
 - ◆ संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की उपलब्धि में चुनौतियों का सामना करते हुए वर्ष 2022 और वर्ष 2050 के बीच कई देशों की आबादी दोगुनी होने का अनुमान है।
- बुजुर्गों की बढ़ती आबादी:
- 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैश्विक आबादी का हिस्सा वर्ष 2022 में 10% से बढ़कर वर्ष 2050 में 16% होने का अनुमान है।
- जनसांख्यिकीय विभाजन:
- प्रजनन क्षमता में निरंतर गिरावट के कारण कामकाजी उम्र (25 से 64 वर्ष के बीच) की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जिससे प्रति व्यक्ति त्वरित आर्थिक विकास का अवसर पैदा हुआ है।
- आयु वितरण में यह बदलाव त्वरित आर्थिक विकास के लिये एक समयबद्ध अवसर प्रदान करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन:
- कुछ देशों की जनसंख्या प्रवृत्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है।
- वर्ष 2000 और वर्ष 2020 के बीच उच्च आय वाले देशों की जनसंख्या वृद्धि में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का योगदान जन्म-मृत्यु संतुलन से अधिक हो गया।
- प्रवासअगले कुछ दशकों में उच्च आय वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि का एकमात्र चालक होगा।

यूथ इन इंडिया 2022' रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 'यूथ इन इंडिया 2022' रिपोर्ट जारी की है, जिससे पता चलता है कि युवाओं की जनसंख्या में गिरावट आ रही है, जबकि 2021-2036 के दौरान बुजुर्गों की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है।

- प्रजनन क्षमता में निरंतर गिरावट के कारण कामकाजी उम्र (25 से 64 वर्ष के बीच) की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जिससे प्रति व्यक्ति त्वरित आर्थिक विकास का अवसर पैदा हुआ है। आयु वितरण में यह बदलाव त्वरित आर्थिक विकास के लिये एक समयबद्ध अवसर प्रदान करता है जिसे "जनसांख्यिकीय लाभांश" के रूप में जाना जाता है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- युवा आबादी में गिरावट: वर्ष 2011-2036 की अवधि के शुरुआत में युवा आबादी में वृद्धि हुई है, लेकिन उतरार्द्ध में गिरावट शुरू हो गई है।
- वर्ष 1991 में कुल युवा आबादी 222.7 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2011 में 333.4 मिलियन हो गई और वर्ष 2021 तक 371.4 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है और उसके बाद वर्ष 2036 तक घटकर 345.5 मिलियन हो जाएगी।
- युवाओं और बुजुर्गों की आबादी का अनुपात: कुल आबादी में युवाओं का अनुपात वर्ष 1991 के 26.6% से बढ़कर वर्ष 2016 में 27.9% हो गया था और फिर नीचे की ओर रुझान शुरू होकर वर्ष 2036 तक 22.7% तक पहुँचने का अनुमाना है।
- इसके विपरीत कुल आबादी में बुजुर्ग आबादी का अनुपात वर्ष 1991 में 6.8% से बढ़कर वर्ष 2016 में 9.2% हो गया है और वर्ष 2036 में इसके 14.9% तक पहुँचने का अनुमान है।
- राज्यों में परिदृश्य: केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में वर्ष 2036 तक युवाओं की तुलना में अधिक बुजुर्ग आबादी का अनुमान है।
- बिहार एवं उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2021 तक कुल जनसंख्या में युवा आबादी के अनुपात में वृद्धि का अनुभव किया है और फिर इसमें गिरावट की संभावना है।
- महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ इन दोनों राज्यों में देश के आधे से अधिक (52%) युवाओं के होने का अनुमान है।

महत्त्व:

- भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश के लिये अवसर मौजूद हैं, जहाँ "युवा उभार (Youth bulge)" देखा गया है। हालाँकि युवाओं

भारत से संबंधित निष्कर्ष:

- वर्ष 1972 में भारत की विकास दर 2.3% थी, जो अब घटकर 1% से भी कम हो गई है।
- इस अवधि में प्रत्येक भारतीय महिला के अपने जीवनकाल में बच्चों की संख्या लगभग 5.4 से घटकर अब 2.1 से भी कम हो गई है।
- इसका मतलब यह है कि भारत ने प्रतिस्थापन प्रजनन दर प्राप्त कर ली है, जिस पर एक आबादी अपने आपको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदल देती है।
- प्रजनन दर में गिरावट आ रही है, इसलिये स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा में प्रगति के साथ मृत्यु दर में वृद्धि हुई है।
- 0-14 वर्ष और 15-24 वर्ष की जनसंख्या में गिरावट जारी रहेगी, जबकि आने वाले दशकों में 25-64 और 65+ की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहेगी।
- उत्तरोत्तर पीढ़ियों के लिये समय से पहले मृत्यु दर में यह कमी, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के बढ़े हुए स्तरों में परिलक्षित होती है, यह भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारक रहा है।

पहल:

- वृद्ध आबादी वाले देशों को सामाजिक सुरक्षा और पेंशन प्रणालियों की स्थिरता में सुधार एवं सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल तथा दीर्घकालिक देखभाल प्रणालियों की स्थापना सहित वृद्ध व्यक्तियों के बढ़ते अनुपात में सार्वजनिक कार्यक्रमों को अनुकूलित करने के लिये कदम उठाने चाहिये।
- अनुकूल आयु वितरण के संभावित लाभों को अधिकतम करने के लिये देशों को सभी उम्र में स्वास्थ्य देखभाल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करके एवं उत्पादक रोजगार तथा अच्छे काम के अवसरों को बढ़ावा देकर अपनी मानव पूंजी के विकास में निवेश करने की आवश्यकता है।
- पहले से ही 25-64 आयु वर्ग के लोगों को कौशल की आवश्यकता है, जो यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि वे अधिक उत्पादक हों और बेहतर आयु अर्जित करें।
- 65+ आयु श्रेणी काफी तेजी से बढ़ने वाली है और इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह भविष्य की सरकारों के समक्ष संसाधनों पर दबाव को बढ़ाएगा। यदि वृद्ध परिवार के ढाँचे के भीतर रहते हैं, तो सरकार पर बोझ कम हो सकता है। "अगर हम अपनी जड़ों या परंपराओं की ओर वापस जाते हैं तथा परिवार के रूप में रहते हैं (जैसा कि पश्चिमी प्रवृत्ति के व्यक्तिवाद के खिलाफ है), तो चुनौतियाँ कम होंगी।

को शिक्षा तक पहुँच, लाभकारी रोज़गार, लैंगिक असमानता, बाल विवाह, युवाओं के अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं और किशोर गर्भावस्था जैसी विभिन्न विकास चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।


- युवा उभार जनसांख्यिकीय स्वरूप को संदर्भित करता है जहाँ आबादी का एक बड़ा हिस्सा बच्चों और युवा वयस्कों का होता है।
- वर्तमान में युवाओं के अधिक अनुपात के परिणामस्वरूप भविष्य में जनसंख्या में बुजुर्गों का अनुपात अधिक होगा। इससे बुजुर्गों के लिये बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के विकास की मांग पैदा होगी।
- बुजुर्ग आबादी की हिस्सेदारी में वृद्धि से सामाजिक सुरक्षा और लोक कल्याण प्रणालियों पर दबाव पड़ेगा तथा अगले 4-5 वर्षों में उत्पादन, रोज़गार सृजन में तेज़ी लाने के लिये इसका अच्छी तरह से उपयोग करने की आवश्यकता है।
- आमतौर पर असंगठित रोज़गार वाले लोगों के पास सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है, इससे संबंधित राज्य पर बोझ बढ़ेगा।

पहल:

- विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार की हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि जो लोग वर्तमान श्रम शक्ति का हिस्सा हैं, जब वे सेवानिवृत्त होंगे, साथ ही बहुत अधिक आबादी वाले राज्यों में बुजुर्गों की हिस्सेदारी बढ़ने लगेगी तो यह विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर देगा, जिससे निपटना या इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा।
- अगले 4-5 वर्षों में उत्पादक रोज़गार सृजन में तेज़ी लाने के लिये सक्रिय श्रम बाज़ार नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है।
- सामाजिक सुरक्षा और पेंशन प्रणालियों की स्थिरता में सुधार तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल एवं दीर्घकालिक देखभाल प्रणालियों की स्थापना सहित वृद्ध व्यक्तियों के बढ़ते अनुपात में सार्वजनिक कार्यक्रमों को अनुकूलित करने के लिये कदम उठाने की आवश्यकता है।

युवाओं से संबंधित योजनाएँ:

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- युवा लेखकों को सलाह देने के लिये युवा: प्रधानमंत्री योजना
- समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) योजना
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)
- राष्ट्रीय युवा नीति-2014
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
- राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम योजना
- साप्ताहिक लौह और फोलिक अम्ल अनुपूरण कार्यक्रम (WIFSP)
- किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना



वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने वर्ष 2022 के लिये अपने वैश्विक लैंगिक अंतराल (Global Gender Gap-GGG) सूचकांक में भारत को 146 देशों में से 135वें स्थान पर रखा है।

- भारत का समग्र स्कोर 0.625 (वर्ष 2021 में) से बढ़कर 0.629 हो गया है, जो पिछले 16 वर्षों में सातवाँ उच्चतम स्कोर है।
- वर्ष 2021 में भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर था।
- लैंगिक अंतराल महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतर है जो सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक या आर्थिक उपलब्धियों या दृष्टिकोण में परिलक्षित होता है।

INDIA'S REPORT CARD				
Index/sub-index	2022 (146 countries)		2021 (156 countries)	
	Rank	Score	Rank	Score
Global Gender Gap Index	135	0.629	140	0.625
Political empowerment	48	0.267	51	0.276
Economic participation & opportunity	143	0.350	151	0.326
Educational attainment	107	0.961	114	0.962
Health and survival	146	0.937	155	0.937

Source: World Economic Forum

वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक:

- परिचय:
- यह उप-मैट्रिक्स के साथ चार प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता की दिशा में उनकी प्रगति पर देशों का मूल्यांकन करता है।
 - ◆ आर्थिक भागीदारी और अवसर
 - ◆ शिक्षा का अवसर।
 - ◆ स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता।
 - ◆ राजनीतिक सशक्तीकरण।

- चार उप-सूचकांकों में से प्रत्येक पर और साथ ही समग्र सूचकांक पर GGG सूचकांक 0 और 1 के बीच स्कोर प्रदान करता है, जहाँ 1 पूर्ण लैंगिक समानता दिखाता है और 0 पूर्ण असमानता की स्थिति को दर्शाता है।
- यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला सूचकांक है, जो वर्ष 2006 में स्थापना के बाद से समय के साथ लैंगिक अंतरालों को समाप्त करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक करता है।
- उद्देश्य:
- स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर महिलाओं व पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल पर प्रगति को ट्रैक करने के लिये दिशासूचक के रूप में कार्य करना।
- इस वार्षिक मानदंड के माध्यम से प्रत्येक देश के हितधारक प्रत्येक विशिष्ट आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिक प्राथमिकताएँ निर्धारित करने में सक्षम होते हैं।

भारत की चार प्रमुख आयामों पर स्थिति:

- राजनीतिक आधिकारिता (संसद में और मंत्री पदों पर महिलाओं का प्रतिशत):
- भारत का सर्वोच्च स्थान (146 में से 48वाँ) है।
- अपनी रैंक के बावजूद इसका स्कोर 0.267 पर काफी कम है।
 - ◆ इस श्रेणी में कुछ सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले देश बहुत बेहतर स्कोर करते हैं।
 - ◆ उदाहरण के लिये आइसलैंड 0.874 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है और बांग्लादेश 0.546 के स्कोर के साथ 9वें स्थान पर है।
- आर्थिक भागीदारी और अवसर (श्रम बल में महिलाओं का प्रतिशत, समान कार्य के लिये वेतन समानता, अर्जित आय):
- रिपोर्ट में भारत 146 देशों में से 143वें स्थान पर है, भले ही इसका स्कोर वर्ष 2021 में 0.326 से 0.350 तक सुधरा है।
 - ◆ वर्ष 2021 में भारत 156 देशों में से 151वें स्थान पर था।
- भारत का स्कोर वैश्विक औसत से काफी कम है और इस मापन विधि पर भारत से केवल ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही पीछे हैं।
- शिक्षा प्राप्ति (प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा में साक्षरता दर व नामांकन दर):
- भारत 146 में से 107वें स्थान पर है और पिछले वर्ष से इसका स्कोर थोड़ा खराब रहा है।
 - ◆ वर्ष 2021 में भारत 156 में से 114वें स्थान पर था।
- स्वास्थ्य और उत्तरजीविता (जन्म के समय लिंगानुपात तथा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा):
- भारत सभी देशों में अंतिम (146वें) स्थान पर है।

- इसका स्कोर वर्ष 2021 से नहीं बदला है जब यह 156 देशों में से 155वें स्थान पर था।

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में लैंगिक अंतर को कम करने के लिये भारतीय पहलें

आर्थिक भागीदारी और स्वास्थ्य तथा उत्तरजीविता:

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: यह बालिकाओं की सुरक्षा, अस्तित्व और शिक्षा सुनिश्चित करता है।
- महिला शक्ति केंद्र: इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के साथ सशक्त बनाना है।
- महिला पुलिस स्वयंसेवक: इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला पुलिस स्वयंसेवकों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है जो पुलिस एवं समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं तथा संकट में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- राष्ट्रीय महिला कोष: यह एक शीर्ष सूक्ष्म वित्त संगठन है जो गरीब महिलाओं को विभिन्न आजीविका और आय सृजन गतिविधियों के लिये रियायती शर्तों पर सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है।
- सुकन्या समृद्धि योजना: इस योजना के तहत बैंक खाते खोलकर लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है।
- महिला उद्यमिता: महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने स्टैंडअप इंडिया और महिला ई-हाट (महिला उद्यमियों / SHGs / गैर सरकारी संगठनों का समर्थन करने के लिये ऑनलाइन विपणन मंच), उद्यमिता व कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसएसडीपी) जैसे कार्यक्रम शुरू किये हैं।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय: इन्हें शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक (ईबीबी) में खोला गया है।
- राजनीतिक आरक्षण: सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं।

वैश्विक निष्कर्ष:

- रैंकिंग:
- 146 देशों में आइसलैंड ने दुनिया के सबसे अधिक लैंगिक समानता (Gender-Equal) वाले देश के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है।
- फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन क्रमशः सूची में शीर्ष पाँच देश हैं।
- रिपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है।
- परिदृश्य:
- कुल मिलाकर GGG 68.1% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। प्रगति की वर्तमान दर पर इसे पूर्ण समता तक पहुँचने में 132 वर्ष लगेंगे।

- यद्यपि किसी भी देश ने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की लेकिन शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं ऐसी हैं जिन्होंने लैंगिक अंतराल को 80% तक कम किया है:
 - ◆ आइसलैंड (90.8%)
 - ◆ फिनलैंड (86%),
 - ◆ नॉर्वे (84.5%)
 - दक्षिण एशिया को लैंगिक समानता तक पहुँचने में सबसे अधिक समय (अनुमानतः 197 वर्ष) लगेगा।
 - कोविड-19 का प्रभाव:
 - कोविड-19 महामारी के कारण लैंगिक समानता की दिशा में होने वा प्रगति अवरुद्ध हुई है यहाँ तक कि कुछ मामलों में यह पूर्व स्थिति में भी पहुँची है।
 - महिलाओं पर मंदी का अधिक प्रभाव पड़ा है, जिसे व्यापक रूप से 'शीसेशन' (shecession) नाम दिया गया है, क्योंकि महिलाएँ कोविड से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों जैसे- रिटेल और आतिथ्य (hospitality) में कार्यरत थीं।
 - महामारी के कारण आई मंदी ने महिलाओं को वर्ष 2009 के वित्तीय संकट की तुलना में अधिक प्रभावित किया है।
- विश्व आर्थिक मंच :
- परिचय:
 - विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक-निजी सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
 - यह 1971 में एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
 - प्रमुख रिपोर्ट:
 - ऊर्जा संक्रमण सूचकांक
 - वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट
 - वैश्विक IT रिपोर्ट
 - ◆ WEF ने INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है।
 - वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट
 - वैश्विक जोखिम रिपोर्ट
 - वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022

जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच

शीर्ष प्रदर्शनकर्ता आइसलैंड

सबसे निम्न प्रदर्शनकर्ता अफगानिस्तान

चार प्रमुख आयाम

- आर्थिक भागीदारी एवं अवसर
- शिक्षा प्राप्ति
- स्वास्थ्य एवं उत्तरजीवित
- राजनीतिक प्रतिक्रिया

प्रमुख निष्कर्ष

- वैश्विक समानता तक पहुँचने में 132 साल लगने।
- कोविड का प्रभाव (Shecession): कोविड के पहले शीर्ष 3 देशों ने महिलाओं को समुदाय से प्रभावित किया है, सबसे बुरा कारण यह है कि महिलाओं की उत्पत्ति उन क्षेत्रों में अधिक थी जो कोविड के कारण सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। रिटेल तथा आतिथ्य (होटल/रेस्टोरेंट) क्षेत्र।

GENDER EQUALITY

भारत का स्थान- 135वाँ
(146 देशों में)

- "स्वास्थ्य एवं उत्तरजीवित" को आयाम में विश्व में सबसे खराब प्रदर्शनकर्ता।
- समय स्कोर में सुधार (0.625 से 0.629) हुआ है। वर्ष 2021 में भारत 156 देशों में 140वाँ स्थान पर था।
- अपने पड़ोसी देशों की तुलना में खराब स्थिति - बांग्लादेश (71), नेपाल (96), श्रीलंका (110), मालदीव (117) और भूटान (126)।
- दक्षिण एशिया में केवल ईरान (143), पाकिस्तान (145) और अफगानिस्तान (146) का प्रदर्शन भारत से भी खराब है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

आपदा रोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (CDRI)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (CDRI) को "अंतर्राष्ट्रीय संगठन" के रूप में श्रेणीबद्ध करने को मंजूरी दे दी है।

- इसने मुख्यालय समझौते (Headquarters Agreement) पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दे दी एवं इसे संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 द्वारा परिकल्पित छूट, उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकार प्रदान किया गया है, जिसका अर्थ है कि सदस्य की संपत्ति और संपत्ति जहाँ कहीं भी स्थित है और जिसके पास भी है, उसे हर प्रकार की कानूनी प्रक्रिया से छूट प्राप्त होगी, सिवाय किसी विशेष मामले को छोड़कर जिसने अपनी प्रतिरक्षा को स्पष्ट रूप से छूट प्रदान कर दिया है।

श्रेणीबद्ध करने का महत्त्व:

- विशेषज्ञ परामर्श:
- यह अन्य देशों में विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा, जो विशेष रूप से आपदा जोखिम के प्रति संवेदनशील हैं और/या आपदा के बाद के राहत कार्यों के लिये उन्हें समर्थन की आवश्यकता है तथा इसी तरह के उद्देश्यों के लिये सदस्य देशों के विशेषज्ञों को भारत लाएगा आदि।
- यह देशों को उनकी आपदा एवं जलवायु जोखिम और संसाधनों के अनुसार सहनीय अवसंरचना विकसित करने में सहायता के लिये तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराएगा।
- यह सहनीय अवसंरचना के लिये उपयुक्त जोखिम रोधी शासन व्यवस्था और रणनीति अपनाने में देशों को सहायता प्रदान करेगा।
- वित्तपोषण और सहयोग में योगदान:
- यह CDRI गतिविधियों के लिये विश्व स्तर पर वित्त की उपलब्धता और सदस्य देशों से योगदान प्राप्त करने में मदद करेगा।
- यह सदस्य देशों को सतत् विकास लक्ष्यों (SDG), पेरिस जलवायु समझौते और आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंदाई फ्रेमवर्क के अनुसार उनके मौजूदा एवं भविष्य के बुनियादी ढाँचे को आपदा व जलवायु लचीलापन सुनिश्चित करने के लिये तंत्र को उन्नयन करने में हर संभव सहायता प्रदान करेगा।

- यह घर पर आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव सुनिश्चित करेगा और भारतीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों के साथ-साथ बुनियादी ढाँचा विकासकर्ताओं को वैश्विक विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा।

आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे हेतु गठबंधन (CDRI):

- परिचय:
- CDRI राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों एवं वित्तपोषण तंत्र, निजी क्षेत्र तथा शैक्षणिक व अनुसंधान संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है।
- इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों हेतु अवसंरचना प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ाना है, जिससे सतत् विकास सुनिश्चित हो सके।
- इसे 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था।
- यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद भारत सरकार की दूसरी प्रमुख वैश्विक पहल है, यह जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रतिरोधी मुद्दों पर भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित काती है।
- सदस्य:
- इसकी स्थापना के बाद से 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 2 निजी क्षेत्र के संगठन सदस्य के रूप में CDRI में शामिल हुए हैं।
 - 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में एशियाई विकास बैंक (ADB), विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR), यूरोपीय संघ, यूरोपीय निवेश बैंक शामिल हैं।
 - 2 निजी क्षेत्र के संगठनों में आपदा प्रतिरोध के लिये निजी क्षेत्र का गठबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले निवेश के लिये गठबंधन शामिल हैं।
- CDRI ने जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के लिये आर्थिक रूप से उन्नत, विकासशील और कमजोर देशों की एक विविध श्रेणी को आकर्षित कर अपनी सदस्यता में लगातार वृद्धि की है।

अभ्यास: हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट

हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किये गए अभ्यास:

हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (Abhyas: High-speed Expendable Aerial Target- HEAT) का ओडिशा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

- यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) द्वारा ओडिशा के चाँदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से किया गया।



अभ्यास के बारे में:

- डिजाइन और विकास:
- अभ्यास को DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (Aeronautical Development Establishment- ADE) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
 - ◆ ADE, DRDO के तहत एक प्रमुख वैमानिकी प्रणाली डिजाइन प्रयोगशाला है।
 - ◆ यह भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अत्याधुनिक मानवरहित हवाई वाहनों (Unmanned Aerial Vehicles- UAV) और वैमानिकी प्रणालियों तथा प्रौद्योगिकियों के डिजाइन एवं विकास में शामिल है।
- विशेषताएँ:
- यह गैस टर्बाइन इंजन द्वारा संचालित है जो सबसे अधिक गति से लंबी उड़ान को बनाए रखता है।
- यह मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिये उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर (FCC) के साथ नेविगेशन हेतु माइक्रो-इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम (Microelectromechanical Systems- MEMS) आधारित इनरट्रियल नेविगेशन सिस्टम (INS) से लैस है।
- वाहन को पूरी तरह से स्वायत्त उड़ान के लिये क्रमादेशित किया गया है। एयर व्हीकल का परीक्षण लैंडिंग आधारित ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन (Ground Control System-GCS) का उपयोग करके किया जाता है।

- अभ्यास प्रणाली रडार क्रॉस-सेक्शन (Radar Cross-Section- RCS) और इन्फ्रारेड सिग्नेचर से युक्त है जिसका उपयोग विमान-रोधी युद्ध अभ्यास और हवाई लक्ष्यों को लक्षित करने के लिये डिजाइन किये गए परीक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के विमानों को अनुकरण (Simulate) करने के उद्देश्य से किया जा सकता है।
- उपयोगिता:
- इसका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन हेतु एक लक्ष्य के रूप में किया जाएगा।
 - ◆ यह हथियार प्रणालियों के अभ्यास हेतु एक वास्तविक खतरे के परिदृश्य (Realistic Threat Scenario) को प्रस्तुत करता है।

हाल के विकास:

- सितंबर 2021 में DRDO ने एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR), चाँदीपुर, ओडिशा से आकाश मिसाइल- 'आकाश प्राइम' के एक नए संस्करण का परीक्षण किया।
- जुलाई 2021 में DRDO ने आकाश-एनजी (नई पीढ़ी) और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (MPATGM) लॉन्च की।
- जून 2021 में DRDO द्वारा नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-पी (प्राइम) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।
- फरवरी 2021 में भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम 'हेलिना' और 'ध्रुवास्त्र' का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
- अक्टूबर 2020 में DRDO ने ओडिशा के तट पर व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज़ ऑफ़ टॉरपीडो (SMART) का सफल उड़ान परीक्षण किया।

लघु बचत योजनाएँ

हाल ही में सरकार ने मुद्रास्फीति के ऊँचे स्तर के कारण वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के लिये राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Savings Certificate- NSC) और सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Fund- PPF) सहित लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है।

- लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर में 2020-21 की पहली तिमाही के बाद से कोई संशोधन नहीं किया गया है
- सरकारी बॉण्ड पर प्रतिफल में वृद्धि को देखते हुए दर में वृद्धि की उम्मीद की गई थी, जिससे उनका रिटर्न एक फार्मुले के अनुसार जुड़ा हुआ है।

लघु बचत योजनाएँ/साधन:

- परिचय:
- ये भारत में घरेलू बचत के प्रमुख स्रोत हैं और इसमें 12 उपकरण/प्रपत्र (Instrument) शामिल हैं।
- इसमें जमाकर्ताओं को उनके धन पर सुनिश्चित ब्याज मिलता है।
- सभी लघु बचत प्रपत्रों से संग्रहीत राशि को राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF) में जमा किया जाता है।
- कोविड-19 महामारी के कारण सरकारी घाटे में वृद्धि की वजह से उधार की उच्च आवश्यकता को पूरा करने के लिये छोटी बचतें सरकारी घाटे के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरी हैं।
- वर्गीकरण: लघु बचत उपकरणों को तीन प्रमुख भागों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:
- डाक जमा (बचत खाता, आवर्ती जमा, अलग-अलग परिपक्वता की सावधि जमा और मासिक आय योजना शामिल है)।
- बचत प्रमाण पत्र: राष्ट्रीय लघु बचत प्रमाणपत्र (NSC) और किसान विकास पत्र (KVP)।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ: सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)।
- दरों का निर्धारण:
- छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को तिमाही आधार पर निर्धारित किया जाता है जो कि समान परिपक्वता वाले बेंचमार्क सरकारी बॉण्डों में संचलन के अनुरूप होते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दरों की समीक्षा की जाती है।
- लघु बचत योजना पर गठित श्यामला गोपीनाथ पैनल (वर्ष 2010) ने छोटी बचत योजनाओं के लिये बाजार से जुड़ी ब्याज दर प्रणाली का सुझाव दिया था।

राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस

सांख्यिकी और आर्थिक योजना के क्षेत्र में दिवंगत प्रोफेसर और वैज्ञानिक प्रशांत चंद्र महालनोबिस के कार्यों और योगदानों के सम्मान में भारत प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाता है।

- इस अवसर पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) भी इस उद्देश्य के लिये स्थापित पुरस्कारों के माध्यम से प्रायोगिक और सैद्धांतिक सांख्यिकी के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान द्वारा आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली में उत्कृष्ट योगदानों को मान्यता प्रदान करता है।

दिवस की मुख्य विशेषताएँ:

- उद्देश्य:
- दैनिक जीवन में सांख्यिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाना और जनता को इस बात के प्रति संवेदनशील बनाना कि सांख्यिकी नीतियों को आकार देने तथा तैयार करने में किस प्रकार मदद करती है।
- सामाजिक-आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच जन जागरूकता बढ़ाना।
- वर्ष 2022 के लिये थीम: 'सतत विकास के लिये आँकड़े'।
- प्रत्येक वर्ष सांख्यिकी दिवस को वर्तमान राष्ट्रीय महत्त्व के विषय के साथ मनाया जाता है।

प्रशांत चंद्र महालनोबिस

- परिचय:
- प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद् थे जिन्होंने वर्ष 1932 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) की स्थापना की थी।
- वह एक प्रशिक्षित भौतिक विज्ञानी थे, अपने शिक्षक डब्ल्यू एच मैकाले के कहने पर उन्होंने 'बायोमेट्रिका' नामक किताब पढ़ी। इस किताब को पढ़ने के बाद ही इनका रुझान सांख्यिकी की ओर होने लगा। इस किताब से प्रभावित होकर उन्होंने पत्रिका के संस्करणों का पूरा सेट खरीद लिया।
- उन्होंने जल्द ही पता लगाया कि मौसम विज्ञान और मानव-विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का उपयोग किया जा सकता है तथा यह उनके वैज्ञानिक जीवन में एक महत्त्वपूर्ण क्षण साबित हुआ।
- डॉ. महालनोबिस ने सांख्यिकी में कई योगदान दिये, जिसमें 'महालनोबिस दूरी' भी शामिल है, जो एक सांख्यिकीय माप है। इसके अलावा वह भारत में एंथ्रोपोमेट्री या मानव माप के अध्ययन के क्षेत्र में अग्रणी थे और उन्होंने बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण एवं नमूनाकरण विधियों के डिजाइन में सहायता की।
- उन्होंने फेल्डमैन-महालनोबिस मॉडल भी बनाया, जो आर्थिक विकास का एक नव-मार्क्सवादी मॉडल था जिसका उपयोग भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, जिसने देश में तेजी से औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया।
- महालनोबिस ने भारत के पहले योजना आयोग में भी कार्य किया। उन्हें पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कार भी मिले।



रवींद्रनाथ टैगोर के साथ संबंध:

- वे पहली बार 1910 में शांति निकेतन में मिले थे।
- महालनोबिस के करीबी रवींद्रनाथ टैगोर ने सांख्य के दूसरे खंड में लिखा है, "ये समय और स्थान के क्षेत्र में संख्याओं के नृत्य चरण हैं, जो उपस्थिति की माया को बुनते हैं, परिवर्तनों का निरंतर प्रवाह जो कभी है और नहीं है।"
- महालनोबिस ने प्रतिष्ठित बंगाली पत्रिका प्रोवाशी के लिये 'रवींद्र परिचय' ('रवींद्र का परिचय') नामक निबंधों की एक शृंखला लिखी।
- पीसी महालनोबिस ने भी विश्व भारती की स्थापना में रवींद्रनाथ टैगोर की मदद की।
- कालक्रम:
- 1930: पहली बार 'महालनोबिस दूरी' का प्रस्ताव किया गया, जो दो डेटा सेट के बीच तुलना हेतु एक माप है।
 - ◆ कई आयामों में माप के आधार पर एक बिंदु और वितरण के बीच की दूरी को खोजने के लिये सूत्र का उपयोग किया जाता है। यह क्लस्टर विश्लेषण (Cluster Analysis) और वर्गीकरण (Classification) के क्षेत्र में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- 1932: कोलकाता में ISI की स्थापना, जिसे वर्ष 1959 में राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित किया गया।
- 1933: 'सांख्य: द इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स' की शुरुआत।
- 1950: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (National Sample Survey) की स्थापना और सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय के लिये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (Central Statistical Organisation- CSO) की स्थापना।
- 1955: योजना आयोग के सदस्य बने और वर्ष 1967 तक उस पद पर बने रहे।
- उन्होंने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1961) तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत में औद्योगीकरण और विकास का खाका तैयार किया।
- 1968: पद्म विभूषण से सम्मानित।
- उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग: बीआरएपी 2020

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) रैंकिंग जारी की है, जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) रिपोर्ट, 2020 पर आधारित है।

रैंकिंग के बारे में:

- उद्देश्य:
- निवेशकों को प्रोत्साहित करने हेतु व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना और बीआरएपी में उनके प्रदर्शन के आधार पर राज्यों का आकलन करने की एक प्रणाली के माध्यम से स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक माहौल द्वारा देश भर में व्यापार करने कि स्थिति को आसान बनाना।
- घटक:
- मापदंडों में विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं, जैसे- निर्माण परमिट, श्रम विनियमन, पर्यावरण पंजीकरण, सूचना तक पहुँच, भूमि की उपलब्धता और एकल खिड़की प्रणाली।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस:

- टॉप अचीवर्स:
- सात राज्यों - आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 'टॉप अचीवर्स' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- अचीवर्स:
- हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश अन्य राज्य हैं जिन्हें रैंकिंग में अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- उभरते व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र:
- छह राज्य - मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, पुदुचेरी और जम्मू-कश्मीर - 'उभरते व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र' थे।
- आकांक्षी:
- सात राज्यों - गोवा, असम, केरल, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल को 'आकांक्षी' जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

BRAP के बारे में:

- परिचय:
- इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था।
- यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स BRAP पर आधारित है।
- इसे राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिये प्रस्तुत किया गया था।
- इससे प्रत्येक राज्य में निवेश आकर्षित करने और आसानी से व्यवसाय करने में मदद मिलेगी।
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT), वर्ष 2014 से BRAP अभ्यास में निर्धारित सुधारों के कार्यान्वयन में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आधार पर उनका आकलन कर रहा है।

- अब तक वर्ष 2015, वर्ष 2016, वर्ष 2017-18, वर्ष 2019 और वर्ष 2022 के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का आकलन जारी किया जा चुका है।
- BRAP 2020:
- रिपोर्ट में 301 सुधार बिंदु शामिल हैं जो सूचना तक पहुँच, एकल खिड़की प्रणाली, श्रम, पर्यावरण, क्षेत्रीय सुधार और एक विशिष्ट व्यवसाय के जीवन चक्र में फैले अन्य सुधारों जैसे 15 व्यावसायिक नियामक क्षेत्रों को कवर करते हैं।
- BRAP 2020 में पहली बार क्षेत्रीय सुधार पेश किये गए हैं, जिसमें 9 क्षेत्रों में 72 सुधारों की पहचान की गई है, जैसे- ट्रेड लाइसेंस, हेल्थकेयर, लीगल मेट्रोलाजी, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटैलिटी, फायर एनओसी, टेलीकॉम, मूवी शूटिंग और टूरिज्म।

न्यू POEM प्लेटफॉर्म

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल या 'POEM' को सफलतापूर्वक लॉन्च कर उपलब्धि हासिल की है।

इस उपलब्धि के अलावा ISRO द्वारा PSLV-C53 की मदद से सिंगापुर से तीन उपग्रह भी लॉन्च किये गए हैं।

- यह वर्ष का दूसरा ध्रुवीय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) मिशन था। फरवरी 2022 में ISRO ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 और दो छोटे उपग्रहों के साथ PSLV-C52 को लॉन्च किया था।
- यह इसरो की वाणिज्यिक शाखा, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन था।

सिंगापुर के उपग्रह/सैटेलाइट:

- DS-EO सैटेलाइट: यह भूमि वर्गीकरण के लिये पूर्ण-रंगीन चित्र प्रदान करने और मानवीय सहायता, आपदा राहत ज़रूरतों को पूरा करने हेतु एक इलेक्ट्रो-ऑप्टिक, मल्टीस्पेक्ट्रल पेलोड वहन करता है।
- NeuSAR सैटेलाइट: यह SAR (सिंथेटिक अपचर रडार) पेलोड ले जाने वाला सिंगापुर का पहला छोटा वाणिज्यिक उपग्रह है, जो दिन और रात सभी मौसमी स्थितियों में चित्र प्रदान करने में सक्षम है।
- SCOOB-I सैटेलाइट: यह छात्र उपग्रह शृंखला (S3-I) का पहला सैटेलाइट है, जो सिंगापुर के NTU स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में सैटेलाइट रिसर्च सेंटर (SaRC) से एक व्यावहारिक छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

POEM की मुख्य विशेषताएँ:

- POEM (PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल) ISRO का एक प्रायोगिक मिशन है जिसका कक्षीय/ऑर्बिट प्रयोग ध्रुवीय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) के चौथे चरण के दौरान प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाता है।
- PSLV एक चार चरणों वाला रॉकेट है जहाँ पहले तीन चरण प्रयोग होने के बाद समुद्र में गिर जाते हैं और अंतिम चरण (PS4) उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने के बाद अंतरिक्ष में कचरे/कबाड़ के रूप में चला जाता है।
- हालाँकि PSLV-C53 मिशन में उपयोग किये गए अंतिम चरण को "स्थिर मंच"(Stabilised Platform) के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- यह पहली बार है कि चौथा चरण (पीएस-4) एक स्थिर प्लेटफॉर्म के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा।
- POEM में स्थायित्व के लिये एक नेविगेशन मार्गदर्शन और नियंत्रण (NGC) प्रणाली है, जो अनुमत सीमाओं के भीतर किसी भी एयरोस्पेस वाहन के उड़ान को नियंत्रित करता है। NGC निर्दिष्ट सटीकता के साथ इसे स्थिर करने के लिये प्लेटफॉर्म के मस्तिष्क के रूप में कार्य करेगा।

पेलोड:

POEM में छह पेलोड हैं जिनमें से दो भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप-दिगंतारा और ध्रुव स्पेस शामिल हैं, जो IN-SPACe और NSIL के माध्यम से सक्षम हैं।

POEM PS4 टैंक के चारों ओर लगे सोलर पैनल और लीथियम आयन बैटरी से शक्ति प्राप्त करेगा। यह चार सौर सेंसर, एक मैग्नेटोमीटर, जायरोस एवं NAVIC का उपयोग करके नेविगेट करेगा।

इसमें हीलियम गैस का उपयोग करने वाला समर्पित नियंत्रण प्रणोदक भी हैं। यह दूरसंचार सुविधा युक्त है।

कुष्ठ रोग

पिछले कुछ महीनों से निजी बाजार में कुष्ठ रोग (Leprosy) के इलाज में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख दवा क्लोफ़ाज़िमाइन (Clofazimine) की भारी कमी बनी हुई है।

- क्लोफ़ाज़िमाइन, रिफैम्पिसिन और डैप्सोन के साथ मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी (MB-MDT) मामलों के मल्टी-ड्रग ट्रीटमेंट में तीन आवश्यक दवाओं में से एक है।

LEPROSY (bacteria)

Leprosy is a chronic disease that has afflicted people for millennia. Caused by bacteria which affects the skin and nerves, throughout history it resulted in disfiguring deformities of the limbs, hands and feet and face, and blindness, leaving a legacy of human suffering involving rejection and exclusion from society. Leprosy is not highly contagious but many are still infected and afflicted worldwide. Despite the infection being treatable with a long course of antibiotics, the lack of education and stigma surrounding the disease means that many people are still diagnosed too late to prevent disabilities. Global efforts over the past 20 years, have cured more than 14 million leprosy patients reducing the prevalence of the disease by 90%.

Leprosy is a disfiguring infectious disease caused by a bacteria that affects the skin and nerves and mucous membranes.

Leprosy is known to occur at all ages ranging from early infancy to very old age. The way it is thought to be transmitted is through close, extended contact with someone with leprosy.

It usually takes between **2 - 10 years** for symptoms of leprosy infection to appear after a person is infected with leprosy-causing bacteria.

The main signs and symptoms are:


- Faded or discoloured patches of skin, disfiguring skin sores, lumps or bumps that do not go away
- Nerve damage that leads to a loss of feeling in the arms and legs, with secondary trauma and infection going unnoticed and leading to deformities of hands and feet.
- Muscle weakness and paralysis –especially of the hands and feet
- Eye problems that may lead to blindness

Antibiotic treatment will stop leprosy's progress which makes early detection important.

- भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग के उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, अर्थात् प्रति 10,000 आबादी पर 1 से कम मामले के रूप में परिभाषित किया गया है।
- NLEP का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले में कुष्ठ रोग को समाप्त करना है।
- जागरूकता को बढ़ावा देने और भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करने के लिये वर्ष 2017 में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू किया गया था।

जम्मू और कश्मीर में देखा गया ट्रीश्रू

वैज्ञानिकों ने जम्मू और कश्मीर के रामनगर से स्तनपाइयों के एक नए वंश (जीनस) और प्रजाति से संबंधित गिलहरी (ट्रीश्रू) जैसे एक छोटे स्तनपायी के जीवाश्म देखे हैं।



ट्रीश्रू से संबंधित प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
- यह ट्रीश्रू वर्तमान काल में शिवालिक पर्वतश्रेणी में जीवाश्म ट्यूपाइड्स के उन सबसे पुराने अभिलेखों का प्रतिनिधित्व करता है, जो इस क्षेत्र में अपनी समय-सीमा को 25-40 लाख वर्ष तक पहुँचा देता है।
- ◆ Tupaiaids पूर्वी भारतीय और एशियाटिक परिवार की कई प्रजातियों को संदर्भित करता है, Tupaiaids परिवार कुछ हद तक आकार और वृक्ष-संबंधी आदतों में गिलहरी जैसे होते हैं। इनकी नाक लंबी व नुकीली होती है।
- ट्रीश्रू के जीवाश्म रिकॉर्ड के बहुत ही दुर्लभ तत्व हैं और पूरे नूतनजीवी (सेनोजोइक) युग में केवल कुछ प्रजातियों को ही जाना जाता है।
- ◆ सेनोजोइक युग का अर्थ है, आज या 'आधुनिक जीवन' से 66 मिलियन वर्ष पूर्व।
- ◆ इस युग के पौधे और जानवर वर्तमान पृथ्वी के पौधे और जानवर के समान दिखते हैं।
- ◆ सेनोजोइक युग की अवधियों को और भी छोटे भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें युग के रूप में जाना जाता है।

कुष्ठ रोग:

- कुष्ठ रोग के बारे में:
- कुष्ठ रोग एक पुराना, प्रगतिशील जीवाणु संक्रमण है। यह 'माइकोबैक्टीरियम लेप्रे' नामक जीवाणु के कारण होता है, जो एक 'एसिड-फास्ट रॉड' के आकार का बेसिलस है। यह मुख्य रूप से हाथ-पाँव, त्वचा, नाक की परत और ऊपरी श्वसन पथ की नसों को प्रभावित करता है। इसे हैनसेन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है।
- यह त्वचा के अल्सर, तंत्रिका क्षति और मांसपेशियों को कमजोर करता है। यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो यह गंभीर विकृति और विकलांगता का कारण बन सकता है।
- यह इतिहास में दर्ज सबसे पुरानी बीमारियों में से एक है।
- यह कई देशों विशेष रूप से भारत सहित उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले देशों में आम है।
- रोग का प्रसार:
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार, कुष्ठ रोग कई भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थानिक है, भारत में प्रति 10,000 जनसंख्या पर 4.56 प्रतिशत वार्षिक मामले सामने आने की दर है।
- भारत प्रत्येक वर्ष कुष्ठ रोग के 1,25,000 से अधिक नए रोगियों की रिपोर्ट करता है।

संबंधित सरकारी पहल:

- राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP):
- यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजना है।

- आहार संबंधी विश्लेषणों से पता चलता है कि अन्य मौजूदा और जीवाश्म ट्यूपाइड्स (Tupaiids) की तुलना में नए ट्यूपाइड्स संभवतः शारीरिक रूप से कम चुनौतीपूर्ण या अधिक फल खाने वाले आहार के लिये अनुकूलित थे।
- ◆ आहार विश्लेषण एक पोषण मूल्यांकन है जो तकनीशियनों को किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग किये गए भोजन के स्वरूप, मात्रा और पोषण गुणवत्ता का विश्लेषण करने की अनुमति देता है।
- खोज का महत्व:
- रामनगर इलाके के लिये वर्तमान संग्रह में संवेदनशील दंत विशेषताओं और प्रजातियों के काल की पहचान 12.7-11.6 मिलियन वर्ष के बीच अधिक सटीक आयु अनुमान प्रदान करने में मदद करती है।
- शिवालिक तलछट:
- शिवालिक एक मोटी तलछटी अनुक्रम है जो सबसे छोटी पर्वत बेल्ट बनाती है, यह हिमालय की तलहटी के पूर्व-पश्चिम में फैली हुई है।
- शिवालिक मध्य मियोसीन युग से प्लेस्टोसीन तक के कई स्तनधारी समूहों के विकास का दस्तावेजीकरण करता है जिसमें गिलहरी (Treeshrews), हेजहोग और अन्य छोटे स्तनधारी शामिल हैं।

मियोसीन युग

- मियोसीन युग 23.03 से 5.3 मिलियन वर्ष पूर्व की अवधि है। उस समय वैश्विक जलवायु भी गर्म थी।
- यह उल्लेखनीय है कि दो प्रमुख पारिस्थितिक तंत्रों (केवल वन और घास के मैदान) का उद्भव पहले हुआ।
- घास के मैदानों का विस्तार महाद्वीपी के अंदरूनी हिस्सों के सूखने से संबंधित है क्योंकि वैश्विक जलवायु पहले गर्म होती है और फिर ठंडी हो जाती है।
- महत्वपूर्ण मियोसीन युग का घनत्व उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी यूरोप, भारत, मंगोलिया, पूर्वी अफ्रीका तथा पाकिस्तान में पाया जाता है।

प्लेस्टोसीन (हिम युग)

- यह भूवैज्ञानिक युग है जो लगभग 2,580,000 से 11,700 साल पहले तक चला तथा यह पृथ्वी पर शुरुआती हिमनदों का समय था।
- यह प्लेस्टोसीन युग का समय था जिसमें वैश्विक शीतलन या हिम युग की सबसे नूतन घटनाएँ घटित हुईं।

न्यू ऑटोनॉमस फ्लाईंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर

हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा स्वायत्त फ्लाईंग विंग प्रौद्योगिकी प्रदर्शक/ऑटोनॉमस फ्लाईंग विंग

टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर (Autonomous Flying Wing Technology Demonstrator) द्वारा एक नए मानव रहित हवाई वाहन की पहली परीक्षण उड़ान भरी गई।

- डीआरडीओ सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विभिन्न वर्गों के मानव रहित हवाई वाहन (Unmanned Aerial Vehicles-UAVs) विकसित करने की प्रक्रिया में है।

ऑटोनॉमस फ्लाईंग विंग तकनीक:

- परिचय:
- यह एक मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन (UCAV) या एक लड़ाकू ड्रोन है जो एक फ्लाईंग विंग प्रकार है।
- यह एक टेललेस फिक्स्ड-विंग विमान को संदर्भित करता है जो अपने मुख्य पंखों में अपने पेलोड और ईंधन को रखता है और पारंपरिक विमानों में पाए जाने वाले एक परिभाषित फ्यूजलेज जैसी संरचना नहीं है।
- यदि इसे सटीकता के साथ निष्पादित किया जाए डिजाइन में उच्च ईंधन दक्षता और स्थिरता प्रदान करने की क्षमता है।
- अनुप्रयोग:
- भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र की मैपिंग
- प्रभावित फसल क्षति का आकलन
- बड़े पैमाने पर मैपिंग
- यातायात निगरानी और प्रबंधन
- लोजिस्टिक्स सपोर्ट

विशेषताएँ:

- ऑटोनॉमस फ्लाईंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर एक स्वायत्त गुप्त UCAV का एक उन्नत रूप है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (ADE) द्वारा मुख्य रूप से भारतीय वायु सेना के लिये विकसित किया जा रहा है।
- ADE, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंतर्गत एक प्रमुख वैमानिकी प्रणाली डिजाइन प्रयोगशाला है।
- यह भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अत्याधुनिक मानवरहित हवाई वाहनों (UAV) और वैमानिकी प्रणालियों एवं प्रौद्योगिकियों के डिजाइन व विकास में शामिल है।
- UCAV मिसाइलों और सटीक-निर्देशित हथियारों को लॉन्च करने में सक्षम होगा।
- वाहन एक छोटे टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित है।

काई चटनी: ओडिशा

ओडिशा में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत (GI) रजिस्ट्री के लिये प्रस्तुत किया गया है।

- GI टैग मानक काई चटनी के व्यापक उपयोग के लिये एक संरचित स्वच्छता प्रोटोकॉल विकसित करने में मदद करेगा। GI लेबल स्थानीय उत्पादों की प्रतिष्ठा और मूल्य को बढ़ाता है तथा स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करता है।
- वर्ष 2019 में ओडिशा को ओडिशा रसगुल्ला के लिये GI टैग मिला।

वीवर चींटियाँ:

- काई (रेड वीवर चींटी) चींटियाँ, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से ओकोफिला स्मार्गडीना कहा जाता है, पूरे वर्ष मयूरभंज में बहुतायत में पाई जाती हैं। वे मेज़बान पेड़ों की पत्तियों से घोंसले का निर्माण करती हैं।
- घोंसले हवा का सामना करने के लिये काफी मज़बूत होते हैं और पानी के लिये अभेद्य होते हैं।
- काई के घोंसले आमतौर पर आकार में अंडाकार होते हैं और एक छोटे मुड़े हुए पत्ते से लेकर कई पत्तियों से मिलकर बड़े घोंसले तक बने होते हैं जिनकी लंबाई आधे मीटर से अधिक होती है।
- इसके परिवार में तीन श्रेणी के सदस्य होते हैं- श्रमिक, प्रमुख श्रमिक और रानियाँ।
- श्रमिक और प्रमुख श्रमिक ज्यादातर नारंगी रंग के होते हैं।
- वे छोटे कीड़े और अन्य अकशेरुकीयों से भोजन प्राप्त करते हैं, उनके शिकार मुख्य रूप से बीटल, मक्खियाँ और हाइमनोप्टेरान होते हैं।
- कैस (Kais) एक बायो-कंट्रोल एजेंट हैं। वे आक्रामक होते हैं और अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अधिकांश आर्थ्रोपोंडों का शिकार करते हैं।
- उनकी शिकारी आदत के कारण कैस को उष्णकटिबंधीय फसलों में जैविक नियंत्रण एजेंटों के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि वे कई अलग-अलग कीटों के खिलाफ विभिन्न फसलों की रक्षा करने में सक्षम हैं। इस प्रकार वे अप्रत्यक्ष रूप से रासायनिक कीटनाशकों के विकल्प के रूप में उपयोग किये जाते हैं।



काई चटनी:

- पृष्ठभूमि:
- काई चटनी (Kai Chutney) बुनकर चींटियों (Weaver Ants) से तैयार की जाती है और ओडिशा के मयूरभंज जिले में ज्यादातर आदिवासी लोगों के बीच लोकप्रिय है।
- आवश्यकता पड़ने पर चींटियों के पत्तेदार घोंसलों को उनके मेज़बान पेड़ों से तोड़ा जाता है तथा पत्तियों और मलबे को छाँटने एवं अलग करने से पहले एक बाल्टी पानी में इकट्ठा किया जाता है।
- महत्त्व:
- यह पत्तू, सामान्य सर्दी, काली खाँसी से छुटकारा पाने, भूख बढ़ाने और आँखों की रोशनी को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में मदद करती है।
- आदिवासी उपचारकर्ता औषधीय तेल भी तैयार करते हैं, जिसका उपयोग बेबी ऑयल के रूप में किया जाता है और बाहरी रूप से गठिया, दाद व अन्य त्वचा रोगों को ठीक करने के लिये उपयोग किया जाता है।
- यह जनजातियों के लिये एकमात्र रामबाण है।

भौगोलिक संकेत स्थिति:

- परिचय:
- GI एक संकेतक है जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाले सामानों को पहचान प्रदान करने के लिये किया जाता है।
- 'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक' (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण एवं बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।
- ◆ अधिनियम का संचालन महानियंत्रक पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क द्वारा किया जाता है जो भौगोलिक संकेतकों का रजिस्ट्रार होता है।
- ◆ भौगोलिक संकेतक पंजीकरण कार्यालय चेन्नई में स्थित है।
- भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिये वैध होता है। इसे समय-समय पर 10-10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिये नवीनीकृत किया जा सकता है।
- यह विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों (TRIPS) के व्यापार-संबंधित पहलुओं का भी हिस्सा है।
- ◆ हाल के उदाहरण: जुडिमा वाइन राइस (असम), तिरूर वेटिला (केरल), डिंडीगुल लॉक और कंडांगी साड़ी (तमिलनाडु), ओडिशा आदि।

- भौगोलिक संकेतक का महत्त्व:
- एक बार भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान कर दिये जाने के बाद कोई अन्य निर्माता समान उत्पादों के विपणन के लिये इसके नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। यह ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में भी सुविधा प्रदान करता है।
- किसी उत्पाद का भौगोलिक संकेतक अन्य पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अनधिकृत उपयोग को रोकता है जो कानूनी सुरक्षा प्रदान करके भारतीय भौगोलिक संकेतों के निर्यात को बढ़ावा देता है और अन्य विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों में कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है।

ऑपरेशन

रेलवे सुरक्षा बल (Railway Protection Force-RPF) ने हाल ही में ऑपरेशन "नार्कोस" (NARCOS) के तहत 7.40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ बरामद किये।

ऑपरेशन नार्कोस क्या है ?

- नशीले पदार्थ तथा मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) के खतरे पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिये, ऑपरेशन "नार्कोस" नामक कोड के साथ रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक महीने का अखिल भारतीय अभियान जून-2022 में प्रारंभ किया गया था।
- RPF ने इस अवैध व्यापार में शामिल ड्रग तस्करों को निशाना बनाने के लिये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय से देश भर में ट्रेनों व चिह्नित ब्लैक स्पॉट में अपनी जाँच तेज कर दी है।

रेलवे सुरक्षा बल:

- RPF की टुकड़ी भारत संघ का एक सशस्त्र बल है। यह भारतीय रेल, रेल मंत्रालय के स्वामित्व वाला एक सुरक्षा बल है।
- RPF का इतिहास 1882 का है जब विभिन्न रेलवे कंपनियों ने रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिये अपने स्वयं के गार्ड नियुक्त किये थे।
- बल को 1957 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक वैधानिक बल घोषित किया गया था, जिसे बाद में 1985 में भारत संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में घोषित किया गया था।
- रेलवे संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी RPF को सौंपी गई है।

RPF की अन्य पहलें:

- ऑपरेशन आहत (Operation AAHT):
- पीड़ितों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाने के लिये लंबी दूरी की सभी ट्रेनों/मार्गों पर विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा।

- मेरी सहेली पहल:
- यह पहल महिला यात्रियों की सुरक्षा पर केंद्रित होगी। इसे सितंबर 2020 में दक्षिण-पूर्व रेलवे में एक पायलट परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था। तब से इसे सभी जॉनों में विस्तारित किया गया।
- ऑपरेशन यात्री सुरक्षा-
- "ऑपरेशन यात्री सुरक्षा" के तहत RPF यात्री अपराध के खिलाफ लड़ाई में राज्य पुलिस का समर्थन करता है।
- ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते:
- इसने 1,045 बच्चों को बचाया जो अकेले पाए गए थे या रेलवे स्टेशनों पर छोड़ दिये गए थे।

प्रशिक्षुओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता हेतु DBT योजना की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कार्यक्रम का एक हिस्सा होगी, जो सभी प्रशिक्षुओं को सीधे तौर पर सरकारी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS):

- देश में प्रशिक्षुता व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये 19 अगस्त, 2016 को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) शुरू की गई थी।
- यह स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने तथा इसकी क्षमता को साकार करने में मदद करती है
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं को प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिये प्रेरित करना और गहन कौशल विकास के माध्यम से उनकी क्षमताओं का अधिकतम करते हुए सही नौकरी खोजने में सहायता करना है।
- अब तक 12 लाख से अधिक प्रशिक्षु विभिन्न उद्योगों से जुड़ चुके हैं।
- इससे पहले कंपनियाँ प्रशिक्षुओं को पूरी राशि का भुगतान करती थीं और फिर सरकार से उसके लिये प्रतिपूर्ति की मांग करती थीं।
- सरकार DBT योजना की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के माध्यम से प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में अपना योगदान सीधे स्थानांतरित कर देगी, जो छात्रवृत्ति का 25% यानी कि प्रतिमाह 1500 रुपए तक देय होगा।

शिक्षता को बढ़ावा देने से संबंधित पहलें:

- शिक्षता और कौशल में उच्च शिक्षित युवाओं के लिये योजना (SHREYAS)
- औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन के लिये कौशल सुदृढीकरण परियोजना
- युवाह यूथ स्किलिंग इनिशिएटिव
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:

- DBT को 1 जनवरी, 2013 को सरकार की डिलीवरी प्रणाली में सुधार लाने और धन व सूचनाओं के प्रवाह में तेजी लाने, सुरक्षा प्रदान करने और धोखाधड़ी की संख्या को कम करके कल्याणकारी योजनाओं में वर्तमान प्रक्रिया को नया स्वरूप देने के मुख्य उद्देश्य के साथ पेश किया गया था।
- यह सब्सिडी राशि को सरकारी कार्यालयों को उपलब्ध कराने के बजाय सीधे लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है।
- JAM यानी जन धन, आधार और मोबाइल DBT को बढ़ावा देते हैं और वर्तमान में 22 करोड़ से अधिक जन धन खाते, 100 करोड़ से अधिक आधार और लगभग 100 करोड़ मोबाइल कनेक्शन राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों सहित देश भर में सभी कल्याणकारी योजनाओं में DBT को लागू करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं।
- DBT सरकारी प्रणाली में दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा तथा इससे शासन में नागरिकों का विश्वास जागेगा।
- आधुनिक तकनीक और IT उपकरणों के उपयोग से अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार का सपना साकार होगा।

स्क्वाड्रन INAS 324

हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी नौसेना कमान में एक नया भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 324 अधिकृत किया है।

- यह पूर्वी समुद्र तट पर निगरानी क्षमता को बढ़ाएगा।

स्क्वाड्रन INAS 324 :

- यह इकाई स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (ALH) एमके III (MR) हेलीकॉप्टरों का उपयोग करने वाली पूर्वी समुद्र-तट की पहली नौसेना स्क्वाड्रन है।
- इसे "KESTRELS" नाम दिया गया है, जिसका मतलब शिकारी पक्षी है और इनमें अच्छी संवेदी क्षमताएँ हैं, जो विमान और वायु स्क्वाड्रन की इच्छित भूमिका को प्रदर्शित करते हैं।
- स्क्वाड्रन के प्रतीक चिह्न में एक 'KESTREL' को दर्शाया गया है जो विशाल नीली और सफेद समुद्री लहरों पर खोज कर रहा है, जो स्क्वाड्रन की अभिन्न समुद्री टोही (MR) और खोज एवं बचाव (SAR) भूमिका का प्रतिनिधित्व करता है।

- ALH MK III हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं जिनमें आधुनिक निगरानी रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर शामिल हैं।

उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर (ALH):

- यह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा विकसित व निर्मित है।
 - HAL सार्वजनिक क्षेत्र की विमान निर्माण कंपनी है।
 - समुद्री टोही (MR) तथा खोजबीन एवं बचाव (SAR) की अपनी मुख्य भूमिकाओं के अलावा इन हेलीकॉप्टरों को मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) संचालन के साथ-साथ समुद्री कमांडो के साथ स्पेशल ऑपरेशन्स के लिये भी तैनात किया जा सकता है।
 - गंभीर रूप से बीमार रोगियों की चिकित्सा की सुविधा के लिये एयर एम्बुलेंस की भूमिका में उपयोग हेतु इसमें एक एयरबोर्न मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट (Medical Intensive Care Unit-MICU) भी शामिल है।
- राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता को लेकर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण के परिणाम जारी किये गए।
- इससे पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) रैंकिंग जारी की गई, जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) रिपोर्ट, 2020 पर आधारित है।

राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग:

- परिचय:
- भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल में नवाचार को बढ़ावा देने और नवोदित उद्यमियों को अवसर प्रदान करने के लिये देश में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) 2018 से राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग अभ्यास का आयोजन कर रहा है।
- यह अभ्यास देश में स्टार्टअप के लिये कारोबारी माहौल को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- उद्देश्य:
- स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति को सामने लाने में मदद करना।
- प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देना और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सक्रिय रूप से काम करने के लिये प्रेरित करना।

- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अच्छे अभ्यासों की पहचान करना, सीखने और दोहराने के लिये सुविधा प्रदान करना।
- वर्गीकरण: राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है,
- सर्वश्रेष्ठ कलाकार
- शीर्ष प्रदर्शक
- नेता
- आकांक्षी नेता
- उभरते स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र।

रैंकिंग 2021 के बारे:

- 7 व्यापक सुधार क्षेत्र:
- प्रतिभागियों का मूल्यांकन 7 व्यापक सुधार क्षेत्रों में किया गया, जिसमें 26 कार्य बिंदु शामिल थे।
 - ◆ संस्थागत सहयोग
 - ◆ नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना
 - ◆ बाजार तक पहुँच
 - ◆ इनक्यूबेशन सहयोग
 - ◆ वित्तीय सहयोग
 - ◆ सक्षमकर्ताओं के क्षमता निर्माण के लिये मेंटरशिप सहयोग।
- परिणाम:
- गुजरात और कर्नाटक राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं।
 - ◆ केंद्रशासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष पर है।
- केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना ने राज्यों की श्रेणी में शीर्ष कलाकार का पुरस्कार जीता।
 - ◆ केंद्रशासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में जम्मू और कश्मीर शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में दिखाई दिया।



संबंधित पहल:

- डिजिटल कॉमर्स के लिये ओपन नेटवर्क
- फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड
- स्टार्टअप इंडिया फंड
- स्टार्टअप के लिये नीतिगत सुधार
- स्टार्ट-अप सेल
- राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद
- आत्मनिर्भर भारत उदय-अटल न्यू इंडिया चैलेंज
- एआईएम-आईसीआईएसटी

पौधों में नाइट्रोजन अवशोषण का विनियमन

राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बंगलूरु (NCBS-TIFR) के शोधकर्ताओं ने एक नया मार्ग खोजा है जो पौधों में नाइट्रेट अवशोषण को नियंत्रित करता है।

Controlling nitrate absorption in plants

A novel pathway has been found, which can use gene editing to achieve this objective



Approach: The researchers used rice and tobacco plants to study the mechanism. • SPECIAL ARRANGEMENT

■ Plants mainly absorb nitrogen from the soil in the form of nitrates and ammonium
■ An important macronutrient, nitrogen is a part of chlorophyll, amino acids and nucleic acids

■ There is a need to regulate and optimise nitrogen intake in plants, so that the excess is not dumped in soil and water
■ The hormone auxin is responsible for well-developed roots across all plants, influencing nitrate absorption

■ Tinkering with MADS27 may help regulate nitrate absorption and engineer abiotic stress tolerance

ALTERNATE PATHWAY

■ The regulatory micro-RNA switch - miR444 - is known to turn off at least five genes

called MADS box transcription factor genes

■ A target gene of miR444 called MADS27, has a three-pronged effect: regulating nitrate absorption and root development, and stress tolerance

नई विधि:

- शोधकर्ताओं ने MADS27 नामक एक miR444 लक्ष्य जीन की जाँच की, जो एक प्रतिलेखन कारक है जिस पर पहले थोड़ा ध्यान दिया गया था।
- प्रतिलेखन कारक प्रोटीन होते हैं जो DNA को RNA में परिवर्तित करने या प्रतिलेखन करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। प्रतिलेखन कारकों में RNA पोलीमरेज को छोड़कर बड़ी संख्या में प्रोटीन शामिल हैं, जो जीन के प्रतिलेखन को आरंभ और विनियमित करते हैं।
- माइक्रो-आरएनए, miR444, जीन MADS27 को सक्रिय करता है, जो नाइट्रेट अवशोषण, जड़ विकास और तनाव सहिष्णुता को नियंत्रित करता है तथा इस प्रकार इन पौधों के गुणों को नियंत्रित करने का एक तरीका प्रदान करता है।

- जीन MADS27 नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में सुधार के लिये संशोधन हेतु एक उत्कृष्ट जीन प्रतीत होता है, जो पौधे को अधिक नाइट्रेट्स को अवशोषित करने में मदद करता है और अजैविक सहनशीलता को बढ़ाता है।
- शोधकर्ताओं द्वारा चावल (मोनोकॉट) और तंबाकू (डाइकॉट) दोनों पौधों में इस तंत्र का अध्ययन किया गया था। यह अध्ययन 'जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बॉटनी' में प्रकाशित हुआ था।

- इसका उपयोग निम्न रक्तचाप और गठिया के इलाज के लिये किया जाता है।



नाइट्रोजन का महत्त्व:

- नाइट्रोजन एक पौधे के विकास के लिये आवश्यक सबसे महत्त्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है हैं।
- हालाँकि उर्वरकों में नाइट्रेट के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी में नाइट्रेट संचयित हो सकता है, परिणामस्वरूप जल और मिट्टी में नाइट्रेट जमा हो सकता है। यह संचय मिट्टी व जल प्रदूषण को बढ़ा देता है, साथ ही ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि करता है।
- यह दूसरों के बीच क्लोरोफिल, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड का एक हिस्सा है।
- यह ज्यादातर मृदा से प्राप्त होता है जहाँ यह मुख्य रूप से जड़ों द्वारा नाइट्रेट्स और अमोनियम के रूप में अवशोषित होता है।
- नाइट्रेट्स जीनोम-वाइड जीन अभिव्यक्ति को भी प्रभावित करते हैं, जो बदले में जड़ प्रणाली, पौधों के जैविक चक्र, की वृद्धि आदि को प्रभावित करते हैं।

अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिज़र्व:

- अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिज़र्व भारत के पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी छोर में स्थित है और इसमें समुद्र तल से 1,868 मीटर ऊँची चोटियाँ शामिल हैं।
- इस रिज़र्व का अधिकांश क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जंगल है, यहाँ पौधों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो प्रकृति में स्थानिक हैं।
- यह कृषिगत पौधों, विशेष रूप से इलायची, जामुन, जायफल, काली मिर्च और केले के लिये अनूठा आनुवंशिक क्षेत्र है।
- इस बायोस्फीयर रिज़र्व में तीन वन्यजीव अभयारण्य - शेंदुरने, पेप्पारा और नेय्यर, साथ ही कलाकड़ मुंडनथुर्गई टाइगर रिज़र्व शामिल हैं।

चेनकुरिजी

चर्चा में क्यों ?

जलवायु परिवर्तन के कारण चेनकुरिजी प्रभावित हुआ है, इसलिये इसमें विभिन्न संरक्षण उपायों को शामिल किया जा रहा है।

प्रजातियों के बारे में:

- चेनकुरिजी (ग्लूटा ट्रैवनकोरिका) अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिज़र्व के लिये एक स्थानिक प्रजाति है, यह शेंदुरणी वन्यजीव अभयारण्य (Shendurney Wildlife Sanctuary) के नाम से प्रेरित है।
- एनाकार्डियासी (Anacardiaceae) परिवार का यह पेड़ कभी आर्यनकावु दर्रे (Aryankavu Pass) के दक्षिणी हिस्सों की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में मौजूद था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसकी उपस्थिति तेजी से घट रही है।
- ग्लूटा ट्रैवनकोरिका में जनवरी महीने में फूल आते हैं, लेकिन इस प्रजाति ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण इस प्रक्रिया का विस्तार की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है।


संरक्षण उपाय:

- 'सेव चेनकुरिजी' एक अभियान है जिसे एचैनकोइल वन प्रभाग के तहत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिये।
- इसका उद्देश्य कोल्लम और पथानामथिट्टा जिलों के घाट सेक्टरों में अभियान के तहत हजारों पौधे लगाना है।
- क्षेत्र के लगभग 75 स्कूल जहाँ छात्रों की सहायता से चेनकुरिजी को उगाया जाएगा।
- स्कूलों के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भी पौधे रोपे जाएंगे और वन विभाग पहले ही चेनकुरिजी को बचाने के लिये हजारों पौधे लगा चुका है।

सिंगल-क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड

बंगलूरू के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च (JNCASR) के शोधकर्ताओं ने "सिंगल-क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड (ScN)" नामक एक नई सामग्री की खोज की है जो अवरक्त प्रकाश को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है।

- वैज्ञानिकों ने पोलरिटोन उत्तेजन नामक एक वैज्ञानिक विधि का उपयोग किया है, जो अनुरूप सामग्री में होती है इसमें प्रकाश या तो सामूहिक मुक्त इलेक्ट्रॉन दोलनों से या ध्रुवीय जाली कंपन के साथ हल्के रूप में जुड़ जाता है।
- अवरक्त प्रकाश मानव आँख को दिखाई देने वाली प्रकाश सीमा से परे है और दृश्य प्रकाश तथा माइक्रोवेव क्षेत्र के बीच (तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक लंबा है) होता है।
- "इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और सुरक्षा से ऊर्जा प्रौद्योगिकियों तक इन्फ्रारेड स्रोतों, उत्सर्जक और सेंसरों की बहुत मांग है। स्कैंडियम नाइट्राइड में इन्फ्रारेड पोलरिटोन जैसे कई उपकरणों में इसके अनुप्रयोगों को सक्षम बनाएगा।



सिंगल-क्रिस्टलीय स्कैंडियम नाइट्राइड (ScN):

- परिचय:
- इन्फ्रारेड लाइट को उत्सर्जित करने, पता लगाने और संशोधित करने में इसकी उच्च दक्षता है, जो इसे सौर और थर्मल ऊर्जा संचयन के साथ-साथ ऑप्टिकल संचार उपकरणों हेतु उपयोगी बनाती है।
- वैज्ञानिकों ने पोलरिटोन (एक अर्ध-कण) को उत्तेजित करने और इन्फ्रारेड लाइट का उपयोग करके सिंगल-क्रिस्टलीय स्कैंडियम नाइट्राइड (ScN) में मजबूत प्रकाश-पदार्थ अंतःक्रिया (Light-Matter Interactions) प्राप्त करने के लिये भौतिक गुणों को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया है।
- महत्त्व:
- चूंकि ScN में ये पोलरिटोन आधुनिक कॉम्प्लिमेंट्री-मैटल-ऑक्साइड-सेमीकंडक्टर (CMOS) या Si-चिप तकनीक के साथ भी संगत हैं, इसलिये ऑन-चिप ऑप्टिकल संचार उपकरणों के लिये इसे आसानी से एकीकृत किया जा सकता है।

- ScN में इन असाधारण पोलरिटोन का उपयोग सौर और थर्मल ऊर्जा संरक्षण में किया जा सकता है।

नैरोबी मक्खियाँ

हाल ही में नैरोबी मक्खियों के संपर्क में आने के बाद पूर्वी सिक्किम में लगभग 100 छात्र त्वचा संक्रमण से ग्रसित हो गए।

नैरोबी मक्खियाँ:

- परिचय:
- यह पूर्वी अफ्रीका की स्थानिक कीट प्रजाति है।
- नैरोबी मक्खियाँ जिन्हें केन्याई मक्खियाँ या ड्रैगन बग के रूप में भी जाना जाता है, दो प्रजातियों के छोटे भृंग जैसे कीट हैं:
 - ◆ पेडरस एक्जिमियस।
 - ◆ पेडरस सबियस।
- हाल में ही इन्हें सिक्किम में देखा गया है, ये नारंगी तथा काले रंग के होते हैं और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पनपते हैं।
- अधिकांश कीटों की तरह ये भी तेज रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं।
- ऐतिहासिक प्रकोप:
- केन्या और पूर्वी अफ्रीका के अन्य हिस्सों में इसके अधिक प्रकोप देखे गए हैं। वर्ष 1998 में असामान्य रूप से हुई भारी बारिश के कारण इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में कीट देखे गए।
- अतीत में अफ्रीका से बाहर भारत, जापान और पराग्वे जैसे देशों में भी कई प्रकोप देखे गए हैं।



मानव पर प्रभाव:

- ये कीट आमतौर पर काटते नहीं हैं लेकिन वे मानव त्वचा पर रहने के दौरान हानिकारक होते हैं क्योंकि वे शक्तिशाली अम्लीय पदार्थ छोड़ सकते हैं जो मानव त्वचा पर जलन पैदा कर सकता है।
- उत्सर्जित पदार्थ को पेडरिन कहा जाता है और यह त्वचा पर जलन पैदा कर सकता है, जिससे घाव या असामान्य निशान या त्वचा रंगहीन हो जाती है।

ऑस्ट्रेलिया द्वारा लाखों मधुमक्खियों की हत्या

ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने वरोआ माइट (Varroa mites) नामक संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के प्रयास में पिछले दो हफ्तों में लाखों मधुमक्खियों को मार डाला है।

- मधुमक्खियों को मारने का निर्णय बादाम, मैकाडामिया नट्स और ब्लूबेरी सहित कई फसलों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है जो परागण के लिये मधुमक्खियों पर निर्भर हैं।
- मधुमक्खियाँ सबसे महत्वपूर्ण परागणकों में से एक हैं, जो खाद्य और खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि और जैवविविधता सुनिश्चित करती हैं।



वरोआ माइट:

- इसका परजीवी कीट मधुमक्खियों को संक्रमित करता है और खाता है, जिसे अक्सर वरोआ विनाशक के रूप में जाना जाता है। ये छोटे कीट जो लाल-भूरे रंग के होते हैं मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनियों को खत्म करने में सक्षम हैं।
- वे अक्सर मधुमक्खी से मधुमक्खी तक और मधुमक्खी पालन के उपकरण (जैसे रिमूव कॉंब) के माध्यम से पहुँचते हैं।
- हालाँकि वरोआ माइट्स वयस्क मधुमक्खियों को खा सकते हैं और जीवित रह सकते हैं, वे मुख्य रूप से लार्वा और प्यूपा को खाते हैं और प्रजनन करते हैं, जिससे विकृति और कमजोर होने के साथ-साथ वायरस का संचरण भी होता है।
- जैसे-जैसे मधुमक्खी कालोनियों में माइट्स की आबादी बढ़ती है, लक्षण अधिक गंभीर होते जाते हैं। आमतौर पर भारी संक्रमण के परिणामस्वरूप मधुमक्खियाँ अपंग हो जाती हैं, उनकी उड़ान क्षमता प्रभावित होती है तथा भोजन एकत्रित कर कॉलोनी में वापस आने की दर कम हो जाती है और अंततः कॉलोनी की उत्पादकता कम होती है।

तिहान: पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT हैदराबाद में "स्वायत्त नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार हब" या TiHAN का उद्घाटन किया है, जो पहली "स्वायत्त नेविगेशन" सुविधा है।

- इसे 'आत्मनिर्भर भारत', 'स्किलिंग इंडिया' और 'Error! Hyperlink reference not valid.' के भारत के दृष्टिकोण की ओर एक कदम के रूप में देखा जाता है।

तिहान क्या है ?

- यह एक बहु-विषयक पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को भविष्य और अगली पीढ़ी की "स्मार्ट मोबिलिटी" तकनीक में एक वैश्विक अभिकर्ता बनाना है।
- बहु-विभागीय पहल में विद्युत, कंप्यूटर विज्ञान, यांत्रिक और एयरोस्पेस, नागरिक, गणित के शोधकर्ता शामिल हैं।
- वर्तमान में वाहनों के स्वायत्त नेविगेशन का मूल्यांकन करने के लिये भारत में ऐसी कोई परीक्षण सुविधा नहीं है। अतः कनेक्टेड ऑटोनोंमस व्हीकल्स (CAV) पर आधारित एक पूरी तरह कार्यात्मक और अनुकरणीय परीक्षण सुविधा विकसित करके इस अंतर को दूर करने की कल्पना की गई है।
- कनेक्टेड वाहन एक-दूसरे से सूचना-संचार करने, ट्रैफिक सिग्नल, संकेतों और अन्य सड़क संबंधी मदों से जुड़ने या क्लाउड से डेटा प्राप्त करने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। यह सूचना-संचार सुरक्षा में मदद करता है और यातायात को सुविधाजनक बनाता है।

महत्त्व:

- यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अकादमिक, उद्योग और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के बीच उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान के लिये एक अनूठा मंच प्रदान करेगा, इस प्रकार भारत को स्वायत्त नेविगेशन प्रौद्योगिकियों में वैश्विक रूप से अग्रणी बना देगा।
- भारत का मोबिलिटी सेक्टर दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है और TiHAN - IITH स्वचालित वाहनों के लिये भविष्य की तकनीक।
- स्वायत्त नेविगेशन (एरियल और टेरेस्ट्रियल) पर परीक्षण किये गए TiHAN-IITH हमें अगली पीढ़ी की स्वायत्त नेविगेशन तकनीकों का सटीक परीक्षण करने और तेजी से प्रौद्योगिकी विकास एवं वैश्विक बाजार में प्रवेश की अनुमति देगा।

पसमांदा समुदाय

हाल ही में पसमांदा समुदाय ने समावेशी विकास और अंतर्जातीय भेदभाव के उन्मूलन के लिये कई राजनीतिक दलों का ध्यान आकर्षित किया है।

पसमांदा मुसलमान:

- 'पसमांदा', एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है "जो पीछे रह गए हैं," यह शूद्र (पिछड़े) और अति-शूद्र (दलित) जातियों से संबंधित मुसलमानों को संदर्भित करता है।

- वर्ष 1998 में पसमांदा मुस्लिम महज एक समूह जो मुख्य रूप से बिहार में काम करता था, द्वारा इसे प्रमुख अशरफ मुसलमानों (अगड़ी जातियों) के एक विरोधी के रूप में अपनाया गया था।
- पसमांदा में वे लोग शामिल हैं जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तथा देश में मुस्लिम समुदाय का बहुमत बनाते हैं।
- "पसमांदा" शब्द का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश, बिहार और भारत के अन्य हिस्सों में मुस्लिम संघों द्वारा खुद को ऐतिहासिक एवं सामाजिक रूप से जाति द्वारा उत्पीड़ित मुस्लिम समुदायों के रूप में परिभाषित करने के लिये किया जाता है।
- पिछड़े, दलित और आदिवासी मुस्लिम समुदाय अब पसमांदा की पहचान के तहत संगठित हो रहे हैं। इसमें निम्नलिखित समुदाय शामिल हैं:
- कुंजरे (रायन), जुलाहे (अंसारी), धुनिया (मंसूरी), कसाई (कुरैशी), फकीर (अल्वी), हज्जाम (सलमानी), मेहतर (हलालखोर), ग्वाला (घोसी), धोबी (हवारी), लोहार-बर्धाई (सैफी), मनहार (सिद्दीकी), दारजी (इदरीसी), वांगुजर, आदि।

अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान:

- संवैधानिक:
- अनुच्छेद 29
 - ◆ यह अनुच्छेद उपबंध करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा।
 - ◆ अनुच्छेद-29 के तहत प्रदान किये गए अधिकार अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त हैं।
 - ◆ हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस अनुच्छेद का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद में 'नागरिकों के वर्ग' शब्द के उपयोग में अल्पसंख्यकों के साथ-साथ बहुसंख्यक भी शामिल हैं।
- अनुच्छेद 30
 - ◆ धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा।
 - ◆ अनुच्छेद 30 के अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों (धार्मिक या भाषायी) तक ही सीमित है यह नागरिकों के किसी भी वर्ग (अनुच्छेद 29 के अंतर्गत) तक विस्तारित नहीं है।
- अनुच्छेद 350-B:
 - ◆ 7वें संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम, 1956 ने इस बात का उल्लेख किया जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।

- ◆ विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच करे।

- वैधानिक:
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग (NCMEI) अधिनियम, 2004:
 - ◆ यह NCMEI अधिनियम, 2004 के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित छह धार्मिक समुदायों के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा देता है- मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक:

- वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा NCM अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत अधिसूचित समुदायों को अल्पसंख्यक माना जाता है।
- वर्ष 1992 में NCM अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के साथ अल्पसंख्यक आयोग (Minorities Commission-MC) एक वैधानिक निकाय बन गया और इसका नाम बदलकर NCM कर दिया गया।
- वर्ष 1993 में पहला सांविधिक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया था और पाँच धार्मिक समुदाय अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- वर्ष 2014 में जैनियों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था।

मानगढ़ पहाड़ी राष्ट्रीय स्मारक घोषित

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) की एक रिपोर्ट में राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी की चोटी को 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित करने की घोषणा की गई है।

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA):

- राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्व स्थल तथा अवशेष (Ancient Monuments And Archaeological Sites and Remains-AMASR) (संशोधन एवं मान्यता) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया है जिसे मार्च 2010 में अधिनियमित किया गया था।
- NMA को स्मारकों और स्थलों के संरक्षण से संबंधित कई कार्य सौंपे गए हैं जो केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के आसपास प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्रों के प्रबंधन के माध्यम से किये जाते हैं।

- NMA, प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्रों में निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिये आवेदकों को अनुमति प्रदान करने पर भी विचार करता है।


राष्ट्रीय स्मारक का महत्त्व:

- राष्ट्रीय प्राचीन स्मारकों को प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत परिभाषित किया गया है।
- अधिनियम उन प्राचीन स्मारकों की किसी भी संरचना को स्मारक या गुफा, रॉक मूर्तिकला या शिलालेख के रूप में परिभाषित करता है जो ऐतिहासिक या पुरातात्विक रुचि का है।
- स्मारकों के रख-रखाव, संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिये केंद्र सरकार अधिकृत है।

मानगढ़ पहाड़ी की पृष्ठभूमि:

- गुजरात-राजस्थान सीमा पर स्थित पहाड़ी, एक आदिवासी विद्रोह का स्थल है जहाँ वर्ष 1913 में 1500 से अधिक भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी मारे गए थे।
- इस जगह को आदिवासी जलियाँवाला के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ स्मारक बनाने की मांग उठती रही है।
- 17 नवंबर, 1913 को ब्रिटिश सेना ने विरोध में सभा कर रहे आदिवासियों पर गोलियाँ चला दीं, जिसका नेतृत्व गोविंद गुरु समुदाय के एक नेता ने किया था, जिसमें 1,500 से अधिक लोग मारे गए थे।

भील जनजाति:



- परिचय:
- भीलों को आमतौर पर राजस्थान के धनुषधारी (Bowmen) के रूप में जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है।
- यह दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जनजाति है।

- आमतौर पर इन्हें दो रूपों में वर्गीकृत किया जाता है:

- ◆ मध्य या शुद्ध भील
- ◆ पूर्वी या राजपूत भील

- मध्य भील भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा त्रिपुरा के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं।
- उन्हें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और त्रिपुरा में अनुसूचित जनजाति माना जाता है।
- ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:
- भील आर्य-पूर्व जाति के सदस्य हैं।
- 'भील' शब्द विल्लू या बिल्लू शब्द से बना है, जिसे द्रविड़ भाषा में धनुष (Bow) के नाम से जाना जाता है।
- भील नाम का उल्लेख महाभारत और रामायण के प्राचीन महाकाव्यों में भी मिलता है।

फील्ड्स मेडल 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूक्रेनी गणितज्ञ मैरीना वियाजोवस्का ने अन्य तीन गणितज्ञों के साथ प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल प्राप्त किया।

- फील्ड मेडल को अक्सर गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में वर्णित किया जाता है।

मुख्य विशेषताएँ:

- परिचय:
- फील्ड्स मेडल प्रत्येक चार वर्ष में 40 वर्ष से कम आयु के एक या एक से अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है।
- फील्ड्स मेडल इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन (IMU) की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस में प्रदान किया जाता है।
- ◆ IMU एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है।
- ◆ IMU का उद्देश्य गणित के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
- फील्ड मेडल उत्कृष्ट गणितीय उपलब्धि और भविष्य की उपलब्धि के वादे के लिये दिया जाता है।
- फील्ड्स मेडल कमेटी को अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ की कार्यकारी समिति द्वारा चुना जाता है और आमतौर पर इसकी अध्यक्षता IMU अध्यक्ष करता है।

- पृष्ठभूमि:
- टोरंटो में 1924 के IMU ने एक प्रस्ताव अपनाया कि प्रत्येक सम्मेलन में उत्कृष्ट गणितीय उपलब्धि के लिये दो स्वर्ण पदक प्रदान किये जाएंगे।
- कनाडा के गणितज्ञ प्रो. जे. सी. फील्ड्स, जो वर्ष 1924 के कॉन्ग्रेस के सचिव थे, ने बाद में पदक स्थापित करने हेतु धन दान किया, जो उनके सम्मान में नामित किये गए थे।
- वर्ष 1966 में यह सहमति बनी कि गणितीय अनुसंधान के व्यापक विस्तार के आलोक में प्रत्येक कॉन्ग्रेस में अधिकतम चार पदक दिये जा सकते हैं।
- यह पहली बार वर्ष 1936 में प्रदान किया गया था।

भारतीय मूल के विजेता:

- वर्ष 1936 से फील्ड मेडल से सम्मानित 60 से अधिक गणितज्ञों में से दो भारतीय मूल के हैं:
- प्रिंसटन (2018) में उन्नत अध्ययन संस्थान के अक्षय वेंकटेश।
- प्रिंसटन विश्वविद्यालय (2014) में गणित विभाग के मंजुल भार्गव। डेरेचो
हाल ही में अमेरिका के कुछ राज्य डेरेचो नामक तूफान की चपेट में आ गए, जिससे आसमान का रंग हरा हो गया।
- डेरेचो आमतौर पर मध्य और पूर्वी अमेरिका के हिस्सों में आते हैं। वर्ष 2009 में एक 'सुपर डेरेचो' आया था जो अब तक का अवलोकित सबसे तीव्र और असामान्य डेरेचो था, यह केन्सास से लेकर केंटुकी (US के राज्य) तक फैला था जिसमें हवा की गति 170 किलोमीटर प्रति घंटे थी।
- वर्ष 2010 में रूस में पहला प्रलेखित डेरेचो देखा गया जिसका प्रभाव जर्मनी और फिनलैंड में भी देखा गया था और हाल ही में बुल्गारिया एवं पोलैंड में देखा गया था।



डेरेचो:

- परिचय:
- डेरेचो व्यापक, लंबे समय तक रहने वाला सीधी रेखा वाला तूफान है, जो तेज बरसात और गरज के साथ आता है।

- ◆ यह नाम स्पैनिश शब्द 'ला डेरेचा' से आया है जिसका अर्थ है 'सीधा'।
- सीधी रेखा के तूफान वे होते हैं जिनमें गरज के साथ तूफान के विपरीत कोई घूर्णन नहीं होता है। ये तूफान सैकड़ों मील की यात्रा करते हैं और एक विशाल क्षेत्र को कवर करते हैं।
- यह एक गर्म मौसम की घटना है जो आमतौर पर जून और जुलाई में होती है।
- बवंडर या तूफान जैसे अन्य तूफान प्रणालियों की तुलना में यह एक दुर्लभ घटना है।
- प्रकार:
- प्रगतिशील:
 - ◆ एक प्रगतिशील डेरेचो एक सीधी रेखा में होता है, जो अपेक्षाकृत संकीर्ण पथ के साथ सैकड़ों मील की यात्रा कर सकता है।
- क्रमानुसार:
 - ◆ दूसरी ओर क्रमिक डेरेचो में एक व्यापक स्क्वॉल लाइन होती है- चौड़ी और लंबी तथा एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई।
 - ◆ यह आमतौर पर वसंत या पतझड़ के दौरान देखी जाती है।
- संकर (हाइब्रिड):
 - ◆ हाइब्रिड वाले तूफान में प्रगतिशील और क्रमिक डेरेचो दोनों की विशेषताएँ शामिल हैं।

डेरेचो के दौरान ग्रीन स्काई:


- तीव्र तूफान के परिणामस्वरूप आसमान हरा हो जाता है क्योंकि प्रकाश उनके द्वारा धारण किये जाने वाले जल की भारी मात्रा के साथ अंतःक्रिया करता है।
- बारिश की बड़ी बुँदे नीले रंग की तरंग दैर्ध्य को छोड़कर अन्य सभी तरंगों को बिखेर देती हैं, जिसके कारण मुख्य रूप से नीली रोशनी तूफानी बादल के नीचे प्रवेश करती है।
- यह नीला प्रकाश दोपहर या शाम के समय सूरज के लाल-पीले रंग के साथ मिलकर हरे रंग का हो जाते हैं।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

केंद्रीय गृह मंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

परिचय:

- श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई, 1901 को कलकत्ता में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
- वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ, बैरिस्टर और शिक्षाविद थे जिन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया।




- वर्ष 1934 में 33 वर्ष की आयु में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने।
- कुलपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, रवींद्रनाथ टैगोर ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को पहली बार बंगाली भाषा में संबोधित किया और भारतीय भाषा को सर्वोच्च परीक्षा के लिये एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- वर्ष 1946 में उन्होंने बंगाल के विभाजन की मांग की ताकि इसके हिंदू-बहुल क्षेत्रों को मुस्लिम बहुल पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करने से रोका जा सके।
- वर्ष 1947 में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के भाई शरत बोस और बंगाली मुस्लिम राजनेता हुसैन शहीद सुहरावर्दी द्वारा बनाई गई एक संयुक्त लेकिन स्वतंत्र बंगाल के लिये एक असफल बोली का भी विरोध किया।
- उन्होंने आधुनिक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ (BJS) की स्थापना की।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ, बैरिस्टर और शिक्षाविद थे, जिन्होंने प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया। जम्मू और कश्मीर के मुद्दों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के साथ मतभेद के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद, उन्होंने जनता पार्टी की स्थापना की, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी।
- वर्ष 1953 में, कश्मीर को दिये गए विशेष दर्जे के विरोध में उन्होंने बिना अनुमति के कश्मीर में प्रवेश करने की कोशिश की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई।

कैंसर के इलाज हेतु ऑनकोलिटिक विरोधरेपी

अमेरिका में शोधकर्ताओं ने कैंसर थेरेपी में सुधार हेतु ऑनकोलिटिक विरोधरेपी (OV) के रूप में नई विधि विकसित की है जो आसपास के स्वस्थ ऊतकों को बरकरार रखते हुए ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट कर सकती है।

- इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी परीक्षण का आयोजन किया गया था, जिसमें 12 रोगियों को बिना किसी सर्जरी या कीमोथेरेपी की आवश्यकता के मलाशय के कैंसर से पूरी तरह से ठीक किया गया था।



ऑनकोलिटिक विरोधरेपी:

- ऑनकोलिटिक वायरस पास की स्वस्थ कोशिकाओं और ऊतकों को बरकरार रखते हुए कैंसर कोशिकाओं को मार सकते हैं।
- ऑनकोलिटिक विरोधरेपी में उपचार प्राकृतिक घातक (NK) कोशिकाओं जैसे प्रतिरक्षा कोशिकाओं से बने एंटीट्यूमर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करके भी अपना प्रभाव डालता है।
- हालाँकि कभी-कभी वे प्राकृतिक घातक ऑनकोलिटिक वायरस को सीमित कर देते हैं, इसलिये हाल के वर्षों में OV क्षेत्र में उचित विकास के बावजूद कुछ चुनौतियों से निपटने के लिये सुधार की आवश्यकता है, जिसमें अपेक्षाकृत कमजोर चिकित्सीय गतिविधि और प्रभावी प्रणालीगत वितरण के साधनों की कमी शामिल है।

आदर्श दृष्टिकोण:

- इसमें जीन का एक निश्चित हिस्सा, जो कि सक्रियता का संकेत देता है, नष्ट कर दिया जाता है, साथ ही यह वायरस को सामान्य कोशिकाओं की प्रतिकृति के निर्माण में सक्षम बनाता है।
- इसमें नया ऑनकोलिटिक वायरस होता है जिसे फ्यूसन-एच 2 (FusOn-H2) कहा जाता है, जो हरपीज सिम्प्लेक्स 2 वायरस, (HSV-2) पर आधारित है, जिसे आमतौर पर जननांग दाद के रूप में जाना जाता है।
- FusOn-H2 में काइमेरिक NK एंजेज जो ट्यूमर कोशिकाओं में प्रवेश कर प्राकृतिक घातक कोशिकाओं को संलग्न कर सकता है, विरोधरेपी की प्रभावकारिता में काफी बढ़ा सकता है।

कैंसर क्या है ?

- परिचय:
- यह रोगों का एक बड़ा समूह है जो शरीर के लगभग किसी भी अंग या ऊतक में तब शुरू हो सकता है, जब असामान्य कोशिकाएँ

अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं तथा शरीर के आस-पास के हिस्सों पर आक्रमण करने और/या अन्य अंगों में फैलने के लिये अपनी सामान्य सीमा से परे अतिक्रमण करती हैं। बाद की प्रक्रिया को मेटास्टेसाइजिंग कहा जाता है तथा यह कैंसर से मृत्यु का एक प्रमुख कारण है।

- कैंसर के अन्य सामान्य नाम नियोप्लाज़्म और मैलिगनेंट ट्यूमर हैं।
- पुरुषों में फेफड़े, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, पेट और लीवर का कैंसर सबसे आम प्रकार के कैंसर हैं, जबकि स्तन, कोलोरेक्टल, फेफड़े, ग्रीवा तथा थायराइड कैंसर महिलाओं में सबसे आम हैं।
- कैंसर का बोझ:
- भारत सहित दुनिया भर में कैंसर, पुराना और गैर-संचारी रोग (NCD) है तथा वयस्क बीमारी और मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, कैंसर विश्व स्तर पर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है और वर्ष 2018 में वैश्विक स्तर पर लगभग 18 मिलियन मामले थे, जिनमें से 1.5 मिलियन मामले अकेले भारत में थे।
- निवारण :
- मुख्य जोखिम कारकों को छोड़कर कैंसर से होने वाली 30-50% मौतों को रोका जा सकता है।
- प्रमुख जोखिम वाले कारकों में तंबाकू, शराब का उपयोग, असंतुलित आहार, पराबैंगनी विकिरण का संपर्क, प्रदूषण, पुराने संक्रमण आदि शामिल हैं।
- उपचार:
- कैंसर के उपचार के विकल्प के रूप में सर्जरी, कैंसर की दवाएँ या रेडियोथेरेपी शामिल हैं।
- उपशामक देखभाल (Palliative Care) जो रोगियों एवं उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है, कैंसर देखभाल का एक अनिवार्य घटक है।

कैंसर से निपटने हेतु पहल:

- कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम
- राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड
- राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
- अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्था
- राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस

ओपन एकरेज लाइसेंसिंग कार्यक्रम

हाल ही में भारत सरकार ने OALP बिड राउंड-VIII लॉन्च किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा बोली के लिये 10 ब्लॉकों की पेशकश की गई है।

ओपन एकरेज लाइसेंसिंग कार्यक्रम (OALP):

- मार्च 2016 में पूर्ववर्ती न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी (NELP) के स्थान पर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP) को मंजूरी दी गई थी तथा जून 2017 में ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) के साथ-साथ नेशनल डेटा रिपोजिटरी (NDR) को भारत में अन्वेषण और उत्पादन (E&P) गतिविधियों में तेज़ी लाने के लिये प्रमुख संचालक के रूप में लॉन्च किया गया था।
- OALP के तहत कंपनियों को उन क्षेत्रों के अन्वेषण की अनुमति है, जिनमें वे तेल और गैस का पता लगाना चाहती हैं।
- कंपनियाँ वर्ष भर किसी भी क्षेत्र के अन्वेषण हेतु अपनी रुचि को प्रकट कर सकती हैं लेकिन ऐसी सुविधा वर्ष में तीन बार दी जाती है। इसके बाद मांगे गए क्षेत्रों की बोली लगाने की पेशकश की जाती है।
- यह पूर्व नीति से अलग है, इस नीति में जहाँ एक तरफ सरकार ने क्षेत्रों की पहचान की सुविधा दी, वहीं दूसरी तरफ उन्हें बोली लगाने की पेशकश की।

हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP):

- परिचय:
- हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (HELP) रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर आधारित है।
- नई नीति सरल नियमों, कर विराम, मूल्य निर्धारण और विपणन स्वतंत्रता का वादा करती है तथा वर्ष 2022-23 तक तेल एवं गैस उत्पादन को दोगुना करने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है।
- HELP के कार्य:
- यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग:
 - ◆ HELP एक समान लाइसेंसिंग प्रणाली प्रदान करती है जो तेल, गैस और कोल बेड मीथेन जैसे सभी हाइड्रोकार्बन को कवर करेगी।
 - ◆ NELP के तहत विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण के लिये अलग-अलग लाइसेंस जारी किये गए थे।
 - ◆ इससे अतिरिक्त लागत आती है, क्योंकि एक निश्चित प्रकार का अन्वेषण करते समय किसी अलग प्रकार के हाइड्रोकार्बन पाए जाने पर अलग लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
- राजस्व बँटवारा मॉडल:
 - ◆ HELP एक राजस्व बँटवारा मॉडल प्रदान करता है, सरकार को तेल और गैस आदि की बिक्री से सकल राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त होगा तथा खर्च की गई लागत से कोई सरोकार नहीं होगा।

- ◆ NELP लाभ बँटवारा मॉडल था जहाँ लागत की वसूली के बाद सरकार और ठेकेदार के बीच मुनाफे को साझा किया जाता है।
- ◆ NELP के तहत सरकार के लिये निजी प्रतिभागियों के लागत विवरण की जाँच करना आवश्यक हो गया और इसके कारण देरी और विवाद उत्पन्न हुए।
- मूल्य निर्धारण:
 - ◆ HELP के पास मार्केटिंग और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता है।
 - ◆ HELP से पहले, अनुबंध सोना चढ़ाने (महंगी और अनावश्यक सुविधाओं का समावेश) की संभावना के साथ उत्पादन साझा करने पर आधारित थे और 'लाभ में हेरफेर' करके सरकार को नुकसान पहुँचाते थे।
 - ◆ अनुबंधों की जटिलता को कम करने के लिये इसे राजस्व बँटवारे में बदल दिया गया।
 - ◆ नई प्रणाली के तहत रॉयल्टी दरों की एक श्रेणीबद्ध प्रणाली शुरू की गई थी।
 - ◆ इस प्रणाली के तहत रॉयल्टी दरें उथले जल (जहाँ अन्वेषण की लागत और जोखिम कम है), गहरे जल (जहाँ लागत और जोखिम अधिक है) से अति-गहरे जल वाले क्षेत्रों में घट जाएगी।

HELP के लाभ:

- यह इन ब्लॉकों से उत्पादित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिये विपणन स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह सरकार की "न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन" की नीति के अनुरूप है।
- NELP के तहत सरकार के लिये निजी प्रतिभागियों के लागत विवरण की जाँच करना आवश्यक था और इससे देरी एवं कई विवाद हुए। HELP 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।
- HELP भारत में अपस्ट्रीम E&P (अन्वेषण, विकास और उत्पादन) के लिये सरकारी नियंत्रण के युग से सरकारी समर्थन हेतु सबसे बड़े संक्रमण का प्रतीक है।
- OALP कंपनियों को अपनी पसंद के क्षेत्रों का पता लगाने के लिये डेटा और विवेक दोनों देकर अन्वेषण पर प्रतिबंध हटाता है।

एयरलाइन टर्बुलेंस

हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने स्पाइसजेट को सुरक्षित विमान सेवा में गिरावट को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

ऐसी घटनाओं का कारण:

- वित्तीय कारण:
 - स्पाइसजेट ने 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त नौ महीने की अवधि के लिये 1,259.21 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया और अभी तक पूरे वित्तीय वर्ष 2022 के लिये अपने परिणाम घोषित नहीं किये हैं।
 - ◆ यह उन स्थितियों की ओर इंगित करता है जब एक एयरलाइन कंपनी विक्रेताओं को भुगतान करने में सक्षम नहीं होती है और स्पेयर पार्ट्स की कमी हो जाती है, क्योंकि अधिकांश विक्रेता "कैश और कैरी" आधार पर व्यवसाय करते हैं।
- दोषों को नज़रअंदाज़ करना:
 - कई पायलट संगठनात्मक संस्कृति को दोष देते हैं जहाँ पायलटों को दोषों के अनसुलझे होने के बावजूद उड़ान भरने के लिये मजबूर किया जाता है और नियमों कि अवहेलना की जाती है।
 - ◆ उदाहरण के लिये मार्च 2022 में एक प्रशिक्षण केंद्र में DGCA की जाँच में पता चला कि स्पाइसजेट दोषपूर्ण स्टिक शेकर (जो पायलट को आसन गिरावट की चेतावनी देता है) के बावजूद अपने पायलटों को अनुरूपक (Simulator) पर प्रशिक्षण दे रहा था।
 - ◆ प्रशिक्षण कुख्यात बोइंग 737 मैक्स विमानों की सेवा में वापसी का हिस्सा था, जिनकी उड़ान को दो हवाई दुर्घटनाओं के बाद दुनिया भर में रोक दिया गया था।
 - ◆ DGCA ने स्पाइसजेट के 90 पायलटों को मैक्स विमानों की उड़ान भरने से रोक दिया जब तक कि उन्हें फिर से प्रशिक्षित नहीं किया गया।

DGCA:

- यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।
- यह नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नियामक निकाय है जो मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों से निपटता है।
- यह भारत में/से/के भीतर हवाई परिवहन सेवाओं के नियमन और नागरिक हवाई नियमों, हवाई सुरक्षा तथा उड़ान योग्यता मानकों को लागू करने के लिये जिम्मेदार है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के साथ सभी नियामक कार्यों का समन्वय भी करता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के साथ सभी नियामक कार्यों का समन्वय भी करता है।

DGCA के कार्य:

- विमान नियम 1937, DGCA को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने, किसी भी विमान को हिरासत में लेने का अधिकार देता है यदि इससे विमान में व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को खतरा हो उत्पन्न है।

- नियामक एयरलाइन के एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) को भी निलंबित कर सकता है या एयरलाइन के शेड्यूल, यानी उड़ानों को कम कर सकता है, जो देश में वाणिज्यिक हवाई सेवाओं की पेशकश के लिये एक शर्त है।

रेड पांडा

हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग पाँच वर्षों में 20 रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने के लिये एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है।

- पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक संरक्षित क्षेत्र सिंगलिला नेशनल पार्क को जल्द ही नए निवासी मिलेंगे।

रेड पांडा:

- परिचय:
- दुनिया में विशालकाय पांडा और रेड पांडा केवल यही दो अलग-अलग पांडा प्रजातियाँ हैं।
- यह सिक्किम का राज्य पशु भी है।
- रेड पांडा शर्मिले, एकांत और वृक्ष पर रहने वाले जानवर हैं तथा पारिस्थितिक परिवर्तन के लिये एक संकेतक प्रजाति मानी जाती है।
- भारत दोनों (उप) प्रजातियों का घर है:
 - ◆ हिमालयन रेड पांडा (ऐलुरुस फुलगेन्स)।
 - ◆ चीनी रेड पांडा (ऐलुरुस स्टायानी)
 - ◆ अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी दो फाइटोलैनेटिक प्रजातियों को विभाजित करती है।
- यह भारत, नेपाल, भूटान और म्याँमार के उत्तरी पहाड़ों तथा दक्षिणी चीन के जंगलों में पाया जाता है।
- पश्चिम बंगाल में सिंगलिला और नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान दो संरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ लाल पांडा पाए जाते हैं, यहाँ तक कि इन संरक्षित क्षेत्रों में भी पांडा की आबादी में गिरावट आई है।
- संरक्षण की स्थिति:
- रेड पांडा:
 - ◆ IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय
 - ◆ CITES: परिशिष्ट 1
 - ◆ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972: अनुसूची 1
- विशाल (Giant) पांडा:
 - ◆ IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य
 - ◆ CITES: परिशिष्ट 1

रेड पांडा प्रोजेक्ट:

- पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने इन स्तनधारियों में से 20 को लगभग पाँच वर्षों में जंगलों में छोड़ने के लिये एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है।

- पद्मजा नायडू पार्क दार्जिलिंग, देश के सबसे ऊँचाई वाले चिड़ियाघरों में से एक है और इन स्तनधारियों के प्रजनन में काफी सफल रहा है।
- इन पांडा को पश्चिम बंगाल के सबसे ऊँचाई पर संरक्षित क्षेत्र सिंगलिला नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा।
- सिंगलिला राष्ट्रीय उद्यान दार्जिलिंग जिले में सिंगलिला रिज पर स्थित है।
- यह पश्चिम बंगाल राज्य का सबसे अधिक ऊँचाई पर स्थित पार्क है।
- यह शुरू में एक वन्यजीव अभयारण्य था और वर्ष 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया।
- पश्चिम बंगाल के अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं:
 - ◆ जलदा पारा राष्ट्रीय उद्यान
 - ◆ नेओरा वैली नेशनल पार्क
 - ◆ सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान
 - ◆ गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान
 - ◆ बुक्सा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व

रेड पांडा के संरक्षण हेतु भारत के प्रयास:

- रेड पांडा आवास को सुरक्षित करना:
- WWF-इंडिया स्थानीय समुदायों के साथ उनकी ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिये नवीन तकनीकों से परिचित कराकर ईंधन की लकड़ी पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिये काम करता है।
- सिक्किम में 200 से अधिक व्यक्तियों को बायो-ब्रिकेट बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है।
- स्थानीय समर्थन:
- स्थानीय समुदाय वैकल्पिक आजीविका गतिविधियों में शामिल हैं जो उनके लिये लाभ प्राप्त करते हैं, साथ ही संरक्षण पहल का समर्थन भी करते हैं।
- अरुणाचल प्रदेश में समुदाय आधारित पर्यटन स्थानीय लोगों को लाल पांडा देखने के लिये आने वाले पर्यटकों से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाता है।
- लाल पांडा की आबादी हेतु खतरे को कम करना:
- वन निर्भरता को कम करने के लिये स्थानीय समुदायों के साथ काम करना और उन्हें संरक्षण उपायों में शामिल करना, साथ ही आवास क्षरण व विखंडन के खतरे को संबोधित करना।
- WWF-इंडिया ने सिक्किम एंटी-रेबीज एंड एनिमल हेल्थ (SARAH) के साथ भी सहयोग किया है और महत्त्वपूर्ण वन्यजीव क्षेत्रों के आसपास जंगली कुत्तों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिये उनकी नसबंदी करने हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया है।

ड्रैगन फ्रूट

हाल ही में केंद्र ने ड्रैगन फ्रूट के विकास को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, इसके स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए इसे "विशेष फल (Super Fruit)" के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- इसके अलावा केंद्र का मानना है कि फल के पोषण लाभ और वैश्विक मांग के कारण भारत में इसकी खेती को बढ़ाया जा सकता है।



ड्रैगन फ्रूट:

- परिचय:
- ड्रैगन फ्रूट हिलोसेरियस कैक्टस पर उगता है, जिसे होनोलूलू क्वीन के नाम से भी जाना जाता है।
- यह फल दक्षिणी मेक्सिको और मध्य अमेरिका का स्थानीय/देशज फल है। वर्तमान में भी यह पूरी दुनिया में उगाया जाता है।
 - ◆ इस समय इस फल की खेती करने वाले राज्यों में मिज़ोरम सबसे आगे है।
- इसे कई नामों से जाना जाता है, जिनमें पपीता, पिठैया और स्ट्रॉबेरी, नाशपाती शामिल हैं।
- दो सबसे आम प्रकारों में हरे रंग की परत के साथ यह चमकदार लाल रंग का होता है जो ड्रैगन के समान होता है।
- सबसे व्यापक रूप से उपलब्ध इसकी किस्म में काले बीजों के साथ सफेद गूदा होता है, हालाँकि लाल गूदे और काले बीजों के साथ सामान्य प्रकार भी मौजूद होता है।
- यह फल मधुमेह के रोगियों के लिये उपयुक्त, कैलोरी में कम और आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम तथा जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है।
- सबसे बड़ा उत्पादक:
- दुनिया में ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक वियतनाम है, जहाँ 19वीं शताब्दी में फ्राँसीसियों द्वारा इस पौधे को लाया गया था।

- ◆ वियतनामी इसे थान लॉन्ग कहते हैं, जिसका अनुवाद है "ड्रैगन की आँख", माना जाता है कि यह इसके सामान्य अंग्रेज़ी नाम का मूल है।

- ◆ वियतनाम के अलावा यह विदेशी फल संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इज़रायल और श्रीलंका में भी उगाया जाता है।

- विशेषताएँ:
- इसके फूल प्रकृति में उभयलिंगी (एक ही फूल में नर और मादा अंग) होते हैं और रात में खुलते हैं।
- पौधा 20 से अधिक वर्षों तक उपज देता है, यह उच्च न्यूट्रास्युटिकल गुणों (औषधीय प्रभाव वाले) के साथ मूल्य वर्द्धित और प्रसंस्करण उद्योगों के लिये लाभदायक है।
- यह विटामिन एवं खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है।
- जलवायु की स्थिति:
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, इस पौधे को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है और इसे शुष्क भूमि पर उगाया जा सकता है।
- खेती की लागत शुरू में अधिक होती है लेकिन पौधे के लिये उत्पादक भूमि की आवश्यकता नहीं होती; अनुत्पादक, कम उपजाऊ क्षेत्रों में इसका अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है।

राज्य सरकारों द्वारा उठाए कदम:

- गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम (कमल) रखा और इसकी खेती करने वाले किसानों के लिये प्रोत्साहन की घोषणा की है।
- हरियाणा सरकार उन किसानों को भी अनुदान प्रदान करती है जो इस विदेशी फल की किस्म को उगाने हेतु तैयार हैं।
- महाराष्ट्र सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री और इसकी खेती के लिये सब्सिडी प्रदान करके राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने की पहल की है।

स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैच्यू ऑफ पीस

हाल ही में श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य के स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया।

रामानुजाचार्य:


- रामानुजाचार्य का जन्म वर्ष 1017 में तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में हुआ था।
- रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे।
- उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय का समर्थन करते हुए पूरे भारत की यात्रा की।

- उन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया और उनके उपदेशों ने अनेक भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित किया।
- विशिष्टाद्वैत वेदांत दर्शन की एक अद्वैतवादी परंपरा है।
- वे भक्ति आंदोलन के उपदेशक और अन्य सभी भक्ति विचारधाराओं के स्रोत बने।
- वह कबीर, मीराबाई, अन्नामचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज और कई अन्य रहस्यवादी कवियों के लिये एक प्रेरणा थे।
- उन्होंने इस अवधारणा की शुरुआत की कि प्रकृति और उसके संसाधन जैसे- जल, वायु, मिट्टी, वृक्ष, आदि पवित्र हैं और उन्हें प्रदूषण से बचाया जाना चाहिये।



अज़ोरेस हाई :

- परिचय:
- अज़ोरेस हाई एक उपोष्णकटिबंधीय हाई के दबाव प्रणाली है जिसका विस्तार सर्दियों के दौरान पूर्वी उपोष्णकटिबंधीय उत्तरी अटलांटिक और पश्चिमी यूरोप में देखा जाता है।
- यह उपोष्णकटिबंधीय उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में प्रतिचक्रवातीय हवाओं से संबंधित है।
- इसकी उत्पत्ति शुष्क हवा के कारण उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है और यह हैडली परिसंचरण की निचली शाखा के साथ मिल जाता है।
- हैडली परिसंचरण:
- हैडली सेल निम्न-अक्षांशीय व्युत्क्रम परिसंचरण हैं जिनमें भूमध्य रेखा पर हवा ऊपर की ओर उठती है और लगभग 30° अक्षांश पर नीचे की ओर आती है।
- ◆ वे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक हवाओं के लिये जिम्मेदार हैं और निम्न अक्षांश में मौसम की प्रणाली को नियंत्रित करते हैं।
- ◆ हैडली सेल ध्रुवों तक विस्तारित हो सकती हैं।



अज़ोरेस हाई:

- 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के दौरान इबेरियन प्रायद्वीप में प्रति दशक 5-10 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की वार्षिक शुष्कता दर्ज की गई है।

इसे स्टेच्यू ऑफ पीस क्यों कहा जाता है ?

- स्टेच्यू ऑफ पीस की स्थापना से सभी धर्मों के कश्मीरियों को रामानुजाचार्य का आशीर्वाद और संदेश प्राप्त होगा ताकि कश्मीर को शांति और प्रगति के पथ पर ले जाया जा सके।
- यह बिना किसी भेदभाव के कश्मीर के लोगों के विकास में सहायक होगा।

संत रामानुज का कश्मीर से संबंध:

- रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में ब्रह्म सूत्र पर लिखे ग्रंथ बोधायन वृत्ति नामक एक महत्त्वपूर्ण पांडुलिपि प्राप्त करने के लिये कश्मीर गए थे।
- बोधायन वृत्ति को ब्रह्म सूत्र की सबसे आधिकारिक व्याख्या होने की प्रतिष्ठा प्राप्त थी।
- उनके शिष्य कुरेशा उनके साथ थे और उन्होंने पूरे पाठ को अपनी स्मृति में आत्मसात कर लिया क्योंकि स्थानीय विद्वानों ने रामानुजाचार्य को पांडुलिपि को कश्मीर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी।
- श्रीरंगम लौटने के बाद रामानुजाचार्य ने श्री भाष्यम, ब्रह्म सूत्र पर टीका और अपने सबसे उल्लेखनीय कार्य को कुरेशा को निर्देशित किया, जिन्होंने इसे लिखा था।
- श्री भाष्यम को इस क्षेत्र को समर्पित करने के लिये रामानुजाचार्य 2 वर्ष बाद फिर से कश्मीर लौट आए।

अज़ोरेस हाई

हाल ही में किये गए अध्ययन से पता चला है कि एक बहुत बड़े 'अज़ोरेस हाई' (उपोष्णकटिबंधीय मौसम की घटना) के परिणामस्वरूप पश्चिमी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में असामान्य शुष्क स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसमें मुख्य रूप से स्पेन और पुर्तगाल के कब्जे वाले इबेरियन प्रायद्वीप शामिल हैं।

- 21वीं सदी के अंत तक सर्दियों में वर्षा में 10-20% की और गिरावट आने की आशंका है।
- ये अनुमानित परिवर्तन इबेरियन क्षेत्र की कृषि को यूरोप में सबसे कमजोर बनाते हैं। अध्ययन का अनुमान है:
- दक्षिणी स्पेन में जैतून उगाने वाले क्षेत्रों को वर्ष 2100 तक उत्पादन में 30% की गिरावट का सामना करना पड़ेगा।
- इबेरियन प्रायद्वीप में अंगूर उगाने वाला क्षेत्र जल की गंभीर कमी के कारण वर्ष 2050 तक 25% - 99% संकुचित हो जाएगा, जिससे भूमि अंगूर की खेती के लिये अनुपयुक्त हो जाएगी।

अजोरेस हाई के विस्तार का कारण:

- अजोरेस हाई के विस्तार बाहरी जलवायु बलों द्वारा संचालित है और औद्योगिक युग में इसे उत्पन्न करने वाला एकमात्र बाहरी कारक वायुमंडलीय ग्रीनहाउस गैस सांद्रता है।
- अजोरेस हाई का विस्तार वर्ष 1850 के बाद देखा गया और बीसवीं शताब्दी में मजबूत हुआ, जो मानवजनित रूप से संचालित उष्ण के अनुरूप था।
- शोधकर्ताओं ने औद्योगिक युग की शुरुआत के बाद से बदलती वायुमंडलीय स्थितियों की खोज की, जिसने पिछले 1,200 वर्षों में अजोरेस हाई की विशेषताओं का आकलन करके इन क्षेत्रीय हाइड्रोक्लाइमेटिक परिवर्तनों में योगदान दिया।

ईपीवी संक्रमण के बाद जैव-आणविक परिवर्तन


वैज्ञानिकों ने पाया है कि कैंसर पैदा करने वाला वायरस एपस्टीन बार वायरस (EBV) न्यूरोनल कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है और जैव-अणुओं में विभिन्न परिवर्तन ला सकता है।

- एक शोधकर्ता ने मस्तिष्क कोशिकाओं पर कैंसर पैदा करने वाले वायरस के संभावित प्रभावों का पता लगाने के लिये फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एस एंड टी इन्फ्रस्ट्रक्चर (FIST) योजना के तहत रमन माइक्रोस्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक का उपयोग किया।
- बायोमोलेक्यूलस एक कार्बनिक अणु है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड शामिल हैं।

रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी:

- रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक प्रकाश प्रकीर्णन तकनीक है, जिसके द्वारा एक अणु उच्च तीव्रता वाले लेजर प्रकाश स्रोत से आपतित प्रकाश को प्रकीर्णित करता है।
- अधिकांश बिखरा हुआ प्रकाश लेजर स्रोत के समान तरंग दैर्ध्य (या रंग) पर होता है और उपयोगी जानकारी प्रदान नहीं करता है इसे रेले स्कैटर कहा जाता है। हालाँकि प्रकाश की एक छोटी मात्रा (आमतौर पर 0.0000001%) विभिन्न तरंग दैर्ध्य (या रंग) पर बिखरी हुई होती है, जो कि विश्लेषण की रासायनिक संरचना पर निर्भर करती है, इसे रमन स्कैटर कहा जाता है।

- रमन माइक्रोस्पेक्ट्रोस्कोपी एक कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक है जिसका उपयोग तरल या ठोस नमूनों की एक विस्तृत श्रृंखला के उंगलियों के निशान की जाँच के लिये किया जाता है।
- तकनीक का कुशलतापूर्वक उपयोग वायरस-मध्यस्थता वाले सेलुलर परिवर्तनों को समझने के लिये किया जा सकता है और विशिष्ट जैव-आणविक परिवर्तनों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।



एपस्टीन बार वायरस:

- EBV हर्पीसवायरस परिवार का वायरस है जो मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है।
- EBV वायरस मानव आबादी में व्यापक रूप से मौजूद पाया गया है। यह आमतौर पर कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, लेकिन कुछ असामान्य स्थितियों जैसे प्रतिरक्षा विज्ञानी तनाव या प्रतिरक्षा क्षमता में वायरस शरीर के अंदर पुनः सक्रिय हो जाता है।
- यह आगे चलकर विभिन्न जटिलताओं को जन्म दे सकता है जैसे कि एक प्रकार का रक्त कैंसर जिसे बर्किट का लिम्फोमा कहा जाता है, इसी तरह पेट का कैंसर, मल्टीपल स्केलेरोसिस है।

प्रमुख बिंदु

- यह फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन घटकों जैसे जैव-अणुओं को बदल सकता है, जिससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रोगों के साथ-साथ मस्तिष्क कैंसर भी हो सकता है।
- पहले के अध्ययनों ने विभिन्न न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों में EBV की भागीदारी को बताया गया था। हालाँकि यह वायरस मस्तिष्क की कोशिकाओं को कैसे प्रभावित कर सकता है और उनमें हेरफेर कैसे कर सकता है, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है।
- वायरल प्रभाव के तहत न्यूरोनल कोशिकाओं में विभिन्न जैव-अणुओं में समय पर और क्रमिक परिवर्तन हो सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त अन्य सहायक मस्तिष्क कोशिकाओं (यानी, एस्ट्रोसाइट और माइक्रोग्लिया) में देखे गए परिवर्तनों की तुलना में ये परिवर्तन अलग थे।
- वायरल प्रभाव के तहत कोशिकाओं में लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोलाइन और ग्लूकोज अणु बढ़ जाते हैं।
- ये जैव-आणविक संस्थाएँ अंततः कोशिकाओं के वायरल संक्रमण के रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

FIST योजना:

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के "एस एंड टी अवसंरचना में सुधार हेतु निधि (FIST)" का उद्देश्य नए और उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने और विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिये बुनियादी ढाँचा और सक्षम सुविधाएँ प्रदान करना है।
- इसे विभागों/केंद्रों/स्कूलों/कॉलेजों को अनुसंधान गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने मानार्थ समर्थन के रूप में माना जाता है।
- अत्यधिक सफल FIST कार्यक्रम पर वर्तमान जोर न केवल अकादमिक संगठनों में अनुसंधान गतिविधियों के लिये बल्कि स्टार्टप / विनिर्माण उद्योगों / MSMEs द्वारा उपयोग के लिये अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करके आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर उन्मुख कियया जासकता है।
- प्रत्येक एफआईएसटी परियोजना के लिये समर्थन की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं है।

आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय

हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली के रसायन विज्ञान विभाग में "रसायनज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के योगदान" पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
- आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की 161वीं जयंती पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 2-3 अगस्त, 2022 को सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
- रसायन विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और विज्ञान भारती (VIBHA) इंद्रप्रस्थ विज्ञान भारती, नई दिल्ली तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से इसका आयोजन करेगा।
- उद्देश्य:
- समाज में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की विरासत और योगदान का विस्तार करना, जिसका उद्देश्य इसके महत्व के साथ-साथ प्राचीन रसायन विज्ञान के बारे में सामान्य जागरूकता व पृष्ठभूमि को बढ़ाना है।



- ◆ यह अप्रत्याशित है कि सरकार वर्ष 1980 के दशक की पारंपरिक अवधारणा से शिक्षा प्रणाली को अद्यतन कर रही है ताकि भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणालियों पर निर्माण करते हुए SDG 4 (गुणवत्ता शिक्षा) सहित 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षी लक्ष्यों के साथ संरेखित किया जा सके।

आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय

- प्रफुल्ल चंद्र राय (1861-1944) एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और शिक्षक थे तथा "आधुनिक" भारतीय रासायनिक शोधकर्ताओं में से एक थे। इन्हें "भारतीय रसायन विज्ञान के पिता" के रूप में जाना जाता है,
- मूल रूप से एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित, उन्होंने कई वर्षों तक कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज और फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय में काम किया।
- उन्होंने वर्ष 1895 में स्थिर यौगिक मर्क्यूरस नाइट्राइट की खोज की।
- ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले उन्हें भारतीय साम्राज्य का साथी (CIE) की शाही उपाधि से सम्मानित किया; और फिर वर्ष 1919 में नाइटहुड से।
- वर्ष 1920 में उन्हें भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस का अध्यक्ष चुना गया।
- एक राष्ट्रवादी के रूप में वह चाहते थे कि बंगाली उद्यम की दुनिया में आएँ।
- उन्होंने खुद बंगाल केमिकल एंड फार्मास्युटिकल वर्क्स (1901) नामक एक केमिकल फर्म की स्थापना करके एक मिसाल कायम की।
- वह एक सच्चे तर्कवादी थे और पूरी तरह से जाति व्यवस्था व अन्य तर्कहीन सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी मृत्यु तक समाज सुधार के इस कार्य को जारी रखा।
- 2 अगस्त, 1961 को उनकी जयंती मनाने के लिये भारतीय डाक द्वारा उन पर एक डाक टिकट जारी किया गया था।

एचपीवी वैक्सीन

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) द्वारा विकसित एक वैक्सीन Cervavac ने हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DGCI) से बाजार प्राधिकार प्राप्त किया है।

- यह भारत का पहला क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमावायरस वैक्सीन (qHPV) है जिसे महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिये डिजाइन किया गया है।

ग्रीवा कैंसर (Cervical Cancer):

- सर्वाइकल कैंसर एक प्रचलित यौन संचारित संक्रमण है।

- यह एक प्रकार का कैंसर है जो गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में होता है, यह गर्भाशय के निचले हिस्से में होता है जो योनि से जुड़ता है।
- यह ज्यादातर HPV के विशेष रूपों के साथ दीर्घकालिक संक्रमण के कारण होता है।
- यह दूसरा सबसे प्रचलित कैंसर रूप है और प्रजनन आयु (15-44) की महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों का दूसरा प्रमुख कारण है।
- भारतीय परिप्रेक्ष्य:
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के अनुसार, भारत 1.23 लाख मामलों के साथ विश्व में पाँचवें स्थान पर है और प्रत्येक वर्ष लगभग 67,000 मौतें होती हैं।

नई वैक्सीन का महत्त्व:

- यह हेपेटाइटिस- बी टीके के समान वायरस-लाइक पार्टिकल्स (VLP) पर आधारित है और HPV वायरस 'L1' प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करके सुरक्षा प्रदान करता है।
- इसे वायरस के चार स्ट्रेन- टाइप 6, टाइप 11, टाइप 16 और टाइप 18 के खिलाफ प्रभावी बताया गया है।
- एक चतुःसंयोजक वैक्सीन एक टीका है जो चार अलग-अलग एंटीजन जैसे चार भिन्न-भिन्न वायरस या अन्य सूक्ष्मजीवों के खिलाफ प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया को उत्तेजित करके काम करती है।
- इसमें सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है और यदि इसे राष्ट्रीय HPV टीकाकरण प्रयासों में शामिल किया जाए और मौजूदा टीकाकरण की तुलना में कम कीमत पर पेश किया जाए तो यह मददगार साबित होगी।
- विश्व स्तर पर लाइसेंस प्राप्त मौजूदा दो टीके भारत में एक चतुःसंयोजक वैक्सीन (मर्क से गाडॉसिल) और एक द्विसंयोजक वैक्सीन (ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन से सर्वारिक्स) उपलब्ध हैं और मंहंगे हैं और उनमें से कोई भी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं है।
- DGCI की मंजूरी के बाद यह सरकार को 9 से 14 वर्ष की आयु की लगभग 50 मिलियन लड़कियों का टीकाकरण करने के लिये थोक में टीके खरीदने में सक्षम बनाएगा।
- टीका केवल तभी प्रभावी होता है जब इसे प्रथम संभोग से पहले लगाया जाता है।

प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म (पीओपी)

हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कर्नाटक के बंगलूरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन की तर्ज पर राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म (PoP) लॉन्च किया।।

- कर्नाटक के बंगलूरु में राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म (पीओपी) का शुभारंभ किया।

प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म (POP):

- परिचय:
- ई-नाम "प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म" के रूप में सेवा प्रदाताओं के मंच का एकीकरण करता है, जिसमें शामिल हैं:
 - ◆ समग्र सेवा प्रदाता (सेवा प्रदाता जो कृषि उपज के व्यापार के लिये समग्र सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिसमें गुणवत्ता परख, व्यापार, भुगतान प्रणाली और लॉजिस्टिक्स से संबंधित सेवाएँ शामिल हैं)।
 - ◆ लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, गुणवत्ता परख सेवा प्रदाता, सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई और पैकेजिंग सेवा प्रदाता, भंडारण सुविधा सेवा प्रदाता, कृषि आदान सेवा प्रदाता, प्रौद्योगिकी सक्षम वित्त व बीमा सेवा प्रदाता।
 - ◆ सूचना प्रसार पोर्टल (सलाहकार सेवाएँ, फसल अनुमान, मौसम अद्यतन, किसानों के क्षमता निर्माण आदि), अन्य प्लेटफार्म (ई-कॉमर्स, अंतर्राष्ट्रीय कृषि-व्यापार प्लेटफॉर्म, वस्तु विनिमय, निजी बाजार प्लेटफॉर्म) आदि।

पीओपी के लाभ:

- डिजिटल लाभ:
- इससे कई बाजारों, खरीदारों, सेवा प्रदाताओं तक किसानों की डिजिटल रूप से पहुँच बढ़ेगी और मूल्य खोज तंत्र, गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्ति में सुधार के उद्देश्य से व्यापार लेन-देन में पारदर्शिता आएगी।
- पीओपी से डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा, जिससे कृषि मूल्य शृंखला के विभिन्न खंडों में अलग-अलग प्लेटफार्मों की विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा।
- कार्य संचालन में आसानी:
- पीओपी पर विभिन्न मूल्य शृंखला सेवाओं जैसे: व्यापार, परख, भंडारण, फिनटेक, बाजार की जानकारी, परिवहन आदि की सुविधा देने वाले विभिन्न प्लेटफार्मों के 41 सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है।
- ◆ यह किसानों, FPOs, व्यापारियों और अन्य हितधारकों को सिंगल विंडो के माध्यम से कृषि मूल्य शृंखला में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँचने में सक्षम बनाता है, जिससे हितधारकों को अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।
- इससे किसानों को अन्य राज्यों में भी उपज बेचने की सुविधा प्राप्त होगी।

- विभिन्न सेवा प्रदाताओं को शामिल करने से न केवल e-NAM प्लेटफॉर्म पर उपज के मूल्य में वृद्धि होती है, बल्कि प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सेवा प्रदाताओं से सेवाओं का लाभ उठाने का विकल्प भी प्राप्त होता है।
- इसके अलावा एक अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री/सेवा प्रदाता का चयन करने की प्रक्रिया में यह हितधारकों के समय और श्रम की बचत करता है।

e-NAM पोर्टल:

- राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कृषि उपज के लिये एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिये मौजूदा APMC मंडियों को एकीकृत करता है।
- लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में eNAM को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है।
- उद्देश्य:
 - ◆ एकीकृत बाजारों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना अंतराल को दूर करके वास्तविक मांग एवं आपूर्ति के आधार पर अल्प समय में बेहतर मूल्य की प्राप्ति को बढ़ावा देकर कृषि विपणन में एकरूपता को बढ़ावा देना।
- मिशन:
 - ◆ कृषि जिंसों में अखिल भारतीय व्यापार की सुविधा के लिये एक सामान्य ऑनलाइन बाजार प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर में स्थित APMC का एकीकरण, समय पर ऑनलाइन भुगतान के साथ-साथ उपज की गुणवत्ता के आधार पर पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया द्वारा बेहतर मूल्य प्रदान करना।

कृषि हेतु अन्य पहल:

- एग्रीस्टैक
- डिजिटल कृषि मिशन
- एकीकृत किसान सेवा मंच (UFSP)
- कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP-A)
- कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM)
- किसान सुविधा एप
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) पोर्टल

ब्रिक्स श्रम और रोज़गार मंत्रियों की बैठक 2022

हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्री ने चीन की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) श्रम और रोज़गार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

ब्रिक्स (BRICS):

- परिचय:
- ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं, जैसे- ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिये एक संक्षिप्त शब्द है।
- वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की चार उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिये BRIC शब्द गढ़ा।
- वर्ष 2006 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान समूह को औपचारिक रूप दिया गया था।
- दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को BRIC में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद समूह ने BRICS का संक्षिप्त नाम अपनाया।
- BRICS का हिस्सा:
- ब्रिक्स विश्व के पाँच सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है, जो वैश्विक आबादी के 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 24% और वैश्विक व्यापार के 16% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- अध्यक्षता:
- ब्रिक्स शिखर सम्मलेन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष B-R-I-C-S क्रमानुसार सदस्य देश के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है।
- वर्ष 2022 के लिये चीन इसका अध्यक्ष है।

प्रमुख बिंदु

- तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा की:
- सतत विकास के लिये ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा देना।
- रेसिलिएंट रिकवरी के लिये कौशल विकास।
- रोज़गार के नए रूपों में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना। 'ग्रीन जॉब्स'
- 'ग्रीन जॉब्स' नौकरियों के एक वर्ग को संदर्भित करता है जो सीधे ग्रह पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और समग्र पर्यावरण के सुधार में योगदान देता है।
- अक्षय ऊर्जा, संसाधनों के संरक्षण, ऊर्जा कुशल साधनों को सुनिश्चित करने वाली नौकरियों को इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- कुल मिलाकर इसका उद्देश्य आर्थिक क्षेत्रों के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है।
- कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था या डीकार्बोनाइजेशन की योजना काफी सरल है यह एक स्थायी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के बारे में है, जो कि ग्रीनहाउस गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के विशाल उत्सर्जन का कारण बनता है।

- भारत द्वारा उठाए गए कदम:
- इसमें महामारी के दौरान श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिये भारत द्वारा उठाए गए कदमों को स्पष्ट किया।
 - ◆ इसके तहत मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की दिशा में की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया, मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के तहत सुनिश्चित रोजगार के दिनों की संख्या में वृद्धि, कोविड-19 महामारी के दौरान PMSVANidhi योजना के अंतर्गत अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद के लिये 2.9 मिलियन स्ट्रीट वेंडरों को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किया गया।
- जलवायु परिवर्तन के लिये अधिक सतत् विकास और हरित नौकरियों की ओर एक बदलाव की आवश्यकता है।
- हरित क्षेत्र में कौशल विकास के लिये रणनीति विकसित करने और कार्यक्रमों को लागू करने के लिये भारत में 'ग्रीन जॉब्स' हेतु एक सेक्टर काउंसिल की स्थापना की गई है।

- स्वीकृत घोषणा:
- उक्त बैठक के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की घोषणा को अपनाना था।
- घोषणा में सतत् विकास के लिये 'ग्रीन जॉब्स' को बढ़ावा देने, कौशल विकास में सहयोग को मजबूत करने और रोजगार के नए रूपों में श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

अन्य संबंधित पहल:

- ई-श्रम पोर्टल
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
- संकल्प कार्यक्रम
- स्ट्राइव प्रोजेक्ट
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

रैपिड फायर

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस

भारत में प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस (National Doctor's Day) मनाया जाता है, इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रति चिकित्सकों के योगदान और उनकी प्रतिबद्धता के लिये उनका आभार व्यक्त करना है। ध्यातव्य है कि भारतीय समाज में चिकित्सकों को भगवान के समान दर्जा दिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के आयोजन की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1991 में हुई थी, तभी से प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और चिकित्सक डॉ. बिधानचंद्र रॉय के सम्मान में किया जाता है। डॉ. बिधानचंद्र रॉय का जन्म 01 जुलाई, 1882 को हुआ था और संयोगवश उनकी मृत्यु भी 1962 में 01 जुलाई को हुई थी। डॉ. बिधानचंद्र रॉय एक प्रख्यात भारतीय चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने वर्ष 1948 से वर्ष 1962 में अपनी मृत्यु तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएँ दीं।

जीएसटी दिवस

01 जुलाई को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष वस्तु और सेवा कर के ऐतिहासिक कर सुधार के कार्यान्वयन की वर्षगाँठ है। पहला जीएसटी दिवस 01 जुलाई, 2018 को नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की पहली वर्षगाँठ को चिह्नित करने के रूप में मनाया गया था। संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक समारोह में 30 जून और 1 जुलाई, 2017 की मध्यरात्रि में जीएसटी को लागू किया गया था। गौरतलब है कि GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। यह निर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एकल कर है। GST के अंतर्गत जहाँ एक ओर केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, काउंटरवेलिंग ड्यूटी जैसे अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं, वहीं दूसरी ओर राज्यों में लगाए जाने वाले मूल्यवर्द्धन कर, मनोरंजन कर, चुंगी तथा प्रवेश कर, विलासिता कर आदि भी सम्मिलित हैं।

भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा

विश्व प्रसिद्ध पुरी रथयात्रा 01 जुलाई, 2022 से ओडिशा के जगन्नाथ पुरी में शुरू हो रही है। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान श्रीकृष्ण रूप में विराजमान हैं। हर साल आषाढ़ माह में अमावस्या के बाद उनकी रथ

यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों की नौ दिन की रथयात्रा में भाग लेने के लिये हजारों श्रद्धालु पुरी पहुँच रहे हैं। यह यात्रा कोरोना महामारी के कारण दो वर्ष बाद आयोजित हो रही है। भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के रथ अपने पारंपरिक यात्रा मार्ग से गुंडिचा मंदिर तक जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश (Eastern Ganga Dynasty) के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव द्वारा किया गया था। जगन्नाथ पुरी मंदिर को 'यमनिका तीर्थ' भी कहा जाता है, इसके अलावा इस मंदिर को 'सफेद पैगोडा' भी कहा जाता था और यह चारधाम तीर्थयात्रा (बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम) का एक हिस्सा है। मंदिर के चार (पूर्व में 'सिंह द्वार', दक्षिण में 'अश्व द्वार', पश्चिम में 'व्याघ्र द्वार' और उत्तर में 'हस्ति द्वार') मुख्य द्वार हैं। प्रत्येक द्वार पर नक्काशी की गई है। इसके प्रवेश द्वार के सामने अरुण स्तंभ या सूर्य स्तंभ स्थित है, जो मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर में स्थापित था।

अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस

अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस (International Day of Parliamentarism) प्रत्येक वर्ष 30 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिवस संसद की उन प्रक्रियाओं को चिह्नित करने के लिये मनाया जाता है जिनके द्वारा सरकार की संसदीय प्रणालियाँ दुनिया भर के लोगों के रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाती हैं। साथ ही यह संसद/सांसदों के लिये चुनौतियों का सामना करने और उनसे प्रभावी तरीके से निपटने के लिये आपस में विचार-विमर्श का एक अवसर भी है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। इसके अलावा यह दिन अंतर-संसदीय संघ के गठन की तिथि को भी चिह्नित करता है, जो संसदों का वैश्विक संगठन है, जिसे वर्ष 1889 में स्थापित किया गया था। अंतर-संसदीय संघ सभी देशों की संसद तथा सांसदों के बीच समन्वय और अनुभवों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करता है। यह मानवाधिकारों की रक्षा एवं सबर्द्धन में योगदान देने के साथ ही प्रतिनिधि संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण तथा विकास में भी योगदान देता है।

पीएसएलवी-सी53

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से PSLV-C53 मिशन लॉन्च किया जिसने सिंगापुर के तीन उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया। PSLV-C53 अंतरिक्ष एजेंसी की वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड

(NSIL) का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। यह इसरो का PSLV का 55वाँ मिशन था। इस प्रक्षेपण यान ने तीन उपग्रहों- DS-EO, NeuSAR और स्कूब-1 उपग्रह को लॉन्च किया। NSIL भारत सरकार का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह इसरो की वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय बंगलूरु में है। NSIL की स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी तथा यह अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रहा है।

राजस्थान में यूरेनियम की खोज

हाल ही में राजस्थान के सीकरी जिले के रोहिल (खंडेला तहसील) में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। इस रिजर्व के साथ यह राज्य दुनिया के नक्शे पर आ गया है। यह राज्य की राजधानी जयपुर से लगभग 120 किमी. की दूरी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जहाँ यूरेनियम पाया गया है। यूरेनियम को दुनिया भर में दुर्लभ खनिजों में गिना जाता है। वर्तमान में झारखंड राज्य के जादूगोड़ा और आंध्र प्रदेश राज्य में यूरेनियम की खुदाई चल रही है। विश्व में यूरेनियम के सबसे बड़े उत्पादकों में कजाखस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। यूरेनियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक U और परमाणु क्रमांक 92 है। यूरेनियम कमजोर रूप से रेडियोधर्मी है क्योंकि इसके सभी समस्थानिक अस्थिर हैं। यूरेनियम का उपयोग आमतौर पर विद्युत पैदा करने, परमाणु ऊर्जा, रक्षा उपकरण, दवाओं और फोटोग्राफी के लिये भी किया जाता है। प्रकृति में यूरेनियम, यूरेनियम-238 और यूरेनियम-235 के रूप में पाया जाता है।

हर्मिट स्पाइवेयर

क्लाउड-आधारित सुरक्षा कंपनी, लुकआउट ने हाल ही में “हर्मिट” नामक एक नया स्पाइवेयर खोजा है। हर्मिट स्पाइवेयर Android और iOS उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है। टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, लुकआउट के सुरक्षा शोधकर्ताओं ने सूचित किया है कि कजाखस्तान और इटली में राष्ट्रीय सरकारों ने “लक्षित हमलों” में हर्मिट स्पाइवेयर के एंड्रॉइड संस्करण का उपयोग किया है। हर्मिट एक वाणिज्यिक स्पाइवेयर है और इसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाखस्तान एवं इटली में सरकारों द्वारा किया गया है। इसका पहली बार कजाखस्तान में अप्रैल 2022 में तब पता चला था, जब सरकार ने अपनी नीतियों के खिलाफ विरोध को हिंसक रूप से दबा दिया था। इसका सीरिया के उत्तर-पूर्वी कुर्द क्षेत्र में और इतालवी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी जाँच के लिये भी उपयोग किया गया था। हर्मिट एंड्रॉइड एप को टेक्स्ट मैसेज के जरिये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऐसा लगता है कि संदेश किसी वैध स्रोत से आ रहा है। मैलवेयर दूरसंचार कंपनियों और ओपपो तथा सैमसंग जैसे निर्माताओं द्वारा विकसित अन्य एप का प्रतिरूपण कर सकता है। हर्मिट एंड्रॉइड मैलवेयर मॉड्यूलर है क्योंकि यह स्पाइवेयर को अतिरिक्त घटकों को डाउनलोड करने की अनुमति देता है जो मैलवेयर के लिये

आवश्यक हैं। अन्य स्पाइवेयर की तरह हर्मिट मैलवेयर भी ऑडियो रिकॉर्ड करने के साथ-साथ कॉल लॉग, संदेश, फोटो, ईमेल एकत्र करने हेतु विभिन्न मॉड्यूल का उपयोग करता है। यह फोन कॉल को पुनर्निर्देशित कर सकता है और डिवाइस के सटीक स्थान को उजागर कर सकता है।

मानव रहित लड़ाकू विमान की पहली उड़ान

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन-DRDO ने 1 जुलाई, 2022 को ऑटोनॉमस फ्लाईंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की प्रथम सफल उड़ान संचालित की है। यह उड़ान कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनाटिकल टेस्ट रेंज में की गई। इसके साथ ही भारत ने गुप्त मानवरहित कॉम्बेट एरियल व्हीकल-UCAV का सफल परीक्षण कर एक उपलब्धि हासिल कर ली है। इसे स्टील्थ विंग फ्लाइट टेस्ट बेड- (SWift) भी कहा जाता है। यह कार्यक्रम भारत की पाँचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बेट एयरक्राफ्ट विकसित करने से संबंधित है। उड़ान पूरी तरह से स्वायत्त मोड में संचालित की गई। विमान ने एक संपूर्ण उड़ान का प्रदर्शन किया, जिसमें टेक-ऑफ, वे पॉइंट नेविगेशन और एक आसान टचडाउन शामिल है। यह विमान एक छोटे टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित है। यह स्वचालित विमान निर्मित करने और सैन्य प्रणाली के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज़ रैंकिंग, 2023

हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज़ रैंकिंग (Best Student Cities Rankings), 2023 प्रकाशित की गई। इस रैंकिंग में लंदन को सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा प्रदान किया गया है। लंदन के बाद सियोल और म्यूनिख दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे हैं। ज्यूरिख तथा मेलबर्न को चौथे और पाँचवें स्थान पर रखा गया है। ब्यूनस आयर्स ने लैटिन अमेरिका देशों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला छात्र शहर मुंबई है जिसे वैश्विक स्तर पर 103वें स्थान पर रखा गया है। मुंबई के बाद बंगलूरु 114वें स्थान पर है। चेन्नई और दिल्ली ने सूची में अपनी प्रविष्टियाँ दर्ज की हैं तथा उन्हें क्रमशः 125वें और 129वें स्थान पर रखा गया है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज़ रैंकिंग उन कारकों से संबंधित स्वतंत्र डेटा प्रदान करती है जो छात्रों के अध्ययन के निर्णय लेने हेतु प्रासंगिक हैं। इन कारकों में विश्वविद्यालय के मानक, सामर्थ्य, जीवन की गुणवत्ता, उस गंतव्य में अध्ययन करने वाले पिछले छात्रों के विचार इत्यादि शामिल हैं।

हार्नसिंग ग्रीन हाइड्रोजन

सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने “Harnessing Green Hydrogen- Opportunities for Deep Decarbonisation in India” शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। यह रिपोर्ट दिल्ली स्थित थिंक टैंक RMI इंडिया के सहयोग से तैयार की गई है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर जीएसटी और सीमा

शुल्क को कम करने या छूट देने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर स्थापित करने के साथ-साथ उन स्टार्टअप्स को अनुदान देने का भी प्रस्ताव है जो घरेलू स्तर पर हरित हाइड्रोजन समाधान पर कार्य कर रहे हैं। इसके अनुसार, सरकार को देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिये लागत में कमी करने पर ध्यान देना चाहिये। ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है, जिसे जल के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने हेतु एक ऊर्जा गहन प्रक्रिया है।

अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई, 2022 को आंध्र प्रदेश के भीमावरम में जाने-माने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊँची कांस्य मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को मान्यता देने और पूरे देश में लोगों को उनके बारे में जागरूक करने के प्रति कटिबद्ध है। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई, 1897 को हुआ था। उन्होंने जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा के लिये पूर्वी घाट क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था। वर्ष 1922 के रम्पा विद्रोह का उन्होंने नेतृत्व किया था। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उनके वीरतापूर्ण कारनामों के लिये उन्हें "मन्यम वीरुडु" (जंगल का नायक) उपनाम दिया गया था। वर्ष 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और पेड़ से बाँध कर सार्वजनिक रूप से गोली मार दी गई तथा सशस्त्र विद्रोह को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। सरकार की ओर से एक वर्ष तक चलने वाले इस समारोह (आजादी का अमृत महोत्सव) के दौरान अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में स्थित चिंतापल्ली क्षेत्र में अल्लूरी सीताराम राजू के जन्म स्थान पंडरंगी का संरक्षण किया जाएगा। सरकार ने मोगल्लू में अल्लूरी ध्यान मंदिर के निर्माण को मंजूरी दी है। इस मंदिर में अल्लूरी सीताराम राजू की मूर्ति स्थापित की जाएगी और उनकी जीवनी पर आधारित वृत्तचित्र लगाए जाएंगे।

डिजिटल भारत सप्ताह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई, 2022 को गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में वे कई डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत करेंगे। उनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी तक लोगों की पहुँच बढ़ाना, जीवनयापन को सुगम बनाना और स्टार्टअप को मजबूती प्रदान करना है। डिजिटल भारत सप्ताह का विषय है- "नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा।" डिजिटल इंडिया कार्यक्रम वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। यह कार्यक्रम कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं जैसे- भारतनेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया तथा स्टैंडअप इंडिया, औद्योगिक गलियारों आदि से संबंधित है। इसका उद्देश्य भारत को एक भविष्य

आधारित ज्ञान केंद्र के रूप में तैयार करना तथा परिवर्तन को साकार करना अर्थात् आईटी (इंडियन टैलेंट) + आईटी (इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी) = आईटी (इंडिया टुमोरो) को वास्तविक रूप प्रदान करना है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)

हाल ही में सिंगापुर के टी. राजा कुमार को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मार्क्स प्लेयर की जगह राजा कुमार को नियुक्त किया गया है। वह अगले दो साल के लिये अपनी सेवा का निर्वहन करेंगे। वह लंबे समय से वैश्विक आतंकी वित्तपोषण के खिलाफ काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को फ्रेंच में ग्रुप डी एक्शन फाइनेंसर (Groupe d'action financière - GAFI) के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने तथा नीतियों को विकसित करने के लिये G7 की एक पहल के रूप में की गई थी। वर्ष 2001 में आतंकवाद के वित्तपोषण को शामिल करके इसके जनादेश का विस्तार किया गया था। FATF अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिये आतंकवादी वित्तपोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य संबंधित खतरों से निपटने हेतु मानकों को स्थापित करने एवं कानूनी, परिचालन तथा नियामक उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्यों के साथ काम करता है। यह इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय विधायी और नियामक सुधार लाने के लिये आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करने का काम करता है।

प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र-तिहान

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने 4 जुलाई, 2022 को आईआईटी हैदराबाद परिसर में मानव रहित हवाई वाहन विकसित करने के लिये अत्याधुनिक ऑटोनॉमस नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र-तिहान का उद्घाटन किया। अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उभरता आईआईटी हैदराबाद नवाचार के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सहयोग प्रदान कर रहा है। स्वायत्त नौवहन और डेटा अधिग्रहण प्रणाली के विशिष्ट डोमेन क्षेत्र में अंतर-विषयी प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर आवश्यकतानुसार ध्यान देने के साथ ही यह केंद्र मानव रहित व स्वायत्त वाहनों से संबंधित विभिन्न चुनौतियों के तत्काल समाधान पर जोर देता है। आईआईटी हैदराबाद में मानव रहित वायुयानों (UAVs) तथा दूरस्थ नियंत्रित वाहनों (RoVs) के लिये स्वायत्त नौवहन प्रणाली अथवा ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को 'तिहान फाउंडेशन' (TiHAN Foundation) के रूप में जाना जाता है। संस्थान द्वारा जून 2020 में इसे खंड-8 कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है। यह एक बहु-विभागीय पहल है जिसमें प्रतिष्ठित संस्थानों और उद्योगों के सहयोग तथा समर्थन के साथ आईआईटी हैदराबाद में इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल एवं एयरोस्पेस, सिविल, गणित व डिजाइन के शोधकर्ता शामिल हैं। यह 'आत्मनिर्भर भारत', 'स्किल इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' की दिशा में उचित कदम है।

‘नारी को नमन’ योजना

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य की महिलाओं के लिये “नारी को नमन” योजना शुरू की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को राज्य सरकार की बसों में टिकट की कीमतों में 50% की छूट देने की घोषणा की है। टिकट में महिलाओं को रियायत देने के अलावा सरकार ने HRTC बसों में न्यूनतम किराए को 7 रुपए से घटाकर 5 रुपए करने की भी घोषणा की। इसके अलावा HRTC की ‘राइड विद प्राइड’ टैक्सियों में महिला ड्राइवर्स के 25 पद भरे जाएंगे। HRTC में मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन आदि के 265 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। HRTC हिमाचल प्रदेश में राज्य के स्वामित्व वाला सड़क परिवहन निगम है। HRTC भारत में पहले RTC में से एक है जो सभी प्रकार की बसों में टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हिमाचल प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार और रेलवे द्वारा “मंडी-कुल्लू सड़क परिवहन निगम” के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना पंजाब और हिमाचल प्रदेश में परिवहन को संचालित करने के लिये की गई थी। 2 अक्टूबर, 1974 को इस निगम का हिमाचल सरकार में विलय कर इसका नाम हिमाचल सड़क परिवहन निगम कर दिया गया।

अग्रदूत समाचार पत्र

अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला असमिया भाषा का एक समाचार पत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 06 जुलाई, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिश्व शर्मा अग्रदूत के स्वर्ण जयंती समारोह समिति के मुख्य संरक्षक हैं। अग्रदूत की शुरुआत असमिया पाक्षिक के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका ने की थी। वर्ष 1995 में इसका नियमित दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशन शुरू हुआ और जल्दी ही यह असम का विश्वस्त और प्रभावशाली स्वर बन गया।

‘मोदी एट ट्वेंटी: ड्रीम्स मीट डिलीवरी’ पुस्तक

दिल्ली विश्वविद्यालय में 05 जुलाई, 2022 को ‘मोदी एट ट्वेंटी: ड्रीम्स मीट डिलीवरी’ पुस्तक पर विशेष चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह पुस्तक मौजूदा प्रधानमंत्री की जीवनी नहीं है बल्कि एक ऐसी असाधारण किताब है, जिसे वर्तमान कैबिनेट के मंत्रियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावा कई क्षेत्रों के लोगों ने मिलकर लिखा है। ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित और रूपा द्वारा प्रकाशित है। यह अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, एन.एस.ए. अजीत डोभाल, इंफोसिस के नंदन नीलेकणी व सुधा मूर्ति, कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक तथा शटलर पीवी सिंधु सहित अन्य प्रतिष्ठित लोगों द्वारा लिखे गए 21 लेखों का संकलन है।

जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस

जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने मनीला में फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते का स्थान लिया। रोड्रिगो दुतेर्ते की पुत्री सारा दुतेर्ते ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। 64 वर्षीय मार्कोस को देश में महामारी, अत्यधिक महंगाई और बढ़ते कर्ज के बोझ जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। फर्डिनेंड ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले संबोधन में फिलीपींस में लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत से मिली जीत के लिये आभार व्यक्त किया। फिलीपींस के संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल छह वर्ष का होता है। भारत और फिलीपींस दोनों देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 1949 में औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित किये। भारत ने 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत करते हुए आसियान के साथ साझेदारी में वृद्धि की जिसके फलस्वरूप फिलीपींस के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय संबंधों में भी तेजी आई। एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) के तहत भारत-फिलीपींस संबंधों में अधिक विविधता देखने को मिली है। भारत का फिलीपींस के साथ एक सकारात्मक व्यापार संतुलन है।

परीक्षा संगम पोर्टल’

हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने ‘परीक्षा संगम’ पोर्टल लॉन्च किया। परीक्षा संगम पोर्टल स्कूल, क्षेत्रीय कार्यालयों और CBSE के मुख्यालय द्वारा छात्रों के लिये जारी की जाने वाली सभी प्रकार की सूचनाएँ इस पोर्टल में एक स्थान पर उपलब्ध होंगी। यह पोर्टल परीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं को एकीकृत करेगा, जो स्कूलों के क्षेत्रीय कार्यालयों और CBSE बोर्ड के मुख्यालय द्वारा संचालित किया जाएगा। यह पोर्टल छात्रों को 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड के परिणामों की आसानी से जाँच करने में मदद करेगा। यह CBSE बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों के लिये वन-स्टॉप पोर्टल है। परीक्षा संगम पोर्टल को तीन मुख्य अनुभागों में वर्गीकृत किया गया है: 1. स्कूल (गंगा) अनुभाग, 2. क्षेत्रीय कार्यालय (यमुना) अनुभाग, 3. प्रधान कार्यालय (सरस्वती) अनुभाग।

आम महोत्सव-2022

उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2022 का आयोजन 4-7 जुलाई तक लखनऊ में किया जा रहा है, इस दौरान “आम के मेगा क्लस्टर” का भी उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2022 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में आम की 700 किस्मों और उनके उप-उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। सभी उत्पाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जिलों के होंगे। किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ आम के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाकर इस उद्देश्य को पूरा किया जाएगा, साथ ही महोत्सव के दौरान किसानों को विपणन रणनीतियों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

भारत में लगभग 20.4 मिलियन टन आम का उत्पादन होता है जो कि वैश्विक आम उत्पादन का 65% हिस्सा है, जबकि उत्तर प्रदेश में 4.5 मिलियन टन आम का उत्पादन होता है।

स्वामी रामानुजाचार्य

केंद्रीय गृहमंत्री ने 07 जुलाई, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा “स्टेच्यू ऑफ पीस” का अनावरण किया। स्वामी रामानुजाचार्य वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने समूचे भारत की यात्रा की और समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर बल दिया। उनकी शिक्षाओं ने भक्ति आंदोलन के संतों को प्रेरित किया और उन्हीं के शिष्य रामानंद ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। मध्य युगीन संत कवियों अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई की रचनाएँ उनके दर्शन से प्रभावित रहीं। रामानुज सदियों पहले लोगों के सभी वर्गों के बीच सामाजिक समानता के पैरोकार रहे और उन्होंने समाज में जाति या स्थिति से परे सभी के लिये मंदिरों के दरवाजे खोलने हेतु प्रोत्साहित किया, वह भी एक ऐसे समय में जब कई जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। उन्होंने शिक्षा को उन लोगों तक पहुँचाया जो इससे वंचित थे। उनका सबसे बड़ा योगदान ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की अवधारणा का प्रचार है, जिसका अनुवाद प्रायः ‘सारा ब्रह्मांड एक परिवार है’, के रूप में किया जाता है।

एंथ्रेक्स का प्रकोप

केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने हाल ही में त्रिशूर जिले के अथिरापिल्ली में जंगली सूअरों के कई शव मिलने के बाद एंथ्रेक्स के फैलने की पुष्टि की। एंथ्रेक्स एक गंभीर संक्रामक रोग है, जो बैक्टीरिया के कारण होता है। यह आमतौर पर भारत के दक्षिणी राज्यों में पाया गया है। यह उत्तरी राज्यों में कम पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, असम, ओडिशा और कर्नाटक में इस बीमारी की सूचना मिली है। एंथ्रेक्स को वूलसॉर्टर डिजीज (wool sorter's disease) या मैलिगनेंट पस्ट्यूल (malignant pustule) भी कहा जाता है। यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है, जो बेसिलस एंथ्रेसीस नामक रॉड के आकार के बैक्टीरिया के कारण होती है। ये जीवाणु प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाए जाते हैं। WHO के अनुसार, एंथ्रेक्स शाकाहारी जीवों की एक बीमारी है, जो जंगली और घरेलू जानवरों को प्रभावित करती है। यह एक जूनोटिक रोग है; इस प्रकार यह जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। व्यक्ति-से-व्यक्ति संचरण के कुछ मामले पे गए हैं, हालाँकि यह एक दुर्लभ घटना है। जंगली और घरेलू जानवर संक्रमित हो सकते हैं, जब वे दूषित मिट्टी, पानी के संपर्क में आते हैं। मनुष्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जानवरों या पशु उत्पादों से एंथ्रेक्स रोग से संक्रमित हो जाते हैं। दूषित भोजन खाने, दूषित पानी पीने, साँस लेने या त्वचा पर खरोंच के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने पर मनुष्य संक्रमित हो सकते हैं।

हरियाली महोत्सव

हरियाली महोत्सव-2022 का आयोजन 8 जुलाई को किया जा रहा है। इस अवसर पर “पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय” द्वारा नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत किया जाएगा। इसका आयोजन वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को सुरक्षित और खुशहाल रखने में पेड़ों के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिये पेड़ महत्वपूर्ण हैं। हरियाली महोत्सव-2022 का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिल्ली सरकार, पुलिस व स्कूलों के सहयोग से किया जा रहा है ताकि इस अवसर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा सके। इस आयोजन को चिह्नित करने के लिये पूरे भारत में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किये जाएंगे।

ऑपरेशन नारकोस

हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने “ऑपरेशन नारकोस” के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों को बरामद किया है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु जून 2022 के महीने में ऑपरेशन नारकोस (NARCOS) शुरू किया। यह अखिल भारतीय अभियान था, जो एक महीने तक रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ शुरू किया गया था। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर देश भर में ट्रेनों एवं चिह्नित ब्लैक स्पॉट पर जाँच की जा रही है। RPF एक केंद्रीय सशस्त्र बल है। जो भारतीय रेल, रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। RPF का इतिहास वर्ष 1882 का है, जब विभिन्न रेलवे कंपनियों ने रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिये अपने स्वयं के गार्ड नियुक्त किये थे। वर्ष 1957 में संसद के एक अधिनियम द्वारा रेलवे सुरक्षा बल को एक वैधानिक बल के रूप में मान्यता दी गई, जिसे बाद में वर्ष 1985 में भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में घोषित किया गया। मुख्य रूप से RPF को रेलवे संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

स्टार्टअप स्कूल इंडिया

6 जुलाई, 2022 को गूगल द्वारा ‘स्टार्टअप स्कूल इंडिया’ पहल की शुरुआत की गई। स्टार्टअप पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने और इसे एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम में तैयार करने के उद्देश्य से स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल को स्थापित किया गया है। इस कदम से टियर 2 और टियर 3 शहरों में 10,000 स्टार्टअप को मदद मिलेगी। यह कार्यक्रम 9 सप्ताह तक वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। इसमें गूगल सहयोगियों और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के नेताओं के बीच फायरसाइड चैट शामिल होंगे। गूगल स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल में फिनटेक, भाषा, नौकरी खोज, सोशल मीडिया एवं नेटवर्किंग, बिजनेस-टू-कंज्यूमर ई-कॉमर्स तथा बिजनेस-टू-बिजनेस ई-कॉमर्स सहित कई विषय शामिल

होंगे। प्रभावी उत्पाद रणनीति, भारतीय बाजारों में यूजर्स के लिये एप डिजाइन करना, उत्पाद उपयोगकर्ता मूल्य और उपयोगकर्ता अधिग्रहण को भी निर्देशात्मक मॉड्यूल में शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य वर्चुअल पाठ्यक्रम को लचीलापन प्रदान करना है। यह पहल लोगों को पिक एंड चॉइस मॉड्यूल प्रदान करती है। यह उद्यमियों को एक सफल संस्थापक बनाने जैसी बातों से सीखने का अवसर प्रदान करेगी। भारत दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भले ही स्टार्टअप की संख्या बहुत बढ़ी है, लेकिन ऑपरेशन के पहले पाँच वर्षों में 90% स्टार्टअप विफल हो जाते हैं। वित्तीय संकट, अक्षम फीडबैक लूप, नेतृत्व की अनुपस्थिति और अनुचित मांग अनुमानों पर कोई नियंत्रण न होने के कारण स्टार्टअप विफल हो रहे हैं।

फील्ड्स मेडल 2022

5 जुलाई, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ (IMU) ने वर्ष 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की। यह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को दिया जाता है। विजेताओं की घोषणा हेलसिंकी में एक पुरस्कार समारोह में की गई। IMU ने कुल चार विजेताओं की घोषणा की है। यूक्रेन की थिओरिस्ट मैरीना वियाजोवस्का चार विजेताओं में से एक है। अन्य विजेताओं में शामिल हैं: जेम्स मेनार्ड: वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके के सिद्धांतकार हैं जो “अभाज्य संख्याओं की रिक्रि” पर अपने निष्कर्षों के लिये प्रसिद्ध हैं। जून हुह: वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, न्यू जर्सी से कॉम्बिनेटोरिक्स के विशेषज्ञ हैं, इनका योगदान ज्यामितीय संयोजन के क्षेत्र में है। ह्यूगो डुमिनिल-कोपिन- वह फ्रांस के गणितज्ञ हैं और संभाव्यता सिद्धांत के विशेषज्ञ हैं। गणितज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित की जाती है। इस आयोजन के दौरान फील्ड्स मेडल्स पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। वर्ष 2022 कॉन्ग्रेस 6 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में शुरू होने वाली थी। हालाँकि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। बाद में इसे हेलसिंकी में वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया।

आर्यभट-1

IISc के शोधकर्ताओं ने हाल ही में “आर्यभट-1” नामक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है। टीम ने अगली पीढ़ी के एनालॉग कंप्यूटिंग चिपसेट विकसित करने के लिये एक डिजाइन ढाँचा तैयार किया है। ये चिपसेट तेजी से काम कर सकते हैं। यह विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में उपयोग किये जाने वाले डिजिटल प्रोसेसर की तुलना में कम बिजली का उपयोग करेगा। इसे प्रतीक कुमार द्वारा डिजाइन किया गया है, जो IISc में पीएच.डी. छात्र हैं। आर्यभट-1 का अर्थ है “Analog Reconfigurable Technology and Bi-as-scalable Hardware for AI Tasks”। ऐसे चिपसेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित अनुप्रयोग जैसे एलेक्सा सहित ऑब्जेक्ट या स्पीच रिकग्निशन एप्स के लिये फायदेमंद हो सकते

हैं। एनालॉग चिप के निर्माण के साथ कई तकनीकी चुनौतियाँ जुड़ी हुई हैं: a. डिजिटल चिप की तुलना में एनालॉग प्रोसेसर का परीक्षण और सह- डिजाइन करना चुनौतीपूर्ण है, उच्च-स्तरीय कोड को संकलित करके बड़े पैमाने के डिजिटल प्रोसेसर को जल्दी से विकसित किया जा सकता है, b. एनालॉग चिप को स्केल करना भी मुश्किल है। शोधकर्ताओं के अनुसार, आर्यभट कई मशीन लर्निंग आर्किटेक्चर के साथ कॉन्फिगर करने में सक्षम है। उदाहरण के लिये डिजिटल CPU के साथ। इसमें विभिन्न तापमान रेंज पर मजबूती से कार्य करने की क्षमता है।

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 8 जुलाई, 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। जापान के नारा शहर में शिंजो आबे को एक जनसभा को संबोधित करते समय एक हमलावर द्वारा गोली मार दी गई थी। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है और 9 जुलाई, 2022 को एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। शिंजो आबे जापान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने वर्ष 2006-2007 और वर्ष 2012-2020 तक अपनी सेवाएँ दीं। शिंजो आबे ने आबेनॉमिक्स की अवधारणा दी थी। यह आर्थिक नीतियों के सेट को संदर्भित करती है। इसमें देश में धन की आपूर्ति बढ़ाने, सुधारों को लागू करने, सरकारी खर्च को बढ़ाने के लिये नीतियाँ शामिल हैं। इसमें तीन मुख्य बिंदु शामिल हैं- पहला मुद्रास्फीति का लक्ष्य 2% प्राप्त करने पर केंद्रित करना, दूसरा लचीली राजकोषीय नीति और तीसरा विकास की रणनीति। वह मुख्य अतिथि के रूप में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल में भारत और जापान के संबंध काफी मजबूत हुए।

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण

हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े दो स्थलों को राष्ट्रीय महत्त्व का स्मारक घोषित किये जाने की सिफारिश की है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि वडोदरा में संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर के लिये यह अनुशंसा की गई है। इसी स्थान पर 23 सितंबर, 1917 को बाबा साहेब ने अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था। यह स्थल उनके नेतृत्व में सामाजिक क्रांति की शुरुआत का साक्षी रहा है। महाराष्ट्र में सतारा के उस स्थल के लिये भी अनुशंसा की गई है जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रताप राव भोसले हाईस्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। स्कूल के रजिस्टर में आज भी एक बालक के रूप में भीम राव का मराठी में किया गया हस्ताक्षर संरक्षित है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्व स्थल तथा अवशेष (Ancient Monuments And Archaeological Sites and Remains-AMASR) (संशोधन एवं मान्यता) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया है जिसे मार्च 2010 में अधिनियमित किया गया था। NMA को स्मारकों व स्थलों के संरक्षण से संबंधित कई कार्य सौंपे गए हैं जो केंद्र

द्वारा संरक्षित स्मारकों के आसपास प्रतिबंधित तथा विनियमित क्षेत्रों के प्रबंधन के माध्यम से किये जाते हैं। NMA, प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्रों में निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिये आवेदकों को अनुमति प्रदान करने पर भी विचार करता है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 'प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन' के अंतर्गत 11 जुलाई, 2022 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया जा रहा है। अब तक 1 लाख 88 हजार आवेदक मेले में भागीदारी कर चुके हैं और इसके माध्यम से 67 हजार से अधिक अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। एक दिन के इस आयोजन में 36 क्षेत्रों की एक हजार से अधिक कंपनियाँ शामिल होंगी तथा 500 विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध होंगे। मंत्रालय द्वारा देश भर में 200 से अधिक स्थानों पर मेले का आयोजन तथा आवेदकों को प्रशिक्षण के माध्यम से अपना कैरियर बनाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उम्मीदवारों के पास पाँचवीं से बारहवीं कक्षा पास होने का प्रमाण पत्र, कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, आईटीआई डिप्लोमा या स्नातक डिग्री होनी चाहिये। युवा प्रशिक्षु 500 से अधिक व्यवसायों में से चुनाव कर सकेंगे। प्रशिक्षण के बाद उन्हें राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद से प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कंपनियों को अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने का अवसर देना तथा प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक कौशल के जरिये उनकी क्षमता का विकास करना है।

अमिताभ कांत

हाल ही में सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को G-20 हेतु भारत का नया शेरपा चुना गया है। कांत G-20 शेरपा के रूप में पीयूष गोयल का स्थान लेंगे। भारत 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक G-20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के G-20 अध्यक्ष पद के कार्यकाल हेतु पूर्णकालिक शेरपा की आवश्यकता थी। यही कारण है कि पीयूष गोयल की जगह अमिताभ कांत को लिया गया है। G-20 के अन्य शेरपाओं में शक्तिकांत दास, सुरेश प्रभु और मोंटेक सिंह अहलूवालिया शामिल हैं। अमिताभ कांत का विस्तारित कार्यकाल नीति आयोग के सीईओ के रूप में जून 2022 में पूरा हुआ। उन्होंने छह वर्षों तक इस पद पर कार्य किया। वह केरल कैडर के वर्ष 1980 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने वर्ष 2016 में नीति आयोग के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया था।

विश्व जनसंख्या दिवस

प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। यह 11 जुलाई, 1987 के 'फाइव बिलियन डे' से प्रेरित था। इस

तारीख को दुनिया की अनुमानित आबादी पाँच अरब पहुँच गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों जैसे- परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, गरीबी और मानवाधिकारों के महत्त्व पर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम है- "8 बिलियन की दुनिया: सभी के लिये एक लचीले भविष्य की ओर- अवसरों का दोहन और सभी के लिये अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना"।

प्रसार भारती का नया प्रतीक चिह्न

सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने 11 जुलाई, 2022 को प्रसार भारती के नए प्रतीक चिह्न (LOGO) का अनावरण किया। नए प्रतीक चिह्न में भारत का नक्शा, राष्ट्र के लिये भरोसे की सेवा, सुरक्षा और उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। इसका गहरा मध्यम नीला रंग आकाश एवं समुद्र दोनों का प्रतिनिधित्व करता है जो मुक्त स्थान, स्वतंत्रता, अंतर्ज्ञान, कल्पना, प्रेरणा और संवेदनशीलता से जुड़ा है। नीला रंग गहराई, वफादारी, ईमानदारी, ज्ञान, आत्मविश्वास, स्थिरता, विश्वास और बुद्धि का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस अवसर पर प्रसार भारती के सदस्य डी.पी.एस. नेगी ने कहा कि प्रसार भारती के नए प्रतीक चिह्न को आकाशवाणी एवं दूरदर्शन दोनों के मिश्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रसार भारती एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जो प्रसार भारती अधिनियम के तहत 23 नवंबर, 1997 को अस्तित्व में आया, यह देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारक (Public Service Broadcaster) है। प्रसार भारती अधिनियम में संदर्भित सार्वजनिक सेवा प्रसारण उद्देश्यों को आल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि ये दोनों पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन मीडिया यूनिट के रूप में कार्य करते थे और प्रसार भारती की स्थापना के बाद इसके घटक बन गए।

नोवाक जोकोविच

हाल ही में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने विम्बलडन टेनिस प्रतियोगिता, 2022 का पुरुष सिंगल्स खिताब जीता। उन्होंने 10 जुलाई, 2022 को लंदन में फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के निक किर्जियोस को 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 से हराया। इसके साथ ही जोकोविच रोजर फेडरर, पीट संप्रास और ब्योन बोर्ग के बाद लगातार चार विम्बलडन खिताब जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। यह जोकोविच का कुल मिलाकर 21वाँ ग्रैंड स्लैम खिताब है। अब वे राफेल नडाल के रिकॉर्ड से बस एक खिताब पीछे हैं। विम्बलडन चैंपियनशिप (Championships Wimbledon) जिसे आमतौर पर विम्बलडन या द चैंपियनशिप (The Championships) के रूप में जाना जाता है, विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1915-18 और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1940-45 की अवधि को छोड़कर वर्ष 1877 से प्रत्येक वर्ष इस टूर्नामेंट का आयोजन लंदन के विम्बलडन में स्थित ऑल इंग्लैंड क्लब में किया जाता है।

देवघर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई, 2022 को देवघर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 654 एकड़ भूमि में फैला यह हवाई अड्डा देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथधाम से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सीधी विमान सेवा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर झारखंड के देवघर जिले में 16,835 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बाबा बैद्यनाथधाम मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और देवघर में एम्स अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी ऑपरेशन थियेटर का भी उद्घाटन करेंगे।

नए संसद भवन पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई, 2022 को नए संसद भवन (सेंट्रल विस्टा) की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न अशोक स्तंभ का अनावरण किया। 9,500 किलोग्राम कांस्य से बने राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न की ऊँचाई 6.50 मीटर है। इसे संसद की नई इमारत के सेंट्रल कक्ष के शीर्ष पर लगाया गया है। भारत का राजचिह्न (राष्ट्रीय प्रतीक) सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर चार सिंह हैं, जो एक-दूसरे की ओर पीठ किये हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक साँड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियाँ हैं, इसके बीच-बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर 'धर्मचक्र' रखा हुआ है। भारत सरकार ने यह चिह्न 26 जनवरी, 1950 को अपनाया।

हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान

केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। यह अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में इस अभियान को स्वीकृति दी है। अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल, प्रदर्शन और फहराने के नियम ध्वज आचार संहिता, 2002 में बताए गए हैं। यह आचार संहिता 26 जनवरी, 2002 को लागू की गई। ध्वज आचार संहिता, 2002 ने ध्वज के सम्मान और उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए तिरंगे के अप्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमति दी। भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को तीन भागों में बाँटा गया है: पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। संहिता का तीसरा भाग केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों एवं अधिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के विषय में जानकारी देता है। इसमें उल्लेख है कि तिरंगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा ध्वज का उपयोग उत्सव के रूप में या किसी भी प्रकार की सजावट के प्रयोजनों के लिये नहीं किया जाना चाहिये। आधिकारिक प्रदर्शन के लिये केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप और उसके चिह्न वाले झंडे का उपयोग किया जा सकता है।

मारबर्ग वायरस रोग

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, हाल ही में घाना में मारबर्ग वायरस रोग के दो संदिग्ध मामले सामने आए। मारबर्ग वायरस रोग इबोला के समान है। मारबर्ग वायरस रोग एक संक्रामक रक्तसावी बुखार (infectious haemorrhagic fever) है। यह इबोला के समान परिवार से संबंधित है। यह वायरस चमगादड़ों (fruit bats) के माध्यम से लोगों में फैलता है। यदि व्यक्ति संक्रमित व्यक्तियों के सीधे संपर्क में आता है, तो लोगों से लोगों में संचरण होता है। मारबर्ग वायरस की ऊष्मायन अवधि 2-21 दिनों की होती है। यह रोग बहुत हानिकारक और घातक है। इसके पिछले प्रकोपों में मृत्यु दर 24% से 88% तक रही थी। इससे पहले अंगोला, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और दक्षिण अफ्रीका में मारबर्ग वायरस रोग की सूचना मिली थी। सितंबर 2021 में गिनी में इसके एक मामले की पुष्टि हुई थी। मारबर्ग वायरस रोग के सामान्य लक्षणों में शामिल हैं- तेज बुखार, गंभीर अस्वस्थता, गंभीर सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द इत्यादि। संक्रमण के बाद तीसरे दिन रोगी को दस्त, मतली और उल्टी, पेट में दर्द तथा ऐंठन जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। ये लक्षण एक हफ्ते तक बने रहते हैं। मारबर्ग के लिये अभी तक कोई इलाज या टीका विकसित नहीं किया गया है। मरीजों का इलाज अंतःस्त्रावी तरल पदार्थ के साथ पुनर्जलीकरण (rehydration) के माध्यम से किया जाता है।

अर्जुन बाबुता

हाल ही में भारत के अर्जुन बाबुता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ-ISSF विश्व कप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित फाइनल मुकाबले में अमेरिका के लुकास कोजेनिस्की को 17-9 से पराजित किया। अर्जुन ने रैंकिंग राउंड में 261.1 स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया, जबकि लुकास 260.4 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इजरायल के सर्गेई रिक्टर ने कांस्य पदक जीता और भारत के ही पार्थ मखीजा चौथे स्थान पर रहे। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप, 2022 में भारत ने चार स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। नौवें तीन स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर रहा।

अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस

प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जुलाई को पाकिस्तान की समाजसेवी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का जन्मदिन है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र ने

विश्व मलाला दिवस घोषित किया है। दुनिया भर में मलाला दिवस को महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के सम्मान में मनाया जाता है। मलाला को कभी भी स्कूल जाने की अनुमति नहीं मिली थी, क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान में लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालाँकि मलाला ने घर पर रहने से इनकार कर दिया और लड़कियों के लिये शिक्षा के अधिकार की वकालत की। वर्ष 2013 में मलाला ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था। मलाला तथा उनके पिता ने मलाला फंड की स्थापना की है, जो युवा लड़कियों को स्कूल जाने में मदद करता है। मलाला यूसुफजई को पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। दिसंबर 2014 में मलाला को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मलाला ने सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था। वर्ष 2017 में मलाला को संयुक्त राष्ट्र शांति दूत के रूप में नामित किया गया था। मलाला अपने कार्य और साहस के लिये 40 से अधिक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं।

फ्राँसीसी बास्तील दिवस

फ्राँस प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है जिसे बास्तील दिवस (Bastille Day) भी कहा जाता है। 14 जुलाई, 1789 को सैन्य किले और जेल के रूप में मशहूर बास्तील के पतन का प्रतीक है जब गुस्साई भीड़ ने उस पर धावा बोल दिया था, जो फ्राँसीसी क्रांति की शुरुआत का संकेत था और फ्राँसीसी रिपब्लिकन आंदोलन के लिये एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। फ्राँसीसी राष्ट्रीय दिवस को औपचारिक रूप से फ्राँस में ला फेट नेशनल (La Fete Nationale) कहा जाता है। फ्राँस के साथ-साथ यह अन्य देशों और विशेष रूप से फ्रेंच भाषी लोगों एवं समुदायों द्वारा भी मनाया जाता है। इस अवसर पर कई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं लेकिन सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम बास्तील दिवस मिलिट्री परेड है। यह परेड 14 जुलाई की सुबह पेरिस में होती है। पहली परेड वर्ष 1880 में आयोजित की गई थी। प्रसिद्ध साइकिल दौड़ टूर डी फ्राँस (Tour de France) भी बास्तील दिवस के दौरान होती है। बास्तील पेरिस में एक मध्ययुगीन शस्त्रागार, किला और जेल था। कई आम लोगों के लिये यह अनुचित राजशाही का प्रतिनिधित्व करता था और राजशाही सत्ता के दुरुपयोग का प्रतीक था।

सुप्रीम आर्डर ऑफ द क्राईसेंथमम

जापान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को (मरणोपरांत) 'सुप्रीम आर्डर ऑफ द क्राईसेंथमम' से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। वह संविधान के तहत जापान के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले चौथे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। यह जापान का सर्वोच्च सम्मान है। जापान के सम्राट मेजी ने वर्ष 1876 में ग्रेंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर की स्थापना की थी। बाद में 4 जनवरी, 1888 को इसमें कॉलर ऑफ द ऑर्डर जोड़ा गया। शिंजो आबे

की 8 जुलाई, 2022 को उस समय हत्या कर दी गई, जब वह नारा शहर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। 41 वर्षीय तेत्सुया यामागामी ने 10 मीटर की दूरी से उन पर गोलियाँ चलाकर इस घटना को अंजाम दिया।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस (AIDef)

हाल ही में रक्षा मंत्री ने पहली "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस (AIDef) संगोष्ठी और प्रदर्शनी" का उद्घाटन किया। 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा AIDef संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसने रक्षा क्षेत्र में "आत्मनिर्भर भारत" को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रदर्शनी के दौरान विभाग AI-सक्षम समाधानों का प्रदर्शन करेगा जिन्हें उद्योग, अनुसंधान संगठनों तथा स्टार्टअप एवं इनोवेटर्स द्वारा विकसित किया गया है। ये सभी उत्पाद ऑटोमेशन या मानव रहित या रोबोटिक्स सिस्टम, साइबर सुरक्षा, मानव व्यवहार विश्लेषण, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, निगरानी प्रणाली, भाषण विश्लेषण एवं C4ISR: कमांड, नियंत्रण, संचार, कंप्यूटर तथा खुफिया, निगरानी के क्षेत्र से संबंधित हैं।

स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगाँठ

15 जुलाई, 2022 को स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगाँठ मनाई जा रही है। इस योजना को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाना है ताकि वे बेहतर आजीविका हासिल सकें। स्किल इंडिया मिशन के तहत हर साल एक करोड़ से अधिक युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं। वर्ष 2022 तक 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में स्किल इंडिया मिशन आरंभ किया गया था। इसमें "राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन", "कौशल विकास और उद्यमिता के लिये राष्ट्रीय नीति, 2015", "प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, "कौशल ऋण योजना" आदि विभिन्न पहलें सम्मिलित हैं।

विश्व युवा कौशल दिवस

विश्व युवा कौशल दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। 18 दिसंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से श्रीलंका के नेतृत्व में एक प्रस्ताव अपनाया और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया। वैश्विक स्तर पर युवा कौशल विकास के महत्त्व को उजागर करने के लिये श्रीलंका ने G77 (77 देशों का समूह) और चीन की सहायता से इस संकल्प की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य युवाओं के लिये बेहतर सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को प्राप्त करना है जो बेरोजगारी और अल्प रोजगार की चुनौतियों का समाधान करने के साधन के रूप में कार्य करेगा। विश्व युवा कौशल दिवस पारंपरिक रूप से पुर्तगाल एवं श्रीलंका के स्थायी मिशनों द्वारा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और महासचिव कार्यालय के साथ मिलकर

आयोजित किया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में बढ़ती युवा बेरोज़गारी को विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं एवं समाजों के सामने सबसे गंभीर समस्याओं में से एक के रूप में देखा जाता है। वर्तमान में लगभग 73 मिलियन युवा बेरोज़गार हैं, जिनमें से प्रतिवर्ष 40 मिलियन श्रम बाज़ार में शामिल होते हैं। बेरोज़गारी की इस समस्या से निपटने के लिये अगले दशक में कम-से-कम 475 मिलियन नए रोज़गार सृजित करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आज़ादी का अमृत महोत्सव

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिये आज़ादी का अमृत महोत्सव-22वाँ भारत रंग महोत्सव का आयोजन करेगा। महोत्सव का आयोजन 16 जुलाई से 14

अगस्त, 2022 तक किया जाएगा, इसमें प्रवेश निःशुल्क होगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक डॉ. रमेश चंद्र गौड़ ने बताया कि इस महोत्सव के दौरान देश के विभिन्न शहरों में 30 नाटकों का मंचन किया जाएगा, साथ ही महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली के कमानी सभागार में किया जाएगा। इसके बाद पाँच अन्य शहरों- भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, बंगलूरु और मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (National School of Drama-NSD) नई दिल्ली स्थित अभिनय एवं रंगमंच प्रशिक्षण संस्थान है, जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1959 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा की गई थी, वहीं वर्ष 1975 में इसे स्वायत्तता मिली।